रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004-99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असा.ारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i
प्रा.िकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938
No. 137] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

IndiaCode

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए अधिक्रमण किया गया है या लोप किया गया है, अर्थात्:-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**.- ये नियम सभी खनिजों के लिए लागू होंगे, उन बातों के सिवाय -

(i) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस;

(ii) कोयला, लिग्नाइट और नौभरण के लिए रेत; तथा

(iii) गौण खनिज:

परंतु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इन नियमों के उपाबंध की प्रयोज्यता को, इस तरह के संशोधन के साथ जैसा कि आवश्यक और ठीक समझा जाए, लघु खनिजों के लिए विस्तारित कर सकती है:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार या भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लघु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के संबंध में प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और उत्तरदायित्वों राज्य सरकार या खनन और भूविज्ञान के राज्य निदेशालय (उन्हें चाहे कोई भी नाम

दिया गया हो) या राज्य सरकार द्वारा लघु खनिजों के लिए इन नियमों की प्रयोज्यता का विस्तार करते समय अधिसूचित राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी।

3. **परिभाषाएं**.–(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "खान का परित्यक्त" से खान या उसके भाग के भीतर से खनिज भंडार पूरी तरह से निकाल लिये जाने या खनन कार्य के अलाभकर बन जाने पर एक खान को पूरे या आंशिक रूप से अंतिम रूप से बंद करना अभिप्रेत है;

(ख) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, **1957 (1957** का **67)** अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत अधिकारी" से अभिप्रेत है – **(i)** महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा लिखित रूप में सम्यक अधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का एक अधिकारी; या **(ii)** राज्य सरकार द्वारा इस निमित इन नियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्राधिकृत एक अधिकारी; या **(iii)** निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत परमाणु खनिज निदेशालय का एक अधिकारी होगा, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची-क में घोषित प्रारंभिक मूल्य सीमा के बराबर या उससे ऊपर है;

(घ) "सज्जीकरण" से आधात्री खनिज या अवशेष की तरह अवांछित घटक को हटाने के द्वारा क्वालिटी, शुद्धता या वांछित उत्पाद के परख श्रेणी के उन्नयन के प्रयोजन से खनिजों या अयस्को का प्रसंस्करण अभिप्रेत है;

(ङ) "कैलिब्रेटेड पिण्ड अयस्क" से अयस्क की जांच या खान के बाहर पेराई के बाद प्राप्त आकार युक्त अयस्क अभिप्रेत है;

(च) "मुख्य खान नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खान नियंत्रक अभिप्रेत है;

(छ) "सक्षम प्राधिकारी" से नियम **10** में निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "महानियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के महानियंत्रक अभिप्रेत है;

(झ) "खान नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के खान नियंत्रक अभिप्रेत है;

(ञ) "कोर" से उप-सतह चट्टानों के नमूने या बोर की खुदाई के दौरान अभिप्राप्त खनिज युक्त क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "विकास" से एक अयस्क पिण्ड में या फांक में एक सुराख करना अथवा अतिभाराक्रांत अथवा अनुत्पादक या अपशिष्ट पदार्थों को खनन या स्टॉपिंग की तैयारी के लिए हटाना अभिप्रेत है;

(ठ) "पर्यावरण" और "पर्यावरण प्रदूषण" का वही अर्थ होगा, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, **1986 (1986** का **29)** में उन्हें क्रमश समनुदेशित किया गया है;

(ड) "खान बंद करने की अंतिम योजना" से खनन और खनिज प्रसंस्करण के परिचालन की समाप्ति के बाद एक खान या उसके भाग में काम बंद करने, पुनर्वास और पुनरुद्धार के उद्देश्य से बनाई गई योजना अभिप्रेत है, जिसे अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, **2016** की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे ऊपर हैं, भारतीय खान ब्यूरो या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्दिष्ट मानक प्रारूप और दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है;

(ढ) "खदान को अंतिम रूप से बंद करना" से एक खदान या उसके किसी भाग में खनन या प्रसंस्करण परिचालन की समाप्ति के बाद एक खदान या उसके किसी भाग के पुनरुद्धार और पुनर्वास के लिए उठाए गए कदम अभिप्रेत है;

(ण) "वित्तीय आश्वासन" से नियम **27** के अनुसार एक खनन पट्टा धारक द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा या गारंटी अभिप्रेत है;

(त) "प्ररूप" से अनुसूची में उल्लिखित प्ररूप अभिप्रेत है;

(थ) "भूविज्ञानी" से एक खनिज रियायत धारक द्वारा इन नियमों के अंतर्गत एक भूविज्ञानी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

IndiaCode

(द) "खनन इंजीनियर" से एक खनिज रियायत धारक द्वारा इन नियमों के अंतर्गत एक खनन इंजीनियर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ध) "अस्वीकृत खनिज" से खुदाई की वह सभी सामग्री शामिल होना अभिप्रेत है, जो उपयोगी सामग्री संस्थापित नहीं होती, जिसे श्रेणी या आकार के आधार पर अस्वीकृत कर दिया जाता है;

(न) "खान बंद करने की प्रगतिशील योजना" से एक खान या उसके किसी भाग में सुरक्षात्मक, उधारण और पुनर्वास के उपायों को प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई प्रगतिशील योजना अभिप्रेत है, जिसे भारतीय खान ब्यूरो या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा जारी किए गए निर्दिष्ट मानक प्रारूप और दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट तरीके के अनुसार अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, **2016** की अनुसूची ए के अंतर्गत समय-समय पर घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे ऊपर हैं, तैयार किया गया है;

(प) "क्षेत्रीय नियंत्रक" से भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय खान नियंत्रक अभिप्रेत है;

(फ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ब) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(भ) "शाफ्ट" से सतह से भूमिगत कार्यस्थल या भूमिगत कार्यस्थल के एक भाग से दूसरे भाग में, जिसमें झुकी हुई जगह भी शामिल है, जाने के लिए एक सीधा या झुका हुआ रास्ता अथवा सुराख अभिप्रेत है;

(म) "स्टॉपिंग" से अयस्कों या खनिजों को निकालने के उद्धेश्य से विकास कार्यों से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए भूमिगत उत्खनन अभिप्रेत है, जिसमें निकासी या बंटवारा या स्तंभों या खनिजों के ब्लॉक में कमी भी शामिल है;

(य) "अस्थायी बंदी" से एक खान या उसके हिस्से में खनन कार्य का योजित या अनियोजित निलंबन अभिप्रेत है और जहां एक सौ बीस दिन से पहले फिर से परिचालन के शुरू नहीं किये जाने की संभावना है; तथा

(यक) "वर्ष" से अप्रैल के पहले दिन से शुरू और अगले वर्ष के मार्च के एकतीसवें दिन समाप्त होने वाली बारह महीने की अवधि अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदो का जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नही है; वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दिए गए हैं।

अध्याय 2

आवीक्षण और पूर्वेक्षण परिचालन

4. **आवीक्षण या पूर्वेक्षण की योजना**.–(1) आवीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा का प्रत्येक धारक, महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, परमिट या अनुज्ञपित के निष्पादन की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ऐसे तरीके को दर्शाते हुए आवीक्षण या पूर्वेक्षण परिचालन को परमिट या लाइसेंस के अंतर्गत आवृत क्षेत्र में कार्यान्वित करने के प्रस्तावित आवीक्षण या पूर्वेक्षण की एक योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) आवीक्षण या पूर्वेक्षण की योजना भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में तैयार की जाएगी:

परंतु अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, **2016,** की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे ऊपर हैं, आवीक्षण या पूर्वेक्षण योजना निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में तैयार किया जाएगा।

5. **आवीक्षण या पूर्वेक्षण की स्कीम का उपांतरण**.–(1) नियम 4 के अंतर्गत तैयार और प्रस्तुत की गई आवीक्षण या पूर्वेक्षण स्कीम को आवीक्षण या परिचालन पूर्वेक्षण के जारी रहने दौरान, आवीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा धारक द्वारा भूवैज्ञानिक विचारों के आधार पर या महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, के निर्देशानुसार किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत किये गए किसी भी उपातरणों को, आवीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह-खनन पट्टा धारक द्वारा यथास्थिति महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी को, इस तरह का संशोधन करने के तीस दिन की

अवधि के भीतर सूचित किया जाएगा।

6. **आवीक्षण या पूर्वेक्षण परिचालन को आवीक्षण या पूर्वेक्षण की स्कीम के अनुसार कार्यान्वित करना.-** आवीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह खनन पट्टे के प्रत्येक धारक द्वारा नियम 4 के अंतर्गत प्रस्तुत स्कीम के अनुसार या नियम 5 के अंतर्गत निर्दिष्ट ऐसे संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, अथवा महानियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार आवीक्षण या पूर्वेक्षण का परिचालन किया जाएगा।

7. **आवीक्षण और पूर्वेक्षण परिचालन के बारे में संसूचना.-** आवीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण लाइसेंस या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा के प्रत्येक धारक को अनुसूची के प्ररूप क में आवीक्षण या पूर्वेक्षण परिचालन शुरू होने के बारे में, यथास्थिति, क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी और राज्य सरकार को सूचना इस तरह से भेजनी चाहिए कि वह ऐसे परिचालन प्रारंभ होने से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर उन तक पहुँच जाए।

8. **निरीक्षण .-** (1) पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित व खनन पट्टा धारक को किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी समय उसके द्वारा अनुरक्षित खातों का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी और अधिकृत अधिकारी को ऐसी जानकारी और विवरणियां प्रस्तुत करनी होगी जिनकी अधिकृत अधिकारी को आवश्यकता हो।

(2) पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा धारक को किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को पूर्वेक्षण परिचालन कोर लॉग और पूर्वेक्षण के परिचालन के दौरान उत्पन्न नमूनों सहित अपने द्वारा परिचालित किसी भी पूर्वेक्षण परिचालन का निरीक्षण करने की अनुमति देनी होगी।

9. **आवीक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा धारक या किसी अन्य अधिकृत अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें .-** (1) आवीक्षण परमिट या लाइसेंस पूर्वेक्षण या पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन पट्टे के प्रत्येक धारक अनुसूची के प्ररूप ख के साथ एक वार्षिक रिपोर्ट क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, और राज्य सरकार को इस तरह प्रस्तुत करेगा कि वह सुसंगत पूर्वेक्षण अनुज्ञपित विलेख के निष्पादन की तिथि से बारह महीने की समाप्ति या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टे की समाप्ति होने के बाद, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, के पैंतालीस दिन के भीतर उस तक पहुँच जाए।

(2) रिपोर्ट करने के फारमेट उप-नियम (1) के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उसके ऊपर है, रिपोर्ट करने का प्रारूप निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अधिकृत प्रत्येक अभिकरण को राज्य सरकार और अधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, अनुसूची के प्रपत्र ख में एक वार्षिक रिपोर्ट इस तरह करनी होगी, जो कि पूर्वेक्षण परिचालन शुरू करने की तिथि से बारह महीने की समाप्ति के बाद पैंतालीस दिन के भीतर उन तक पहुँच जाए।

(4) पूर्वेक्षण परिचालन का परित्यक्त कर दिए जाने की स्थिति में, इस तरह के परित्यक्त की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुसूची के प्ररुप- ख के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित व खनन पट्टा के धारक द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध के प्राप्त होने पर, भूवैज्ञानिक रिपोर्ट या डाटा के निर्दिष्ट भागों को खनिज रियायत की समाप्ति की तारीख या संक्रियाओं के परित्यक्त या खनिज रियायत के समपहरण, इनमें से जो भी पूर्ववर्ती हो, से दो वर्ष की अवधि के लिए गोपनीय रखेगा।

अध्याय 3

खनन संक्रिया

10. **सक्षम प्राधिकारी.-** (1) महानियंत्रक या महानियंत्रक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का एक अधिकारी, धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार भारतीय खान ब्यूरो के किसी भी अधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित और धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में तैयार और अनुमोदित राज्य सरकार स्थापित प्रणाली के अनुसार स्वीकृत खनन पट्टा आबंटित करने हेतु आवश्यक खनन योजना को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा:

परंतु महानियंत्रक या महानियंत्रक द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय खान ब्यूरो का एक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित इस तरह की खनन योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

(3) निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के निदेशक द्वारा लिखित रूप में अधिकृत परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय का एक अधिकारी अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उसके ऊपर है, खंड 5 की धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में तैयार एक खनन योजना के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

11. **खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन.-** (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित या अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उसके ऊपर हैं, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई खनन स्कीम के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा।

(2) यदि खनन संक्रिया अनुमोदित या प्रमाणित खनन योजना के अनुसार परिचालित नहीं की जाती है या खनन योजना में निहित कोई भी जानकारी गलत या भ्रामक अथवा इन नियमों के साथ लागू कानूनों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी आदेश द्वारा सभी या किसी भी खनन संक्रिया को निरस्त कर सकता है और केवल उन संक्रियाओं को चलते रहने की अनुमति दें सकता है जो खान की स्वीकृत या प्रमाणित खनन योजना या संशोधित खनन योजना के अनुसार संभव सीमा तक पूर्वावस्था की प्राप्ति के उदेश्य से आवश्यक हैं:

परंतु यह कि पट्टा धारक को उल्लंघन के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और यदि पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उल्लंघन को सुधारा नहीं जाता है, तो एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछेगा कि खनन संक्रिया को निलंबित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और, आगे, यदि तीस दिन की अवधि के भीतर कोई समाधानप्रद उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो खनन संक्रिया को निलंबित कर दिया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि इस संबंध में बताये गए उल्लंघन में सुधार कर लिया जाता है तो ऐसे अनुपालन के बाद सक्षम प्राधिकारी निलंबन रद्द कर सकता है।

(3) प्रत्येक स्वीकृत खनन योजना हर पाँच वर्ष में, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 17 के उपनियम (1) के उपाबंध के अनुसार की पुनर्विलोकन करने और अद्यतन के अधीन होगी:

परंतु यह कि हर पाँच वर्ष में स्वीकृत खनन योजना की पुनर्विलोकन और अद्यतन, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य सीमा के नीचे है, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डो के अनुसार किया जाएगा।

(4) खनन पट्टा धारक आगामी पाँच वर्ष की अवधि के लिए खनन कार्य करने के लिए खनन योजना को पाँच वर्ष की अवधि समाप्ति, जिसके लिए इसे इससे पूर्व अवसर पर अनुमोदित किया गया था, से के कम से कम एक सौ अस्सी दिन पहले पुनर्विलोकन के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

12. पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाएं.- (1) पूर्वेक्षण और खनन संक्रियाएं इस तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा जिससे कि खनिज भंडार का व्यवस्थित विकास, खनिजों का संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

(2) पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा धारक खान (खनिज अंतर्वस्तु के साक्ष्य) नियम, 2015 में प्रदान की मानकों के अनुसार अन्वेषण संक्रिया करेगा:

परंतु यह कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा गवेषण मानदण्ड निर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) खनन पट्टा धारक ऐसे खनन पट्टे के निष्पादन के बाद खान के शुरू की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर खनन पट्टा के अंतर्गत संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1 स्तर) करेगा।

(4) विधमान खनन पट्टों के मामले में खनन पट्टे के अंतर्गत संपूर्ण संभावित खनिजयुक्त क्षेत्र पर विस्तृत गवेषण (जी1 स्तर) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(5) संपूर्ण खनिजयुक्त क्षेत्र के लिए नियमित अंतराल पर, अधिमानतः मीटर या उससे कम के हिसाब से, ड्रिल कोर या चिप्स के नमूने, गड्ढों के नमूने और खाई के नमूने लेने का कार्य किया जाएगा और प्रमुख मौलिक घटकों के लिए सभी नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा।

(6) गवेषण के आधार पर समय-समय पर खनिज संसाधनों का प्राक्कलन लगाया जाएगा और संसाधनों का भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट खनिज के प्रारंभिक मूल्य के अनुसार प्राक्कलन लगाया जाएगा, और इस अद्यतन संसाधनों को पाँच वर्ष के अंतराल पर खनन योजना की समीक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) भारतीय खान ब्यूरो, हितधारकों के साथ परामर्श करके समय समय पर खनिजों के प्रारंभिक मूल्यों की समीक्षा करेगा।

13. **खुली खान में काम करना.-** (1) खुली खान में कामकाज में, निर्मित बेंचों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि अयस्क या खनिज और अतिभार में बेंचें अलग रहें, ताकि अयस्क या खनिजों के साथ अपशिष्ट के मिश्रण को रोका जा सके।

(2) अतिभार में बेंचों को पर्याप्त पहले रखा जाएगा ताकि उनके कामकाज से अयस्क या खनिजों के काम में हस्तक्षेप न हो।

(3) कामकाज का अभिविन्यास और खनन कार्य का अनुक्रम इस तरह से किया जाएगा कि अयस्क या खनिजों की इष्टतम वसूली के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भंडार से विभिन्न श्रेणीयों के अयस्क या खनिजों को सम्मिश्रण के लिए एक साथ प्राप्त किया जा सके।

14. सभी व्यर्थ और अविक्रेय खनिजों को अलग जमा करना.- (1) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट खनिज के प्रारंभिक मूल्य से ऊपर के सभी अविक्रेय या अनुपयोगीखनिजों या अयस्कों को, या अन्यथा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित जमीन पर अलग से जमा किया जाएगा:

परंतु यह कि तटीय बालू खनिज भंडार जिसमें इलमेनाइट, रूटाइल, जिरकान, मोनाजाइट, सिलिमेनाइट, गार्नेट, लियोकोक्सीन, आदि शामिल हो के मामले में, संबंधित खनिजों के अपशिष्ट रेत के साथ मिश्रण से बचाव के लिए अपशिष्ट रेत या अवशेषों को संबंधित खनिजों से अलग जमा करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी।

(2) खनिजों के निर्दिष्ट प्रारंभिक मूल्यों में निर्धारित सीमा से ऊपर के या अन्यथा खनिज या अयस्क के भंडार का सभी सामग्री की मात्रा और गुणवत्ता का संकेत करते हुए उचित रखरखाव किया जाना चाहिए, और ऐसी सामग्री की महीने वार सूची को अद्यतित किया जाएगा:

परंतु यह कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, खनिज या अयस्क स्टॉक को, इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी के परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य सीमा से ऊपर या नीचे होने के बावजूद, ऐसी सभी सामग्री के ग्रेड और परिमाण का संकेत करते हुए ठीक से जमा किया जाएगा, और ऐसी सामग्री की महीने वार सूची को अद्यतित किया जाएगा और परमाणु खनिज खोज तथा अनुसंधान निदेशालय और भारतीय खान ब्यूरो तथा संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

परंतु यह और कि पट्टेदार को मोनेजाइट और अन्य निष्काषित विहित पदार्थों की सटीक सामग्री मात्रा की माह वार सूची बना कर रखने की आवश्यकता होगी, जो खदान साधारण से स्टॉक यार्ड तक चलेगी, जिसे मासिक आधार पर परमाणु खनिज खोज तथा अनुसंधान निदेशालय और भारतीय खान ब्यूरो तथा संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) खनन संक्रिया के दौरान अभिप्राप्त अतिभार और अपशिष्ट पदार्थों को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट सामग्री के साथ मिश्रित करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(4) अतिभार, अपशिष्ट पदार्थ, निम्न श्रेणी के या अविक्रेय अयस्कों की डंपिंग के लिए चुनी गई जगह को डंपिंग के लिए उपयोग में लाने से पहले अंतर्निहित खनिज भंडार की अनुपस्थिति या उपस्थिति के लिए प्रमाणित करना होगा।

15. भूमिगत खनन संक्रियाएँ.- (1) भूमिगत खनन संक्रियाएँ इस तरह से कार्यान्वित की जाएगी ताकि अयस्क या खनिज की वसूली इष्टतम हो सके।

(2) भंडार के भूमिगत विकास की विधि की योजना स्टॉपिंग की विधि के अनुसार बनाई जाएगी, जिसे भंडार के भूविज्ञान और अयस्क तथा आसपास की चट्टानों के भू-तकनीकी गुणो पर यथोचित विचार करने के बाद चयनित किया जाएगा ।

(3) विकास के सुराखों के आकार, ब्लॉक और स्तंभों के आकार ऐसे होंगे जिससे विकास और स्टॉपिंग के चरणों के दौरान और ऐसे चरणों के बीच कामकाज स्थिर रहे।

(4) स्टॉपिंग की व्यवहार ऐसी होनी चाहिए ताकि सतह पर न्यूनतम बाधा उत्पन्न हो।

IndiaCode

(5) उपनियम (1) के अंतर्गत अयस्क या खनिज की इष्टतम वसूली या उप नियम (2) के अंतर्गत भूमिगत विकास की विधि या उप नियम (3) के अंतर्गत सुराख, ब्लॉक या स्तंभों के आकार या उपनियम (4) के अंतर्गत स्टॉपिंग की व्यवहारों के बारे में कोई संदेह होने की स्थिति में इसे निर्णय के लिए मुख्य खान नियंत्रक के पास भेजा जाएगा।

(6) खान के मुख्य नियंत्रक इस तरह की अनवेषण और परीक्षण करने का आदेश दें सकते हैं, जिन्हें उपनियम (5) के अंतर्गत उनके पास भेजे गए किसी मामले में एक निर्णय पर पहुंचने से पहले आवश्यक माना जाए।

(7) जहाँ तक साध्य हो सके अयस्क या खनिज निकाय की पूरी चौड़ाई में काम किया जाएगा:

परंतु यदि खान के कामकाज के समर्थन या सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी हो, तो, मुख्य खान नियंत्रक लिखित रूप में कुछ भूमिगत भागों को छोड़ने की अनुज्ञा दें सकता है।

16. **उप-श्रेणी के खनिजों को सतह पर लाना.**- (1) भूमिगत कामकाज में कहीं से भी प्राप्त उप-श्रेणी के सभी अयस्क या खनिजों को जमीन के नीचे छोड़ने या पैक करने की बजाय उन्हें सतह पर लाया जाएगा, जिन्हें निर्धारित जगह पर अलग से जमा किया जाएगा।

17. **ब्लॉक की कमी का निषेध.**- भूमिगत कामकाज में निर्मित सभी ब्लॉकों के आकार और रूप नियमित होंगे और एक बार एक ब्लॉक का गठन किए जाने के बाद, स्टॉपिंग के प्रारंभ होने के चरण तक इसे विभाजित या आकार में कम नहीं किया जाएगा:

परंतु मुख्य खान नियंत्रक, खनन पट्टा धारक द्वारा ऐसा करने के कारणों सहित लिखित रूप में आवेदन करने पर, ब्लॉक के आकार में कमी करने की अनुमति दें सकता है।

18. **फायदाग्राही अध्ययन करना**.- (1) यदि महानियंत्रक या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय का एक प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, को खनन संक्रिया की प्रकृति और अयस्क या खनिज की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि उप-श्रेणी अयस्क या खनिज में वसूली योग्य निश्चित उत्पाद निहित हैं, तो वह खनन पट्टा धारक को परीक्षण और अंशांकन के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला या भारतीय खान ब्यूरो अथवा परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा अनुमोदित अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से फायदाग्राही जांच कराने के लिए निर्देशित कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत इस प्रकार कराई गई फायदाग्राही जांच की रिपोर्ट, जांच पूरी होने के तुरंत बाद महानियंत्रक या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के एक अधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, को प्रस्तुत की जाए।

(3) एक फायदाग्राही संयंत्र वाली खान में, नियमित रूप से पोषक उत्पादों और अवशेषों के उपयुक्त अंतराल पर नमूने लिए जाएंगे और पर उन्हें विश्लेषित किया जाएगा और उसके अभिलेख को संरक्षित किया जाएगा:

परंतु महानियंत्रक या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय का एक अधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, परीक्षण और अंशांकन के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या भारतीय खान ब्यूरो या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा अनुमोदित मानकीकरण के एक अंतरराष्ट्रीय संगठन से नियमित अभ्यास के अलावा किसी अन्य अंतराल पर नमूना लेने और विश्लेषण कराने की आवश्यकता हो सकती है:

(4) महानियंत्रक या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय का एक प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, लाभकारी प्रक्रिया में और सुधार करने की संभावना का आकलन करने के लिए की लाभकारी संयंत्रों में आवधिक प्रक्रिया लेखापरीक्षा कर सकते हैं।

19. **मशीनरी और संयंत्र**.- (1) जहां खानों में भारी अर्थ मूविंग मशीनरी का उपयोग किया जाता है, वहां खनन पट्टा धारक को सम्यक काम करने के घंटों, काम नहीं करने के घंटों, काम न करने के कारण, ईंधन या ऊर्जा और स्नेहक की खपत और काम के घंटे के दौरान मशीन के उत्पादन का तारीख-वार हिसाब दिखाते हुए प्रत्येक मशीन के संबंध में खानों के प्रबंधक या खनन इंजीनियर द्वारा प्रमाणीकृत लॉग पुस्तकों का अनुसरण करना होगा।

(2) प्रत्येक महीने के अंत में उपलब्धता के प्रतिशत और मशीन के उपयोग के प्रतिशत, प्रति घंटा औसत प्रदर्शन और प्रति घंटे औसत ईंधन या ऊर्जा की खपत दर्शाते हुए प्रत्येक मशीन के परिचालन का सारांश लॉग बुक में दर्ज किया जाएगा।

(3) लॉग पुस्तकें इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी के रूप में रखी जा सकती हैं और मांगने पर इन्हें अधिकृत अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

20. **खदान के खोलने के लिए नोटिस**.- (1) खनन योजना के अनुमोदन की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि के व्यपगत के बाद खान को खोलने की स्थिति में खनन पट्टा धारक अधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, को अनुसूची के प्ररुप-ग में खान खोलने की संसूचना इस तरह भेजेगा कि खान खुलने के पंद्रह दिन के भीतर उनके पास पहुँच जाए।

21. खदानों का परित्यक्त.- (1) खनन पट्टा धारक, लिखित रूप में प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, की पूर्व अनुज्ञा के सिवाए, पट्टे के निर्वाह के दौरान खान का परित्यक्त नहीं करेगा।

(2) खनन पट्टा धारक प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, खान का परित्यक्त करने के अपने इरादे का नोटिस अनुसूची के प्रपत्र-घ में इस प्रकार भेजेगा कि वह खदान का परित्यक्त करने की वांछित तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले उन तक पहुँच जाए, जिसके साथ परित्याग की जाने वाली खान या उसके भाग, उस तक पहुँचने के मार्ग और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए परिकल्पित उपायों सहित नोटिस जमा करने के समय तक खदान में किए गए काम का सही तरीके से उल्लेख करते हुए नियम 31 में निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार योजनाओं और अनुभाग संलग्न होंगे:

परंतु प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर योजनाओं और अनुभागों को तैयार करने की अपेक्षा पड़ सकती है।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, परित्याग की प्रस्तावित तारीख से पहले लिखित आदेश द्वारा, परित्याग का निषेध कर सकता है या ऐसी शर्तों के साथ इसे करने की अनुमति दें सकता है, जिन्हें वह आदेश में निर्दिष्ट करे।

(4) खनन पट्टा धारक, किसी खान का तब तक परित्यक्त नहीं करेगा तक जब तक कि एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक अनुमोदित अंतिम रूप से खदान बंद करने की योजना को कार्यान्वित न कर दिया जाए, और इस उद्देश्य के लिए, पट्टेदार को, प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खदान को बंद करने की अंतिम योजना अनुसार में या इस तरह के संशोधनों के साथ सुरक्षा, उद्धार और पुनर्वास के कार्य खान का परित्यक्त करने से पहले पूरे किये गए हैं।

(5) खनन पट्टा धारक का वित्तीय आश्वासन प्रदान करने, और खनन पट्टे की अनुबंधित क्षेत्र में सुरक्षा सुधार और पुनर्वास उपायों की दिशा में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभूति से बढकर किए गए किसी भी व्यय का भुगतान करने के लिए दायी होना जारी रहेगा।

22. खदान बंद करने की योजना.- (1) हर खदान के लिए खदान बंद करने की योजना होगी, जो कि दो प्रकार की होगी; अर्थात्: -

(i) खदान बंद करने की एक प्रगतिशील योजना; और

(ii) खदान बंद करने की एक अंतिम योजना।

(2) प्रत्येक खनन पट्टा धारक को समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों और प्रारूप के अनुसार खान बंद की योजना तैयार करने के लिए कदम उठाने होंगे:

परंतु यह कि ऐसे दिशानिर्देशो और प्रारूपो को राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा जहां राज्य सरकार ने धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसार खनन योजना की तैयारी, प्रमाणन और निगरानी के लिए एक प्रणाली की स्थापना की है:

परंतु यह और कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, की अनुसूची-क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे ऊपर हैं, इस प्रकार के दिशा निर्देश और प्रारूपों को निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में तैयार किया जाएगा।

23. खान बंद करने की प्रगतिशील योजना को प्रस्तुत करना.- खनन पट्टा धारक, खनन योजना के प्रस्तुतिकरण, संशोधन और पुनर्विलोकन के समय, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष खनन योजना के एक घटक के रूप में खान बंद करने की एक प्रगतिशील योजना प्रस्तुत करेगा।

24. खान बंद करने की अंतिम योजना प्रस्तुत करना.- (1) खनन पट्टा धारक खान की प्रस्तावित बंदी के दो वर्ष पूर्व, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए खान बंद करने की एक अंतिम योजना प्रस्तुत करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी इसकी प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर खनन पट्टा धारक को खान बंद करने की अंतिम योजना के लिए अपनी मंजूरी या इंकार की सूचना देगा।

25. खान बंद करने की योजना का उपांतरण.- (1) खदान बंद करने की अनुमोदित योजना में संशोधन करवाने का इच्छुक खनन पट्टा धारक, संशोधनों की स्थापना के आशय और इस तरह के संशोधन के कारणों को स्पष्ट करते हुए, अनुमोदन के लिए इसे सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी खंड (1) के अंतर्गत प्रस्तुत संशोधनों को अनुमोदन दें सकता है, या इनमें ऐसे परिवर्तन के साथ मंजूरी दें सकता है, जिन्हें वह समीचीन मानता हो।

IndiaCode

26. एक खनन पट्टा धारक का उत्तरदायित्व.- (1) यह सुनिश्चित करना कि खनन पट्टा धारक उत्तरदायित्व कि खान बंद करने की अनुमोदित योजना के अनुसार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी योजना में किए गए अनुमोदित संशोधनों के साथ खान के उद्धार और पुनर्वास कार्यों सहित सुरक्षात्मक उपायो को कार्यान्वित किया गया है।

(2) खनन पट्टा धारक प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से पहले, खदान बंद करने की अनुमोदित योजना में परिकल्पित अनुसार कार्यान्वित किए गए सुरक्षा और पुनर्वास कार्यों के विस्तार क्षेत्र उल्लेख करते हुए, और अगर कोई विचलन हुआ है, तो उसका कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:

परंतु यह कि इस तरह के प्रारूप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जहां राज्य सरकार ने धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसार खनन योजना की तैयारी, प्रमाणन और निगरानी के लिए एक प्रणाली की स्थापना की है:

परंतु यह और कि अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, की अनुसूची- क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे ऊपर है, इस तरह का प्रारूप निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

27. **वित्तीय आश्वासन.-** (1) खनन पट्टा धारक द्वारा, खनन योजना में निहित खान बंद करने की प्रगतिशील योजना के आवश्यक और उचित कार्यान्वयन के लिए, यथास्थिति, एक वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जाएगा, जो खनन पट्टा क्षेत्र 'क' श्रेणी की खानों के लिए तीन लाख रुपए और 'ख' श्रेणी की खानों के लिए दो लाख रुपये, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से एक राशि होगी, जिसका खनन और संबद्ध क्रियाकलापों के लिए उपयोग किया जाएगा:

परंतु उप-नियम (1), के अंतर्गत जमा कराए जाने वाले वित्तीय आश्वासन की न्यूनतम राशि 'क' श्रेणी की खदानों के लिए दस लाख रुपये और 'ख' श्रेणी की खदानों के लिए पाँच लाख रुपए होगी:

परंतु यह और कि उप-नियम (1) के उपाबंध नीलामी द्वारा आबंटित खनन पट्टे या धारा 10क की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के उपाबंधों के अंतर्गत दिए गए खनन पट्टों पर लागू नहीं होगा, जिसमें खान विकास और उत्पादन समझौते पर पट्टेदार और राज्य सरकार के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) जहां उप नियम (1) के अंतर्गत खनन पट्टा धारक द्वारा वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है वित्तीय आश्वासन की ऐसी राशि प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में को एक बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु जहां इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया जा चुका है,, पहले से प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को बकाया वित्तीय आश्वासन के बीच के अंतर के बराबर की राशि प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएगी:

परंतु यह और कि, खनन पट्टा धारक को खनन और संबद्ध क्रियाकलापों के क्षेत्र में वृद्धि के साथ वित्तीय आश्वासन की राशि बढ़ानी होगी:

परन्तु यह भी कि जहां पट्टाधारक खदान बंद करने की प्रगतिशील योजना के हिस्से के रूप में सुधार और पुनर्वास उपाय करता हैं, वहां इस प्रकार खर्च की गई राशि को पट्टाधारक द्वारा पहले ही खर्च की गई वित्तीय आश्वासन की राशि माना जाएगा और पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वित्तीय आश्वासन की कुल राशि से इस हद तक घटा दिया जाएगा।

(3) वित्तीय आश्वासन का निस्तारण, पट्टेदार द्वारा खान बंद करने की अंतिम योजना में निहित उपाबंधो के समाधानप्रद अनुपालन के लिए दिए गए नोटिस और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, उसे प्रमाणित किए जाने पर प्रभावी होगा।

(4) यदि प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, के पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अनुमोदित खनन योजना में या खान बंद करने की अंतिम योजना में शामिल खान बंद करने की प्रगतिशील योजना निहित परिकल्पित सुरक्षा, सुधार और पुनर्वास के उपाय, जिनके संबंध में वित्तीय आश्वासन सुसज्जित किया गया था, उन्हें पूरी तरह से या आंशिक रूप से खदान बंद करने की प्रगतिशील योजना या खदान बंद करने की अंतिम योजना के अनुसार नहीं किये गए हैं या नहीं किये जाएगे, तो प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, वित्तीय आश्वासन की जब्ती के आदेश जारी करने के अपने इरादे के बारे में इस प्रकार को आदेश जारी करने की तारीख से तीस दिन पहले पट्टेदार को एक लिखित नोटिस देगा।

(5), यदि प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, उप-नियम(4) निर्दिष्ट नोटिस प्राप्ति के तीस दिन के भीतर पट्टेदार से लिखित रूप में भी कोई समाधानप्रद उत्तर जवाब नहीं मिलता है तो वह आश्वासन राशि को जब्त करने के लिए आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएगी।

(6) प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा आदेश जारी होने पर संबंधित राज्य सरकार सुरक्षा, सुधार, पुनर्वास उपायों के निष्पादन के उदेश्य से बैंक गारंटी के रूप में प्राप्त या प्रस्तुत किये गए वित्तिय आश्वासन का निस्तारण करेंगी और उन उपायों का अनुपालन करेगी, या ऐसा करने के लिए अभिकर्ता नियुक्त करेगी।

28. **खानों में काम के अस्थायी बंदी की सूचना और पट्टा धारकों के दायित्व**.- (1) यदि खान या उसके किसी हिस्से में खनन या खनिज प्रसंस्करण परिचालन नब्बे दिन की अवधि से अधिक के लिए बंद रहता है, तो खनन पट्टा धारक धारा 4 क के उपबंधों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, और राज्य सरकार को प्ररूप ड़ में एक तत्संबंधी नोटिस इस प्रकार भेजेगा कि वह ऐसी अस्थायी बंदी की तारीख से एक सौ बीस दिन के भीतर उन तक पहुँच जाए।

(2) जहां इस प्रकार की अस्थायी बंदी खनन पट्टा धारक के नियंत्रण से परे किसी प्राकृतिक आपदा की घटना के परिणाम के रूप में या किसी प्रभावी कानून के अधीन स्थापित किसी वैधानिक प्राधिकरण या किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश या निर्देशो के अनुपालन में होती है, इस प्रकार की अस्थायी बंदी के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति प्रपत्र ङ में एक नोटिस प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) एक खान या उसके भाग के अस्थायी बंदी के दौरान, खनन पट्टा धारक का दायित्व होगा कि -

(क) प्राधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित करने के लिए उचित निषेधात्मक उपायों का अनुपालन करे;

(ख) विद्युत और यांत्रिक संस्थापनों के संभावित खतरे के स्रोतों, और खदान के दरवाजों या कामकाज और अन्य सभी संरचनाओं के लिए सुरक्षात्मक उपाय प्रदान करे;

(ग) सुनिश्चित करें कि सभी दूषित अपशिष्ट प्रवाहों को नियंत्रित किया जा रहा है और सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक निगरानी कार्यक्रम जारी हैं;

(घ) सुनिश्चित करें कि सभी चट्टानों के ढेरों, अतिभार ढेर और जमा ढेरों और अवशेष, तथा अन्य पानी जमा करने की संरचनाओं को स्थिर और सुरक्षित स्थितियों में रखा जाता है।

29. **खान को फिर से खोलने की सूचना**.- खनन पट्टा धारक अस्थायी बंदी के बाद खान को फिर से खोलने की सूचना, यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारीऔर राज्य सरकार को अनुसूची के प्ररूप-ग इस प्रकार भेजेगा कि वह खान को दोबारा खोलने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर उनके पास पहुँच जाए।

30. **शिरा की स्टॉपिंग, इत्यादि**.–(1) सक्षम प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के सिवाए कोई रोक (स्टॉपिंग) शुरू, आयोजित या चलाई नहीं जाएगी।

(2) खनन पट्टा धारक किसी भी शिरा, परत, चट्टान या खनिज भंडार की स्टॉपिंग शुरू करने के अपने इरादे की सूचना अनुसूची के प्ररूप-च में प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति और राज्य सरकार को इस प्रकार भेजेगा कि वह ऐसे परिचालन आरंभ होने की तारीख से के कम से कम साठ दिन पहले उन तक पहुँच जाए।

(3) इस तरह के नोटिस के साथ रोके जाने वाले प्रस्तावित ब्लॉकों, स्टॉपिंग के तरीके और स्टॉपों के खनिजयुक्त और बंजर क्षेत्रों से होने वाली अनुमानित वसूली का प्रतिशत दर्शाते हुए कम से कम 1 सेमी.=10 मीटर के पैमाने पर खंडो और योजनाओ को संगत करेगा:

परंतु प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, एक लिखित आदेश द्वारा और उसमें निर्दिष्ट की गई शर्तों के अधीन योजनाओं और अनुभागों को किसी भी अन्य उपयुक्त पैमाने पर तैयार करने की अनुज्ञा दें सकता है या माँग कर सकता है।

(4) प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, स्टॉपिंग परिचालन शुरू होने की प्रस्तावित तारीख से पहले एक आदेश द्वारा, स्टॉपिंग निषेध कर सकता है या ऐसी शर्तों के अंतर्गत इसे करने की अनुमति दें सकता है जिन्हें इस तरह के आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।

अध्याय 4

योजनाएं और खंड

31. **योजनाओं और खंडों के बारे में साधारण अपेक्षाएं .-** (1) इन नियमों के उपाबंधो के अनुसार तैयार या प्रस्तुत की गई प्रत्येक योजना या खंड में -

(क) खान और खनन पट्टा धारक का नाम और जिस प्रयोजन के लिए योजना या अनुभाग को तैयार किया जाता है, को दर्शाएगा;

(ख) सही उत्तर या चुंबकीय मध्याह्न और पत्र की तारीख को दर्शाएगा;

IndiaCode

(ग) उपयुक्त रूप से उप-विभाजित कम से कम पच्चीस सेंटीमीटर लंबी योजना के पैमाने को दर्शाएगा;

(घ) जब तक अन्यथा उपबंधित न किया जाए, प्रतिनिधि कारक वाले एक पैमाने पर रहें -

(i) 1: 500 छोटे पैमाने पर कार्य वाली खदानों के मामले में;

(ii) 1: 2000 बड़ी खुली खुदाई के कार्यों वाली खानों और बड़े पट्टे वाले क्षेत्रों की सतह योजनाओं के मामले में भी; और

(iii) 1: 1000 अन्य मामलों में:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में आदेश द्वारा और उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी भी अन्य उपयुक्त पैमाने पर योजना को तैयार करने की अनुमति दें सकता है या माँग कर सकता है;

(ङ) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में आंगुलिक रूप से तैयार की जाएगी।

(2) इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सभी योजनाओं और खंडो को तैयार करने में धातु अयस्क खान विनियम, 1961, के अंतर्गत उपाबंध किए गए समागम का उपयोग किया जाएगा।

(3) योजनाएं और खंड त्रुटि की ऐसी सीमा के भीतर सटीक होंगे, जिन्हें महानियंत्रक द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

(4) इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षित योजनाओं और खंडों को नियम 55 के उपनियम (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट 'अ' श्रेणी की खानों के मामले में तीन महीने के भीतर और किसी अन्य खदान के मामले में बारह महीने भीतर अद्यतन जाएगा।

32. **योजनाओं और खंडों के प्रकार.-** (1) खनन पट्टा धारक को निम्नलिखित आंगुलिक रूप में तैयार योजनाओं और खंडों को रखना होगा, अर्थात्:-

(क) सतह योजना में खनन पट्टे की सीमा के अंदर की भवन, टेलीफोन, विद्युत पारेषण लाइन, पानी की पाइप लाइन, ट्राम लाइन, रेल, सड़क, नदी, जल प्रवाह, जलाशय, टैंक, बोर होल, शाफ्ट और ढलान के मुहानों, खुली खदान के कामकाज, कचरा और कचरा जमा करने की जगह बंजर जमीन, जंगलों, अभयारण्यों, कृषि भूमि और चराई भूमि और सतह लाभकारी संयंत्रों पर विलेय, अवशेष के तालाबों तथा पट्टे के भीतर अन्य कामकाज जैसी सतह की सभी संरचनाओं, सीमा स्तंभों की संख्या और स्थान के साथ-साथ उसके अक्षांश और देशांतर मूल्यों को दर्शाना चाहिए;

(ख) पट्टाधृति की सतह भूवैज्ञानिक योजना -

(i) पूर्वेक्षण और खनन कार्य के लिए बनाई गई क्षेत्र की सभी खुली लिथोलॉजिकल इकाइयों, गड्ढों, खाइयों और अन्य खुली इकाइयों के बीच संपर्क को दर्शाते हुए;

(ii) अयस्क शरीर के स्ट्राइक, डिप, मोड़, फाल्ट, गोते जैसे संरचनात्मक के ब्योरे;

(iii) पूर्वेक्षण या खनन कार्य के लिए बनाए गए पूर्वेक्षण के गड्ढे, खाइयों, बोर होल और कोई भी अन्य खुले की अवस्थिति;

(iv) विधमान खदान के कामकाज, कचरे, अयस्क के ढेर;

(v) पट्टे की एक सीमा से दूसरी सीमा तक नियमित अंतराल पर अनुभाग की लाइनें;

(vi) समोच्च दस मीटर से ज्यादा के अंतराल पर नहीं;

(vii) संयुक्त राष्ट्र संरचनागत वर्गीकरण के अनुसार छ1, छ2 छ3 और छ4 जैसी गवेषण सीमाएं;

(ग) स्पष्ट रूप से स्ट्राइक और **छेदों के उपर और नीचे जाने**, परत, चट्टान, विभिन्न बिंदुओं पर खनिज परत या भंडार और जिस रूप में उपलब्ध हो, बोर होल द्वारा सिद्ध या खान में प्रेरित या डुबी हुई ऐसे अनुभागों की तहो को दर्शाते हुए शाफ्ट या शाफ्टों और मुख्य प्रवेश मार्गों के माध्यम से कामकाज के अनुप्रस्थ अनुभाग या खंडों;

(घ) सभी अवरोधित क्षेत्रों, जहाँ चट्टान, छेद, परत या खनिज विस्तार या भंडार या उसका कोई भाग क्षैतिज सतह से तीस डिग्री से अधिक गहराई तक डूबा है, की रूपरेखा सहित खान के कामकाज के अध्वाधर प्रक्षेपण को दर्शाते हुए अनुदैर्ध्य खान अनुभाग या अनुभागों;

परंतु यह कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दी गई अनुज्ञा और उसमें उनके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, इस तरह के अनुभागों को किसी भी अन्य उपयुक्त सतह के संबंध में तैयार किया जा सकता है;

(ड) भूमिगत खानों के लिए प्रयोज्य, भूमिगत योजना द्वारा -

(i) भूमिगत खदान के कामकाज की स्थिति दर्शाते हुए;

(ii) प्रत्येक बोरहोल और शाफ्ट (गहराई के साथ), ड्राइव, क्रॉस कट, विन्जे, बढ़त, खुदाई (स्टोप्ड जमीन) और उससे जुड़ी हर सुरंग और हवाई मार्ग दर्शाते हुए;

(iii) सतह पर किसी भी संरचना का समर्थन करने के लिए छोड़े गए खनिजों के प्रत्येक स्तंभ या ब्लॉक; और भूमिगत मैगजीनें, यदि कोई हो दर्शाते हुए;

(iv) छेदों, परतों, चट्टानो और खनिज परत या भंड़ार की सामान्य स्थिति दर्शाते हुए;

(v) प्रत्येक बंध, गलती और फेंकी गई राशि एवं फेंकने की दिशा के साथ अन्य भूवैज्ञानिक हलचलों की स्थिति दर्शाते हुए।

(2) जब भी उप-नियम (1) के खंड (ङ) में संदर्भित भूमिगत योजना को अद्यतित किया जाता है, तो उस समय तक की कामकाज की स्थिति को कामकाज के सिरों तक खींची गई बिंदीदार रेखा के माध्यम से दिखाया जाएगा, और ऐसी बिंदीदार रेखा को पिछले सर्वेक्षण की तारीख के साथ चिह्नित किया जाएगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में आदेश के द्वारा और उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, खान के कामकाज की अद्यतित स्थिति को दर्शाने वाली किसी भी अन्य विधि को मंजूरी दें सकता है।

(3) जहां विभिन्न चट्टानें, सतहें, छेद या खनिज परत या भंडार एक दूसरे पर आरूढ़ या समानांतर हों, वहां प्रत्येक चट्टान, सतह, छेद या खनिज परत या भंडार के कामकाज को अलग योजना या अनुदैर्ध्य अनुभाग या अनुभागों पर दिखाया जाएगा:

परंतु यदि दो चट्टानें, सतहें, छेद या खनिज परतें या भंडार एक दूसरे के इतने करीब स्थित हैं कि किसी भी स्थान पर दोनों के कामकाज में दस मीटर से कम की दूरी हो, तो इस तरह के कामकाज को एक संयुक्त योजना या अनुदैर्ध्य पर अलग अलग रंगों में दर्शाया जा सकता है।

(4) उपनियम (1) के खंड (क) और (ङ) के अंतर्गत रखी गई योजनाओं में खनन पट्टे की स्थापित सीमा दिखानी होगी, या जहां सीमा पर विवाद है, खनन पट्टा के धारक द्वारा दावा की जाने वाली सीमा और उससे लगे हुए खनन पट्टा धारकों की विवादित सीमाओं को दर्शाया जाएगा:

परंतु यह कि जहां एक ही योजना पर पूरे पट्टे की सीमा रेखा दिखाना संभव नहीं है, वहां किसी भी अन्य उपयुक्त पैमाने पर ऐसी सीमाओं और कामकाज की रूपरेखा को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त मुख्य योजना भी रखी जाएगी।

(5) एक खनन पट्टा धारक को निम्नलिखित का पालन रखना होगा, अर्थात्: -

(क) निम्नलिखित को निगमन करते हुए 1 : 50,000 के पैमाने पर एक मुख्य योजना:

i. खनन पट्टे की सीमा और अधिमानतः पाँच किलोमीटर की दूरी के भीतर तक के आसन्न क्षेत्र को दर्शाते हुए एक प्रशासनिक सतह नक्शा;

ii. समोच्च बीस मीटर से अधिक के अंतराल पर न हों;

iii. नदियों, धाराओं, नालाओं, जलाशयों, तालाबों, झीलों, सिंचाई बांधों और नहरों जैसी प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था;

iv. सड़क मार्ग और रेल;

v. ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के स्थान, स्मारक, पूजा, तीर्थ और पर्यटन की दिलचस्पी वाले स्थान;

vi. पेड़ों के घनत्व सहित जंगल, अभयारण्य, बंजर भूमि, कृषि भूमि, चारागाह;

vii. सभी गांवों और नगरों की सीमाएं और उनकी जनसंख्या;

viii. हवा की प्रमुख दिशा;

ix. कोई अन्य सुसंगत गुण:

परंतु यह कि जहां स्थलाकृतिक नक्शे को प्रतिबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, वहाँ मद (i) से (नौ) में निर्दिष्ट विवरणों को प्रशासनिक सतह नक्शे में उपलब्ध हद तक मुख्य योजना में शामिल किया जाएगा;

(ख) 1: 5000 के पैमाने पर खनन पट्टे की सीमा के आसपास के पाँच सौ मीटर के भीतर में आने वाले क्षेत्र को समाविष्ट कर खनन पट्टा के क्षेत्र की पर्यावरण योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

(i) खनन पट्टे की सीमा दर्शाता प्रशासनिक सतह नक्शा;

(ii) पाँच मीटर के अंतराल पर समोच्च रेखाएं;

(iii) खंड (क) के उप खंड (iii) से (viii) में संकेतित सभी विशेषताएं;

(iv) खदान के कामकाज के कब्जे वाला क्षेत्र, वनों की कटाई का क्षेत्र, कचरे को जमा करने के क्षेत्र सहित कचरे की ऊंचाई, प्रसंस्करण संयंत्र, सतह की इमारतें, कार्यशाला, खनन बस्ती;

(v) पुनर्वासित क्षेत्र और वनरोपण का क्षेत्र, सुरक्षात्मक बाधाओं का स्थान, खान में किए गए पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारी या धातुकर्म परिचालन द्वारा उत्पन्न ठोस और तरल अपशिष्ट को रोकने के लिए बनवाए गए अवरोधात्मक बांध;

(vi) सभी पम्पिंग स्टेशनों और खदान के पानी के निर्वहन की धाराएं;

(vii) किसी भी प्रकार की अन्य सुसंगत विशेषताएं:

परंतु यह कि मद (ii), (iv) और (v) के संबंध में दिए गए विवरण केवल पट्टा क्षेत्र की सीमा से साठ मीटर की दूरी के परे लागू होंगे।

(6) सक्षम प्राधिकारी एक लिखित आदेश से, योजनाओं और खंडों में ऐसे अतिरिक्त विवरण, इस तरह के पैमाने और समय के अंदर दिखाने के लिए निर्देश दें सकता है, जिन्हें इन नियमों के अधीन तैयार करने और इस तरह की योजनाओं और खंडों में दिखाने, बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है।

(7)सक्षम प्राधिकारी एक लिखित आदेश से, खनन पट्टा धारक को ऐसे समय के भीतर, इस तरह की योजनाओं और खंडों, या उनकी ट्रेसिंग को, जैसी वह आदेश में निर्दिष्ट करें, प्रदान करने के लिए कह सकता है।

33. **योजनाओं और अनुभागों की प्रतियां प्रस्तुत करना.**- खनन पट्टा धारक के लिए, हर वर्ष जून के 30वें दिन को या से पहले, प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, और राज्य सरकार को नियम 32 के अंतर्गत अनुरक्षित सतह भूवैज्ञानिक योजनाओं और अनुभागों की एक छपी हुई प्रति के साथ एक आंगुलिक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

34. **योजनाओं की तैयारी.-** (1) खान में रखी गई आंगुलिक रूप में तैयार सभी योजनाओं, अनुभागों और उनकी मुद्रित प्रतियों को उपयुक्त रूप से अनुक्रमित किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अंतर्गत तैयार की गई प्रत्येक योजना, अनुभाग या उसके भाग के साथ उनकी शुद्धता के लिए एक प्रमाण पत्र होगा और उसे खनन इंजीनियर द्वारा तारीख के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा:

परंतु यह कि भूवैज्ञानिक योजनाओं और अनुभागों को प्रमाणित और हस्ताक्षरित नियम 55 के अंतर्गत नियुक्त भूविज्ञानी द्वारा किया जाएगा।

(3) इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत या बनाए रखी जाने वाली योजना या उसके भाग की प्रत्येक प्रति मूल योजना या खंड के एक संदर्भ को वहन करेगा, जिससे इसे नकल किया गया था और खनन पट्टा धारक द्वारा उसे मूल योजना या उसके अनुभाग की सच्ची प्रतिलिपि होने के लिए प्रमाणित किया जाएगा।

अध्याय 5

सतत खनन

35. **सतत खनन**.–(1) खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को क्षेत्र में पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारी या धातुकर्म संचालन आयोजित करते समय स्थायी खनन के उपक्रम के लिए सभी संभव सावधानी बरतनी होगी।

IndiaCode

(2) प्रत्येक खनन पट्टा धारक को समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में स्टार रेटिंग के अधिसूचित टेम्पलेट के अनुसार अपने खनन और उससे संबंधित गतिविधियों पर नजर रखनी होगी, और हर वर्ष 1 जुलाई से पहले, भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक या अधिकृत अधिकारी को भूकर नक्शे के पैमाने पर उच्च संकल्प उपग्रह सीएआरटीओएसएटी-2 उपग्रह एलआईएसएस iv सेंसर से प्राप्त छवियों की इलेक्ट्रानिक कॉपी (मानक प्रारूप में) के साथ, वित्तीय वर्ष के लिए 31मार्च के दिन पर, खनन पट्टे की सीमा से दो किलोमीटर के क्षेत्र को आवृत करते हुए पिछले वित्तीय वर्ष के लिए आत्म मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी ।

(3) भारतीय खान ब्यूरो के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण के माध्यम से स्टार रेटिंग की पुष्टि की जा सकती है।

(4) जिन खानों में इन नियमों अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर या खनन कार्य के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि में, यथास्थिति, कम से कम चार स्टार की रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त नहीं की गई है, भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय नियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी पैंतालीस दिन का एक कारण बताओ नोटिस देकर उन खानों में खनन कार्य निलंबित कर सकते हैं ।

(5) निरीक्षण के माध्यम से स्टार रेटिंग के उप-नियम (4) में निर्दिष्ट आवश्यकता के अनुपालन के सत्यापन तथा खदान के चार स्टार रेटिंग के लिए अर्हता प्राप्त कर लेने के बाद ही निलंबन रद्द किया जाएगा:

परंतु अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग-ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों के की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, की अनुसूची-क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उसके ऊपर है, उप-नियम (3), (4) और (5) में किए गए उपाबंध के अनुसार स्टार रेटिंग की पुष्टि और अनुपालन के लिए कार्रवाई परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

36. **ऊपर की मिट्टी को हटाना और उसका उपयोग.-** (1) पूर्वेक्षण अनुज्ञपित, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह- खनन पट्टा या खनन पट्टे के प्रत्येक धारक द्वारा, जहाँ भी ऊपर मिट्टी मौजूद है और पूर्वेक्षण या खनन कार्य के लिए खुदाई की जानी है, वहां इसे अलग से हटाया जाएगा।

(2) इस प्रकार निकाली गई ऊपर की मृदा का उस भूमि की बहाली या पुनर्वास के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसकी अब बाहरी कचरे को समतल या स्थिर के लिए या पूर्वेक्षण या खनन कार्य के लिए आवश्यकता नहीं है।

(3) जब भी ऊपर की मिट्टी का समवर्ती उपयोग करना संभव नहीं होगा, तब से भविष्य में उपयोग के लिए अलग से जमा किया जाएगा।

37. **अतिभार, अपशिष्ट चट्टान, आदि का भंडारण.- (1)** पूर्वेक्षण अनुज्ञपित, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -सह- खनन पट्टे या खनन पट्टे का प्रत्येक धारक ऐसे कदम उठाएगा जिससे पूर्वेक्षण और खनन कार्य के समय उत्पादित अतिभार, अपशिष्ट चट्टान, खारिज और चिकनी मिट्टी को या आकार घटाने, छंटाई और लाभकारी या धातु अयस्क परिचालन के दौरान उत्पादित अवशेषों, चिकनी मिट्टी और बारीक कणों को अलग स्थान पर संग्रहित किया जाएगा।

(2) सामग्री को हानिकारक मात्रा में खिसकने से रोकने के लिए, जो पर्यावरण के क्षरण का कारण बन सकता है और बाढ़ की करणीयता को रोकने के लिए, कचरे के ढेर को ठीक से सुरक्षित किया जाएगा।

(3) कचरे, अवशेष या कीचड़ के लिए जहाँ तक संभव हो सके अभेद्य जमीन चयनित किया जाएगा जिससे उस स्थान पर बारिश के कारण कम से कम निक्षालन प्रभाव सुनिश्चित किया जा सके।

(4) जहाँ भी संभव हो सके, अपशिष्ट चट्टानों और अतिकार जैसी सामग्री को भूमि को इसके यथासंभव मूल उपयोग के लिए बहाल करने के दृष्टिकोण से, खान के उत्खननों में वापस भर दिया जाएगा।

(5) जहाँ भी क्षेत्र में खनन कार्य के दौरान खुदाई में निकली अपशिष्ट चट्टानों को वापस भरना संभव नहीं हो, इस अपशिष्ट को उपयुक्त रूप से सीढ़ीदार बनाया जा सकता है और वनस्पति के माध्यम से या अन्यथा स्थिर किया जाएगा।

(6) खान की बारीक, खारिज सामग्री या लाभकारी या धातुकर्म संयंत्रों और खान के अवशेषों को जमा किया जाएगा और एक विशेष रूप से तैयार ऐसे खारिज सामग्री के निपटान क्षेत्र में उनका निपटारा किया जाएगा, जिससे वे प्रवाह और कृषि क्षेत्र से दूर रहें और भूमि क्षरण या नुकसान का कारण न बन सकें, साथ ही, सतह प्रदूषण, जल निकायों और भूजल अथवा बाढ़ का कारण न बनें।

38. **जमीन के कंपन के विरूद्ध पूर्वावधान.-** जब भी सार्वजनिक भवनों या स्मारकों को खनन पट्टा क्षेत्र से उनकी निकटता के कारण कोई नुकसान दिखाई देता है, खनन पट्टा धारक को विस्फोट कार्यो के कारण होने वाले कंपनी को सुरक्षित सीमा के भीतर रखने के लिए वैज्ञानिक जांच करवानी होगी।

39. **सतह के घटाव का नियंत्रण.**- भूमिगत खदानों में अवरोध (स्टॉपिंग) इस प्रकार से किया जाएगा कि सतह के घटाव को नियंत्रण में रहे।

40. **वायु प्रदूषण के खिलाफ सावधानी.-**. पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या खनन पट्टे का प्रत्येक धारक पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारी या धातुकर्म परिचालन और संबंधित गतिविधियों के दौरान बारीक सामग्री, धूल, धुआं या गैसीय उत्सर्जन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण को अनुज्ञेय सीमा के भीतर रखने के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

41. **विषाक्त तरल का निर्वहन.-** (1) पूर्वेक्षण अनुज्ञपित, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा या एक खनन पट्टे का प्रत्येक धारक सतह के जल निकायों, भूजल जलभृत और सक्षम भूमि में खान, कार्यशाला, लाभकारिता या धातुकर्म संयंत्रों, अवशेष तालाबों से विषाक्त और आपत्तिजनक तरल अपशिष्ट के निर्वहन को न्यूनतम करने के लिए सभी संभव सावधानियां बरतेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अपशिष्टों का, यदि अगर अपेक्षित हो, इस संबंध में निर्धारित मानकों की अनुरूपता के लिए उपयुक्त रूप से उपचार किया जाएगा ।

42. **ध्वनि के लिए सावधानी.-** पूर्वेक्षण अनुज्ञपित, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा या एक खनन पट्टे का प्रत्येक धारक पूर्वेक्षण, खनन, लाभकारिता या धातुकर्म परिचालन से उत्पन्न शोर को अनुज्ञेय सीमा के भीतर रखने के लिए उसे स्रोत पर नियंत्रित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

43. **अनुज्ञेय सीमा और मानक**.- नियम 40, 41 और 42 में उल्लिखित सभी प्रदूषणों, विषाक्त पदार्थों और शोर के नियमों में निर्दिष्ट अनुज्ञेय सीमा और मानक इस प्रकार के होगें जैसे भी तत्समय प्रवृत्त प्रासंगिक विधियों के उपाबंधों के अंतर्गत संबद्ध अधिकारियों द्वारा अधिसूचित किये जाए।

44. **वनस्पतियों का प्रत्यावर्तन**.- पूर्वेक्षण अनुज्ञपित, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा या खनन पट्टे का प्रत्येक धारक, पूर्वेक्षण या खनन कार्य, यथास्थिति, लागू विधियों के अनुसार और इस प्रकार करेगा कि वह पूर्वेक्षण अनुज्ञपित, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा या खनन पट्टे के अधीन क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की वनस्पतियों के कम से कम नुकसान का कारण बनें।

अध्याय 6

नोटिसें और विवरणियां

45. **मासिक और वार्षिक विवरणी.-** (1) खनन पट्टा धारक, या देश में खनन खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कंपनी को, खुद को भारतीय खान ब्यूरो के साथ अनुसूची के प्ररूप -ट में निर्दिष्ट आवेदन के अनुसार करना होगा ऑनलाइन पंजीकृत कराने के लिए आवेदन रूप में और भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या को ऑनलाइन रिपोर्ट करने और पत्राचार से संबंधित सभी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए, खनन पट्टे का धारक, या देश में खनन खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न कोई भी व्यक्ति या कंपनी, लीज विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से या व्यापार के परिचालन या भंडारण या अंतिम उपयोग या खनिजों के निर्यात, यथास्थिति, के प्रारंभ से एक माह के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेगा।

(3) भारतीय खान ब्यूरो रजिस्ट्रीकरण संख्या को रजिस्टर में उपनियम (4) में निर्दिष्ट आवंटित और रजस्ट्रीमाप दर्ज करेगा।

(4) भारतीय खान ब्यूरो, इन नियमों के उपाबंधो के अनुसार रजस्ट्रीकृत, खनन पट्टे का धारक, या देश में खनन खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कंपनी, यथास्थिति, की जानकारी देते हुए एक ऑनलाइन रजिस्टर रखेगा जिसे मांग करने पर निरीक्षण के लिए साधारण जनता को उपलब्ध कराया जाएगा, और इसे भारतीय खान ब्यूरो की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

(5) खनन पट्टा धारक, प्रत्येक खान के संबंध में क्षेत्रीय नियंत्रक या भारतीय खान ब्यूरो के किसी भी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को निम्नलिखित रीति से ऑनलाइन विवरणी प्रस्तुत करेगा, अर्थात्: -

(क) एक दैनिक विवरणी जो भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विकसित आवेदन के माध्यम से रिपोर्ट करने के दिन से तीसरे दिन 18.00 बजे तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे इस संबंध में प्रदान की गई समय सीमा से पहले संपादित किया जा सकता है;

(ख) मासिक विवरणी को जो पिछले महीने के संबंध में हर महीने के दसवें दिन इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक हस्ताक्षरित प्रिंट कॉपी के साथ के साथ ही, यदि यह अंकीय हस्ताक्षरित नहीं है, नीचे दर्शाए संबंधित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाएगा: -

(i) तांबा, सोना, सीसा, पाइराइट, टिन, टंगस्टन, जस्ता, कीमती और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न के सिवाए सभी खनिजों के लिए, अनुसूची के प्ररुप च 1 में;

(ii) तांबा, सोना, सीसा, पाइराइट, टिन, टंगस्टन और जस्ता के लिए, अनुसूची के प्ररुप च 2 में; और

(iii) कीमती और अर्द्ध बहुमूल्य रत्न के लिए, अनुसूची के प्ररुप च 3 में;

(ग) एक वार्षिक विवरणी को पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संदर्भ में प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक हस्ताक्षरित प्रिंट कॉपी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, अगर यह अंगुलिक हस्ताक्षरित नहीं है तो, नीचे संकेतित संबंधित प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा:-

(i) तांबा, सोना, सीसा, पाइराइट, टिन, टंगस्टन, जस्ता, कीमती और अर्द्ध बहुमूल्य रत्नों, के सिवाए सभी खनिजों के लिए, अनुसूची के प्ररुप छ 1 में;

(ii) तांबा, सोना, सीसा, पाइराइट, टिन, टंगस्टन और जस्ता के लिए, अनुसूची के प्ररुप छ 2 में;

(iii) कीमती और अर्द्ध बहुमूल्य रत्नों के लिए, अनुसूची के प्ररुप छ 3 में:

परंतु यह कि खान के परित्यक्त के मामले में वार्षिक विवरणी परित्यक्त की तारीख से एक सौ पचास दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न कोई भी व्यक्ति या कंपनी, भारतीय खान ब्यूरो और संबंधित राज्य सरकार, जहां से उक्त व्यक्ति या कंपनी खनिज प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऑनलाइन रिटर्न प्रस्तुत करेगा, अगर यह अंगुलिक हस्ताक्षरित नहीं है, तो उस की छपी हुई प्रति के साथ निम्नलिखित रीति से प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) एक मासिक विवरणी जो पिछले महीने के संबंध में हर महीने के दसवें दिन से पहले अनुसूची के प्ररुप ठ में प्रस्तुत किया जाएगा;

(ख) एक वार्षिक विवरणी जो पिछले वित्तिय वर्ष के संबंध में प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई को अनुसूची के प्ररुप ड में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) यदि यह पाया जाता है कि खनन पट्टा धारक या खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात में संलग्न किसी भी व्यक्ति या कंपनी ने, यथास्थिति, दैनिक या मासिक या वार्षिक विवरणी में अधूरी या गलत या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत की है या निर्धारित तिथि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहता है; तो,-

(क) खनन पट्टा धारक द्वारा खनिजों के खनन के मामले में खान के क्षेत्रीय नियंत्रक राज्य सरकार को सलाह दें सकते हैं कि तब-

(i) खान में सभी खनन कार्रवाइयों के लिए निलंबन का आदेश दें और केवल उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद निलंबन के आदेश को रद्द करे;

(ii) इन नियमों के अंतर्गत अभियोजन चलाने के लिए कार्रवाई आरंभ करें;

(iii) अवैध खनन की मनोनुकलता या बढ़ावा देने की ओर संकेत करने वाली ऐसी किसी सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने के मामले में खनन पट्टे का समहरण करें;

(ख) खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग के मामले में राज्य सरकार, जहां से व्यक्ति या कंपनी के व्यापार या भंडारण या खनिजों के अंतिम उपयोग के लिए खनिज प्राप्त करते हैं, इनके निलंबन का आदेश दिया जाएगा-

(i) व्यापार अनुज्ञपित (इसे जो भी नाम दिया जाता हो);

(ii) खनिज परिवहन के लिए ऐसे व्यक्ति या कंपनी के लिए जारी किए गए सभी परिवहन परमिट (इसे जो भी नाम दिया जाता हो);

(iii) खनिजों के संग्रहण के लिए भंडारण अनुज्ञपित (इसे जो भी नाम दिया जाता हो);

(iv) खनिजों के अंतिम उपयोग के उद्योग के लिए परमिट (इसे जो भी नाम दिया जाता हो);

IndiaCode

यथास्थिति, खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग में संलग्न ऐसे व्यक्ति या कंपनी पर लगा निलंबन आदेश केवल उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही रद्द किया जा सकता है;

(ग) खनिजों के निर्यात के मामले में, विदेश व्यापार महानिदेशालय खनिजों के निर्यात में लगे हुए ऐसे व्यक्ति या कंपनी को इस तरह का निर्यात करने के लिए दिए गए परमिट के निलंबन का आदेश जारी करेगा, और केवल उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही निलंबन का आदेश रद्द किया जा सकता है:

परंतु यह कि उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट खनन पट्टा धारक या खनिजों के व्यापार या भंडारण में संलग्न व्यक्ति या कंपनी या अंतिम उपयोगकर्ता या निर्यात में संलग्न व्यक्ति या कंपनी को, यथास्थिति, उल्लंघन के बारे में लिखित में सूचित किया जाएगा, और यदि पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर उल्लंघन को सुधारा नहीं जाता है, तो कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाएगा कि खनन कार्य को क्यों निलंबित नहीं किया जाना चाहिए और, इसके बाद, तीस दिन की अवधि के भीतर, अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो खनन कार्य निलंबित किया जा सकता है।

(8) खनन पट्टा धारक द्वारा खनिजों के खनन के मामले में -

(क) बिक्री चालान में संकेतित, बिक्री मूल्य की सकल राशि क्रेता द्वारा देय होगी, जहां बिक्री लेनदेन संव्यवहार आधार पर होता है और बिक्री के लिए, करों को छोड़कर,यदि कोई है, केवल मूल्य पर विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-बिक्री मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिए, रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज गवेक्षण न्यास को किए गए भुगतान के संबंध में सकल राशि से कोई कटौती नहीं की जाएगी;

(ख) खनिज ग्रेड या सन्द्र की पूर्व खान कीमत इन पर निर्भर होगी, -

(I) जहां निर्यात हुआ है, पोत पर्यन्त निशुल्क (एफ.ओ.बी) के आधार पर कुल बिक्री मूल्य, खनन पट्टा क्षेत्र से परे निम्न पर वास्तविक व्यय को कम कर -

(i) सड़क मार्ग से परिवहन प्रभार;

(ii) लदान और उतराई का प्रभार;

(iii) रेलवे किराया (यदि लागू हो);

(iv) पतन चढ़ाई-उतराई प्रभार या निर्यात शुल्क;

(v) नमूना और विश्लेषण के लिए प्रभार;

(vi) संग्रहण यार्ड में भूखंड के लिए किराया;

(vii) पत्तन में निपटान प्रभार;

(viii) स्टीवडोरिंग और ट्रिमिंग के लिए प्रभार;

(ix) समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर किया गया कोई अन्य आकस्मिक प्रभार,

निर्यात की कुल मात्रा से विभाजित;

(II) जहां खनिज की घरेलू बिक्री हुई है, खनिज के कुल बिक्री मूल्य से लदान, उतराई, परिवहन, संग्रहण यार्ड में भूखंड के किराए के लिए, नमूना और विश्लेषण और किसी भी अन्य शुल्क के लिए, खनन पट्टा क्षेत्र से परे समय-समय पर भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित प्रभार पर हुआ वास्तविक व्यय घटा कर, बेची गई कुल मात्रा द्वारा विभाजित;

(III) जहां बिक्री संबंधित पार्टियों के बीच हुई है और संव्यवहार आधार पर नहीं हुई, तो इस तरह की बिक्री को इस नियम के प्रयोजनों के लिए और एक बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, और इस तरह के मामले में उपखंड (चतुर्थ) लागू होगा;

(IV) जहां बिक्री नहीं हुई है, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा एक विशेष राज्य के लिए उस खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए प्रकाशित मासिक औसत बिक्री मूल्यः

IndiaCode

परंतु यदि एक विशेष खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा एक राज्य के लिए, किसी विनिर्दिष्ट महीने के लिए जानकारी प्रकाशित नहीं की जाती है, तो उस विशेष खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए, आलोच्य महीने के लिए पिछले छह महीनों की उपलब्ध पिछली जानकारी को संदर्भित किया जाएगा, ऐसा न करने पर खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए पूरे भारत की नवीनतम जानकारी पर विचार किया जाएगा;

(V) खप्त खानों के मामले में प्रति इकाई उत्पादन की लागत।

(9) व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या खनिजों के निर्यात के मामले में विवरणी दाखिल करने के प्रयोजन के लिए, खनिज श्रेणी या सान्द्र मूल्य, का निर्णय किया जाएगा -

(क) जहां खनिज श्रेणी या सान्द्र की बिक्री हुई है, और बिक्री संव्यवहार आधार पर है और बिक्री के लिए केवल कीमत पर विचार किया गया है, चालान में दर्ज खनिज श्रेणी या सान्द्र का बिक्री मूल्य होगा;

(ख) जहां बिक्री नहीं हुई है, एक विशेष राज्य एक विशेष खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित के लिए औसत बिक्री मूल्य और भेजी या खरीदी गई मात्रा का गुणनफल:

परंतु यदि एक विशेष राज्य में एक विशेष खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किसी खास महीने के लिए जानकारी प्रकाशित नहीं की गई है, तो उस विशेष खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए, आलोच्य महीने के लिए पिछले छह महीनों की उपलब्ध पिछली जानकारी को संदर्भित किया जाएगा, ऐसा न करने पर खनिज श्रेणी या सान्द्र के लिए पूरे भारत की नवीनतम जानकारी पर विचार किया जाएगा;

(10) यदि एक ही खान से एक से अधिक खनिजों का उत्पादन किया जाता है, तो निर्दिष्ट प्रपत्रों के सुसंगत भागों के साथ प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग रिटर्न प्रस्तुत किया जाएगा।

(11) खनन के निलंबन या खनन की अस्थायी बंदी या खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात के अस्थायी निलंबन या बंदी के मामले में, खनन पट्टा धारक या खनिजों के व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या खनिजों के निर्यात में संलग्न व्यक्ति या कंपनी, यथास्थिति, उन खनिजों के लिए जो विवरणी पहले प्रस्तुत किया गया था उसके बदले में निर्दिष्ट प्रपत्र में विवरणी जमा करेगा और सुसंगत ब्यौरे सहित, यदि कोई है तो, शून्य सूचना प्रस्तुत करेगा।

(12) संदर्भ अवधि के दौरान खदान या व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या निर्यात कंपनी के स्वामित्व में परिवर्तन के मामले में, स्वामित्व के संबंधित अवधि के लिए प्रत्येक मालिक द्वारा अलग विवरणी फाइल किया जाएगा।

(13) खनिज के परिवहन के विनियमन के प्रयोजन से सभी व्यक्तियों और सड़क मार्गों से या पानी के रास्ते के माध्यम से खनिज के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रकों या किसी अन्य मोटर वाहन के मालिक व्यक्तियों और कंपनियों का भूविज्ञान और खनन निदेशालय या राज्य सरकार के खनन मामलों से निपटने वाले विभाग में पंजीकृत होना आवश्यक होगा, और पट्टेदार को, खनिज के वजन और प्रकृति और यात्रा और गंतव्य तक पहुँचने के अनुमानित समय के साथ वाहनों की यात्रा-शीट (या तो कंप्यूटर पर लिखित रिकॉर्ड में) रखना होगा।

46. **कुछ नियुक्तियों की नोटिस**.- पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित–सह- खनन पट्टा या खनन पट्टा का धारक इन्हें करेगा -

(*क*) जब भी नियम 55 के उप नियम (1) अंतर्गत किसी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, भूविज्ञानी या किसी भी व्यक्ति की कोई नई नियुक्ति की जाती है; या

(*ख*) जब इस तरह के किसी भी व्यक्ति का रोजगार समाप्त हो जाता है या कोई ऐसा व्यक्ति उक्त नौकरी छोड़ देता है; या

(*ग*) जब ऐसी नियुक्ति, समाप्ति, छोड़ने या बदलने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, इस तरह के किसी भी व्यक्ति के पते में कोई भी परिवर्तन होता है तो, यथास्थिति, अधिकृत अधिकारी को अनुसूची के प्ररूप ज में एक नोटिस भेजी जाएगी।

IndiaCode

47. **शाफ्ट के डूबने और बोरहोल की सूचना.**- खनन पट्टा धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण लाइसेंस –सह- खनन पट्टा के धारक निम्नलिखित में से किसी भी परिचालन के प्रारंभ होने के पंद्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, अधिकृत अधिकारी को अनुसूची के प्ररूप झ में एक सूचना भेजेगा, अर्थात्:-

(क) परीक्षण शाफ्ट या बोरहोल के सतह से दस मीटर से अधिक गहराई में डूबने; या

(ख) एक मौजूदा शाफ्ट या बोरहोल के गहराई का दस मीटर से अधिक विस्तार करने के लिए; या

(ग) एक भूमिगत कामकाज से नये शाफ्ट या बोरहोल के डूबने:

परंतु यह कि प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, ऐसी संसूचना को अपने द्वारा निर्दिष्ट विस्तारित अवधि के भीतर सामूहिक रूप से दिए जाने की अनुमति दें सकता है।

48. **शाफ्टों और बोरहोलों के अभिलेख.-** (1) खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह- खनन पट्टा धारक को प्रपत्र जे में सभी शाफ्टों या बोरहोलों का एक अभिलेख रखना होगा और इस तरह के रिकॉर्ड को बनाए रखेगा और काम के पूरा होने या उसके परित्याग के बाद कम से कम बारह महीनों की अवधि तक नमूनों की रक्षा करेगा:

परंतु यह कि सौ मीटर से अधिक लंबाई के बोरहोलों और शाफ्टों के अभिलेख को प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, की पूर्व अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा।

49. **खदान के नाम में परिवर्तन को अधिसूचित करना.**- खनन पट्टा धारक खान के नाम में इस तरह के किसी परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर पर राज्य सरकार और प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, अनुसूची के प्ररुप ग में एक नोटिस भेजेगा।

50. **पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खननपट्टा या खनन पट्टा के हस्तांतरण की नोटिस.**- पूर्वेक्षण लाइसेंस –सह- खनन पट्टा या खनन पट्टा धारक, जो अधिनियम के उपाबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, किसी भी अन्य व्यक्ति को खनिज रियायत या किसी भी अधिकार, स्वामित्व या उसके हित का हस्तांतरण करता है तो उसे इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से तीस दिन के भीतर महानियंत्रक और प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति को अनुसूची के प्रपत्र ढ में एक सूचना भेजनी होगी।

51. **खनन पट्टे के एकीकरण की नोटिस.-** अधिनियम के उपाबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या नियमों और खनन पट्टे की स्थिति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, खनन पट्टे का प्रत्येक धारक, खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम 56 के अधीन या परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 के नियम 33 के अनुसार, यथास्थिति, खनन पट्टों के विलय की तारीख से तीस दिन के भीतर क्षेत्रीय नियंत्रक और राज्य सरकार और प्राधिकृत अधिकारी को, यथास्थिति, इसकी एक सूचना भेजेगा।

52. **हस्तांतरिती को अभिलेखों का हस्तांतरण.**- जब अधिनियम के उपाबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार एक पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -सह- खनन पट्टे या खनन पट्टे का स्वामित्व स्थानांतरित किया जाता है, तो पिछले मालिक या उसके अभिकर्ता को स्वामित्व के हस्तांतरण के दिन से सात दिन की अवधि के भीतर नए स्वामी या उसके एजेंट को, अभिलेख और संरक्षित नमूने के साथ बोरहोल कोर, यदि कोई हो, अधिनियम, नियम या उसके अधीन बनाए गए आदेश के अनुसरण में रखे गए सभी योजनाओं, अनुभागों, रिपोर्ट, रजिस्टरों और अन्य रिकार्ड, तथा पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा या खनन पट्टा से संबंधित सभी प्रासंगिक पत्राचार; और जब पिछले और नए मालिकों या उनके संबंधित अभिकर्ताओं दोनों द्वारा इन नियमों की आवश्यकताओं का विधिवत अनुपालन किया गया हो, स्थानांतरित किए गए बोरहोल कोर, योजनाओं, अनुभागों, रिपोर्ट, रजिस्टरों और अन्य अभिलेख की एक विस्तृत सूची तुरंत, राज्य सरकार और प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा।

53. **राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले नोटिस या विवरणी और रिपोर्ट की प्रतियां.-** खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित – सह- खनन पट्टे के धारक को सूचना या रिटर्न या रिपोर्ट में से प्रत्येक की एक प्रति एक साथ जमा करनी होगी, जिन्हें इन नियमों के लिए संबद्ध राज्य सरकार को जमा कराना आवश्यक है जिसके अधिकार क्षेत्र में खान या पूर्वेक्षण क्षेत्र स्थित है या जिसे सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

54. **बनाए रखे जाने वाले नोटिस और रिटर्न एवं रिपोर्ट की प्रतियां.**- खनन पट्टा धारक या पूर्वेक्षण लाइसेंस या पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा धारक श्रम उपस्थिति रजिस्टर, उत्पादन और प्रेषण रजिस्टर, रॉयल्टी मूल्यांकन रजिस्टर रखेगा -

(क) जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज गवेषण न्यास को दिए गए योगदान का ब्यौरा;

(ख) बोली लगाने के समय उद्धृत करके भेजे गए खनिजों के मूल्य के प्रतिशत के रूप में राज्य सरकार को किए गए भुगतान का ब्यौरा;

(ग) खान बंद करने की गतिविधियों, विस्फोटकों के खपत रजिस्टर, रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट के साथ बोरहोल लॉग, खनिज विश्लेषण रिपोर्ट, उप-श्रेणी या श्रेणी के साथ वर्ज्य खनिज ढेर रजिस्टर की दिशा में किए गए व्यय का विवरण; और

(घ) प्राधिकृत अधिकारी या राज्य सरकार या क्षेत्रीय नियंत्रक को इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत की गई खनन मशीनरी का विवरण और सभी सूचनाओं और विवरणी, योजनाओं, अनुभागों और स्कीमों की प्रतियों का ब्यौरा,

जहां खनन या पूर्वेक्षण परिचालन किया जाता है उस क्षेत्र में स्थापित एक कार्यालय में इन्हें सभी उचित समय पर निरीक्षण के लिए अधिकृत अधिकारी, यथास्थिति को उपलब्ध कराया जाएगा।

अध्याय 7

भूवैज्ञानिकों और खनन इंजीनियरों का नियोजन

55. **भूवैज्ञानिकों और खनन अभियंताओं के रोजगार**.-(1) इन नियमों के अनुसार गवेक्षण, पूर्वेक्षण या खनन कार्य के प्रयोजन के लिए, -

(क) प्रत्येक गवेक्षण परमिट धारक एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी को नियुक्त करेगा;

(ख) प्रत्येक पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह- खनन पट्टा एक पूर्णकालिक भूविज्ञानी और एक अंशकालिक खनन इंजीनियर को नियुक्त करेगा;

(ग) प्रत्येक खनन पट्टा धारक, निम्न मामले में इन्हें नियुक्त करेगा -

(i) श्रेणी 'क' की खानों में, एक पूर्णकालिक खनन इंजीनियर और एक भूविज्ञानी;

(ii) श्रेणी 'ख' की खानों में, एक अंशकालिक खनन इंजीनियर और एक अंशकालिक भूविज्ञानी:

परंतु यह कि पूरी तरह मशीनीकृत 'क' श्रेणी की खानों के मामले में खनन इंजीनियरों और भूवैज्ञानिकों के पास खनन के क्षेत्र में एक पर्यवेक्षी क्षमता में काम करने का कम से कम पाँच वर्ष का व्यावसायिक अनुभव होना चाहिए:

परंतु यह और कि ख श्रेणी की खानों के मामले में उप नियम (1) के उपाबंधों के अधीन कार्यरत व्यक्ति को अंशकालिक खनन इंजीनियर के बदले में कार्यरत होने की अनुज्ञा दी जा सकती है।

(2) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, -

(क) प्रवर्ग 'क' खानों से अभिप्रेत-

(i) इस तरह की पूरी तरह मशीनीकृत खानों में जहां गहरे छेद की ड्रिलिंग, उत्खनन, लदान और परिवहन का कार्य भारी खनन मशीनों की तैनाती के द्वारा किया जा रहा है; या

(ii) ऐसी खानों में जहां औसत नियोजन की कुल संख्या एक सौ पचास से अधिक हो या जमीन के नीचे पचहत्तर लोग काम करते हों, या ऐसी खानों में जहां गहरे छेद की ड्रिलिंग, उत्खनन, लदान और परिवहन जैसे खनन कार्य भारी मशीनों की मदद के साथ किया जाता है;

(ख) 'ख' श्रेणी की खानों का मतलब 'क' श्रेणी की खानों से भिन्न खानों से है:

परंतु यह कि यदि किसी खान के 'क' श्रेणी की खदान होने के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो उसे निर्णय के लिए महानियंत्रक के पास भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, "औसत नियोजन" अभिव्यक्ति का पद से अभिप्रेत है जो पिछली तिमाही के दौरान खान के कुल रोजगार प्रतिदिन औसत (मानव कार्य दिवसों की संख्या को कार्य दिवसों की संख्या से विभाजित करके अभिप्राप्त) है।

(3) अंशकालिक खनन इंजीनियर और भूविज्ञानियों को अधिकतम छह पूर्वेक्षण या खानों के लिए ही नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी सभी पूर्वेक्षण या खानें पचास किलोमीटर के भीतर में स्थित हों।

(4) यदि एक गवेक्षण परमिट, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह- खनन पट्टा या खनन पट्टा का धारक एक भूविज्ञानी या खनन इंजीनियर है, तो वह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए खुद को भूविज्ञानी या खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

IndiaCode

(5) यदि खदान का प्रबंधक एक खनन इंजीनियर या एक भूविज्ञानी है तो वह उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए स्वयं भूविज्ञानी या खनन इंजीनियर के रूप में नियुक्त कर सकता है।

(6) यदि पूर्वेक्षण अनुज्ञपित धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह- खनन पट्टा या खनन पट्टे का धारक द्वारा एक खनन इंजीनियर या भूविज्ञानी को नियुक्त किया जाता है तो उसे नीचे निर्दिष्ट अहर्ताओं का अधिकारी होगा, अर्थात: -

भूविज्ञानी: यदि भारत में एक केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय या संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित किसी संस्था से भूगर्भ विज्ञान या भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भूविज्ञान या भू-अन्वेषण या खनिज अन्वेषण में स्नातकोत्तर डिग्री या अन्य समकक्ष अर्हता।

खनन इंजीनियर: एक केन्द्रीय अधिनियम, एक प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित या शामिल विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा (1956 का 3) 4 के अंतर्गत स्थापित मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा इंजीनियरी में एक डिग्री या अन्य समकक्ष अर्हता।

56. **भूविज्ञानी के कर्तव्य**.- (1) इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार पूर्वेक्षण कार्यों का परिचालन करना भूविज्ञानी का कर्तव्य होगा।

(2) नियम 55 में निर्दिष्ट भूविज्ञानी -

(क) खनिज संसाधनों, बोर कोर या नमूने और बोर होल लॉग के रखरखाव और समय-समय पर अद्यतन करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ख) खनिज संसाधनों और खनन पट्टों में खनिजों और अयस्कों के संरक्षण और इष्टतम उपयोग के लिए योजना बनाएगा;

(ग) पूर्वेक्षण की एक स्कीम तैयार करना और स्कीम के अनुसार जांच अन्वेषण प्रचालन चलाना होगा;

(घ) अयस्क निकाय को चित्रित करने के लिए आवश्यक भूवैज्ञानिक नक्शे, स्कीमों और अनुभागों को तैयार करना होगा;

(ङ) मेजबान रॉक और खनिज युक्त क्षेत्रों में पेट्रोलॉजिकल और खनिज अध्ययन कराना होगा;

(च) अयस्क भंडार और उसकी श्रेणी की गणना;

(छ) सभी उत्पादित खनिजों की आवश्यक गुणवत्ता या श्रेणी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ज) पूर्वेक्षण के परिचालन के लिए उचित अभिलेख रखने और इन नियमों के प्रावधोनों के अंतर्गत शाफ्ट और बोरहोलों के डूबने के अभिलेख बनाए रखना;

(झ) नमूने की समुचित पधति लागू करना और उस के अनुसार नमूनों की तैयारी सुनिश्चित करना;

(ञ) भूमिगत कामकाज के मामलों में एक विश्लेषण योजना बनाए रखना;

(ट) प्रत्येक स्टॉप ब्लॉक के आकार और रूप का निर्धारण करने के लिए सभी तकनीकी डेटा बनाए रखना;

(ठ) एक कार्यकारी खान के मामले में हर वर्ष के अंत में आरक्षित आंकड़े को प्रवर्ग-वार और श्रेणी के मामले से अद्यतित करना;

(ड) संबंधित चट्टानों और खनिजों की पहचान करना और अविक्रेय या उप-श्रेणी अयस्क और खनिज उत्पादन के ढेर का समुचित अभिलिखत बनाए रखना;

(ढ) इन नियमों के अंतर्गत महानियंत्रक या राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिये जा सकने वाले सभी आदेशों और निर्देशों को पूरा करना और पूर्वेक्षण अनुज्ञपित धारक या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टे या खनन पट्टे के धारक को, यथास्थिति, ऐसे सभी आदेश या निर्देश की एक प्रति भेजना।

(57) खनन इंजिनियर के कर्तव्य.- (1) खनन इंजिनियर का कर्तव्य होगा कि वह खनन कार्य का परिचालन करने के लिए योजना बनाए और ऐसे सभी आवश्यक कदम उठाए जिनसे इन नियमों के अनुसार खनिज भंडार के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण और खनन पट्टा क्षेत्र के आसपास के वातावरण के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

IndiaCode

(2) खनन इंजिनियर इन नियमों के अनुसार योजना, अनुभागों, रिपोर्टों और योजनाओं की तैयारी और रखरखाव के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) खनन इंजिनियर, संबंधित चट्टानों और खनिजों का अध्ययन करने, उनकी पहचान करने और उत्पादित विभिन्न खनिजों को अलग से जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) खनन इंजिनियर इन नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार या महानियंत्रक या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित रूप में दिये जा सकने वाले सभी आदेशों और निर्देशों को भी पूरा करेगा और पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित–सह- खनन पट्टा या खनन पट्टा के धारक के लिए, यथास्थिति, इस तरह के आदेश या निर्देश की एक प्रति भेजेगा।

(5) खनन अभियंता यह सुनिश्चित करेगा कि इन नियमों के उपाबंधों को लागू करने और उसके अधीन जारी किए गए आदेशों के प्रयोजन के लिए खान में हर समय उचित सामग्री, उपकरणों और सुविधाओं का पर्याप्त उपाबंध हो और जहां वह धारक नहीं है, उक्त प्रयोजन के लिए खनन पट्टा धारक से लिखित में आवश्यक सामग्री की मांग करेगा।

(6) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट हर माँग की एक प्रति को इस उदेश्य के लिए रखी बंधी हुई पृष्ठांकित पुस्तक में रिकार्ड किया जाएगा और इस तरह के एक मांग पत्र की प्राप्ति पर खनन पट्टा धारक जितनी जल्दी संभव हो सके खनन अभियंता द्वारा मांग की गई सामग्री और सुविधाएं प्रदान करेगा।

अध्याय 8

खनिजों का परीक्षण और निर्देशों का जारीकरण

(58.) निर्देश जारी करने की शक्ति.- (1) खनिज रियायत का धारक खनिज भंडार के व्यवस्थित विकास, खनिजों के संरक्षण और सतत खनन के लिए महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(2) यथास्थिति, महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालयद्वारा किसी विशेष खान के लिए जारी किए गए प्रस्तावित निर्देशों की एक प्रति, खनिज रियायत के धारक और संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाएगी और किसी भी तरह के निर्देशों को जारी करने से पहले नोटिस जारी करने की तारीख से तीस दिन के भीतर खनिज रियायत के धारक तथा संबंधित राज्य सरकार से प्राप्त किसी भी टिप्पणी पर उसके द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।

(3) खानों की एक श्रेणी के लिए लागू सामान्य निर्देश संबंधित राज्य सरकार के परामर्श और केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से यथास्थिति क्षेत्रीय नियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा जारी किये जाएंगे।

(4) उप नियम (1) के अधीन दिया गया आदेश-

(क) साधारण प्रकृति के या व्यक्तियों के एक वर्ग को प्रभावित करने वाले एक आदेश के मामले में सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा; और

(ख) किसी विशेष व्यक्ति के लिए निर्देशित आदेश के मामले में, ऐसे व्यक्ति को पहुंचाने या उस व्यक्ति के लिए भेजा जाएगा, या अगर उसे पहुँचाना या वितरित किया जाना संभव नहीं है, तो जहां वह व्यक्ति रहता है उस परिसर के बाहरी दरवाजे पर या किसी अन्य विशिष्ट हिस्से में लगाकर, उसके पड़ोस में रहने वाले दो व्यक्तियों की साक्षियों के साथ लिखित रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

59. खनिज भंडार का परीक्षण और नमूने लेना.- यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी, पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह- खनन पट्टे या खनन पट्टे के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में किसी भी खनिज भंडार की जांच कर सकता है और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी भी समय वहां से नमूने ले सकता है।

60. कतिपय मामलों में तैनाती का निषेध.- यदि खान या उसके भाग मुख्य खान नियंत्रक या खान नियंत्रक या खानों के क्षेत्रीय नियंत्रक की राय में खनिजों के संरक्षण या पर्यावरण के लिए या खान के सतत विकास के लिए एक गंभीर और तत्काल खतरा बन गया है, तो वे खनन पट्टा धारक को लिखित रूप में एक आदेश से उसे ऐसे उपायों को करने का आदेश दें सकता है, जिन्हें आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो और आदेश की आवश्यकता के अनुपालन के लिए आवश्यक व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति की तैनाती को निषेध कर सकता हैं, जब तक आदेश में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को उनकी समाधान के साथ अनुपालन नहीं हो जाता:

परंतु यह कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016, की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य सीमा के बराबर या उससे ऊपर हैं, इस संबंध में निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय आदेश जारी करेंगे।

अध्याय 9

पुनरीक्षण और जुर्माना

61. पुनरीक्षण.-(1) राज्य सरकार के सिवाए किसी भी प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा इन नियमों के अंतर्गत दिए आदेश या जारी किए गए दिशानिर्देश किसी भी से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश या निर्देश के संचार के तीस दिन के भीतर महानियंत्रक या निदेशक परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय से आदेश या निर्देश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है:

परंतु ऐसे किसी भी आवेदन पर तीस दिन की अवधि के बाद भी विचार किया सकता है यदि आवेदक महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अन्वेषण निदेशालय को, यथास्थिति, समाधान कर सके कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था:

परंतु यह और कि यदि मुख्य खान नियंत्रक के एक अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कोई आदेश या निर्देश जारी किया गया है, तो खान मुख्य नियंत्रक द्वारा नीचे उपबंधित रीति से आवेदन का निपटारा किया जाएगा।

(2) प्रत्येक आदेश जिसके विरुद्ध उप-नियम (1) के अंतर्गत पुनरीक्षण के आवेदन पर निर्णय लंबित है उसका महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय या मुख्य खान नियंत्रक, यथास्थिति, द्वारा निपटारा किया जाएगाः

परंतु यह कि महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय या मुख्य खान नियंत्रक, यथास्थिति, उस आदेश के परिचालन को निलंबित कर सकते हैं जिसके खिलाफ पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत पुनरीक्षण के लिए एक आवेदन पत्र की प्राप्ति पर महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय या मुख्य खान नियंत्रक, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति को सुनवाई का एक उचित अवसर देने के बाद आदेश को संशोधित करने या रद्द करने की पुष्टि कर सकते हैं।

(4) इस तरह के आदेश या निर्देश के संचार के तीस दिन के भीतर मुख्य खान नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त आदेश या निर्देश के विरुद्ध महानियंत्रक के समक्ष अपील कर सकता है:

परंतु यदि आवेदक महानियंत्रक को इस बात के लिए संतुष्ट कर पाता है कि उपसके पास समय के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था तो तीस दिन की अवधि के बाद भी ऐसी किसी भी अपील पर विचार किया जा सकता है।

(5) उप-नियम (4) के अंतर्गत किसी भी ऐसी अपील की प्राप्ति पर महानियंत्रक, मुख्य खान नियंत्रक द्वारा जारी किए गए आदेश या निर्देश की पुष्टि या संशोधित कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं अथवा आवेदक के संबंध में इस तरह के आदेश पारित कर सकते हैं जिसे वे उचित समझें और इस तरह का निर्णय अंतिम होगा।

(6) प्रत्येक आदेश जिसके विरुद्ध उप-नियम (4) के अधीन अपील की जाती है, महानियंत्रक के निर्णय की प्राप्ति पर लंबित निर्णय का पालन किया जाएगा:

परंतु महानियंत्रक आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर आदेश या निर्देश के कार्यान्वयन को इसके खिलाफ की गई अपील के लंबित निर्णय को देखते हुए निलंबित कर सकते हैं।

(7) इस नियम के उपाबंधों के अंतर्गत प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ आवेदन शुल्क के रूप में 'वेतन और लेखा अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो' के नाम पर किसी अनुसूचित बैंक से बनाये गये नागपुर में देय दस हजार रुपए का एक बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाएगा, जिसे भारतीय खान ब्यूरो के नामित बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के माध्यम से जमा किया जाएगा:

परंतु यह कि अगर मामले में उप-नियम (1) के अंतर्गत निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय से आवेदन किया जाता है, तो इस संबंध में निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा निर्दिष्ट विवरण के अनुसार दस हजार रुपये की राशि प्रेषित की जाएगी।

62. जुर्माना.- जो भी इन नियमों के किसी भी उपाबंध का उल्लंघन करेगा वह जुर्माने जो कि पाँच लाख रुपए तक बढाया जा सकता है या दो वर्ष तक की कारावास, या दोनो के साथ दंडनीय होगा, और निरंतर उल्लंघन के मामले में अतिरिक्त जुर्माना के साथ जो कि इस तरह के उल्लंघन के दौरान दोषी ठहराए जाने के बाद हर दिन के लिए पचास हजार रुपए तक बढाया जा सकता है:

परंतु यह कि इन नियमों के अंतर्गत दंडनीय किसी अपराध में अभियोजन की स्थापना के पहले या उसके बाद, अधिनियम की धारा **22** के अंतर्गत अपराध के संबंध में अदालत में शिकायत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा इस संबंध में सरकार को जमा करने के लिए ऐसी राशि प्रदान करने पर प्रशमन किया जा सकता है, जिसे अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में

विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा, जहां इस तरह के परमाणु खनिज के श्रेणी का प्रारंभिक मूल्य सीमा परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उसके ऊपर हो के संबंध में निर्दिष्ट किया गया हो:

परंतु यह और कि केवल जुर्माने द्वारा दंडनीय किसी अपराध के मामले में जुर्माने की राशि उस अपराध के लिए लगाई जा सकने वाली अधिकतम राशि से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह भी कि जहां इन नियमों के अंतर्गत अपराध लगाया गया है, वहाँ अपराधी के खिलाफ इस तरह के मामले में कोई कार्यवाही या आगे की कार्यवाही नहीं की जाती है, और अपराधी, हिरासत में हैं, तो उसे फौरन मुक्त किया जाएगा।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

63. कोर के संरक्षण, इत्यादि.-(1) खनिज रियायत के प्रत्येक धारक और धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अधिकृत अभिकरण को अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक ड्रिलिंग या डूबने परिचालन के दौरान प्राप्त विभिन्न प्रकार की चट्टानों और खनिजों के सभी कोर और नमूनों को बरकरार रखेगी, उनकी रक्षा करेगी और प्रगतिशील गहराई जिस पर वे प्राप्त हुए हैं दिखाते हुए उन्हें पहचान के निशान के साथ एक क्रम में रखने की व्यवस्था करेगी ।

(2) यथास्थिति, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी, एक लिखित आदेश के माध्यम से, खनिज रियायत के धारक या धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अधिकृत अभिकरण से बोर या शाफ्ट से प्राप्त कोर या चट्टानों और खनिजों के नमूनों की एक विशेष तरीके से या किसी विशिष्ट अवधि के लिए रक्षा करने की मांग कर सकते हैं या इस नियम के प्रावधानों को इस सीमा तक शिथिल कर सकते है जिसे वे उचित समझें।

(3) ऊपर के उप नियम (1) और (2) के रूप में उत्पन्न और संरक्षित किसी भी कोर या नमूने को निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय या मुख्य खान नियंत्रक या राज्य सरकार, यथास्थिति से लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना नष्ट नहीं किया जाएगा।

(4) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण राष्ट्रीय कोर भंडार और क्षेत्रीय ड्रिल कोर रिपॉजिटरी में उपयुक्त अनुक्रमण और सूचीबद्ध करने के साथ ड्रिल कोर संग्रह करने के लिए केंद्रीय अभिकरण होगा।

(5) क्षेत्रीय ड्रिल कोर भंडार राष्ट्रीय कोर भंडार के उपग्रहों के रूप में कार्य करेगा।

(6) खनिज रियायत का धारक या धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अधिकृत कोई अन्य अभिकरण समय-समय पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शन में प्रदान संरक्षण और कोर जमा करने की प्रक्रिया का पालन करेगा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पहचान और सभी आवश्यक अध्ययन के पूरा होने तथा अंतिम भूवैज्ञानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय तक एकत्र बोरहोल कोर की रक्षा करेगा।

64. अनुसंधान या प्रशिक्षण शुरू करने के लिए सुविधाएं.- पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित –सह- खनन पट्टा या खनन पट्टे का प्रत्येक धारक अनुसंधान या खनन या भूविज्ञान से संबंधित मामलों में प्रशिक्षण उपक्रम के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों के लिए सभी उचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

65. भूविज्ञान या खनन के क्षेत्र में अनुसंधान के बारे में रिकॉर्ड या रिपोर्ट प्रस्तुत करना.- (1) पूर्वेक्षण या खनन भूविज्ञान या खनन में किसी भी शोध से संबंधित कार्यों को करने वाला कोई भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी, इस तरह के अनुसंधान संबंधित कार्यों के प्रारंभ होने के तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसे अनुसंधान से अपेक्षित संबंधित कार्यों की अपेक्षित अवधि और इस तरह के अनुसंधान के अंतर्गत शामिल प्रस्तावित पहलुओं को संक्षेप में दर्शाते हुए इस तरह के शोध कार्य करने वाले व्यक्ति, संस्था, और अभिकरण के नाम और पते के साथ महानियंत्रक या निदेशक परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, यथास्थिति को सूचित करेगा।

(2) उक्त शोध कार्य के पूरा होने पर, खनन अनुसंधान के पूरा होने के तीस दिनों के भीतर टिप्पणियों, विश्लेषण और निष्कर्ष उक्त अनुसंधान कार्य के एक परिणाम पर पहुँचने का वर्णन करते हुए भूविज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए और मुख्य खान नियंत्रक या महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय को, यथास्थिति, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट अधिकारी उपलब्ध कराई गई जानकारी की प्राप्ति पर उसे गोपनीय रखेंगे, और यदि आवश्यक हो, प्राधिकृत अधिकारी साधारण अध्ययन, योजना या नीति बनाने के उद्देश्य के लिए उक्त जानकारी का उपयोग कर सकते हैं।

(4) उप-नियम (1) और (2) के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित शोध कार्य करने वाली केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी अभिकरण के लिए भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

66. खान नियंत्रक एवं क्षेत्रीय नियंत्रक के क्षेत्राधिकार.- महानियंत्रक शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए खान नियंत्रक और क्षेत्रीय नियंत्रक के क्षेत्राधिकार की सीमा निर्धारित कर सकता है:

परंतु अधिनियम प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची ए के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या ऊपर है, वहाँ निदेशक परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय शासकीय राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी के क्षेत्राधिकार की सीमा भी निर्धारित कर सकता है।

67. अन्य जानकारी की आपूर्ति करने का दायित्व.- खनिज रियायत का धारक अपने गवेक्षण या पूर्वेक्षण अभियान या खनन कार्य या उससे संबंधित किसी मामले की प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित आदेश से मांगी गई ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा और ऐसी जानकारी ऐसी रीति और समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी जिसे लिखित आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो।

68. **इन नियमों के प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए लागू किये जाएंगे.-** खनिज रियायत के बिना पूर्वेक्षण या खनन कार्य करने वाली केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों या उनकी अभिकरणों, यथास्थिति, इन नियमों के सभी उपाबंधों से समान तरीके से बंधी होंगी जिस रूप में वे खनिज रियायत धारकों के लिए लागू किए जाते हैं ।

69. **शक्तियों का प्रयोग.-** (1) इन नियमों के अंतर्गत क्षेत्रीय नियंत्रक को दी गई किसी भी शक्ति का खान नियंत्रक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

(2) खान नियंत्रक को दी गई शक्तियों का मुख्य खान नियंत्रक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है और मुख्य खान नियंत्रक को दी गई शक्तियों का महानियंत्रक द्वारा प्रयोग किया जा सकता है:

परंतु अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, जहां इस तरह के परमाणु खनिजों की श्रेणी परमाणु खनिज रियायत नियम, 2016 की अनुसूची क के अंतर्गत घोषित प्रारंभिक मूल्य के बराबर या उससे ऊपर है, इन नियमों के अंतर्गत परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के किसी भी प्राधिकृत अधिकारी को दी गई किसी भी शक्ति का निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है।

70. **1962 के अधिनियम 33 का व्यावृति.-** इन नियमों में बिना किसी बात भी अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) के उपाबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रभावित नहीं करेगा।

71. **रुपविधान और निर्देशिका का पुनर्विलोकन.-** भारतीय खान ब्यूरो या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, यथास्थिति, हितधारकों के साथ परामर्श के बाद आवीक्षण की योजना, पूर्वेक्षण योजना, खनन योजना और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली खदान बंद करने की योजना को प्रत्येक तीन वर्ष में या उससे पहले, यदि आवश्यक हो तो संशोधित या अद्यतित कर सकते हैं।

अध्याय 11

भूवैज्ञानिक रिपोर्ट

72. **भूवैज्ञानिक रिपोर्ट.-** (1) धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अंतर्गत अधिकृत प्रत्येक अभिकर्ता प्रत्येक वर्ष जून के तीसवें दिन पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए कार्य के संबंध में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक महानियंत्रक और राज्य सरकार को एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और पूर्वेक्षण अभियान के क्रम में प्राप्त सभी भू-वैज्ञानिक डेटा (भूवैज्ञानिक, हवाई भूभौतिकीय, जमीन भूभौतिकीय और भूरासायनिक तथा भूगर्भीय जांच के उद्देश्य के लिए एकत्र कोई भी डेटा) एकत्र और प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एक प्रारूप में निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय और राज्य सरकार को एजेंसी की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(2) भूवैज्ञानिक रिपोर्ट और भू-वैज्ञानिक डेटा को हर वर्ष कागजी प्रतियों और डिजिटल रूप में परिचालन के प्रारंभ होने की तारीख से हर वर्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होगा-

IndiaCode

(क) स्थान के साथ कच्चा डेटा, भूगर्भीय नक्शा, संरचनात्मक डेटा, अनुभागों, योजना और विसंगति नक्शे जैसे अन्वेषण से संबंधित भूवैज्ञानिक डेटा;

(ख) भूभौतिकीय डेटा (जमीनी और हवाई भूभौतिकीय) स्थान के साथ कच्चा डेटा, विसंगति नक्शे, अनुभागों, योजनाओं, समोच्च नक्शे और प्रवेश विवरण के रूप में संभावित क्षेत्रों या इंजीनियरिंग या भू-जल सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण से संबंधित;

(ग) स्थान के साथ कच्चा विश्लेषणात्मक डेटा, विसंगति और समोच्च नक्शे और अनुभागों एवं अन्वेषण से संबंधित भू रासायनिक डेटा; और

(घ) अन्वेषण के विस्तृत परिणाम, खनिज की शैली और प्रकृति, खनिज संसाधन और खनिज रिजर्व का अनुमान एवं ग्रेड, और आवश्यक समर्थन अन्वेषण के परिणाम, खनिज संसाधनों या क्षेत्र के खनिज भंडार से संबंधित रिपोर्ट दस्तावेजों का एक हिस्सा बनेंगे।

(3) भूवैज्ञानिक रिपोर्ट महानियंत्रक या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय, यथास्थिति, द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में तैयार की जाएगी जिससे अन्वेषण प्रगति और परिणाम का एक पूरा आकलन करने में सक्षम हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में खनिज विकास के लिए अन्वेषण के परिणामों को पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है।

(4) इस अध्याय के अंतर्गत उल्लिखित भूवैज्ञानिक रिपोर्टों को ऐसे भूविज्ञानी द्वारा या उसके निर्देशन में तैयार किया जाएगा जिसने पर्यवेक्षण अन्वेषण किया हो और रिपोर्ट पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

अध्याय 12

खनन नियमन पोर्टल

73. **खनन विनियमन वेब पोर्टल.**- इन नियमों के उपाबंधों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए भारतीय खान ब्यूरो और राज्य सरकार या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा किये जा रहे विनियामक कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी को एक साथ लाने के लिए भारतीय खान ब्यूरो राज्य सरकारों के परामर्श से एक खनन विनियमन वेब पोर्टल तैयार करेगा।

74. **विनियामक कार्यों की रिकॉर्डिंग.-** इन नियमों के उपाबंधों के कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार या परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, द्वारा किए जा रहे विनियामक कार्यों के सभी पहलुओं को मानक प्रक्रिया शीटों पर या इन उद्देश्यों के लिए विकसित टेम्पलेट्स में दर्ज किया जाएगा, और इस संबंध में जानकारी को नियम 73 में उल्लिखित पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी:

परंतु यह कि उक्त वेब पोर्टल में उपलब्ध कराई गई व्यावसायिक जानकारी की पहुँच को इस प्रकार से विनियमित किया जाएगा कि यह जानकारी केवल संबंधित खनिज रियायत के धारक, महानियंत्रक, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्राधिकृत अधिकारी और वेब पोर्टल के प्रशासक को सुलभ हो।

75. **सूचना स्रोत.-** (1) प्रत्येक जानकारी के स्रोत की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए पृष्ठ पर एक समर्पित क्षेत्र होगा (एक चित्र) ।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय खान ब्यूरो या राज्य सरकार या निदेशक, परमाणु खनिज खोज और अनुसंधान निदेशालय के एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, निरीक्षण किया जाएगा और खान मालिक या निरीक्षण के लिए प्रबंधक की प्रतिक्रिया को एक जानकारी के स्रोत के रूप में माना जाएगा।

(2) विभिन्न जानकारी स्रोतों, उपयोगकर्ता श्रेणियों की पहचान, मानक प्रक्रिया शीटों या टेम्पलेट्स की तैयारी, इस संबंध में सामग्री और अन्य विवरण की प्रस्तुति और अनुकूलन और पोर्टल पर जानकारी को विन्यस्त करने या उसे हटाने के लिए के लिए व्यवस्थापक की भूमिका केन्द्र सरकार के साथ विचार-विमर्श के साथ महानियंत्रक द्वारा तय की जाएगी।

अनुसूची

प्ररूप – क

(गवेक्षणा या पूर्वेक्षण संचालन के प्रारंभ की नोटिस)

(नियम 7 देखें)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्ररूप, गवेक्षणा या पूर्वेक्षण संचालन प्रारंभ होने के पंद्रह दिन के भीतर नियम में निर्धारित अनुसार सम्यक भरे रूप में ऑनलाइन या ईमेल के द्वारा संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँचना चाहिए।**

- **महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अधीन समय-समय पर अधिसूचित किये गए अनुसार, इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **खनिज रियायत का प्रकार---** **गवेक्षण परमिट** ◎
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित ◎
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -सह-खनन पट्टा ◎

2. **आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या** []

3. **अद्वितीय आईबीएम रियायत संख्या** **गवेक्षण परमिट** []
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित []
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -सह-खनन पट्टा []

4. **खनिज या खनिजों का नाम जिसके लिए गवेक्षणा परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा प्रदान किया गया है:**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

5. **परमिट धारक या अनुज्ञपितधारी का नाम और पता:**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

6. **खनिज रियायत की विशिष्टियां**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्रपत्र ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

7. **खनिज रियायत की प्रास्थिति**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

8. **गवेक्षणा परमिट के लिए कार्यरत भूविज्ञानी का विवरण या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित क्षेत्र के लिए कार्यरत भूविज्ञानी और खनन इजीनियर का विवरण:**

(i) **नाम और पता:**

(ii) **ईमेल पता:** []

(iii) **फोन नंबर और मोबाइल नंबर:**

(iv) **अर्हता:**

(v) **नियुक्ति की तारीख:**

(vi) **निर्धारित नियुक्ति की प्रकृति:** पूर्ण कालिक []

अंशकालिक []

IndiaCode

9. **गवेक्षणा परिचालन या पूर्वेक्षण संचालन आरंभ होने की तारीख**:

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्रपत्र – ख

(वर्ष..... के लिए आविक्षण अभियानों या पूर्वेक्षण परिचालनों की प्रगति रिपोर्ट)

[नियम 9 (1), 9 (3) और 9 (4) देखें]

प्रपत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- **यह प्रपत्र, विधिवत भर कर गवेक्षण परमिट-पूर्वेक्षण लाइसेंस विलेख के निष्पादन की तारीख से बारह महीने की समाप्ति के बाद, पैंतालीस दिनों के भीतर या गवेक्षण परमिट-पूर्वेक्षण लाइसेंस या लाइसेंस-सह-खनन पट्टा की अवधि समाप्त होने के बाद, दोनों में से जो भी पहले हो या गवेक्षण-पूर्वेक्षण संचालन का परित्याग करने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऑनलाइन या ईमेल के द्वारा संबंधित अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।**
- **महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खनिज संरक्षण विकास नियम, *2017* के नियम *66* के अंतर्गत समय-समय पर अधिसूचित किये गए अनुसार, इसे क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्रपत्र पर संबंधित व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **खनिज रियायत का प्रकार---** **गवेक्षण परमिट** ◎
 पूर्वेक्षण लाइसेंस ◎
 पूर्वेक्षण लाइसेंस सह खनन पट्टा ◎

2. **आईबीएम पंजीकरण संख्या**

3. **अद्वितीय आईबीएम रियायत संख्या** **गवेक्षण परमिट**
 पूर्वेक्षण लाइसेंस
 पूर्वेक्षण लाइसेंस -सह-खनन पट्टा

4. **खनिज या खनिजों का नाम जिसके लिए गवेक्षणा परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा प्रदान किया गया है:**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

5. **परमिट धारक या अनुज्ञपितधारी का नाम और पता:**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

6. **खनिज रियायत की विशिष्टियां**
 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्रपत्र ट'की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

IndiaCode

7. **खनिज रियायत की प्रास्थिति**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 5 **और** 6 **साथ सहबद्ध।)**

8. **गवेक्षण - पूर्वेक्षण परिचालन की प्रास्थिति**

कृपया प्रयोज्य बॉक्स में सही का निशान लगाएं। **जारी है** []

पूरा हो गया []

परित्यक्त []

9. **अगर गवेक्षणा -पूर्वेक्षण परिचालन पूरा हो गया हो या उसका परित्यक्त कर दिया गया है, तो**

पूरा होने या परित्याग की तारीख

10. **गवेक्षण - पूर्वेक्षण कार्य में शामिल कुल क्षेत्र**

***(हैक्टेयर)* उस तारीख पर**

11. **पूरा किया गया गवेक्षणा सर्वेक्षण कार्य**

(निम्नलिखित मदों में से प्रत्येक के सामने इस्तेमाल किए जाने वाले मशीनों और उपकरणों के ब्यौरे के साथ-साथ शामिल काम का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा)

(i) क्षेत्रीय सर्वेक्षण _____

(ii) हवाई-फोटो-भू-वैज्ञानिक कार्य _____

12. **शामिल क्षेत्र और पैमाने सहित**

भूवैज्ञानिक मानचित्रण

(i) भूभौतिक _____

(ii) भूरासायनिक _____

(iii) परीक्षण ड्रिलिंग: संख्या, प्रभाव का क्षेत्र

मिट्रेज और नमूना _____

(iv) अयस्क की प्रकृति और संरचना _____

(v) अयस्कों या खनिजों का विश्लेषण _____

13. **वर्ष के दौरान पूर्वेक्षण कार्य का समापन**:

(क**)** गढ्ढे खोदना

(i)गढ्ढों की संख्या _____

(ii) गहराई (मीटर में) औसत _____

अधिकतम _____

न्यूनतम _____

(ख**)** खाई खोदना

(i) खाइयों की संख्या _____

IndiaCode

(ii) लंबाई (मीटर में) औसत _____

अधिकतम _____

न्यूनतम _____

(ग) वेधन		सतह	भूमिगत
(i)	वर्ष के दौरान पूरे किए गए बोरहोल की संख्या।	_____	_____
(ii)	काम चल रहे बोरहोलों की संख्या, यदि कोई हो।	_____	_____
(iii)	कुल वार्षिक खुदाई (मीटर)	_____	_____

(घ) ड्रिलिंग मशीन का विवरण**:**

प्रकार	मेक	क्षमता	वेधनों की संख्या

(ङ) अन्वेषणात्मक खनन**,** यदि कोई होः

(1) स्तरों की संख्या _____

(2) कुल विकास (मीटर) _____

(3) प्रविष्टि का ढ़ंग _____

(4) ग्रेड सहित उत्पादित अयस्क का परिमाण _____

(च) विश्लेषित नमूनों की संख्या:

(1) मुख्य घटक (कृपया स्पष्ट करें) _____

(2) पूर्ण विश्लेषण _____

14. **यदि परित्याग कर दिया गया हो**

(i) परित्यक्त की तारीख _____

(ii) परित्यक्त के कारण _____

टिप्पण: कृपया विस्तृत भूवैज्ञानिक योजनाओं और, (क) बोरहोलों (ख) गड्ढों, (ग) खाइयों, (घ) शैफ्टों, (ङ) भूमिगत खोजपूर्ण कामकाज, (च) खुली जगहों (आउटक्राप्स), (छ) अयस्क क्षेत्र, (ज) दोष, (i) सिलवटों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के स्थानों को दिखाते हुए अब तक आरंभ किए गए गवेक्षणा-पूर्वेक्षण परिचालनों का वर्णन करते हुए एक भूवैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न करें।

रिपोर्ट में बोरहोल लॉग और व्याख्या तथा और क्षेत्र के भूविज्ञान के अध्ययन के परिणाम स्वरूप निकाले गए अनुमान और बोरहोल कोर, गड्ढों, खाइयों, विश्लेषण डेटा, अयस्क के भंडार और कम से कम दो अयस्कों के प्रतिनिधि नमूनों के संपूर्ण विश्लेषण के परिणाम और खनन कार्य के लिए प्रस्तावित ब्लॉक शामिल किए जाएंगे। रिपोर्ट में क्षेत्र के अयस्कों या खनिज पर किए गए किसी भी लाभकारी अध्ययन के परिणाम भी शामिल होंगे।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

IndiaCode

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्ररूप – ग

(खान के खोलने- दुबारा खोलने- खान के नाम के परिवर्तन की सूचना प्रदान करना)

(नियम 20, 29 और 49 देखें)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **खान के नाम में परिवर्तन के मामले में, यह प्ररूप, सम्यक भर कर, ऑनलाइन या ईमेल के द्वारा, खोलने के पंद्रह दिन के भीतर और या दोबारा खोलने के तीस दिन के अधीन, नियम में निर्धारित अनुसार संबंधित अधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या**
2. **खनन पट्टा कोड**
3. **खान कोड**
4. **खान का नाम - खान का पूरा नाम**

 *(***नाम परिवर्तन की स्थिति में***)*

5. **धारक-स्वामी का नाम और पता**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप 'ट'की प्रविष्टि 3 के साथ सहबद्ध।)

6. **खान की खोलने -दुबारा खोलने की तारीख**
7. **दोबारा खोलने की स्थिति में, बंद करने की तारीख**
8. **खनन पट्टे का विवरण (एमएल)**

 *(*सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध।)

9. **खनन पट्टे का स्थान**

 *(*सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध।)

10. **पिछले स्वामी का नाम और पता**

 खान के परित्यक्त की तारीख, अगर कोई हो

नाम	पता	ई-मेल	मोबाइल नंबर

IndiaCode

11. **खान के अभिकर्ता का नाम और पता**

नाम	पता	ई-मेल	मोबाइल नंबर

12. **खान में कार्यरत खनन इंजीनियर की विशिष्टियां**:

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप 'ज'की प्रविष्टि **8** और **9** साथ सहबद्ध।)

13. **खान में कार्यरत भूविज्ञानी की विशिष्टियां**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप 'ज'की प्रविष्टि **8** और **9** साथ सहबद्ध।)

14. **खान में नियोजित प्रबंधक की विशिष्टियां**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप 'ज'की प्रविष्टि **8** और **9** साथ सहबद्ध।)

15. **पत्र संख्या और तारीख जिसके माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो या संबंधित राज्य सरकार द्वारा खनन योजना को अनुमोदित किया गया था।**

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: मालिक - अभिकर्ता - खनन इंजीनियर - प्रबंधक

प्ररूप – घ

(खान या खान के हिस्से के परित्याग के आशय की नोटिस)

[नियम 21 (2) देखें]

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्ररूप, सम्यक भर कर ऑनलाइन या ईमेल के द्वारा, नियम के भीतर विहित तरीके से परित्याग का इरादे की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या**

2. **खनन पट्टा कोड**

IndiaCode

3. **खान कोड**

4. **खान का नाम**

5. **पट्टा धारक-स्वामी का नाम और पता**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 3 के साथ सहबद्ध)

6. **खनन पट्टे *(एमएल)* की विशिष्टियां**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध)

7. **खनन पट्टे की प्रास्थिति**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध)

8. **जिस पत्र के के माध्यम से भारतीय खान ब्यूरो या संबंधित राज्य सरकार द्वारा खान बंद करने की अंतिम योजना को अनुमोदित किया गया था, उसकी पत्र संख्या और तारीख**

9. **परित्यक्त की तारीख**

10. **परित्यक्त का कारण** ***[कृपया प्रयोज्य में सही का निशान लगाएं]***

i) **माँग की कमी**

ii) **अयस्क-खनिज कीसमाप्ति**

iii) अलाभकर परिचालन

iv) **वन विभाग की मंजूरी अभिप्राप्त करने में असमर्थता**

11. **यूएनएफसी के अनुसार तारीख तक खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज (जों) के कुल संसाधन (टन में):**

*(*क)खनिज भंडार

(i) सबूत किया गया भंडार *(111)*

(ii) संभावित भंडार *(121* और *122)*

*(*ख) शेष संसाधन

(i) खनिज संसाधन की व्यवहार्यता *(211)*

(ii) खनिज संसाधन की पूर्व व्यवहार्यता *(221* और *222)*

(iii) खनिज संसाधन की माप *(331)*

(iv) संकेतित खनिज संसाधन *(332)*

(v) अनुमानित खनिज संसाधन *(333)*

*(vi)*गवेक्षणा खनिज संसाधन *(334)*

*(*ग) कुल संसाधन *(*क + ख) *=.....(*टन*)*

12. **खान में कार्यरत कर्मकारों की संख्या: पुरुष महिला**

IndiaCode

(क) कंपनी के मजदूर

(ख) ठेका मजदूर

(ग) कुल

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पद नाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्ररूप-ङ

(खान की अस्थायी समाप्ति की नोटिस)

[नियम 28 (1) और 28 (2) देखें]

IndiaCode

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्ररूप, सम्यक भर कर, खान में काम की अस्थायी समाप्ति के एक सौ और बीस दिन के भीतर ऑनलाइन या ईमेल के द्वारा, नियम में निर्धारित संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए। अगर ऐसी समाप्ति पट्टेदार या सरकारी आदेशों के नियंत्रण से परे प्राकृतिक आपदा की वजह से होती है, तो ऑनलाइन या ई मेल द्वारा ऐसी की घटना के पंद्रह दिन के भीतर इसकी नोटिस भेजी जाएगी।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अधीन, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्ररूप पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या**
2. **खनन पट्टा कोड**
3. **खान कोड**
4. **खान का नाम**
5. **पट्टा धारक- स्वामी का नाम और पता**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 3 के साथ सहबद्ध।)

6. **खनन पट्टे *(एमएल)* की विशिष्टियां**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्रपत्र ट'की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध।)

7. **खनन पट्टे का स्थान**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप ट'की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध।)

8. **अस्थायी रूप से रोकने की तारीख**

9. **अस्थायी रूप से रोकने का कारण** **[कृपया प्रयोज्य स्थान पर सही का निशान लगाएं]**

(i) माँग में कमी ☐

(ii) श्रम की अनुपलब्धता ☐

(iii) वर्षा ☐

(iv) परिवहन में बाधा ☐

(v) हड़ताल-तालाबंदी ☐

(vi) किफायती न रहने वाले परिचालन ☐

(vii) अन्य कारण *(स्पष्ट करें)* ☐

10. **खान को दुबारा खोलने की संभावित तारीख** ☐

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: मालिक-अभियंता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

IndiaCode

प्ररुप – च

(बंदी के प्रारंभ होने की नोटिस)

[नियम 30 (2) देखें]

प्ररुप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्ररूप, सम्यक भर कर स्टॉपिंग परिचालन, के प्रारंभ होने की तारीख से साठ दिन पहले ऑनलाइन या ई मेल से, नियम में निर्धारित संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्रपत्र पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**
- मद 8 और 9 (क) के संबंध में जानकारी के साथ (i) भूमिगत समग्र योजना, (ii) अनुदैर्ध्य खंड (iii) ऊपर और नीचे एक-एक स्तर सहित जिन स्तरों पर स्टॉपिंग प्रस्तावित है, उनकी की भूवैज्ञानिक-मूल्यांकन योजना और (iv) उपरोक्त भाग (iii) के अंतर्गत शामिल उचित अंतराल पर अनुप्रस्थ वर्गों का ब्यौरा संलग्न किया जाना चाहिए।

1. **आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या** ☐

2. **खनन पट्टा कोड**

3. **खान का कोड**

4. **खान का नाम**

5. **पट्टा धारक-स्वामी नाम और पता**

(सूचना प्रणाली से उत्पन्न होगी। प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 3 के साथ सहबद्ध।)

6. **खनन पट्टे (एमएल) का विवरण**

(सूचना प्रणाली से उत्पन्न होगी। प्रपत्र 'ट' की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध।)

7. **खनन पट्टे का स्थान**

(सूचना प्रणाली से उत्पन्न होगी। प्रपत्र 'ट' की प्रविष्टि 4 के साथ सहबद्ध।)

8. **अनुभाग - गड्ढे की संख्या**

(यह ऐसे मामलों में लागू है, जहां मुख्य खदान को एक से अधिक जिलों-अनुभागों-गड्ढों में विभाजित किया गया हो।)

9. **स्टॉपिंग शुरू करने के लिए प्रस्तावित तारीख**

10. **खान में विकास का विस्तार:**

***(क)* शाफ्टों-ढलानों की संख्या और इनकी**

चौड़ाई-गहराई-लंबाई _____

***(ख)*अधिकतम गहराई और विकास** _____

***(ग)* स्तरों की संख्या के सात उनकी सीमा** _____

***(घ)* विकास का कुल भार** _____

***(ङ)* कुल टन भार और ग्रेड सहित विकसित ब्लॉकों**
की कुल संख्या (पहले से अवरोधित ब्लॉकों और
अवरोध (स्टॉपिंग) के लिए पहले से
प्राप्त अनुमति को छोड़कर) _____

11. **स्टॉपिंग के लिए आवेदित ब्लॉकों का विवरण:**

(क) प्रत्येक ब्लॉक का आकार और संख्या

उनका स्तर टन भार और ग्रेड _____

(ख) अवरोध (स्टॉपिंग) के लिए अपनाई जाने वाली विधि _____

(i) ऑपरेशन अवरोध (स्टॉप) तैयारी अनुक्रम के साथ विधि
का वर्णन और निकासी का वर्णन करने के
लिए उचित चित्र _____

(ii) प्रत्येक ब्लॉक के अवरोध (स्टॉपिंग) की
अपेक्षित दर (मासिक) _____

(iii) प्रत्येक ब्लॉक से अपेक्षित वसूली _____

IndiaCode

(iv) प्राक्कलित विलयन _____

(v) निकाले जाने वाले अयस्क का अनुमानित
टन भार और ग्रेड _____

12. **क्या यह इस खान के लिए अवरोध (स्टॉपिंग) के लिए पहली बार किया गया आवेदन है?**

यदि नहीं, तो निम्न विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

(i) अवरोध (स्टॉपिंग) के लिए पिछले आवेदन(नों)
की तारीख _____

(ii) विभाग द्वारा अनुज्ञा या इनकार की तारीख और संदर्भ
(ब्लॉकों और उनके स्तरों का उल्लेख करें) _____

(iii) क्या जिन ब्लॉकों के अवरोध (स्टॉपिंग) की अनुमति दी
गई थी, उन सभी ब्लाकों को बंद कर दिया गया है?
यदि नहीं, तो स्टॉपिंग परिचालनों का संकेत
करते हुए उन विशिष्ट ब्लॉकों का उल्लेख करें,
जिनका अवरोध (स्टॉपिंग) करना शेष है,: _____

13. **प्रस्तावित अवरोध (स्टॉपिंग) के साथ विकास की दर और अतिरिक्त ब्लॉक** _____

14. **संलग्न की सूची** _____

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पद नाम: मालिक-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्ररूप-च 1

[नियम 45(5) (ख) (i) देखें]

मास_____ 20__ के लिए

मासिक विवरणी

[ताम्र, स्वर्ण, सीसा, पायराइट, टिन, टंगस्टन, जिंक और मूल्यवान व अपेक्षाकृत अर्द्ध मूल्य रत्नों के अतिरिक्त खनिजों के लिए उपयोग किया जाए]

सेवा में,

(i) क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो
.....क्षेत्र
पिन :

IndiaCode

(कृपया उस क्षेत्रीय खान नियंत्रक को संबोधित करें जिसके अधिकारिता क्षेत्र में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित खाने आती हैं)

(ii) राज्य सरकार

भाग-1

(सधारण और श्रम)

1. खान का ब्यौरा:	
(क) भारतीय खान ब्यूरों द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (हस्ताक्षर करने वाले खान पट्टाधारी-स्वामी के रजिस्ट्रीकरण नम्बर दें)	
(ख) **खान कोड** (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ड़) इसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हो	
(च) खान की अवस्थिति	
ग्राम	
डाकघर	
तहसील-ताल्लुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.	ई-मेल
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.
2. पट्टाधारी-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई मेल सहित)	
पट्टाधारी-स्वामी का नाम	
पता	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.	ई-मेल
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.
3. मास के दौरान संदत्त किराए-स्वामिस्व-अनिवार्य भाटक डीएमएफ-एमएमईटी का ब्यौरा	
(i) संदत्त किराया (रूपए)	

IndiaCode

(ii) संदत्त स्वामिस्व(रूपए)		
(iii) संदत्त अनिवार्य भाटक (रूपए)		
(iv) डीएमएफ को संदत्त राशि (रूपए में)		
(v) एनएमईटी को संदत्त राशि (रूपए में)		
4. कार्यरत खान का ब्यौरा		
(i) खान में किए गए कार्य दिवसों की संख्या		
(ii) मास के दौरान खान में कार्य अवरूद्ध होने के कारण (हड़ताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, श्रमिकों की अनुपलब्धता, परिवहन संबंधी बाधा, मांग में कमी अनार्थिक प्रचालन आदि) और प्रत्येक कारण से कार्य अवरूद्ध दिवसों की संख्या।	कारण	दिवसों की सं.

5. औसत दैनिक नियोजन और संदत्त मजदूरी-वेतन #:

कार्यस्थल	जिला		ठेके पर		कुल वेतन-मजदूरी (रु.)	
	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	सीधी भर्ती	ठेके पर
भूमि के नीचे						
विवृत						
भूमि के ऊपर						
कुल						

खनन स्थल पर खान और सम्बद्ध कारखाना, कर्मशाला या खनिज ड्रेसिंग संयंत्र के अनन्य सभी कर्मचारियों सहित

भाग–2 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाए)

(मात्रा की इकाई टन में)

1. उत्पादित अयस्क का प्रकार:

(केवल लौह अयस्क हेतु लागू, जो लागू हो उस पर सही का निशान लगाए)

(क) हेमेटाइट

(ख) मेग्नेटाइट

2. खान शीर्ष में आरओएम अयस्क का उत्पादन और स्टॉक

IndiaCode

प्रवर्ग	प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	बंद होने पर स्टॉक
(क) वितृत खुदाई करना			
(ख) भूमिगत खुदाई करना			
(ग) क्षेपण खुदाई करना			

3. (i) खान शीर्ष से ($) श्रेणीवार आरओएम अयस्क प्रेषण

आरओएम@ का श्रेणी	खान शीर्ष से प्रेषण	खान पर मूल्य (रु.)

($): केवल लौह अयस्क और क्रोमाइट के लिए लागू प्रेषण के अन्य खनिज आंकड़ा हेतु 3(ii) में सूचना दी जानी है।

3(ii) श्रेणीवार उत्पादन, प्रेषण, स्टॉक और पूर्व खान मूल्य:

श्रेणीयां**	खान-शीर्षक में प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	खान शीर्ष से प्रेषण	खान शीर्ष में बंद होने पर स्टॉक	खान पर मूल्य (रूपए-एमटी)

3(iii) यदि खनिज निजी कारखाना में पीसा जा रहा है, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा (*) दें :

श्रेणी **	पीसे खनिज की कुल मात्रा (टन में)	पिसा खनिज उत्पादन की कुल मात्रा (प्रत्येक मेश आकार हेतु)		मास के दौरान बेचे गये पिसे खनिज की कुल मात्रा		
		मेश आकार	मात्रा (टन)	मेश आकार	मात्रा (टन)	कारखाना पर विक्रय मूल्य

3(iv) चूर्ण की औसत लागत (*) : रु.---------- प्रति टन

(*) : लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट और क्रोमाइट के लिए लागू नहीं ।

4. विक्रय मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त कटौती का ब्यौरा (खान मूल्य) (रु.-टन)

कटौती का दावा #	राशि (रूपए-टन)	टिप्पणियां
क) परिवहन की लागत (टिप्पणियों में लदान स्थल और खान से दूरी उपदर्शित)		
ख) लदाई और माल उतारने के प्रभार		
ग) रेलवे भाडा, यदि लागू हो तो (गंतव्य और दूरी दर्शाएं)		
घ) पत्तन हथलाई प्रभार-निर्यात शुल्क (पत्तन का नाम दर्शाएं)		
ड़) नमूना और विश्लेषण प्रभार		
च) स्टॉकिंग यार्ड में प्लॉट के लिए किराया		

छ) अन्य प्रभार (विनिर्दिष्ट रूप से दर्शाए		
कुल (क) से (छ)		

#खपत प्रेषण और खान पर विक्रयों के लिए लागू नहीं ।

5. देशी खपत और निर्यात के लिए की गई बिक्री-प्रेषण

श्रेणी (^)	प्रेषण का प्रकार (दर्शाए कि क्या बिक्री अथवा देशी हस्तांतरण अथवा गृहीत खपत अथवा निर्यात के लिए है)	देशी खपत के लिए				निर्यात के लिए		
		क्रेता को आईबीएम द्वारा यथाआबंटित रजिस्ट्रीकरण	प्रेषिती नाम ##	मात्रा	विक्रय मूल्य (रु.)	देश	मात्रा	एफओबी मूल्य (रु.)

(^)यथा अधोवर्णित अयस्क की श्रेणी दर्शाएं (देखे @ और **)

यदि क्रेता एक से अधिक है तो अलग-अलग दर्शाए ।

टिप्पण :- खान स्वामियों से उद्धत अयस्क के प्रत्येक श्रेणी के सतत देशी बिक्री मूल्य-एफओबीमूल्य को बीजक की प्रति से प्रमाणित करने की अपेक्षा की जाती है। (विवरणी के साथ प्रस्तुत न की जाए, यथा आवश्यक हो प्रस्तुत की जाए)

6. पिछले मास की तुलना में इस मास के दौरान उत्पादन-शून्य उत्पादन में वृद्धि-कमी के यदि कोई कारण हो तो दीजिए ।

क)

ख)

ग)

7. पिछले मास की तुलना में इस मास के दौरान, श्रेणीवार खान मूल्य में वृद्धि कमी यदि कोई हो तो दीजिए ।

क)

ख)

ग)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सभी सूचना पूर्णतया सही और पूर्ण है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

@ प्रेषित किए गए आरओएम अयस्क के श्रेणी:

खनिज	**श्रेणियां**

IndiaCode

लौह अयस्क	क) 51% Fe आरओएम से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe आरओएम से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe आरओएम से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe आरओएम से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe आरओएम से नीचे
	च) 62% से 65% Fe आरओएम से नीचे
	छ) 65% और Fe आरओएम से ऊपर
क्रोमाइट	क) 40% से Cr2O3 आरओएम से नीचे
	ख) 40% से 52%Cr2O3 आरओएम से नीचे
	ग) 52% Cr2O3 आरओएम से ऊपर

****उपरोक्त सारणी में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों की श्रेणियां निम्न सारणी में दिए गए है (यदि नीचे श्रेणीस अलग से नहीं दिखाएं गए है, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं)**

खनिज	**श्रेणियां**
लौह अयस्क	**(i) एकमुश्त :**
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(ii) फाइन्स :
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(iii) सांद्रण

IndiaCode

	(iv) केलीब्रेटिड लंप अयस्क (सीएलओ)
	(लम्पों के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन सूचित न की जाए)
	क) 62% Fe से नीचे (सीएलओ कोई भी आकार)
	ख) 62% से 65% Fe से नीचे (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	ग) 62% से 65% Fe से नीचे (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	घ) 62% से 65% Fe से नीचे (अन्य सीएलओ)
	ङ) 65% से Fe से ऊपर (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	च) 65% से Fe से ऊपर (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	छ) 65% Fe से ऊपर (अन्य सीएलओ)
मैग्नीज अयस्क	(i) अयस्क
	क) 25% Mn से नीचे
	ख) 25% से 35% Mn नीचे
	ग) 35% से 46% Mn नीचे
	घ) 46% से ऊपर Mn
	ड) डायऑक्साइड अयस्क
	(ii) सांद्रण
बॉक्साइट	(i) एल्युमीना और एल्युमिनियम निष्कर्षण के उपयोग के लिए (कृपया निम्नलिखित श्रेणियों की सीमा में आने वाले अयस्कों के वास्तविक औसत का विनिर्दिष्ट करें)
	क) 40% Al2O3 से नीचे
	ख) 40% से 45% से नीचे Al2O3
	ग) 45% से 50% से नीचे Al2O3
	घ) 50% से 55% से नीचे Al2O3
	ङ) 55% से 60% से नीचे Al2O3
	च) 60% से ऊपर Al2O3
	(ii) एल्युमीना और एल्युमिनियम के अतिरिक्त धातु निष्कर्षण के उपयोग के लिए
	क) सीमेंट
	ख) अपघर्षक
	ग) रिफ्रेक्ट्री
	घ) रसायन
क्रोमाइट	**(i) एकमुश्त**
	क) 40% से नीचे Cr2O3
	ख) 40% से 52 % से नीचे Cr2O3

IndiaCode

	ग) 52% से ऊपर Cr2O3
	(ii) **फाइंस**
	क) 40% से नीचे Cr2O3
	ख) 40% से 52 % नीचे Cr2O3
	ग) 52% से ऊपर Cr2O3
	(iii) सांद्रण
अबेस्टस	क) एम्फीबोल
	ख) क्राईसोटाइल
फ्लूराइट-फ्लूरोस्पार	क) 80% से ऊपर CaF_2
	ख) 70% से 80% के नीचे CaF_2
	ग) 30% से 70% के नीचे CaF_2
	घ) 30% से नीचे CaF_2
ग्रेफाइट	क) 80% या उससे अधिक नियतन कार्बन के साथ
	ख) 40% या उससे अधिक परंतु 80% नियतन कार्बन से कम
	ग) 20% या उससे अधिक परंतु 40% नियतन कार्बन से कम
	घ) 20% नियतन कार्बन से कम
कायनाइट	क) 40% और अधिक Al_2O_3
	ख) 40% Al_2O_3 से नीचे
चूनापत्थर	क) एलडी श्रेणी (1.5% सिलिका संधारिता से कम)
	ख)एसएमएस
	ग)बीएफ
	घ) रसायन
	ड़) सीमेंट
रॉक फॉस्फेट-फॉस्फोराइट	क) 30% P_2O_5 से ऊपर
	ख) 25% से 30% से ऊपर P_2O_5
	ग) 20% से 25% से ऊपर P_2O_5
	घ) 20% P_2O_5 तक

प्ररूप-च 2

[नियम 45(5) (ख) (ii) देखें]

मास_____ 20____ के लिए

मासिक विवरणी

[ताम्र, स्वर्ण, सीसा, पायराइटस, टिन, टंगस्टन और जिंक खनिजों के उपयोग के लिए]

सेवा में,

(i) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरों,

-------- क्षेत्र

पिन :

IndiaCode

(कृपया उस क्षेत्रीय खान नियंत्रक को संबोधित करें जिसके अधिकारिता में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन महानिदेशक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई खाने आती है)

(ii) राज्य सरकार

भाग-1

(सधारण और श्रम)

1.खान का ब्यौरा :	
(क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टाधारक-स्वामी का रजिस्ट्रीकरण सं. दे)	
(ख) **खान कोड** (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ड़) इसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हों	
(च) खान की अवस्थिति	
ग्राम	
डाकघर	
तहसील-ताल्लुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.	ई-मेल
दूरभाष	मोबाईल सं.
2.पट्टाधारक-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं और ई-मेल सहित) :	
पट्टाधारक-स्वामी का नाम	
पता	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.	ई-मेल
दूरभाष सं.:	मोबाईल सं.

IndiaCode

3. मास में संदत्त किराए-स्वामित्व-अनिवार्य भाटक डीएमएफ-एनएमईटी का ब्यौरा		
(i) संदत्त किराया (रूपए)		
(ii) संदत्त स्वामिस्व(रूपए)		
(iii) संदत्त अनिवार्य भाटक (रूपए)		
(iv) डीएमएफ को संदत्त धनराशि (रूपए)		
(v) एनएमईटी को संदत्त धनराशि (रूपए)		
4. कार्यरत खान का ब्यौरा :		
(i) खान में किए गए कार्य दिवसों की संख्या		
(ii) मास के दौरान खान में कार्य अवरूप होने के कारण (हडताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, श्रमिको की अनुपलब्धता, परिवहन संबंधी बाधा मांग में कमी अनार्थिक प्रचालन आदि) और प्रत्येक कारण से कार्य अवरूद्ध दिवसों की संख्या।	कारण	दिवसों की सं.

IndiaCode

5. औसत दैनिक नियोजन और प्रदत्त मजदूरी #:

कार्यस्थल	जिला		ठेके पर		कुल वेतन-मजदूरी(रु.)	
	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	सीधी भर्ती	ठेके पर
भूमि के नीचे						
विवृत						
भूमि के ऊपर						
कुल						

खनन स्थल पर खान और सम्बद्ध कारखाना, कर्मशाला या खनिज ड्रेसिंग संयंत्र के अनन्य सभी कर्मचारियों सहित

भाग-2 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए अलग से प्रस्तुत करें)

(मात्रा की इकाई टन में; यदि टन में नहीं तो इकाई दर्शाएं)

1. आर ओएम का उत्पादन और स्टॉक

	प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	बंद स्टॉक

	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी
क. भूमिगत कार्य से						
i) विकास से						
ii) स्टोपिंग से						
ख. विवृत कार्यों से						
कुल						

2. उत्पादित अयस्क की खान पर कीमत (प्रति इकाई रु.) में

3. सांद्रक-मिल-संयंत्र पर वसूलियां :

कंसट्रेटर-संयंत्र में अयस्क का प्रारंभिक स्टॉक		खान से प्राप्त अयस्क		शोधित अयस्क	
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी

सांद्रण * प्राप्त			टेलिंग्स		सांद्रक-संयंत्र पर सांद्रण का अंतिम स्टॉक	
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	कीमत (रु.)	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी

* यदि निक्षालन पद्धति अपनाई गई है प्राप्त की गई मात्रा और श्रेणी का विनिर्दिष्ट अलग करें।

4. प्रगालक -मिल-संयंत्र पर वसूली :

प्रगाल-संयंत्र पर सांद्रणों का प्रारंभिक स्टॉक		सांद्रक-संयंत्र से प्राप्त सांद्रण		अन्य स्रोतों से प्राप्त सांद्रण (विशेष विनिर्दिष्ट करें)		विक्रय किए गए सांद्रण (यदि कोई हों)	
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी

शोधित सांद्रण		स्मेल्टर-संयत्र पर सांद्रण का अंतिम स्टॉक		धातु(*) प्राप्त (विशेष विनिर्दिष्ट करें)			प्राप्त अन्य उप-उत्पाद यदि कोई हो		
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	श्रेणी	कीमत (रु.)	मात्रा	श्रेणी	कीमत (रु.)

IndiaCode

(*) कृपया प्रवर्गवार ब्यौरा दें यथा ब्लिस्टर, फायर रिफाइंड ताम्र, कैथोड, इलैक्ट्रोलेटिक, ताम्र तार छडें, सीसा इंगोस्टस, जिंक कैथोड, जिंक ड्रोस, स्वर्ण, टंगस्टन आदि ।

5. मास के दौरान बिक्री

धातु-उत्पाद	**धातु-उत्पाद का प्रारंभिक स्टॉक**		**विक्रयस्थान**	**बिक्री किए गए धातु-उत्पाद (@)**			**धातुओं-उत्पादों अंतिम स्टॉक**	
	मात्रा	श्रेणी		मात्रा	श्रेणी	कीमत(#) (रु.)	मात्रा	श्रेणी

टिप्पण: (#) कृपया पूर्व संयंत्र पर बिक्री मूल्य दें ।

(**@**)कृपया प्रवर्गवार बेचे गए धातुओं और अन्य उत्पादों का ब्यौरा दें ।

6. खान पर (रु.-यूनिट) बिक्री मूल्य की गणना करने के लिए बिक्री मूल्य में से की गई कटौतियों का ब्यौरे

की गई कटौतिया #	**राशि (रु.-यूनिट में)**	**टिप्पणियां**
क) परिवहन प्रभार (लदाई स्टेशन से खान की दूरी को टिप्पणियां में दर्शाएं)		
ख) लदाई और उतराई प्रभार		
ग) रेल भाडा, यदि लागू हो (गंतव्य का नाम और दूरी दर्शाएं)		
घ) पत्तन हथलाई प्रभार-निर्यात शुल्क (पत्तन का नाम दर्शाएं)		
ड़) प्रति चयन और विश्लेषण प्रभार		
च) स्टॉकिंग यार्ड पर प्लाट का किराया		
छ) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से दर्शाएं)		
कुल (क) से (छ)		

खपत प्रेषणों व खान पर हुई बिक्री के लिए लागू नहीं ।

7. देशी प्रयोजन और निर्यात के लिए अयसक और सांद्रणों की बिक्री-प्रेषण

श्रेणी (अयस्क-सांद्रण	**प्रेषण की प्रकृति (कृपया स्पष्ट करें देशी बिक्री प्रारंभिकवा देशी**	**देशी प्रयोजनों के लिए**				**निर्यात के लिए**		
		क्रेता को आईबीएम द्वारा आबंटित	परेषिती का नाम ##	**मात्रा**	**बिक्री मूल्य (रु.)**	**देश**	**मात्रा**	**एफओबी मूल्य (रु.)**

	स्थानांतरण अथवा खपत उपभोग प्रारंभिक या निर्यात)	**रजिस्ट्रीकरण संख्या** ##						

यदि क्रेता एक से अधिक हो तो पृथक से उपदर्शित करें।

टिप्पण: खान स्वामियों को ऊपर दर्शाए गए सभी श्रेणियों के देशी बिक्री मूल्य-एफओबी को बीजक की एक प्रति के साथ प्रमाणित करना होगा (विवरणी के साथ नहीं दिया जाना चाहिए, यथा आवश्यक प्रस्तुत की जाए)

8. पिछले मास की तुलना में चालू मास के दौरान उत्पादन में वृद्धि-कमीं-शून्य उत्पादन, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

क)

ख)

ग)

9 पिछले मास की तुलना में श्रेणीवार खान मूल्य में वृद्धि-कमी, यदि कोई हो, के कारण बताएं

क)

ख)

ग)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना पूर्णतया सहीं और पूर्ण है।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्ररूप – च 3

[नियम 45(5) (ख) (iii) देखें]

मास_____ 20_____ के लिए

मासिक विवरणी

[बहूमूल्य और अर्द्ध बहूमूल्य रत्नों के लिए उपयोग के लिए]

IndiaCode

सेवा में,

(i) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरों,

-------- क्षेत्र

पिन :

(कृपया उस क्षेत्रीय खान नियंत्रक को संबोधित करें जिसके अधिकारिता में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई खाने आती है)

(ii) राज्य सरकार

भाग-1

(साधारण और श्रम)

1. खान का ब्यौरा:	
(क) भारतीय खान ब्यूरों द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टाधारक-स्वामी की रजिस्ट्रीकरण सं.)	
(ख) **खान कोड** (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ड़) इसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हो	
(च) खान की अवस्थिति	
ग्राम	
डाकघर	
तहसील-ताल्लुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.	ई-मेल
दूरभाष :	मोबाईल सं.
2. पट्टाधारक-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई मेल सहित)	
पट्टाधारक-स्वामी का नाम	
पता	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	

IndiaCode

फैक्स सं.	ई-मेल	
दूरभाष सं.:	मोबाईल सं.	
3. मास के दौरन संदत्त किराए-रॉयल्टी-अनिवार्य भाटक डीएमएफ-एमएमईटी का ब्यौरा		
(i) संदत्त किराया (रूपए)		
(ii) संदत्त सवामिस्व (रूपए)		
(iii) संदत्त अनिवार्य भाटक (रूपए)		
(iv) डीएमएफ को संदत्त राशि (रूपए में)		
(v) एनएमईटी को संदत्त राशि (रूपए में)		
4. कार्यरत खान का ब्यौरा		
(i) खान में किए गए कार्य दिवसों की संख्या		
(ii) मास के दौरान खान में कार्य अवरूद्ध होने के कारण (हडताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, श्रमिकों की अनुपलब्धता, परिवहन संबंधी बाधा, मांग में कमी अनार्थिक प्रचालन आदि) और प्रत्येक कारण से कार्य अवरूद्ध दिवसों की संख्या।	कारण	दिवसों की सं.

5. औसत दैनिक रोजगार और संदत्त मजदूरी #:

कार्यस्थल	जिला		ठेके पर		कुल वेतन-मजदूरी(रु.)	
	पुरूष	स्त्री	पुरूष	स्त्री	सीधी भर्ती	ठेके पर
भूमि के नीचे						
विवृत						
भूमि के ऊपर						
कुल						

खनन स्थल पर खान और सम्बद्ध कारखाना, कर्मशाला या खनिज ड्रेसिंग संयंत्र के अनन्य सभी कर्मचारियों सहित

IndiaCode

भाग–2 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाए)

1. आरओएम उत्पादन

प्रवर्ग	मात्रा की इकाई	मात्रा
(क) विवृत खनिज		
(ख) भूमिगत खनिज		

2. उत्पादन, स्टॉक और प्रेषण

	रत्न का प्रकार				**औद्योगिक**		**अन्य**	
	अपरिष्कृत और अनकट रत्न		**कर्तन और परिस्कृत किए गए रत्न**					
	रत्नों की सं.	**मात्रा @**	**रत्नों की सं.**	**मात्रा @**	**रत्नों की सं.**	**मात्रा @**	**रत्नों की सं.**	**मात्रा @**
क .प्रारंभिक स्टॉक								
ख. उत्पादन								
i) विवृत खनिज से								
ii) भूमिगत खनिज से								
कुल (उत्पादन)								
ग. प्रेषण								
घ. अंतिम स्टॉक								
ड़. खान पर मूल्य(रु.)								

@ मात्रा की इकाई यथा-केरेटस /ग्राम/किग्रा आदि**,** यथा प्रयुक्त**,** मात्रा के नीचे उपदर्शित किया जाए ।

3. खान पर मूल्य (रु.-यूनिट) की गणना के लिए विक्रीत मूल्य में से की गई कटौतियों में ब्यौरे

दावे की गई कटौतियां	**राशि (रु.-यूनिट में)**	**टिप्पणियां**
क) परिवहन लागत (लदाई स्टेशन से खान की दूरी को टिप्पणियों में उपदर्शित)		
ख) लदाई और उतराई प्रभार		
ग) रेल भाडा, यदि लागू हो (गंतव्य का नाम और दूरी दर्शाएं)		
घ) पत्तन प्रचालन प्रभार-निर्यात शुल्क (पत्तन का नाम दर्शाएं)		

IndiaCode

ङ) प्रति चयन और विश्लेषण प्रभार		
च) वाड़ा यार्ड पर संयंत्र का किराया		
छ) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से दर्शाएं)		
कुल (क) से (छ)		

खपत प्रेषणों व खान पर हुई बिक्री के लिए लागू नहीं ।

4. देशी प्रयोजनों और निर्यात के लिए की बिक्री-प्रेषण

श्रेणी (*)	**प्रेषण की प्रकृति (कृपया स्पष्ट करें देशी बिक्री अथवा देशी स्थानांतरण अथवा खपत उपभोग अथवा निर्यात)**	**देशी प्रयोजनों के लिए**				**निर्यात के लिए**		
		क्रेता को आईबीएम द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या # #	**परेषिती का नाम # #**	**मात्रा**	**बिक्री मूल्य (रु.)**	**देश**	**मात्रा**	**एफओबी कीमत (रु.)**

*** अपरिष्कृत अनकट रत्नों, कट और पॉलिश किए गए रत्नों, औद्योगिक, अन्य**

यदि क्रेता एक से अधिक हो तो अलग विनिर्दिष्ट करें ।

टिप्पण: खान स्वामियों को ऊपर दर्शाए गए सभी श्रेणियों के देशी बिक्री मूल्य-एफओबी को बीजक की एक प्रति के साथ प्रमाणित करना होगा (विवरणी के साथ नहीं दिया जाना चाहिए, यथा आवश्यक प्रस्तुत की जाए)

5. पिछले मास की तुलना में चालू मास के दौरान उत्पादन में वृद्धि-कमीं-शून्य उत्पादन, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

क)

ख)

ग)

6.पिछले मास की तुलना में श्रेणीवार खान मूल्य में वृद्धि-कमी, यदि कोई हो, के कारण बताएं ।

क)

ख)

ग)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दी गई सूचना पूर्णतया सहीं और पूर्ण है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

IndiaCode

प्ररूप-छ 1

[नियम 45(5) (ग) (i) देखें]

वित्त वर्ष 01 अप्रैल, 20__ से 31 मार्च 20__

वार्षिक विवरणी

[ताम्र, स्वर्ण, सीसा, पायराइटस, टिन, टंगस्टन, जिंक और मूल्यवान व अपेक्षाकृत कम कीमती रत्न के अतिरिक्त खनिजों के लिए उपयोग किया जाए]

सेवा में,

(i) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरों,

-------- क्षेत्र

पिन :

(कृपया उस क्षेत्रीय खान नियंत्रक को संबोधित करें जिसके अधिकारिता में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई खाने आती है)

(ii) राज्य सरकार

भाग-1 (साधारण)

1. खान का ब्यौरा:	
(क) भारतीय खान ब्यूरों द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टाधारक-खान स्वामी का रजिस्ट्रीकरण नम्बर दें)	
(ख) खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ड़) इसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हो	
2. खान की अवस्थिति	
ग्राम	
डाकघर	
तहसील-ताल्लुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं. :	ई-मेल
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.

IndiaCode

3. पट्टाधारक-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई मेल सहित)			
पट्टाधारक-स्वामी का नाम			
पता			
जिला			
राज्य			
पिन कोड			
फैक्स सं.	ई-मेल :		
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.:		
4. पट्टाधारक का रजिस्ट्रीकरण कार्यालय :			
5. प्रभारी निदेशक :			
6. अभिकर्ता			
7. प्रबंधक			
8. खनन इंजीनियर प्रभारी			
9. भूवैज्ञानिक प्रभारी			
10. स्थानांतरक (पूर्व स्वामी), यदि कोई हो, और स्थानांतरण की तारीख			
11. प्रचालित क्षेत्र-पट्टे की विशिष्टियां (खनन कार्य एक से अधिक खानों में होने की स्थिति में सूचनाएं (i) से (vi) पर दें)			
(i) राज्य सरकार द्वारा आबंटित पट्टाधारक संख्या			
(ii) पट्टाधारकयुक्त क्षेत्र (हैक्टेयर) :			
वन अंतर्गत क्षेत्र			
वनरहित क्षेत्र			
कुल			
(iii) खनन पट्टाधारक विलेख निष्पादन की तारीख			
(iv) पट्टाधारक अवधि			
(v) सतही अधिकार प्राप्त क्षेत्र (हैक्टेयर)			
वन अंतर्गत क्षेत्र			
वनरहित क्षेत्र			
कुल			
(vi) नवीनीकरण की तारीख और अवधि (यदि लागू हो)			
(vii) एक ही पट्टाधारक क्षेत्र में एक से अधिक खानें होने पर खान और उत्पादित खनिज का नाम			
12.पट्टा क्षेत्र, वर्ष के अंत में उपयोग किया गया (सतही क्षेत्र) (हैक्टेयर)	वन अंतर्गत	वन रहित	कुल
(i) पूर्व दोहन एवं विवृत (ओ-सी) खनन द्वारा परित्यक्त क्षेत्र			

IndiaCode

(ii) चालू (ओ-सी) कार्यांतर्गत			
(iii) उद्धार-पुनर्वासित			
(iv) अपशिष्ट निस्तारण के लिए प्रयुक्त			
(v) पौधों, भवनों, रिहायशी क्षेत्र, कल्याण भवनों और मार्गों द्वारा अधिमांगी			
(vi) किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त (विशेष विनिर्दिष्ट करें)			
(vii) वर्ष के दौरान सतत खान बंदी प्रगति के अधीन किया गया कार्य			
13. स्वामित्व -खान की दोहन अभिकरण: (पब्लिक सेक्टर-प्राइवेट सेक्टर-संयुक्त सेक्टर)			

भाग-2 (सेवायोजन और मजदूरी)

1. खान पर नियुक्त पर्यवेक्षण कर्मचारिवृद की संख्या		
विवरण	पूर्णत: नियोजित	अंशत: नियोजित
(i) स्नातक खनन इंजीनियर		
(ii) डिप्लोमा खनन इंजीनियर		
(iii) भूवैज्ञानिक		
(iv) सर्वेक्षक		
(v) अन्य प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारिवृद		
कुल		
2.(i) खान में किए गए कार्य दिवसों की संख्या		
(ii) प्रतिदिन पालियों की संख्या		
(iii) वर्ष के दौरान खान में कार्य अवरूप होने के कारण (हडताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, श्रमिको की अनुपलब्धता, परिवहन संबंधी बाधा मांग में कमी अनार्थिक प्रचालन आदि) और प्रत्येक कारण से कार्य अवरूद्ध दिवसों की संख्या।	कारण	दिवसों की संख्या

IndiaCode

3.नियोजन और संदत्त वेतन-मजदूरी #:

वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन अधिकतम नियोजित व्यक्तियों की संख्या :

(i) भूमि के नीचे कार्य (तारीख).....(क) (संख्या).....

(ii) खान पर कार्य (तारीख).....(क) (संख्या).....

वर्गीकरण	वर्ष के दौरान किए गए कुल मानव दिवसों की कुल संख्या			वर्ष के दौरान किए गए कुल कार्य दिवसों की संख्या	औसत दैनिक नियोजित व्यक्तियों की संख्या			वर्ष के लिए संदत्त कुल मजदरी -वेतन (रु.)
	सीधे	ठेकेपर	कुल		पुरूष	स्त्री	कुल	
(1)	2(क)	2(ख)	2(ग)	(3)	4(क)	4(ख)	4(ग)	(5)
भूमि के नीचे								
विवृत								
भूमि के ऊपर								
कुल								

खनन स्थल पर खान और सम्बद्ध कारखाना, कर्मशाला या खनिज ड्रेसिंग संयंत्र के अनन्य सभी कर्मचारियों सहित

भाग-2 क (पूंजी संरचना)

1.स्थिर आस्तिया का मूल्य* (रु.....)

(खान सज्जीकरण संयंत्र क्रमांक खान कर्मशाला, ऊर्जा और जल स्थापन के संबंध में)

यदि यह सूचना किसी अन्य खान की विवरणी के साथ दी गई हो तो कृपया खान कोड-खान का नाम उल्लिखित करें

नाम :

वर्णन	वर्ष के प्रारंभ में (रु.)	वर्ष के दौरान अभिवर्द्धन गए अतिरिक्त(रु.)	वर्ष के दौरान विक्रीत अथवा तिरस्कृत गए (रु.)	वर्ष के दौरान अवक्षयण (रु.)	कुल अंतिम शेष (रु.) (2+3)-(4+5)	प्राक्कलित बाजार कीमत** (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
(i) भूमि ***						
(ii) भवन						
औद्योगिक						
आवासिक						
(iii) परिवहन उपकरण सहित संयत्र और मशीनरी						
(iv) उत्पादन पूर्व गवेषण, विकास, बडी मरम्मत और मशीनरी						

IndiaCode

आदि की मरम्मत के लिए किए गए पूंजीगत व्यय (जैसा कि आयकर अधिनियम में विहित किया गया है)						
कुल :						

* यदि स्थिर आस्तियां एक से अधिक खानों के लिए उभय-निष्ठ हो, इस प्रकार की सभी खानों के लिए संयुक्त सूचना किसी खान की विवरणी में दें। अन्य खानों की विवरणी में उस विशेष खान के लिए केवल एक प्रतिनिर्देश दिया जाए जहां संबंधित सूचना दी गई है।

** मदों (i),(ii) और (iii) के लिए वैकल्पिक, खान स्वामी की वांछा के अनुसार ।

*** भू अर्जन पर हुए किसी अनावर्ती व्यय सहित।

2. वित्तीय स्रोत (वर्ष के अंत में) :		
(i) संदत्त शेयर पूंजी (रु.)		
(ii) स्वयं पूंजी (रु.)		
(iii) रिजर्व और अधिशेष (सभी कर) (रु.)		
(iv) बकाया दीर्घकालिक उधार (#) (रु.)		
संस्था-स्रोत का नाम	ऋण राशि (रु.)	ब्याज की दर

IndiaCode

(#) ऋण देने वाले संस्थाओ जैसे राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास और अन्य पब्लिक निगम, सहकारी बैंकें, राष्ट्रीकृत बैंकें और अन्य स्रोतों के नाम और प्रत्येक स्रोत से उधार दी गई राशि और ब्याज की दर को विनिर्दिष्ट करें।

3. ब्याज और किराया (रु.)	
(i) वर्ष के दौरान संदत्त ब्याज	
(ii) वर्ष के दौरान संदत्त किराया (सतही किराया छोडकर)	

भाग-3 (सामग्री की खपत)

1. वर्ष के दौरान उपभोग किए गए माल की मात्रा और कीमत			
वर्णन	इकाई	मात्रा	मूल्य (रु.)
(i) ईंधन			
(क) कोयला	टन		
(ख)डीजल तेल	लीटर		
(ग)पेट्रोल	लीटर		
(घ) मिट्टी का तेल	लीटर		
(ङ) गैस	क्यू.मीटर		
(ii) स्नेहक			
(क) स्नेहक तेल	लीटर		

(ख) ग्रीस	किलोग्राम		
(iii) विद्युत			
(क) खपत	किलोवाट		
(ख) उत्सर्जित	किलोवाट		
(ग) विक्रय	किलोवाट		
(iv) विस्फोटक (भाग-4 में सभी ब्यौरे भरे)			
(v) टायर	संख्या		
(vi) इमारती लकडी और संबल			
(vii) ड्रिल रॉड्स एवं किट्स	संख्या		
(viii) अन्य अतिरिक्त पुर्जे एवं भंडार			

2. स्वामिस्व, किराया और को संदत्त डीएमएफ एवं एनएमईटी भुगतान (रु.):		
X	चालू वर्ष के लिए संदत्त	पिछले बकाया के लिए संदत्त
(क) स्वामिस्व		
(ख) विफल किराया		
(ग) सतह किराया		
(घ) डीएमएफ को संदत्त		
(ङ) एनएमईटी को संदत्त		
3. वर्ष के दौरान काटे गए वृक्षों के लिए संदत्त क्षतिपूर्ति (रु.)		
4. अवक्षयण स्थाई आस्तियां पर विवरण		

5. कर और उपकर		
X	वर्ष के दौरान संदत्त राशि	
X	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार
(i) विक्रय कर		
(ii) कल्याण उपकर		
(iii) अन्य कर एवं उपकर :-		
(क) खनिज उपकर		
(ख) विफल किराया पर उपकर		
(ग) अन्य (कृपया विवरण दें)		

IndiaCode

6. अन्य व्यय (रु.)	
(i) उपरिव्यय	
(ii) अनुरक्षण	
(iii) कर्मकार को संदत्त अन्य फायदों का धनमूल्य की कीमत	
(iv) वृत्तिक अभिकरण को संदत्त	

भाग-4 (विस्फोटकों की खपत)

मैग्जीन की अनुज्ञापित क्षमता: (किलोग्राम-टन-संख्या -मीटर का अलग से विनिर्दिष्ट करें)	**मद**	**इकाई**	**क्षमता**

विस्फोटकों का वर्गीकरण	इकाई	वर्ष के दौरान उपभुक्त मात्रा		अगले वर्ष के लिए प्रक्कलित अपेक्षा	
		लघु डायमीटर(32 एमएम तक)	बडा डायमीटर (32एमएम के ऊपर)	लघु डायमीटर(32 एमएम तक)	बडा डायमीटर (32एमएम के ऊपर)
1. गन पाउडर	कि ग्राम.				
2. नाईट्रेट मिश्रण	कि ग्राम.	X	X	X	X
क. लूज अमोनियम नाइट्रेट					
ख. कार्टेजज रूप में अमोनियम नाइट्रेट					
3. नाइट्रो कंपाउंड	कि ग्राम.				
4. तरल ऑक्सीजन सॉक्ड कार्टेजज	कि ग्राम.				
5. पतला विस्फोटक (विभिन्न व्यापारों का नाम दे)	कि ग्राम.				
6. डेटोनेटर	संख्या	X	X	X	X
i) साधारण					
ii) विद्युतीय		X	X	X	X
(क) साधारण					
(ख) विलंब					
7. फ्यूज	मीटर	X	X	X	X
(क) सूरजा फ्यूज					
(ख) डेटोनेटिंग फ्यूज					

IndiaCode

8. प्लास्टिक इग्नीशन कार्ड	मीटर				
9. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	(इकाई बताए)				

निर्माता के अनुदेश के अनुसार कि.ग्राम के समकक्ष भिगाया गया तरल ऑक्सीजल कट्रीज के विभिन्न आकार

भाग-5 (साधारण भूविज्ञान और खनन)

(मद 2 व 3 को प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए)

1. गवेषणा

1.(i) वर्ष के दौरान गवेषण गतिविधियां:

		वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान	संचयी	ग्रिड अंतरण-आयाम
वेधन	छिदों की संख्या				
	मीट्रीज				
पिटिंग	पिट की संख्या				
	उत्खनन (घन मीटर^3 में)				
ट्रेंचिंग	ट्रेंचों की संख्या				
	उत्खनन (धन मीटर^3 में				
	आच्छादित लम्बाई (मीटर में)				
गवेषण पर व्यय (रु.)					X

1.(ii) वर्ष के दौरान कोई अन्य गवेषण गतिविधि

2. **प्रक्कलित भंडार एवं संसाधन (टन में)**

वर्गीकरण	कोड	नवीनतम अनुमोदित खनन योजना-स्कीम के अनुसार वर्ष के आरंभ 01.4.20... में	वर्ष के दौरान आकलन	वर्ष के दौरान भंडार का रिक्तिकरण	31.03.20..... को शेष संसाधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4-5)
क.आरक्षित खनिज भंडार					
1.सबूत प्राप्त खनिज भंडार	111				
2. संभावित खनिज भंडार	121				
	122				
कुल आरक्षिति					
ख.शेष संसाधन					
1. साध्यता खनिज संसाधन	211				

IndiaCode

2.व्यवहार्यता पूर्व खनिज संसाधन	221				
	222				
3. मापित खनिज संसाधन	331				
4. इंगित खनिज संसाधन	332				
5. प्रक्कलित खनिज संसाधन	333				
6. आवीक्षण खनिज संसाधन	334				
7. कुल शेष संसाधन					
कुल (क+ख)					

3. उन्नयन-परित्यक्त खनिज (टन में)

(कट-ऑफ श्रेणी से कम और श्रेश होल्ड मूल्य से अधिक यदि निर्धारित किया गया हो, विद्यमान बिक्री मूल्य रहित उत्पन्न और राशिकृत-एकत्रित खनिज खंडों के संबंध में सूचना दी जाए)

उन्नयन-परित्यक्त खनिज का प्रचालन (टन में)	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान सृजन	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के दौरान कार्य क्षमता	सृजित अस्वीकार किए गए खनिज की औसत श्रेणी
असंसाधित अयस्क से					
संसाधित अयस्क से					

4. अति भारित और अपशिष्ट (मी^{3})

(श्रेश होल्ड मूल्य यदि निहित किया गया है, से कम उपरिभारित-परिशिष्ट और उत्पन्न खनिज खंडों के संबंध में सूचना दी जाएं)

वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान जनित	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के दौरान कार्य क्षमता	वर्ष के अंत में कुल

5. रोपित वृक्ष-जीवित दर

वर्णन	पट्टाधारक क्षेत्र के भीतर	पट्टाधारक क्षेत्र के बाहर
i) वर्ष के दौरान रोपित वृक्षों की संख्या		
ii) प्रतिशत में जीवन दर		
iii) वर्ष के अंत में वृक्षों की कुल सं.		

6. मशीनरी का प्रकार: उपयोग में आने वाले यथा होयस्ट, पंखे, ड्रिल, लोडर, एक्सेलेटर, डम्पर, होलेज, कन्वेयर, पम्प आदि मशीनरी के प्रकारों की निम्नलिखित सूचना दें।

IndiaCode

मशीनरी का प्रकार	मशीनरी की प्रत्येक इकाई की क्षमता	इकाई (जिसकी क्षमता ज्ञात है)	मशीनरी की संख्या	वैद्युती-गैर-वैद्युती (वर्णित करें)	खुली भूमिगत खानों में प्रयुक्त (विनिर्दिष्ट करें)

7.(i) खनिज उपचार संयंत्र का संक्षिप्त वर्णन यदि कोई है: लगाई गई मशीनीरी की क्षमता प्रक्रिया और उसकी उपलब्धता का संक्षित विवरण दें (संयंत्र की फ्लोशीट और मैटरियल बैलेंस संलग्न करें)

(ii) निम्नलिखित सूचना दें:

मद		टनेज	औसत श्रेणी
प्रतिपुष्टि:			
सांद्र-प्रक्रमित उत्पाद	नाम लिखें		
उप-उत्पाद-सह उत्पाद	नाम लिखें		
पछोड़न			

भाग-6 (उत्पादन प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग प्रस्तुत करें)

(मात्रा की इकाई टन में)

1. उत्पादित अयस्क का प्रकार :

(केवल लौह अयस्क हेतु लागू; जहां लागू हो, वहां सही चिन्ह करें)

(क) हेमेटाइट

(ख) मैग्नेटाइट

2. खान शीर्ष पर आरओएम अयस्क का उत्पादन एवं स्टॉक

श्रेणी	प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	अंतिम स्टॉक
(क) विवृत खनिज			
(ख) भूमि के नीचे			
(ग) क्षेपण कार्य			

3. (i) खान शीर्ष ($) से श्रेणीवार आरओएम अयस्क प्रेषण:

आरओएम का श्रेणी @	खान शीर्ष से प्रेषण	खान पर कीमत (रु.)

($): केवल लौह अयस्क एवं क्रोमाइट हेतु लागू। प्रेषण के अन्य खनिज आंकड़ों के लिए 3(ii) में सूचना दें।

IndiaCode

3 (ii) श्रेणीवार उत्पादन, प्रेषण, स्टॉक और खान पर मूल्य :

श्रेणियां **	खान-शीर्ष पर प्रारंभिक स्टॉक	उत्पादन	खान-शीर्ष से प्रेषण	खान-शीर्ष पर अंतिम स्टॉक	पूर्व खान पर कीमत (रु.-टन)

3 (iii) यदि खनिज को अपनी कारखाने में ही पीसा जा रहा है तो कृपया निम्न विशिष्टियां दें (*) :

श्रेणी**	पीसे खनिज की कुल मात्रा (टन में)	पिसा खनिज उत्पादन की कुल मात्रा (प्रत्येक मेश आकार के लिए)		वर्ष के दौरान बेचे गये पिसे खनिज की कुल मात्रा		
		मेश आकार	मात्रा (टन)	मेश आकार	मात्रा (टन)	कारखाना पर विक्रय मूल्य (रु.)

3(iv) चूर्ण की औसत लागत (*) : रु.---------- प्रति टन

(*) : लौह अयस्क, मैग्नीज अयस्क, बॉक्साइट और क्रोमाइट हेतु लागू नहीं ।

4. विक्रय मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त कटौती का ब्यौरा (खान मूल्य) (रु.-टन)

कटौती का दावा #	राशि (रूपए-टन)	टिप्पणियां
क) परिवहन की लागत (टिप्पणियों में लदान स्थल और खान से दूरी दर्शाए)		
ख) लदान और माल उतारने के प्रभार		
ग) रेल भाडा, यदि लागू हो तो (गंतव्य और दूरी दर्शाएं)		
घ) पोर्ट हथलाई प्रभार-निर्यात शुल्क (पोर्ट का नाम दर्शाएं)		
ड़) नमूना और विश्लेषण प्रभार		
च) स्टॉकिंग यार्ड में संयंत्र के लिए किराया		
छ) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से दर्शाएं)		
कुल (क) से (छ)		

#खपत प्रेषण और खान पर विक्रयों के लिए लागू नहीं ।

IndiaCode

5. देशी खपत और निर्यात के लिए की गई बिक्री-प्रेषण

श्रेणी (^)	प्रेषण का प्रकार (दर्शाए कि क्या बिक्री अथवा देशी हस्तांतरण अथवा गृहीत खपत अथवा निर्यात के लिए है)	देशी खपत के लिए				निर्यात के लिए		
		क्रेता को आईबीएम द्वारा यथाआबंटित रजिस्ट्रीकरण	प्रेषिती नाम ##	मात्रा	विक्रय मूल्य (रु.)	देश	मात्रा	एफओबी मूल्य (रु.)

(^)यथा अधोवर्णित अयस्क की श्रेणी दर्शाएं (देखे @ और **)

यदि क्रेता एक से अधिक है तो अलग-अलग दर्शाए ।

टिप्पण :- खान स्वामियों से उद्धत अयस्क के प्रत्येक श्रेणी के सतत देशी बिक्री मूल्य-एफओबीमूल्य को बीजक की प्रति से प्रमाणित करने की अपेक्षा की जाती है। (विवरणी के साथ प्रस्तुत न की जाए, यथा आवश्यक हो प्रस्तुत की जाए)

6. पिछले मास की तुलना में इस मास के दौरान उत्पादन-शून्य उत्पादन में वृद्धि-कमी के यदि कोई कारण हो तो दीजिए ।

क)

ख)

ग)

7. पिछले मास की तुलना में इस मास के दौरान, श्रेणीवार खान मूल्य में वृद्धि कमी यदि कोई हो तो दीजिए ।

क)

ख)

ग)

भाग-7: उत्पादन की लागत

उत्पादित अयस्क-खनिज की प्रतिटन उत्पादन लागत

क्रम सं.	मद	लागत प्रति टन (रु.)
(i)	प्रत्यक्ष लागत	
	(क) गवेषण	
	(ख) खनन	
	(ग) परिस्करण (केवल यांत्रिक)	
(ii)	उपरिलागत	
(iii)	अवक्षयण	
(iv)	ब्याज	
(v)	स्वामिस्व	
(vi)	डीएमएफ को दिया संदेय	

IndiaCode

(vii)	एनएमईटी को दिया संदेय	
(viii)	कर	
(ix)	विफल किराया	
(x)	अन्य (वर्णित करें)	
	कुल	

टिप्पण : यदि आवश्यक हो तो भाग-7 में रखी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा, तथापि सरकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वो पहचान अथवा फर्म के कार्य लागत को प्रकट किए बिना सधारण अध्ययन के लिए उपयोग कर सकती है।

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दी गई सूचनाएं सभी तरह से पूर्ण और सही है ।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

IndiaCode

@ प्रेषित किए गए आरओएम अयस्क की श्रेणी:

खनिज	**श्रेणियां**
लौह अयस्क	क) 51% Fe आरओएम से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe आरओएम से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe आरओएम से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe आरओएम से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe आरओएम से नीचे
	च) 62% से 65% Fe आरओएम से नीचे
	छ) 65% और Fe आरओएम से ऊपर
क्रोमाइट	क) 40% से Cr2O3 आरओएम से नीचे
	ख) 40% से 52%Cr2O3 आरओएम से नीचे
	ग) 52% Cr2O3 आरओएम से ऊपर

****उपरोक्त सारणियां में दिए गए खनिजों में सूचित किए जाने वाले खनिजों के श्रेणीयां निम्न सारणी में दिए गए है (यदि नीचे श्रेणीयां अलग से नहीं दिखाएं गए है, खनिज के नाम के समक्ष श्रेणी दर्शाएं)**

खनिज	**श्रेणीयां**
लौह अयस्क	**(i) एकमुश्त :**
	क) 51% Fe से नीचे

	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ङ) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(ii) फाइन्स :
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ङ) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(iii) सांद्रण
	(iv) केलीब्रेटिड लंप अयस्क (सीएलओ) (लंप्स के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन सूचित न की जाए)
	क) 62% Fe से नीचे (सीएलओ कोई भी आकार)
	ख) 62% से 65% Fe से नीचे (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	ग) 62% से 65% Fe से नीचे (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	घ) 62% से 65% Fe से नीचे (अन्य सीएलओ)
	ङ) 65% से Fe से ऊपर (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	च) 65% से Fe से ऊपर (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	छ) 65% Fe से ऊपर (अन्य सीएलओ)
मैग्नीज अयस्क	**(i) अयस्क**
	क) 25% Mn से नीचे
	ख) 25% से 35% Mn नीचे
	ग) 35% से 46% Mn नीचे
	घ) 46% से ऊपर Mn
	ङ) डायऑक्साइड अयस्क

IndiaCode

	(ii) सांद्रण
बॉक्साइट	**(i) एल्युमीना और एल्युमिनियम निष्कर्षण के प्रयोग के लिए** (कृपया निम्नलिखित श्रेणीयों की सीमा में आने वाले अयस्कों के वास्तविक औसत का विनिर्दिष्ट करें)
	क) 40% Al2O3 से नीचे
	ख) 40% से 45% से नीचे Al2O3
	ग) 45% से 50% से नीचे Al2O3
	घ) 50% से 55% से नीचे Al2O3
	ड़) 55% से 60% से नीचे Al2O3
	च) 60% से ऊपर Al2O3
	(ii) एल्युमीना और एल्युमिनियम के अतिरिक्त धातु निष्कर्षण के उपयोग के लिए
	क) सीमेंट
	ख) अब्रेसिव
	ग) रिफ्रेक्ट्री
	घ) रसायन
क्रोमाइट	**(i) एकमुश्त**
	क) 40% से नीचे Cr2O3
	ख) 40% से 52 % से नीचे Cr2O3
	ग) 52% से ऊपर Cr2O3
	(ii) **फाइंस**
	क) 40% से नीचे Cr2O3
	ख) 40% से 52 % नीचे Cr2O3
	ग) 52% से ऊपर Cr2O3
	(iii) सांद्रण
अबेस्टस	क) एम्फीबोल
	ख) क्राईसोटाइल
फ्लूराइट-फेलोस्पार	क) 80% से ऊपर CaF_2
	ख) 70% से 80% के नीचे CaF_2
	ग) 30% से 70% के नीचे CaF_2
	घ) 30% से नीचे CaF_2
ग्रेफाइट	क) 80% या उससे अधिक फिक्सड कार्बन के साथ
	ख) 40% या उससे अधिक परंतु 80% फिक्सड कार्बन से कम

IndiaCode

	ग) 20% या उससे अधिक परंतु 40% फिक्सड कार्बन से कम
	घ) 20% फिक्सड कार्बन से कम
कायनाइट	क) 40% और अधिक Al_2O_3
	ख) 40% Al_2O_3 से नीचे
चूनापत्थर	क) एलडी श्रेणी (1.5% सिलिका संधारिता से कम)
	ख)एसएमएस
	ग)बीएफ
	घ) रसायन
	ड़) सीमेंट
रॉक फॉस्फेट-फॉस्फोराइट	क) 30% P_2O_5 से ऊपर
	ख) 25% से 30% से ऊपर P_2O_5
	ग) 20% से 25% से ऊपर P_2O_5
	घ) 20% P_2O_5 तक

प्ररूप-छ 2

[नियम 45(5) (ग) (ii) देखें]

वित्त वर्ष 01 अप्रैल, 20__ से 31 मार्च 20__

वार्षिक विवरणी

[ताम्र, स्वर्ण, सीसा, पायराइटस, टिन, टंगस्टन, जिंक के लिए उपयोग किया जाए]

सेवा में,

(i) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरों,

-------- क्षेत्र

पिन :

(कृपया उस क्षेत्रीय खान नियंत्रक को संबोधित करें जिसके अधिकारिता में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई खाने आती है)

(ii) राज्य सरकार

भाग-1 (साधारण)

1. खान का ब्यौरा:	
(क) भारतीय खान ब्यूरों द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टाधारी-खान स्वामी का रजिस्ट्रीकरण नम्बर दें)	
(ख) खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	

(ड़) इसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हो	
2. खान की प्रास्थिति	
ग्राम	
डाकघर	
तहसील-ताल्लुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं. :	ई-मेल
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.
3. पट्टाधारक-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई मेल सहित)	
पट्टाधारक-स्वामी का नाम	
पता	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.	ई-मेल :
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.:
4. पट्टाधारक का रजस्ट्रीकृत कार्यालय :	
5. प्रभारी निदेशक :	
6. अभिकर्ता	
7. प्रबंधक	
8. खनन इंजीनियर प्रभारी	
9. भूवैज्ञानिक प्रभारी	
10. स्थानांतरक (पूर्व स्वामी), यदि कोई हो, और स्थानांतरण की तारीख	
11. प्रचालित क्षेत्र-पट्टे की विशिष्टताएं (खनन कार्य एक से अधिक खानों में होने की स्थिति में सूचनाएं (i) से (vi) पर दें)	
(i) राज्य सरकार द्वारा आबंटित पट्टाधारक संख्या	
(ii) पट्टाधारकयुक्त क्षेत्र (हैक्टेयर) :	
वन अंतर्गत क्षेत्र	
वनरहित क्षेत्र	

IndiaCode

कुल			
(iii) खनन पट्टाधारक विलेख निष्पादन की तारीख			
(iv) पट्टाधारक अवधि			
(v) सतही अधिकार प्राप्त क्षेत्र (हैक्टेयर)			
वन अंतर्गत क्षेत्र			
वनरहित क्षेत्र			
कुल			
(vi) नवीनीकरण की तारीख और अवधि (यदि लागू हो)			
(vii) एक ही पट्टाधारक क्षेत्र में एक से अधिक खानें होने पर खान और उत्पादित खनिज का नाम			
12.पट्टाधारक क्षेत्र, वर्ष के अंत में उपयोग किया गया (सतही क्षेत्र) (हैक्टेयर)	वन अंतर्गत	वन रहित	कुल
(i) पूर्व दोहन और विवृत (ओ-सी) खनन द्वारा परित्यक्त क्षेत्र			
(ii) चालू (ओ-सी) कार्यांतर्गत			
(iii) रिक्लेम्ड-पुर्नवासित			
(iv) अपशिष्ट निस्तारण के लिए उपयोग			
(v) पौधों, भवनों, निवासी क्षेत्र, कल्याण भवनों और मार्गों द्वारा अध्यसित			
(vi) किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त (विनिर्दिष्ट करें)			
(vii) वर्ष के दौरान सतत खान बंदी योजना के अधीन किया गया कार्य			
13. स्वामिस्व -खान की दोहन अभिकरण : (पब्लिक सैक्टर-प्राइवेट सेक्टर-संयुक्त सेक्टर)			

भाग-2 (नियोजन और मजदूरी)

1. खान पर नियुक्त पर्यवेक्षण कर्मचारिवृदं की संख्या		
विवरण	पूर्णत: नियोजित	अंशत: नियोजित
(i) स्नातक खनन इंजीनियर		
(ii) डिप्लोमा खनन इंजीनियर		
(iii) भूवैज्ञानिक		
(iv) सर्वेक्षण		
(v) अन्य प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारिवृद		
कुल		
2.(i) खान में किए गए कार्य दिवसों की संख्या		

IndiaCode

(ii)प्रतिदिन पालियों की संख्या		
(iii) वर्ष के दौरान खान में कार्य अवरूप होने के कारण (हडताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, श्रमिको की अनुपलब्धता, परिवहन संबंधी बाधा मांग में कमी अनार्थिक प्रचालन आदि) और प्रत्येक कारण से कार्य अवरूद्ध दिवसों की संख्या।	कारण	दिवसों की संख्या

3.नियोजन और संदत्त वेतन-मजदूरी #:

वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन अधिकतम नियोजित व्यक्तियों की संख्या :

(i) भूमि के नीचे कार्य (तारीख).....(क) (संख्या).....

(ii) खान पर कार्य (तारीख).....(क) (संख्या).....

वर्गीकरण	वर्ष के दौरान किए गए कुल मानव दिवसों की कुल संख्या			वर्ष के दौरान किए गए कुल कार्य दिवसों की संख्या	औसत दैनिक नियोजित व्यक्तियों की संख्या			वर्ष के लिए संदत्त कुल मजदरी -वेतन (रु.)
	सीधे	ठेके पर	कुल		पुरूष	स्त्री	कुल	
(1)	2(क)	2(ख)	2(ग)	(3)	4(क)	4(ख)	4(ग)	(5)
भूमि के नीचे								
विवृत								
भूमि के ऊपर								
कुल								

खनन स्थल पर खान और सम्बद्ध कारखाना, कर्मशाला या खनिज ड्रेसिंग संयंत्र के अनन्य सभी कर्मचारियों सहित

भाग-2 क (पूंजी संरचना)

1.स्थिर आस्तियों का मूल्य* (रु.....)

(खान परिष्करण संयंत्र क्रमांक खान कर्मशाला, ऊर्जा और जल स्थापन के संबंध में)

यदि यह सूचना किसी अन्य खान की विवरणी के साथ दी गई हो तो कृपया खान कोड-खान का नाम उल्लिखित करें

नाम :

वर्णन	वर्ष के प्रारंभ में (रु.)	वर्ष के दौरान जोड़े गए अतिरिक्त(रु.)	वर्ष के दौरान विक्रय प्रारंभिक या छोड़े गए (रु.)	वर्ष के दौरान अवक्षण (रु.)	कुल अंतिम शेष (रु.) (2+3)-(4+5)	प्राक्कलित बाजार मूल्य** (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
(i) भूमि ***						
(ii) भवन						
औद्योगिक						

IndiaCode

आवासी						
(iii)परिवहन उपकरण सहित संयत्र और मशीनरी						
(iv) उत्पादन पूर्व गवेषण, विकास, बडी मरम्मत और मशीनरी आदि की मरम्मत के लिए किए गए पूंजीगत व्यय (जैसा कि आयकर अधिनियम में निहित किया गया है)						
कुल :						

* यदि स्थिर आस्तियां एक से अधिक खानों के लिए उभय-निष्ठ हो, इस प्रकार की सभी खानों के लिए संयुक्त सूचना किसी खान की विवरणी में दें। अन्य खानों की विवरणी में उस विशेष खान के लिए केवल एक प्रतिसंदर्भ दिया जाए जहां संबंधित सूचना दी गई है।

** मदों (i),(ii) और (iii) के लिए वैकल्पिक, खान स्वामी की इच्छानुसार ।

*** भूमि अर्जन पर हुए किसी अनावर्ती व्यय सहित।

2. वित्तीय स्रोत (वर्ष के अंत में) :		
(i) संदत्त शेयर पूंजी (रु.)		
(ii) स्वयं पूंजी (रु.)		
(iii आरक्षित और अधिशेष (सभी प्रकार) (रु.)		
(iv) बकाया दीर्घावधि उधार (#) (रु.)		
संस्था-स्रोत का नाम	उधार राशि (रु.)	ब्याज की दर

(#) ऋण देने वाले संस्थाओ जैसे राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास और अन्य लोक निगम, सहकारिता बैंकें, राष्ट्रीकृत बैंकें और अन्य स्रोतों के नाम और प्रत्येक स्रोत से ऋण दी गई राशि और ब्याज की दर का विनिर्दिष्ट करें।

3. ब्याज और किराया (रु.)	
(i) वर्ष के दौरान संदत्त ब्याज	
(ii) वर्ष के दौरान संदत्त किराया (सतही किराया छोडकर)	

भाग-3 (सामग्री की खपत)

1. वर्ष के दौरान उपभोग किए गए माल की मात्रा और कीमत			
वर्णन	इकाई	मात्रा	मूल्य (रु.)
(i) ईंधन			
(क) कोयला	टन		

(ख)डीजल तेल	लीटर		
(ग)पेट्रोल	लीटर		
(घ) मिट्टी का तेल	लीटर		
(ङ) गैस	क्यू.मीटर		
(ii) स्नेहक			
(क) स्नेहक तेल	लीटर		
(ख) ग्रीस	किलोग्राम		
(iii) विद्युत			
(क) उपभोग	किलोवाट		
(ख) उत्सर्जित	किलोवाट		
(ग) विक्रय	किलोवाट		
(iv) विस्फोटक (भाग-4 में सभी विवरण भरे)			
(v) टायर	संख्या		
(vi) इमारती लकडी और संबल			
(vii) ड्रिल रॉड्स एवं किट्स	संख्या		
(viii) अन्य अतिरिक्त पुर्जे एवं भंडार			

IndiaCode

2. स्वामिस्व, किराया और को संदत्त डीएमएफ एवं एनएमईटी भुगतान (रु.) :		
X	चालू वर्ष के लिए संदत्त	पिछले बकाया के लिए संदत्त
(क) स्वामिस्व		
(ख) विफल किराया		
(ग) सतह किराया		
(घ) डीएमएफ को संदत्त		
(ङ) एनएमईटी को संदत्त		
3. वर्ष के दौरान काटे गए वृक्षों के लिए संदत्त क्षतिपूर्ति (रु.)		
4. स्थाई आस्तियों पर विवरण		

5. कर और उपकर		
X	वर्ष के दौरान संदत्त राशि	
X	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार

(i)बिक्री कर		
(ii) कल्याण उपकर		
(iii) अन्य कर और उपकर:-		
(घ) खनिज उपकर		
(ङ) विफल किराया पर उपकर		
(च) अन्य (कृपया विवरण दें)		
6. अन्य व्यय (रु.)		
(i) उपरिव्यय		
(ii) अनुरक्षण		
(iii) कर्मकार को संदत्त अन्य लाभों की कीमत		
(iv) वृत्तिक अभिकरणों को संदत्त		

भाग-4 (विस्फोटकों का उपभोग)

मैग्जीन की अनुज्ञापित क्षमता: (किलोग्राम-टन-संख्या -मीटर का अलग से विनिर्दिष्ट करें)	**मद**	**इकाई**	**क्षमता**

विस्फोटकों का वर्गीकरण	इकाई	वर्ष के दौरान उपभुक्त मात्रा		अगले वर्ष के लिए प्राक्कलित आवश्यकता	
		लघु डायमीटर(32 एमएम तक)	वृहद डायमीटर (32एमएम के ऊपर)	लघु डायमीटर(32 एमएम तक)	वृहद डायमीटर (32एमएम के ऊपर)
1. गन पाउडर	कि ग्राम.				
2. नाईट्रेट मिश्रण	कि ग्राम.	X	X	X	X
क. लूज अमोनियम नाइट्रेट					
ख. कार्टेजज रूप में अमोनियम नाइट्रेट					
3. नाइट्रो कंपाउंड	कि ग्राम.				
4. तरल ऑक्सीजन सॉक्ड कार्टेजज	कि ग्राम.				
5. पतला विस्फोटक (विभिन्न ट्रेडों का नाम दे)	कि ग्राम.				
6. डेटोनेटर	संख्या	X	X	X	X
i) साधारण					

IndiaCode

ii) विद्युतीय		X	X	X	X
(ग) साधारण					
(घ) विलंब					
7. फ्यूज	मीटर	X	X	X	X
(ग) सूरक्षा फ्यूज					
(घ) डेटोनेटिंग फ्यूज					
8. प्लास्टिक इग्नीशन कार्ड	मीटर				
9. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	(इकाई बताए)				

विनिर्माता के अनुदेश के अनुसार कि.ग्राम के समकक्ष भिगाया गया तरल ऑक्सीजल कट्रीज के विभिन्न आकार

भाग-5 (साधारण भूविज्ञान और खनन)

(मद 2 व 3 को प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए)

1. गवेषणा

1.(i) वर्ष के दौरान गवेषणा गतिविधियां:

		वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान	संचयी	ग्रिड अंतरण-आयाम
वेधन	छिदों की संख्या				
	मीट्रीज				
पिटिंग	पिट की संख्या				
	उत्खनन (घन मीटर^3 में)				
ट्रेंचिंग	ट्रेंचों की संख्या				
	उत्खनन (धन मीटर^3 में				
	आच्छादित लम्बाई (मीटर में)				
गवेषण पर व्यय (रु.)					X

1.(ii) वर्ष के दौरान कोई अन्य गवेषण क्रियाक्लाप

2. प्राक्कलित भंडार एवं संसाधन (टन में)

वर्गीकरण	कोड	वर्ष के आरंभ 01.4.2.0... में	वर्ष के दौरान आकलन	वर्ष के दौरान भंडार का रिक्तिकरण	31.03.20..... को शेष संसाधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4-5)
क.आरक्षित खनिज भंडार					
1.साबित खनिज भंडार	111				

IndiaCode

2. संभावित खनिज भंडार	121				
	122				
कुल आरक्षित					
ख.शेष संसाधन					
1. साध्यता खनिज संसाधन	211				
2.व्यवहार्यता पूर्व खनिज संसाधन	221				
	222				
3. मापित खनिज संसाधन	331				
4. इंगित खनिज संसाधन	332				
5. अनुमानित खनिज संसाधन	333				
6. आवीक्षण खनिज संसाधन	334				
7. कुल शेष संसाधन					
कुल (क+ख)					

3. उपश्रेणी-परित्यक्त खनिज (टन में)

(कट-ऑफ श्रेणी से कम और थ्रेश होल्ड मूल्य से अधिक यदि निर्धारित किया गया हो, मौजूदा बिक्री मूल्य रहित उत्पन्न और राशिकृत-एकत्रित खनिज खंडों के संबंध में सूचना दी जाए)

वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान सृजित	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के दौरान कार्य क्षमता	सृजित अस्वीकार किए गए खनिज की औसत श्रेणी

4. उपरि भारित और अपशिष्ट (मी^{3})

(थ्रेश होल्ड मूल्य यदि निर्धारित किया गया है, से कम उपरिभारित-परिशिष्ट और उत्पन्न खनिज खंडों के संबंध में सूचना दी जाएं)

वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान सृजित	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के दौरान कार्य क्षमता	वर्ष के अंत में कुल

5. रोपित वृक्ष-जीवित दर

वर्णन	पट्टाधारक क्षेत्र के भीतर	पट्टाधारक क्षेत्र के बाहर
i) वर्ष के दौरान रोपित वृक्षों की संख्या		
ii) प्रतिशत में जीवन दर		
iii) वर्ष के अंत में वृक्षों की कुल सं.		

IndiaCode

6. मशीनरी के प्रकार: उपयोग में आने वाले यथा होयस्ट, पंखे, ड्रिल, लोडर, एक्सेलेटर, डम्पर, होलेज, कन्वेयर, पम्प आदि मशीनरी के प्रकारों की निम्नलिखित सूचना दें।

मशीनरी का प्रकार	मशीनरी की प्रत्येक इकाई की क्षमता	इकाई (जिसकी क्षमता ज्ञात है)	मशीनरी की संख्या	वैद्युती-गैर-वैद्युती (वर्णित करें)	खुली भूमिगत खानों में प्रयुक्त (विनिर्दिष्ट करें)

7.(i) खनिज उपचार संयंत्र का विवरण यदि कोई है: लगाई गई मशीनीरी की क्षमता प्रक्रिया एवं उसकी उपलब्धता का संक्षित विवरण दें (संयंत्र की फ्लोशीट और मैटरियल बैलेंस संलग्न करें)

(ii) निम्नलिखित सूचना दें:

मद		टनेज	औसत श्रेणी
प्रतिपुष्टि:			
सांद्र-प्रक्रमित उत्पाद	नाम उल्लेख करें		
उप-उत्पाद-सह उत्पाद	नाम उल्लेख करें		
पछोड़न			

भाग-6 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए अलग से प्रस्तुत करें)

(मात्रा की इकाई टन में; यदि टन में नहीं तो इकाई दर्शाएं)

1. आरओएम अयस्क का उत्पादन और स्टॉक

	आरंभिक स्टॉक		उत्पादन		अंतिम स्टॉक	
	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी
क. भूमिगत कार्य से						
i) विकास से						
ii) भराव से						
ख.विवृत खनिज						
कुल						

2. उत्पादित अयस्क की खान पर कीमत (प्रति इकाई रु.) में :

3. सांद्रक-मिल-संयंत्र पर वसूलियां :

सांइक-संयंत्र में अयस्क का आरंभिक स्टॉक		खान से प्राप्त अयस्क		उचारित अयस्क	
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी

IndiaCode

सांद्रण * अभिप्राप्त			**अवशिष्ट**		**सांद्रक-संयंत्र पर सांद्रण का अंतिम स्टॉक**	
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मूल्य (रु.)	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी

* यदि निक्षालन पद्धति अपनाई गई है प्राप्त की गई मात्रा और श्रेणी का विनिर्दिष्ट अलग करें।

4. प्रगालक -मिल-संयंत्र पर वसूली :

प्रगालक-संयंत्र पर सांद्रणों का प्रारंभिक स्टॉक		**सांद्रक-संयंत्र से प्राप्त सांद्रण**		**अन्य स्रोतों से प्राप्त सांद्रण (विशेष विनिर्दिष्ट करें)**		**विक्रय किए गए सांद्रण (यदि कोई हों)**	
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी

उपचारित सांद्रण		स्मेल्टर-संयत्र पर सांद्रण का अंतिम स्टॉक		धातु**(*)** प्राप्त **(**वर्णित करें**)**			प्राप्त अन्य उप-उत्पाद यदि कोई हो		
मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	धातु मात्रा-श्रेणी	मात्रा	श्रेणी	कीमत (रु.)	मात्रा	श्रेणी	कीमत (रु.)

(*) कृपया श्रेणीवार ब्यौरा दें यथा ब्लिस्टर, फायर रिफाइंड ताम्र, कैथोड, इलैक्ट्रोलेटिक, ताम्र तार छडें, सीसा इंगोस्टस, जिंक कैथोड, जिंक ड्रोस, स्वर्ण, टंगस्टन आदि।

5. वर्ष के दौरान बिक्री :

धातु-उत्पाद	**धातु-उत्पाद का प्रारंभिक स्टॉक**		**विक्रय स्थान**	**बिक्री किए गए धातु-उत्पाद (@)**			**धातुओं-उत्पादों अंतिम स्टॉक**	
	मात्रा	श्रेणी		मात्रा	श्रेणी	कीमत(#) (रु.)	मात्रा	श्रेणी

टिप्पण: (#) संयंत्र पर बिक्री मूल्य दें।

(@) कृपया श्रेणीवार बेचे गए धातुओं और अन्य उत्पादों का ब्यौरा दें।

IndiaCode

6. खान पर (रु.-यूनिट) बिक्री मूल्य की गणना करने के लिए बिक्री मूल्य में से की गई कटौतियों का ब्यौरे :

की गई कटौतिया #	**राशि (रु.-यूनिट में)**	**टिप्पणियां**
क) परिवहन प्रभार (लदाई स्टेशन से खान की दूरी को टिप्पणी में दर्शाएं)		
ख) लदाई और उतराई प्रभार		
ग) रेलवे भाडा, यदि लागू हो (गंतव्य का नाम और दूरी दर्शाएं)		
घ) पत्तन प्रचालन प्रभार-निर्यात शुल्क (पत्तन का नाम उपदर्शित करें)		
ड़) प्रति चयन और विश्लेषण प्रभार		
च) स्टॉकिंग यार्ड पर प्लाट का किराया		
छ) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से दर्शाएं)		
कुल (क) से (छ)		

खपत प्रेषणों व खान पर हुई बिक्री के लिए लागू नहीं ।

7. देशी प्रयोजनों और निर्यात के लिए अयसक और सांद्रणों की बिक्री-प्रेषण :

श्रेणी (अयस्क-सांद्रण	**प्रेषण की प्रकृति (कृपया स्पष्ट करें देशी बिक्री अथवा देशी स्थानांतरण अथवा खपत उपभोग अथवा निर्यात)**	**देशी प्रयोजनों के लिए**				**निर्यात के लिए**		
		क्रेता को आईबीएम द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या ##	**परेषिती का नाम ##**	**मात्रा**	**बिक्री मूल्य (रु.)**	**देश**	**मात्रा**	**एफओबी कीमत (रु.)**

यदि क्रेता एक से अधिक हो तो अलग विनिर्दिष्ट करें ।

टिप्पण: खान स्वामियों को ऊपर दर्शाए गए सभी श्रेणियों के देशी बिक्री मूल्य-एफओबी को बीजक की एक प्रति के साथ उद्धृत करना होगा (विवरणी के साथ नहीं दिया जाना चाहिए, यथा आवश्यक प्रस्तुत की जाए)

8. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में वृद्धि-कमीं-शून्य उत्पादन, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

क)

ख)

9. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान श्रेणीवार खान मूल्य में वृद्धि-कमी, यदि कोई हो, के कारण बताएं

क)

ख)

IndiaCode

भाग-7 : उत्पादन की लागत

उत्पादित अयस्क-खनिज की प्रतिटन उत्पादन लागत

क्रम सं.	मद	लागत प्रति टन (रु.)
(i)	प्रत्यक्ष लागत	
	(क) गवेषण	
	(ख) खनन	
	(ग) परिष्करण (केवल यांत्रिक)	
(ii)	उपरिव्यय मूल्य	
(iii)	अवक्षयण	
(iv)	ब्याज	
(v)	स्वामिस्व	
(vi)	डीएमएफ को दिया संदेय	
(vii)	एनएमईटी को दिया संदेय	
(viii)	कर	
(ix)	विफल किराया	
(x)	अन्य (वर्णित करें)	
	कुल	

टिप्पण : यदि आवश्यक हो तो भाग-7 में रखी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा तथापि सरकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वो पहचान प्रारंभिकवा फर्म के कार्य लागत को उजागर किए बिना सधारण अध्ययन के लिए उपयोग कर सकती है।

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दी गई सूचनाएं सभी तरह से पूर्ण और सही है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

IndiaCode

प्ररूप-छ 3

[नियम 45(5) (ग) (iii) देखें]

वित्त वर्ष 01 अप्रैल, 20__ से 31 मार्च 20__

वार्षिक विवरणी

[बहूमूल्य और अर्द्धबहूमूल्य रत्नों के लिए उपयोग किया जाए]

सेवा में,

(i) क्षेत्रीय खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरों,

-------- क्षेत्र

पिन :

(कृपया उस क्षेत्रीय खान नियंत्रक को संबोधित करें जिसके क्षेत्राधिकारिता में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 1988 के नियम 62 के अधीन महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई खाने आती है)

(ii) राज्य सरकार

भाग-1 (साधारण)

1. खान का ब्यौरा:	
(क) भारतीय खान ब्यूरों द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (पट्टाधारी-खान स्वामी का रजिस्ट्रीकरण नम्बर दें)	
(ख) खान कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग) खनिज का नाम	
(घ) खान का नाम	
(ड़) इसी खान से उत्पादित अन्य खनिजों के नाम, यदि कोई हो	
2. खान की अवस्थिति	
ग्राम	
डाकघर	
तहसील-ताल्लुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं. :	ई-मेल
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.

IndiaCode

3. पट्टाधारक-स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई मेल सहित)	
पट्टाधारक-स्वामी का नाम	
पता	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स सं.:	ई-मेल :
दूरभाष सं. :	मोबाईल सं.:
4. पट्टाधारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय :	
5. प्रभारी निदेशक :	
6. अभिकर्ता	
7. प्रबंधक	
8. खनन इंजीनियर प्रभारी	
9. भूवैज्ञानिक प्रभारी	
10. स्थानांतरक (पूर्व स्वामी), यदि कोई हो, और स्थानांतरण की तारीख	
11. प्रचालित क्षेत्र-पट्टे की विशिष्टियां (खनन कार्य एक से अधिक खानों में होने की स्थिति में पट्टाधारकवार सूचनाएं (i) से (vi) पर दें)	
(i) राज्य सरकार द्वारा आबंटित पट्टाधारक संख्या	
(ii) पट्टाधारकयुक्त क्षेत्र (हैक्टेयर) :	
वन अंतर्गत क्षेत्र	
वनरहित क्षेत्र	
कुल	
(iii) खनन पट्टाधारक विलेख निष्पादन की तारीख	
(iv) पट्टाधारक अवधि	
(v) सतही अधिकार प्राप्त क्षेत्र (हैक्टेयर)	
वन अंतर्गत क्षेत्र	
वनरहित क्षेत्र	
कुल	
(vi) नवीनीकरण की तारीख और अवधि (यदि लागू हो)	
(vii) एक ही पट्टाधारक क्षेत्र में एक से अधिक खानें होने पर खान और उत्पादित खनिज का नाम	

IndiaCode

12.पट्टा क्षेत्र, वर्ष के अंत में उपयोग किया गया (सतही क्षेत्र) (हैक्टेयर)	वन अंतर्गत	वन रहित	कुल
(i) पूर्व दोहन एवं विवृत (ओ-सी) खनन द्वारा परित्यक्त क्षेत्र			
(ii) चालू (ओ-सी) कार्यांतर्गत			
(iii) उद्धार-पुनर्वासित			
(iv) अपशिष्ट निस्तारण के लिए प्रयुक्त			
(v) पौधों, भवनों, आवासन, कल्याण भवनों और मार्गों द्वारा अधिभोगी			
(vi) किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त (विशेष विनिर्दिष्ट करें)			
(vii) वर्ष के दौरान सतत खान बंदी योजना के अधीन किया गया कार्य			
13. स्वामित्व-खान की दोहन अभिकरण : (पब्लिक सेक्टर-प्राइवेट सेक्टर-संयुक्त सेक्टर)			

भाग-2 (नियोजन और मजदूरी)

1. खान पर नियुक्त पर्यवेक्षण कर्मचारिवृद की संख्या		
विवरण	पूर्णत: नियोजित	अंशत: नियोजित
(i) स्नातक खनन इंजीनियर		
(ii) डिप्लोमा खनन इंजीनियर		
(iii) भूवैज्ञानिक		
(iv) सर्वेक्षक		
(v) अन्य प्रशासनिक और तकनीकी पर्यवेक्षण कर्मचारिवृद		
कुल		
2.(i) खान में किए गए कार्य दिवसों की संख्या		
(ii) प्रतिदिन पालियों की संख्या		
(iii) वर्ष के दौरान खान में कार्य अवरूप होने के कारण (हडताल, तालाबंदी, भारी वर्षा, श्रमिको की अनुपलब्धता, परिवहन संबंधी बाधा मांग में कमी अनार्थिक प्रचालन आदि) और प्रत्येक कारण से कार्य अवरूद्ध दिवसों की संख्या।	कारण	दिवसों की संख्या

IndiaCode

3.नियोजन और संदत्त वेतन-मजदूरी #:

वर्ष के दौरान किसी भी एक दिन अधिकतम नियोजित व्यक्तियों की संख्या : (i) भूमि के नीचे कार्य (तारीख).....(क) (संख्या)..... (ii) खान पर कार्य (तारीख).....(क) (संख्या).....								
वर्गीकरण	वर्ष के दौरान किए गए कुल मानव दिवसों की कुल संख्या			वर्ष के दौरान किए गए कुल कार्य दिवसों की संख्या	औसत दैनिक नियोजित व्यक्तियों की संख्या			वर्ष के लिए संदत्त कुल मजदरी -वेतन (रु.)
	सीधे	ठेके पर	कुल		पुरूष	स्त्री	कुल	
(1)	2(क)	2(ख)	2(ग)	(3)	4(क)	4(ख)	4(ग)	(5)
भूमि के नीचे								
विवृत								
भूमि के ऊपर								
कुल								

खनन स्थल पर खान और सम्बद्ध कारखाना, कर्मशाला या खनिज ड्रेसिंग संयंत्र के अनन्य सभी कर्मचारियों सहित

भाग-2क (पूंजी संरचना)

1.नियत आस्तियों का मूल्य* (रु.....)

(खान सज्जीकरण संयंत्र क्रमांक खान कर्मशाला, ऊर्जा और जल स्थापन के संबंध में)

यदि यह सूचना किसी अन्य खान की विवरणी के साथ दी गई हो तो कृपया खान कोड-खान का नाम विनिर्दिष्ट करें

नाम :

वर्णन	वर्ष के प्रारंभ में (रु.)	वर्ष के दौरान अतिरिक्त (रु.)	वर्ष के दौरान विक्रय अथवा तिरस्कृत किए गए (रु.)	वर्ष के दौरान अवक्षयण (रु.)	कुल जमा शेष (रु.) (2+3)-(4+5)	प्राक्कलित बाजार मूल्य** (रु.)
1	2	3	4	5	6	7
(i) भूमि ***						
(ii) भवन						
औद्योगिक						
आवासन						
(iii)परिवहन उपकरण सहित संयत्र और मशीनरी						
(iv) उत्पादन पूर्व गवेषण, विकास, बडी मरम्मत और मशीनरी आदि की मरम्मत के						

IndiaCode

लिए किए गए पूंजीगत व्यय (जैसा कि आयकर अधिनियम में विहित किया गया है)						
कुल :						

* यदि स्थाई आस्तियों एक से अधिक खानों के लिए उभय-निष्ठ हो, इस प्रकार की सभी खानों के लिए संयुक्त सूचना किसी खान की विवरणी में दें। अन्य खानों की विवरणी में उस विशेष खान के लिए केवल एक प्रतिसंदर्भ दिया जाए जहां संबंधित सूचना दी गई है।

** मदों (i),(ii) और (iii) के लिए वैकल्पिक, खान स्वामी की वांछानुसार ।

*** भूमि अर्जन पर हुए किसी अनावर्ती व्यय सहित।

2. वित्तीय स्रोत (वर्ष के अंत में) :		
(i) संदत्त हिस्सा पूंजी (रु.)		
(ii) स्वयं पूंजी (रु.)		
(iii) आरक्षित और अधिशेष (सभी कर) (रु.)		
(iv) बकाया दीर्घकालिक उधार (#) (रु.)		
संस्था-स्रोत का नाम	उधार राशि (रु.)	ब्याज की दर

(#) ऋण देने वाले संस्थाओं जैसे राज्य वित्त निगम, औद्योगिक विकास अन्य लोक निगम, सहकारिता बैंकें, राष्ट्रीकृत बैंकें और अन्य स्रोतों के नाम और प्रत्येक स्रोत से ऋण दी गई राशि और ब्याज की दर का विनिर्दिष्ट करें।

3. ब्याज और किराया (रु.)	
(i) वर्ष के दौरान संदत्त ब्याज	
(ii) वर्ष के दौरान संदत्त किराया (सतही किराया छोडकर)	

भाग-3 (सामग्री की खपत)

1. वर्ष के दौरान उपभोग किए गए माल की मात्रा और कीमत			
वर्णन	इकाई	मात्रा	मूल्य (रु.)
(i) ईंधन			
(क) कोयला	टन		
(ख)डीजल तेल	लीटर		
(ग)पेट्रोल	लीटर		
(घ) मिट्टी का तेल	लीटर		
(ङ) गैस	क्यू.मीटर		
(ii) स्नेहक			
(क) स्नेहक तेल	लीटर		
(ख) ग्रीस	किलोग्राम		

(iii) विद्युत			
(क) उपभोग	किलोवाट		
(ख) उत्सर्जित	किलोवाट		
(ग) विक्रय	किलोवाट		
(iv) विस्फोटक (भाग-4 में सभी विवरण भरे)			
(v) टायर	संख्या		
(vi) इमारती लकडी और संबल			
(vii) ड्रिल रॉड्स एवं किट्स	संख्या		
(viii) अन्य पुर्जे एवं भंडार			

2. स्वामिस्व, किराया और को संदत्त डीएमएफ एवं एनएमईटी भुगतान (रु.) :		
X	चालू वर्ष के लिए संदत्त	पिछले बकाया के लिए संदत्त
(क) स्वामिस्व		
(ख) विफल किराया		
(ग) सतह किराया		
(घ) डीएमएफ को संदत्त		
(ड़) एनएमईटी को संदत्त		
3. वर्ष के दौरान काटे गए वृक्षों के लिए संदत्त क्षतिपूर्ति (रु.)		
4. स्थाई आस्तियों पर विवरण		

5. कर और उपकर		
X	वर्ष के दौरान संदत्त राशि	
X	केंद्र सरकार	राज्य सरकार
(i)बिक्री कर		
(ii) कल्याण उपकर		
(iii) अन्य कर एवं उपकर :-		
(छ) खनिज उपकर		
(ज) विफल किराया पर उपकर		
(झ) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट दें)		

IndiaCode

6. अन्य व्यय (रु.)	
(i) उपरिव्यय	
(ii) अनुरक्षण	
(iii)कर्मचारी को संदत्त अन्य फायदो का मूल्य	
(iv) वृत्तिक अभिकरणों को संदत्त	

भाग-4 (विस्फोटकों का उपभोग)

मैग्जीन की अनुज्ञापित क्षमता: (किलोग्राम-टन-संख्या -मीटर का अलग से विनिर्दिष्ट करें)	**मद**	**इकाई**	**क्षमता**

विस्फोटकों का वर्गीकरण	इकाई	वर्ष के दौरान उपभुक्त मात्रा		अगले वर्ष के लिए प्राक्कलित अपेक्षा	
		लघु डायमीटर(32 एमएम तक)	वृहद डायमीटर (32 एमएम के ऊपर)	लघु डायमीटर(32 एमएम तक)	वृहद डायमीटर (32एमएम के ऊपर)
1. गन पाउडर	कि ग्राम.				
2. नाईट्रेट मिश्रण	कि ग्राम.	X	X	X	X
क. लूज अमोनियम नाइट्रेट					
ख. कार्टेजज रूप में अमोनियम नाइट्रेट					
3. नाइट्रो कंपाउंड	कि ग्राम.				
4. तरल ऑक्सीजन सॉक्ड कार्टेजज	कि ग्राम.				
5. पतला विस्फोटक (विभिन्न ट्रेडों का नाम दे)	कि ग्राम.				
6. डेटोनेटर	संख्या	X	X	X	X
i) साधारण					
ii) विद्युतीय		X	X	X	X
(ङ) साधारण					
(च) विलंब					
7. फ्यूज	मीटर	X	X	X	X
(ङ) सूरक्षा फ्यूज					
(च) डेटोनेटिंग फ्यूज					
8. प्लास्टिक इग्नीशन कार्ड	मीटर				
9. अन्य (वर्णित करें)	(इकाई बताए)				

विनिर्माता के अनुदेश के अनुसार कि.ग्राम के समकक्ष भिगाया गया तरल ऑक्सीजल कट्रीज के विभिन्न आकार

IndiaCode

भाग-5 (साधारण भूविज्ञान और खनन)

(मद 2 व 3 को प्रत्येक खनिज के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाए)

1. गवेषणा

1.(i) वर्ष के दौरान गवेषणा गतिविधियां:

		वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान	संचयी	ग्रिड अंतरण-आयाम
वेधन	छिदों की संख्या				
	मीट्रीज				
पिटिंग	पिट की संख्या				
	उत्खनन (घन मीटर^3 में)				
ट्रेंचिंग	ट्रेंचों की संख्या				
	उत्खनन (धन मीटर^3 में				
	आच्छादित लम्बाई (मीटर में)				
गवेषणा पर व्यय (रु.)					X

1.(ii) वर्ष के दौरान कोई अन्य गवेषण गतिविधि

2. प्राक्कलित भंडार और संसाधन (टन में)

वर्गीकरण	कोड	वर्ष के आरंभ 01.4.2.0... में	वर्ष के दौरान आकलन	वर्ष के दौरान भंडार का रिक्तिकरण	31.03.20..... को शेष संसाधन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3+4-5)
क.आरक्षित खनिज भंडार					
1.सबूत किए गए खनिज भंडार	111				
2. संभावित खनिज भंडार	121				
	122				
कुल रिजर्व					
ख.शेष संसाधन					
1. साध्यता खनिज संसाधन	211				
2.व्यवहार्यता पूर्व खनिज संसाधन	221				
	222				
3. मापित खनिज संसाधन	331				
4. इंगित खनिज संसाधन	332				
5. अनुमानित खनिज संसाधन	333				

IndiaCode

6. आवीक्षण खनिज संसाधन	334				
7. कुल शेष संसाधन					
कुल (क+ख)					

3. उपश्रेणी-परित्यक्त खनिज (टन में)

(कट-ऑफ श्रेणी से कम और श्रेश होल्ड मूल्य से अधिक यदि निर्धारित किया गया हो, मौजूदा बिक्री मूल्य रहित उत्पन्न और राशिकृत-एकत्रित खनिज खंडों के संबंध में सूचना दी जाए)

वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान प्रचालन	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के दौरान कार्य क्षमता	सृजित अस्वीकार किए गए खनिज की औसत श्रेणी

4. उपरि भारित और अपशिष्ट (मी^{3})

(श्रेश होल्ड मूल्य यदि निर्धारित किया गया है, से कम उपरिभारित-परिशिष्ट और उत्पन्न खनिज टुकडों के संबंध में सूचना दी जाएं)

वर्ष के आरंभ में	वर्ष के दौरान सृजित	वर्ष के दौरान निस्तारण	वर्ष के दौरान कार्य क्षमता	वर्ष के अंत में कुल

5. रोपित वृक्ष-जीवित दर

विवरण	पट्टाधारक क्षेत्र के भीतर	पट्टाधारक क्षेत्र के बाहर
i) वर्ष के दौरान रोपित वृक्षों की संख्या		
ii) प्रतिशत में जीवन दर		
iii) वर्ष के अंत में पेड़ों की कुल सं.		

6. मशीनरी के प्रकार: उपयोग में आने वाले यथा होयस्ट, पंखे, ड्रिल, लोडर, एक्सेलेटर, डम्पर, होलेज, कन्वेयर, पम्प आदि मशीनरी के प्रकारों की निम्नलिखित सूचना दें।

मशीनरी का प्रकार	मशीनरी की प्रत्येक इकाई की क्षमता	इकाई (जिसकी क्षमता ज्ञात है)	मशीनरी की संख्या	वैद्युती-गैर-वैद्युती (वर्णित करें)	खुली भूमिगत खानों में प्रयुक्त (वर्णित करें)

7.(i) खनिज उपचार संयंत्र का विवरण यदि कोई है: लगाई गई मशीनरी की क्षमता प्रक्रिया और उसकी उपलब्धता का संक्षित विवरण दें (संयंत्र की फ्लोशीट और सामग्री तुलन संलग्न करें)

(ii) निम्नलिखित सूचना दें:

मद		टनेज	औसत श्रेणी
प्रतिपुष्टि:			
सांद्र-प्रक्रमित उत्पाद	नाम उल्लेख करें		

उप-उत्पाद-सह उत्पाद	नाम उल्लेख करें		
पछोड़न :			

भाग–6 (उत्पादन, प्रेषण और स्टॉक)

(प्रत्येक खनिज के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाए)

1. आरओएम उत्पादन

श्रेणी	मात्रा की इकाई	मात्रा
(क) विवृत खनिज		
(ख) भूमिगत खनिज		

2. उत्पादन, स्टॉक और प्रेषण

	रत्न का प्रकार				औद्योगिक		अन्य	
	अपरिष्कृत और अनकट पत्थर		कर्तन एंड परिष्कृत किए गए पत्थर					
	रत्नों की सं.	मात्रा @	रत्नों की सं.	मात्रा @	रत्नों की सं.	मात्रा @	रत्नों की सं.	मात्रा @
क .प्रारंभिक स्टॉक								
ख. उत्पादन								
i) विवृत कार्य से								
ii) भूमिगत कार्य से								
कुल (उत्पादन)								
ग. प्रेषण								
घ. अंतिम स्टॉक								
ड़. खान बाह्य मूल्य (रु.)								

@ मात्रा की इकाई यथा केरेटस -ग्राम-किग्रा आदि, यथा प्रयुक्त, मात्रा के नीचे अंकित किया जाए

3. खान बाह्य मूल्य (रु.-यूनिट) की गणना के लिए बिक्री मूल्य में से की गई कटौतियों के ब्यौरे

दावे में की गई कटौतियां	राशि (रु.-यूनिट में)	टिप्पणी
क) परिवहन प्रभार (लदाई स्टेशन से खान की दूरी को टिप्पणी में दर्शाएं)		
ख) लदाई और उतराई प्रभार		
ग) रेल भाडा, यदि लागू हो (गंतव्य का नाम और दूरी दर्शाएं)		
घ) पत्तन प्रचालन प्रभार-निर्यात शुल्क (पत्तन का नाम दर्शाएं)		

IndiaCode

ड़) प्रति चयन और विश्लेषण प्रभार		
च) स्टॉकिंग यार्ड पर प्लाट का किराया		
छ) अन्य प्रभार (स्पष्ट रूप से दर्शाएं)		
कुल (क) से (छ)		

खपत प्रेषणों व खान बाह्य हुई बिक्री के लिए लागू नहीं।

4. देशी प्रयोजनों और निर्यात के लिए अयस्क और सांद्रणों की बिक्री-प्रेषण

श्रेणी (*)	प्रेषण की प्रकृति (कृपया स्पष्ट करें देशी बिक्री अथवा देशी स्थानांतरण अथवा खपत उपभोग अथवा निर्यात)	देशी प्रयोजनों के लिए				निर्यात के लिए		
		क्रेता को आईबीएम द्वारा आबंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या **##**	परेषिती का नाम **##**	मात्रा	बिक्री मूल्य (रु.)	देश	मात्रा	एफओबी कीमत (रु.)

* अपरिष्कृत अनकट रत्नों, कट और पॉलिश किए गए बहूमल्य रत्नों, औद्योगिक, अन्य

यदि क्रेता एक से अधिक हो तो अलग विनिर्दिष्ट करें।

टिप्पण: खान स्वामियों को ऊपर दर्शाए गए सभी श्रेणियों के देशी बिक्री मूल्य-एफओबी को बीजक की एक प्रति के साथ प्रमाणित करना होगा (विवरणी के साथ नहीं दिया जाना चाहिए, यथा आवश्यक प्रस्तुत की जाए)

5. पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान उत्पादन में वृद्धि-कमी-शून्य उत्पादन, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

क)

ख)

6.पिछले वर्ष की तुलना में श्रेणीवार खान मूल्य में वृद्धि-कमी, यदि कोई हो, के कारण बताएं

क)

ख)

भाग- 7: उत्पादन की लागत

उत्पादित अयस्क-खनिज की प्रतिटन उत्पादन लागत

क्रम सं.	मद	लागत प्रति टन (रु.)
(i)	प्रत्यक्ष लागत	
	(क) गवेषण	
	(ख) खनन	
	(ग) परिष्कृत (केवल यांत्रिक)	

IndiaCode

(ii)	उपरिव्यय लागत	
(iii)	मूल्य ह्रास	
(iv)	ब्याज	
(v)	स्वामिस्व	
(vi)	डीएमएफ को दिया संदेय	
(vii)	एनएमईटी को दिया संदेय	
(viii)	कर	
(ix)	विफल किराया	
(x)	अन्य (वर्णित करें)	
	कुल	

टिप्पण : यदि आवश्यक हो तो भाग-7 में रखी गई सूचना को गोपनीय रखा जाएगा तथापि सरकार को यह स्वतंत्रता होगी कि वो पहचान प्रारंभिकवा फर्म के कार्य लागत को प्रकट किए बिना सधारण अध्ययन के लिए उपयोग कर सकती है।

सत्यापन

मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दी गई सूचनाएं सभी तरह से पूर्ण एवं सही है ।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्रपत्र-ज

अध्याय 1 (कुछ नियुक्ति - त्यागपत्र - समाप्ति - पतों के परिवर्तन की नोटिस)

(**नियम** 46 **देखें)**

प्ररुप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **किसी अभिकर्ता, खनन इंजीनियर, भूतत्ववेत्ता या प्रबंधक की नई नियुक्ति या नियोजन की समाप्ति या पते में परिवर्तन होने के पंद्रह दिनों के भीतर, इस प्रपत्र को सम्यक भर कर, नियम में निर्धारित अनुसार ऑनलाइन या ई-मेल के द्वारा संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए ।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अधीन, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्ररुप पर संबंधित व्यक्ति के डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **आईबीएम पंजीकरण संख्या**
2. **खनिज रियायत का प्रकार** आरपी (o)- पीएल (o)- पीएल-सह-एमएल (o)- एमएल(o)
3. **आरपी- पीएल- पीएल-सह-एमएल की**

अद्वितीय संख्या

4. **खनन पट्टा कोड**

5. **खान कोड**

6. **खनिज रियायत धारक का**

नाम और पता

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 3 से सहबद्ध।)

7. **खनिज रियायत की विशिष्टियां**

(सूचना प्रणाली से उत्पन्न होगी। प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 5 और 6 साथ सहबद्ध।)

8. **खनन पट्टे का स्थान**

(सूचना प्रणाली से उत्पन्न होगी। प्रपत्र 'ट' की प्रविष्टि 5 और 6 साथ जुड़ी।)

9. **कृपया संकेत करें कि नोटिस किस संबंध में दी गई है**:

(क) नई नियुक्ति

(ख) त्यागपत्र - नियोजन की समाप्ति

(ग) **पते में परिवर्तन**:

10. **एजेंट-खनन अभियंता-भूतत्ववेत्ता-प्रबंधक की नियुक्ति के संबंध में, कृपया संकेतित कर**

नाम	पद नाम	पता	अर्हता	विश्वविद्यालय - संस्थान जहां से उत्तीर्ण हुए हों	ई-मेल	मोबाइल नंबर	नियुक्ति की तारीख

11. **एक खनन इंजीनियर या भूतत्ववेत्ता की नियुक्ति है तो, कृपया संकेत करें:**

(कृपया जहाँ प्रयोज्य हो, सही का निशान लगाएं)

(i) नियुक्ति कैसी है: पूर्णकालिक

अंशकालिक

(ii) अन्य सभी खानों- पूर्वेक्षण अनुज्ञपितयों का नाम, स्थान और स्वामित्व, जिनका वह पर्यवेक्षण करेगा:

12. **अभिकर्ता-खनन इंजीनियर- भूतत्ववेत्ता-प्रबंधकके नियोजन से त्यागपत्र-बर्खास्तगी के मामले में, कृपया इंगित करें**:

नाम	पद नाम	नियोजन से त्यागपत्र-बर्खास्तगी की तारीख

(मामले में इस प्रकार हुई रिक्ति को भर दिया गया है, कॉलम 7 और 9 (क) उसका विवरण प्रस्तुत करें)

IndiaCode

13. **पट्टा धारक - अभिकर्ता - खनन इंजीनियर - भूतत्ववेत्ता - प्रबंधक के पते के परिवर्तन के मामले में, कृपया संकेतित करें**:

नाम	पद नाम	वर्तमान पता	पते में परिवर्तन की तारीख

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पद नाम: मालिक-अभिकर्ता-खनन इंजीनियर-प्रबंधक

प्रपत्र-झ

(गाड़े जाने वाले शाफ्ट और बोरहोल की सूचना)

(नियम 47 देखें)

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **शाफ्ट-बोरहोल गाड़ना आरंभ करने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियम में निर्धारित अनुसार इस प्ररुप में सम्यक भर कर ऑनलाइन या ई-मेल के द्वारा संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँचना चाहिए।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्रपत्र पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **खनिज रियायत का प्रकार—** **खनन पट्टा** ◎
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित ◎
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -सह-खनन पट्टा ◎

2. **आईबीएम रिजस्ट्रीकरण संख्या** []

3. **अद्वितीय आईबीएम रियायत संख्या** **पूर्वेक्षण अनुज्ञपित** []
 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -सह-खनन पट्टा []

4. **खनन पट्टा कोड** []

5. **खान कोड** []

6. **खनिज या खनिजों का नाम जिसके लिए गवेक्षणा परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा प्रदान किया गया है:**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररुप 'ट'की प्रविष्टि 5 और 6 से सहबद्ध।)

7. **परमिट धारक या अनुज्ञपितधारी का नाम और पता:**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररूप 'ट'की प्रविष्टि 4 और 5 से सहबद्ध।)

IndiaCode

8. **खनिज रियायत की विशिष्टियां**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररुप 'ट'की प्रविष्टि 4 और 5 से सहबद्ध।)

9. **खनिज रियायत का प्रास्थिति**

(सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्ररुप 'ट'की प्रविष्टि 4 और 5 से सहबद्ध।)

10. **गाड़े या विस्तार किए जाने वाले शाफ्ट-बोरहोलों की संख्या**

(शाफ्ट-बोरहोलों के निर्धारित स्थान सहित कम से कम

1 सेंटीमीटर = 40 मीटर के पैमाने पर एक योजना संलग्न करें) _____

11. **जिस प्रयोजन के लिए प्रत्येक शाफ्ट - बोरहोल को गाड़ा**

या विस्तारित किया जा रहा है। _____

12. **विचारित शाफ्ट (टों) के प्रकार किया और उसके - उनके आयाम** _____

13. **अवलोकित ड्रिलों के प्रकार और प्राप्त अयस्क का आकार ।** _____

14. **शाफ्ट-बोरहोलों की गहराई की अपेक्षित सीमा** _____

15. **क्या शाफ्ट-बोरहोलों जमीन के नीचे लगाए जाने हैं**

स्तर की गहराई जिस पर शाफ्ट-बोरहोल गाड़े जाने हैं। _____

16. **अभियान के प्रभारी भूतत्ववेत्ता या**

खनन इंजीनियर का नाम और योग्यता _____

17. **शाफ्ट-बोरहोलों को गाड़ने का प्रचालन आरंभ करने**

की प्रस्तावित तारीख

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पद नाम: स्वामी-भूतत्ववेत्ता-खनन इंजीनियर

IndiaCode

प्ररुप-अ

(प्रत्येक बोर होल - गड्ढे - शाफ्ट के संबंध में ब्यौरा दर्ज किया जाएगा)

[**नियम** 48 (1) **देखें**]

1. **खनिज रियायत का प्रकार—** **खनन पट्टा** ◎

पूर्वेक्षण अनुज्ञपित ◎

पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा ◎

2. **आईबीएम रजिस्ट्रीकरण संख्या**

3. **अद्वितीय आईबीएम रियायत संख्या** **पूर्वेक्षण अनुज्ञपित**

पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा

4. **खनन पट्टा कोड**

5. **खान कोड**

6. **खनिज या खनिजों का नाम जिनके लिए गवेक्षण परमिट या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित या पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा प्रदान किया गया है:**

(सूचना प्रणाली से सृजत होगी। प्ररूप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 साथ सहबद्ध।)

7. **खनिज रियायत धारक का नाम और पता**

(सूचना प्रणाली से सृजत होगी। प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 साथ सहबद्ध।)

8. **खनिज रियायत का विवरण**

(सूचना प्रणाली से सृजत होगी। प्ररूप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 साथ सहबद्ध।)

9. **खनिज रियायत का स्थान**

(सूचना प्रणाली से सृजत होगी। प्ररूप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 साथ सहबद्ध।)

10. **ड्रिल का प्रकार और मेक तथा अयस्कों का प्रकार** _____

11. **गड्ढों-बोरहोलों की संख्या और स्थान**

(क) बोरहोल - गड्ढे के कॉलर पर घटाया गया स्तर। _____

(ख) छेद का झुकाव और ढलान _____

(ग) गठन की ऊंचाई _____

12. **गड्ढों-छेदों की अवधि**

(क) **आरंभ की तारीख** _____

(ख) **पूरा होने की तारीख** _____

(ग) बोरहोल-गड्ढे-शाफ्ट की कुल लंबाई _____

(घ) छेद-गड्ढे-शाफ्ट का उद्देश्य: _____

(ङ) परिचालन का कुल व्यय **(**रु. में**.)**: _____

IndiaCode

(च) प्रतिच्छेदन का ब्यौरा (नीचे दिए गए रूप में):

क्रम सं.	चलने के विवरण				बोर-गड्ढे-शाफ्ट का आकार	कोर की वसूली का प्रतिशत	अश्म-विज्ञान	विश्लेषण का विवरण (प्रमुख कण क ख ग घ)	टिप्पणियां
	से (मीटर में)	तक (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	सही चौड़ाई (मीटर में)					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पदनाम: स्वामी-भूतत्ववेत्ता-खनन इंजीनियर

प्ररूप-ट

(खनन या पूर्वेक्षणा या गवेक्षणा संचालन, या व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग करने या खनिज के निर्यात के लिए एमसीडीआर के नियम 45 अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन)

[**नियम** 45 (1) **देखें**]

प्ररूप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- अगर रजिस्ट्रीकरण के बाद किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन होता है, तो प्ररुप को उस प्रकार अद्यतित किया जा सकता है और तदनुसार महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के बारे में सूचित किया जाएगा।
- आवेदन भारतीय खान ब्यूरो के संबद्ध क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से फाइल किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वह राज्य या संघ शासित प्रदेश आता है, जिसमें खनन या पूर्वेक्षण या गवेक्षणा परिचालन या व्यापार या भंडारण या अंतिम उपयोग या खनिज का निर्यात किया जा सकता है।
- प्रपत्र पर संबंधित अधिकारी के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए

1. **आवेदक का प्रवर्ग**: (कृपया नीचे सही का चिह्न लगाएं)

 - o व्यष्टिक
 - o व्यष्टिको का संगम
 - o फर्म
 - o कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण की गई कंपनी ।

2. **कारबार - क्रियाकलाप के प्रकार:** (कृपया नीचे दिए गए विकल्पों पर निशान लगाएं, कई विकल्पों के चयन की अनुज्ञा है)

 - o गवेक्षणा
 - o पूर्वेक्षण
 - o खनन
 - o खनिजों का व्यापार
 - o खनिजों का भंडारण
 - o खनिजों के अंतिम उपयोगकर्ता (आबद्ध खान से खपत सहित)
 - o खनिजों का निर्यात (आईई कोड का उल्लेख करें)

IndiaCode

3. आवेदक का ब्यौरा:

(कृपया सरकारी कंपनी () या अन्य () चिह्नित करें।

(क) व्यष्टिक आवेदक के मामले में *(स्वामी, अभिकर्ता, खनन इंजीनियर या प्रत्येक खान के प्रबंधक सम्मलित हैं)* **:**

(i)	**नाम**	श्री - श्रीमती *(प्रथम नाम) - (मध्य नाम) - (अंतिम नाम)*
(ii)	**खान की स्थिति** *(*कृपया विकल्प को चिह्नित करें*)*	○ स्वामी ○ अभिकर्ता ○ खनन इंजीनियर ○ प्रबंधक
(iii)	**पता**	*(द्वार संख्या- भवन संख्या- प्लॉटसंख्या)*
	ब्लॉक ब्लॉक	*(गली संख्या - ब्लॉक संख्या)*
	तालुका तहसील	
	जिला	
	राज्य - सं. शा. प्र. केन्द्र शासित प्रदेशों	
	पिन कोड	
	ई-मेल	
(iv)	**टेलीफोन नं**	कार्यालय : फैक्स : आवास निवासस्थान : मोबाइल :
(v)	**पैन नंबर**	
(vi)	**आधार संख्या**	
(vii)	**पासपोर्ट संख्या**	

(ख) **व्यष्टिकों का संगम के मामले में:**

(i)	**संगम का नाम, या संगम का के हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी का नाम**	
(ii)	**पता**	*(द्वार संख्या- भवन संख्या- प्लॉटसंख्या)*
	ब्लॉक	*(गली संख्या - ब्लॉक संख्या)*
	तालुका	

IndiaCode

	जिला	
	राज्य - सं. शा. प्र.	
	पिन कोड	
	ई-मेल	
(iii)	**टेलीफोन**	कार्यालय : फैक्स : आवास : मोबाइल :

(iv)	**संगमो का ब्यौरा**	नाम	पैन नंबर	आधार संख्या	नागरिकता	पासपोर्ट संख्या

IndiaCode

(v)	**खान अधिनियम, *1952* के खंड *76* के अंतर्गत नामित स्वामी का विवरण**	नाम	
		पद नाम	
		पता	
		फोन नं.	कार्यालय: आवास: मोबाइल: ई-मेलः
		पैन सं.	
		पासपोर्ट सं.	

(घ) एक फर्म के मामले में:

(i)	**फर्म का नाम**	
(ii)	**पता**	*(द्वार संख्या- भवन संख्या- प्लॉटसंख्या)*
	ब्लॉक	*(गली संख्या - ब्लॉक संख्या)*
	तालुका	
	जिला	
	राज्य - सं. शा. प्र.	

	पिन कोड					
	ई-मेल					
(iii)	**टेलीफोन**	कार्यालय *:* फैक्स *:* आवास *:* मोबाइल *:*				
(iv)	**फर्म में भागीदारों के ब्यौरे**	**भागीदार का नाम**	**पैन नंबर**	**आधार संख्या**	**नागरिकता**	**पासपोर्ट संख्या**
	फर्म का प्रकार *(चिह्न लगाएं)*	रजिस्ट्रीकरण-गैर- पंजीकृत				
(v)	**फर्म की रजिस्ट्रीकरण संख्या** *(भारतीय* भागीदारी *अधिनियम, 1932 के अंतर्गत* **रजिस्ट्रीकृत***)*					
	पैन नं.	टीआईएन नं.		टीएएन नं.		
(vi)	**राज्य का नाम जहां रजिस्ट्रीकृत हों**					
(vii)	**रजिस्ट्रीकरण की तारीख**	*(दिन-माह-वर्ष)*				
(viii)	**खान अधिनियम, *1952* के खंड *76* के अंतर्गत नामित मालिक का विवरण**	*नाम*				
		पद नाम				
		पता				
		फोन नं.	*कार्यालय:* *आवास:* *मोबाइल:* *ई-मेल:*			
		पैन नं.				
		पासपोर्ट सं.				

IndiaCode

(घ) कंपनी के मामले में:

(i)	**कंपनी का नाम**					
(ii)	**रजिस्ट्रीकृत पता**					
	राज्य -संघ शा. प्र.					
	पिन कोड					
	ई-मेल					
(iii)	**टेलीफोन**	कार्यालय *:* फैक्स *:* मोबाइल *:*				
(iv)	**कंपनी के निदेशक का विवरण**	नाम	पैन नंबर	आधार संख्या	नागरिक	पासपोर्ट संख्या
(v)	**कंपनी की रजिस्ट्रीकरण संख्या** *(कंपनी अधिनियम, 2013 में पंजीकृत रूप में)*					
	टीएएन सं.			टीआईएन सं.		
(vi)	**राज्य का नाम जहां रजिस्ट्रीकृत हों**					
(vii)	**रजिस्ट्रीकरण की तारीख**	*(दिन-महीना-वर्ष)*				
(viii)	**खान अधिनियम, *1952* के खंड *76* के अंतर्गत नामित मालिक का विवरण**	नाम				
		पद नाम				
		पता				
		फोन नं.	कार्यालय*:* आवास*:*			

IndiaCode

			मोबाइल: ई-मेल:
		पैन सं.	
		पासपोर्ट सं.	

(ङ) **राज्य अनुज्ञपित का ब्यौरा *(केवल एमएमडीआर अधिनियम 1957* के खंड 23ग के अधीन राज्य अनुज्ञपित धारक के लिए)**

राज्य अनुज्ञपित सं.	राज्य	कारबार-जिले का क्षेत्र	जारी करने की तारीख	तक विधिमान्य *(दिन-महीना-वर्ष)*	जारी करने वाला प्राधिकारी	खनिजों के नाम

4. कृपया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय पट्टा धारक व्यक्ति - फर्म या कंपनी - व्यक्तियों के संघ द्वारा धारित खान का ब्यौरा दे, यदि कोई हो, पंजीकरण के बाद अद्यतित कोई भी परिवर्तन।

क्रम सं.	खान का नाम	आईबीएम द्वारा सौंपा गया पट्टा कोड	आईबीएम द्वारा सौंपा गया खान कोड

	खनन पट्टे का स्थान								खनन पट्टे के अंदर धारित श्रेत्र *(हेक्टे. में.)*	खनिजों के नाम	खनन पट्टे के पंजीकरण की तारीख	पट्टे की अवधि	
												से	तक
खान कोड	ग्राम	तालुका	जिला	राज्य	टोपो-शीट संख्या	भूकर संबंधी सर्वेक्षण या खसरा संख्या	अक्षांश *(दिन-माह-वर्ष)*	देशांतर *(दिन-माह-वर्ष)*					

IndiaCode

5. कृपया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय पट्टा धारक व्यक्ति-फर्म या कंपनी-व्यक्तियों के संगम द्वारा धारित पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा, यदि कोई हो, रजिस्ट्रीकरण के बाद किसी भी परिवर्तन की जानकारी दें

पूर्वेक्षण अनुज्ञपित -पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टे का स्थान									पीएल-पीएल सह एम एल के अंतर्गत धरित क्षेत्र (हेक्टे. में)	खनिजों के नाम	आवंटन की तारीख	अवधि	लाइसेंस-संयुक्त लाइसेंस की तारीख
आईबीएम द्वाराआवंटित अद्वितीय संख्या	गाँव	तालुका	जिला	राज्य	टोपो-शीट संख्या	भूकर सर्वेक्षण या खसरा संख्या	अक्षांश (दिनम हीना साल)	देशांतर (दिनम हीना वर्ष)					

6. कृपया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय व्यक्ति - फर्म या कंपनी - व्यक्तियों के संगम द्वारा धारित गवेक्षण लाइसेंस, यदि कोई हो, या रजिस्ट्रीकरण के बाद अद्यतित किसी भी परिवर्तन की जानकारी दें।

आरपी का स्थान									आरपी के अंतर्गत धारित क्षेत्र (हेक्टे. में)	खनिजों के नाम	आवंटन की तारीख	अवधि	अनुज्ञपित के निष्पादन की तारीख
आईबीएम द्वाराआवंटित अद्वितीय संख्या	गाँव	तालुका	जिला	राज्य	टोपो-शीट संख्या	भूकर सर्वेक्षण या खसरा संख्या	अक्षांश (दिनम हीना साल)	देशांतर (दिनम हीना वर्ष)					

IndiaCode

7. अगर खनिज व्यापार-भंडारण और निर्यात में लगे हों, तो कृपया रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते समय स्वामित्व वाली भंडारण सुविधाओं की जानकारी दें या बाद में हुए किसी परिवर्तन को अद्यतित करें।

	भंडारण के लिए उपयोग किये जाने वाले क्षेत्र का स्थान						स्वामित्व - किराये के अंतर्गत धारित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	खनिज का नाम	टिप्पणियां
क्रम सं.	गाँव	तालुका	जिला	राज्य	अक्षांश (दिन महीना वर्ष)	देशांतर (दिन महीना वर्ष)			

8. अगर एक खनिज आधारित उद्योग के माध्यम से उत्पादन या निर्माण में लिप्त हुए है, कृपया खनिज की खपत का विवरण दें या रजिस्ट्रीकरण के बाद किसी भी बकाया जानकारी को अद्यतित करें।

क्रम सं..	संयंत्र का स्थानजहां खनिज का उपयोग किया गया हो						संयंत्र का नाम	प्रयुक्त खनिज	प्रति वर्ष औसत खपत	टिप्पणियां
	गाँव	तालुका	जिला	राज्य	अक्षांश (दिन महीना वर्ष)	देशांतर (दिन महीना वर्ष)				

<u>सत्यापन</u>

मैं, ----------सुपुत्र - सुपुत्री - पत्नी---------- आयु ------ व्यवसाय---------- निवासी ---------- गाँव-नगर-शहर डाकघर---------- थाना ---------- तालुका---------- जिला---------- राज्य---------- प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही और हर तरह से संपूर्ण है।

स्थान: हस्ताक्षर:

तारीख: पूरा नाम:

आवेदक द्वारा नहीं भरा जाएगा

(इंडियन ब्यूरो ऑफ खान के आंतरिक उपयोग के लिए)

आईबीएम द्वारा आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या:

प्ररूप-ठ

[**नियम** 45(6)(क) **देखें**]

मास_____20____के लिए

मासिक विवरणी

प्ररुप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्रपत्र, सम्यक भर कर, हर महीने के दसवें दिन पिछले महीने के संबंध में, ऑनलाइन के माध्यम से नियम में निर्धारित संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्ररुप पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**
- **परिमाण टन में दर्ज करें । अगर ऐसा नहीं है तो इकाई निर्दिष्ट करें।**
- **मूल्य सिर्फ रुपये में दर्ज किया जाए।**
- **रजिस्ट्रीकरण संख्या का मतलब भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पट्टा धारक - मालिक या व्यापारी - स्टॉकिस्ट - अंतिम उपयोगकर्ता- खनिज आधारित उद्योग - निर्यातक को आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या से है।**
- **रिपोर्ट करते समय विभिन्न खनिजों के लिए प्रपत्र में दी गई, अयस्क श्रेणी, का सख्ती से इस्तेमाल किया जाएगा।**

1. साधारण विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकरण संख्या (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित			
नाम और पता			
संयंत्र का नाम-भंडारण अवस्थिति, यदि उपलब्ध			
देशांश और अक्षांश			
रिपोर्ट की किए गए क्रियाकलाप (पों) का नाम (जो भी लागू हों उन पर सही चिन्ह लगाए)	(क)	कारबार	
	(ख)	निर्यात	
	(ग)	अंत: उपयोग	
	(घ)	भंडारण	

2. क्रिया कलापों के विवरण

(मात्रा को टन में रिपोर्ट करें । यदि नहीं कृपया इकाई विनिर्दिष्ट करें)

(क) व्यापारिक क्रियाकलाप

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क #	प्रारंभिक स्टॉक	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान प्रेषण किया गया अयस्क			अंतिम शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित रजिस्ट्रीकरण	मात्रा	मूल्य (रु.में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रेता को	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

			संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायक हो तो पृथक रूप से लिखे)						आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (अगर एक से ज्यादा क्रेता हो तो पृथक रूप से लिखे)			

(ख) अयस्क का निर्यात

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क	प्रारंभिक स्टॉक	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान निर्यात किया गया अयस्क			अंतिम: शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायक हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु. में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

(ग) अंत: उपयोग खनिज आधारित क्रियाकलाप

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क	प्रारंभिक स्टॉक	मास के दौरान उपारित किया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान उपभोग किया गया अयस्क		मास के दौरान प्रेषण किया गया अयस्क			अंतिम शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित	मात्रा	मूल्य (रु.में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रेता को आवंटित संख्या के	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

IndiaCode

			संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायकहो तो पृथक रूप से लिखे)								रूप में रजिस्ट्री-करण (अगर एक से ज्यादा क्रेता हो तो पृथक रूप से लिखे)			

(घ) भंडारण क्रियाकलाप

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क	प्रारंभिक स्टॉक	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान प्रेषण किया गया अयस्क			अंतिम शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायकहो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु.में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा व्यक्ति -कंपनी जिन्हे अयस्क निपटान किया गया हो को आबंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा व्यक्ति-कंपनी हो) तो पृथक रूप से लिखें	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

सत्यापन

मैं..... पुत्र-पुत्री-पत्नी.....आयु.....व्यवसाय.....निवासी.....गांव-नगर-शहर डाक कार्यालय.....पुलिसथानाताल्लुका.....जिला.....राज्य.....प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सारी जानकारी हर संबंध में पूर्ण और सही है।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख: पूरा नाम:

उपरोक्त सारणियां में रिपोर्टिंग के लिए खनिजों के श्रेणी नीचे दिए गए है। (यदि पृथक श्रेणी नीचे नहीं दिए गए है, तो श्रेणी के समक्ष खनिज का नाम रिपोर्ट करें)

IndiaCode

खनिज	श्रेणीयां
लौह अयस्क	**(i) एकमुश्त :**
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(ii) फाइन्स :
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(iii) सांद्रण
	(iv) अंशांकित एकमुश्त अयस्क (सीएलओ) (लंप्स के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन रिपोर्ट न की जाए)
	क) 62% Fe से नीचे (सीएलओ कोई भी आकार)
	ख) 62% से 65% Fe से नीचे (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	ग) 62% से 65% Fe से नीचे (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	घ) 62% से 65% Fe से नीचे (अन्य सीएलओ)
	ड़) 65% से Fe से ऊपर (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	च) 65% से Fe से ऊपर (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	छ) 65% Fe से ऊपर (अन्य सीएलओ)
	(v) आर ओएम अयस्क
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे

IndiaCode

	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ड़) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
मैग्नीज अयस्क	**(i) अयस्क**
	क) 25% Mn से नीचे
	ख) 25% से 35% Mn नीचे
	ग) 35% से 46% Mn नीचे
	घ) 46% से ऊपर Mn
	ड) डायऑक्साइड अयस्क
	(ii) सांद्रण
बॉक्साइट	**(i) एल्युमीना और एल्युमिनियम निष्कर्षण के उपयोग के लिए**
	क) 40% Al_2O_3 से नीचे
	ख) 40% से 45% से नीचे Al_2O_3
	ग) 45% से 50% से नीचे Al_2O_3
	घ) 50% से 55% से नीचे Al_2O_3
	ड़) 55% से 60% से नीचे Al_2O_3
	च) 60% से ऊपर Al_2O_3
	(ii) एल्युमीना और एल्युमिनियम के अतिरिक्त धातु निष्कर्षण के प्रयोग के लिए
	क) सीमेंट
	ख) अब्रेसिव
	ग) उष्मसह
	घ) रसायन
क्रोमाइट	**(i) एकमुश्त**
	क) 40% से नीचे Cr_2O_3
	ख) 40% से 52 % से नीचे Cr_2O_3
	ग) 52% से ऊपर Cr_2O_3
	(ii) फाइंस
	क) 40% से नीचे Cr_2O_3
	ख) 40% से 52 % नीचे Cr_2O_3
	ग) 52% से ऊपर Cr_2O_3

IndiaCode

	(iii) सांद्रण
	(iv) आर ओएम अयस्क
	क) 40% से नीचे Cr_2O_3
	ख) 40% से 52 % से नीचे Cr_2O_3
	ग) 52% से ऊपर Cr_2O_3
अबेस्टस	क) एम्फीबोल
	ख) क्राईसोटाइल
फ्लूराइट-फ्लूरोस्पार	क) 80% से ऊपर CaF_2
	ख) 70% से 80% के नीचे CaF_2
	ग) 30% से 70% के नीचे CaF_2
	घ) 30% से नीचे CaF_2
ग्रेफाइट	क) 80% या उससे अधिक नियतन कार्बन के साथ
	ख) 40% या उससे अधिक किंतु 80% नियतन कार्बन से कम
	ग) 20% या उससे अधिक किंतु 40% नियतन कार्बन से कम
	घ) 20% नियतन कार्बन से कम
कायनाइट	क) 40% और अधिक Al_2O_3
	ख) 40% Al2O3 से नीचे
चूनापत्थर	क) एलडी श्रेणी (1.5% सिलिका संधारिता से कम)
	ख) एसएमएस
	ग) बीएफ
	घ) रसायन
	इ) सीमेंट
रॉक फॉस्फेट-फॉस्फोराइट	क) 30% P_2O_5 से ऊपर
	ख) 25% से 30% से ऊपर P_2O_5
	ग) 20% से 25% से ऊपर P_2O_5
	घ) 20% P_2O_5 तक
बहूमूल्य और अर्द्ध बहूमूल्य रत्न	क) अनगढ़े और अकर्तित पत्थर
	ख) कर्तित पॉलिश किए हुए पत्थर
	ग) औद्योगिक
	घ) अन्य

IndiaCode

प्ररूप-ड

1 अप्रैल, 20____से 31 मार्च, 20____वित्त वर्ष के लिए

वार्षिक विवरणी

[नियम 45(6)(ख) देखें]

प्ररुप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्ररुप, प्रत्येक वर्ष की जुलाई के पहले दिन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सम्यक भर कर ऑनलाइन के माध्यम से, नियम में निर्धारित संबंधित प्राधिकारियों तक पहुँच जाना चाहिए।**
- **इसे खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, समय-समय पर महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अधिसूचित क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में खनिज रियायत पड़ती है।**
- **प्रपत्र पर संबद्ध व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**
- **परिमाण टन में दर्ज करें । अगर ऐसा नहीं है तो इकाई निर्दिष्ट करें।**
- **मूल्य सिर्फ रुपये में दर्ज किया जाए।**
- **रजिस्ट्रीकरण संख्या का मतलब भारतीय खान ब्यूरो द्वारा पट्टा धारक - मालिक या व्यापारी - स्टॉकिस्ट - अंतिम उपयोगकर्ता- खनिज आधारित उद्योग - निर्यातक को आवंटित रजिस्ट्रीकरण संख्या से है।**
- **रिपोर्ट करते समय विभिन्न खनिजों के लिए प्ररुप में दी गई, अयस्क श्रेणी, का सख्ती से उपयोग किया जाएगा।**
- **मद *5* में दी गई कच्चे माल की खपत को सभी अंतिम उपयोग से संबंधित उद्योग और लौह और इस्पात उद्योग द्वारा भरा जा सकता है।**

IndiaCode

1. साधारण विशिष्टियां

रजिस्ट्रीकरण संख्या (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित			
नाम और पता			
संयंत्र का नाम-भंडारण अवस्थिति, यदि उपलब्ध			
देशांश और अक्षांश			
रिपोर्ट की गई गतिविधि(यों) का नाम (जो भी उपयोग हों उन पर सही चिन्ह लगाए)	(क)	कारबार	
	(ख)	निर्यात	
	(ग)	अंत्य उपयोग	
	(घ)	भंडारण	

2. क्रियाकलापों के विवरण

(मात्रा को टन में रिपोर्ट करें। यदि नहीं कृपया इकाई विनिर्दिष्ट करें)

(क) व्यापारिक गतिविधियां

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क #	प्रारंभिक भंडार	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान प्रेषण किया गया अयस्क			अंत: शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायक हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु. में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रेता को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा क्रेता हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

(ख) अयस्क का निर्यात

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क	प्रारंभिक भंडार	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान निर्यात किया गया अयस्क			अंत: शेष भंडार
			भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायक हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु. में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

IndiaCode

(ग) अंत्य उपयोग खनिज आधारित क्रियाकलाप

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क	प्रारंभिक भंडार	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान उपभोग किया गया अयस्क		मास के दौरान प्रेषण किया गया अयस्क			अंत: शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायक हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु.में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा	मूल्य (रु.)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा क्रेता को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा क्रेता हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

(घ) भंडारण क्रिया कलाप

खनिज-अयस्क	श्रेणीवार खनिज - अयस्क#	प्रारंभिक भंडार	मास के दौरान खरीदा गया अयस्क (देश के अंदर)			मास के दौरान आयात किया गया अयस्क			मास के दौरान प्रेषण किया गया अयस्क			अंत: शेष भंडार
		मात्रा	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रदायक को आवंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा प्रदायक हो तो पृथक रूप से लिखे)	मात्रा	मूल्य (रु. में)	देश	मात्रा	मूल्य (रु.)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा व्यक्ति - कंपनी जिन्हें अयस्क त्वरा किया गया हो को आबंटित संख्या (अगर एक से ज्यादा व्यक्ति-कंपनी हो) तो पृथक रूप से लिखें	मात्रा	मूल्य (रु.)	मात्रा

IndiaCode

टिप्पण:

(क) केवल अंत्य उपयोग खनिज आधारित उद्योग भाग3 से 6 का प्रत्युत्तर दें ।

(ख) प्रत्येक उद्योग और प्रत्येक यूनिट के लिए सूचना अलग से दी जाए ।

3. अंत्य उपयोग खनिज आधारित उद्योगों के बारे में सूचना (लौह और इस्पात उद्योग को छोडकर)

(i) उद्योग का नाम: संयंत्र का नाम :

(ii) (क) राज्य: (ख) जिला : (ग) स्थान:

(iii) निर्मित उत्पादों संबंधी ब्यौरा उनकी क्षमता और उत्पादन के साथ :

अंतिम उत्पाद	वर्ष के दौरान वार्षिक संस्थापित क्षमता (टनों में)	उत्पादन (टनों में)	
		पूर्व वित्त वर्ष	वर्तमान वित्त वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
अंतिम उत्पाद			
i)			
ii)			
मध्यवर्ती उत्पाद			
i)			
ii)			
उप-उत्पाद			
i)			
ii)			

IndiaCode

वर्ष के दौरान शुरू किया गया विस्तार कार्यक्रम और हुई प्रगति

(iv) विस्तार कार्यक्रम-भविष्य के लिए अभिकल्पित योजना

(v) वर्ष के दौरान किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (ब्यौरा दें)

4. लौह और इस्पात उद्योग के बारे में सूचना

(i) संयंत्र का नाम:

(ii) (क) राज्य: (ख) जिला : (ग) स्थान:

(iii) निर्मित उत्पादों संबंधी ब्यौरा उनकी क्षमता और उत्पादन के साथ

उत्पाद	संस्थापित क्षमता (टनों में)	उत्पादन (टनों में)		टिप्पणियां
		पूर्व वित्त वर्ष	वर्तमान वित्त वर्ष	
(क) सिंटर i) सेल्फ फ्लक्सिंग ii) सामान्य				
(ख) पैलेट्स				
(ग) कोयला i) साफ कोयला ii) कोक (अपना उत्पादन)				
(घ) पिग आयरन i) गर्म धातु (कुल) ii) अपने खपत के लिए गर्म धातु iii) बिक्री के लिए पिग आयरन				
(ङ) स्पांज अयस्क				
(च) गर्म ब्रिकेटेड आयरन				
(छ) इस्पात i) तरल इस्पात-कच्चा इस्पात ii) कुल विक्रय योग्य इस्पात क) अर्द्ध-पूर्ण इस्पात ख) पूर्ण इस्पात				
(ज) टिन प्लेट				
(झ) सलफ्यूरिक अम्ल				
(ञ) रिफ्रेक्ट्रीज-इंटे				
(ट) उर्वरक				
(ठ) कोई भी अन्य उत्पाद-उप-उत्पाद				
खरीदा गया कोक (टन में)	पूर्व वर्ष		वर्तमान वर्ष	

(iv) वर्ष के दौरान शुरू किया गया विस्तार कार्यक्रम और हुई प्रगति

(v) विस्तार कार्यक्रम-भविष्य के लिए अभिकल्पित योजना

(vi) वर्ष के दौरान किए गए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम (ब्यौरा दें)

IndiaCode

5. उत्पादन में उपयोग की गई कच्ची सामग्री का ब्यौरा {बिजली(किलोवाट में), कोयला और पेट्रोलियम उत्पाद सहित}

कच्ची सामग्री			वास्तविक खपत *				प्रक्कलित अपेक्षा आवश्यकता*	
खनिज-अयस्क-धातु-फेरो एलॉय	वास्तविक विनिर्दिष्ट	रासयनिक विशेषताएं	पूर्व वित्त वर्ष		वर्तमान वित्त वर्ष			
							अगला वित्त वर्ष	अगले से अगला वित्त वर्ष
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)

*मात्रा टन में रिपोर्ट की जाए यदि नहीं तो इकाई बताएं।

6. आपूर्ति का स्रोत

प्रकार @	खनिज-अयस्क-धातु-फेरो एलॉय	देशी							आयातित			
		आपूर्ति कर्ता का नाम और पता	आपूर्ति का स्रोत (खान प्रारंभिकवा क्षेत्र)		संयंत्र से खान-रेल की दूरी दर्शाएं (किमी में)	रेल-सडक द्वारा प्रति यूनिट परिवहन लागत	मात्रा *	कारखाना स्थल पर प्रति यूनिट कीमत (रु. में)	आपूर्ति कर्ता का पूरा नाम व पता (देशवार)		खरीदी गई मात्रा	कारखाना स्थल पर प्रति यूनिट लागत (रु. में)
			खान कोड	जिला		मोड	प्रति यूनिटट लागत (रु. में)		पता	देश		

@ स्वेदेशी-आयातित ; * मात्रा टन में रिपोर्ट की जाए। यदि नहीं तो इकाई बताएं।

सत्यापन

मैं.....पुत्र-पुत्री-पत्नी.....आयु.....व्यवसाय.....रहवासी.....गांव-नगर-शहर डाक कार्यालय.....पुलिसथानाताल्लुका.....जिला.....राज्य.....प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई सारी जानकारी हर संबंध में पूर्ण एवं सही है।

स्थान : हस्ताक्षर

तारीख: पूरा नाम:

उपरोक्त सारणियों में रिपोर्टिंग के लिए खनिजों के श्रेणी नीचे दिए गए है। (यदि पृथक श्रेणी नीचे नहीं दिए गए है, तो श्रेणी के समक्ष खनिज का नाम रिपोर्ट करें)

खनिज	**श्रेणीयां**
लौह अयस्क	**(i) एकमुश्त :**
	क) 51% Fe से नीचे

IndiaCode

	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ङ) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(ii) फाइन्स :
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ङ) 60% से 62% Fe से नीचे
	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
	(iii) सांद्रण
	(iv) केलीब्रेटिड एकमुश्त अयस्क (सीएलओ) (एकमुश्त के लिए पूर्व में सूचित मात्रा सीएलओ के अधीन सूचित न की जाए)
	क) 62% Fe से नीचे (सीएलओ कोई भी आकार)
	ख) 62% से 65% Fe से नीचे (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	ग) 62% से 65% Fe से नीचे (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	घ) 62% से 65% Fe से नीचे (अन्य सीएलओ)
	ङ) 65% से Fe से ऊपर (5-18 एमएम आकार सीएलओ)
	च) 65% से Fe से ऊपर (10-40 एमएम आकार सीएलओ)
	छ) 65% Fe से ऊपर (अन्य सीएलओ)
	(v) आर ओएम अयस्क
	क) 51% Fe से नीचे
	ख) 51% से 55% Fe से नीचे
	ग) 55% से 58% Fe से नीचे
	घ) 58% से 60% Fe से नीचे
	ङ) 60% से 62% Fe से नीचे

IndiaCode

	च) 62% से 65% Fe से नीचे
	छ) 65% Fe से ऊपर
मैग्नीज अयस्क	**(i) अयस्क**
	क) 25% Mn से नीचे
	ख) 25% से 35% Mn नीचे
	ग) 35% से 46% Mn नीचे
	घ) 46% से ऊपर Mn
	ड) डायऑक्साइड अयस्क
	(ii) सांद्रण
बॉक्साइट	**(i) एल्युमीना और एल्युमिनियम निष्कर्षण के प्रयोग के लिए**
	क) 40% Al_2O_3 से नीचे
	ख) 40% से 45% से नीचे Al_2O_3
	ग) 45% से 50% से नीचे Al_2O_3
	घ) 50% से 55% से नीचे Al_2O_3
	ड) 55% से 60% से नीचे Al_2O_3
	च) 60% से ऊपर Al_2O_3
	(ii) एल्युमीना और एल्युमिनियम के अतिरिक्त धातु निष्कर्षण के प्रयोग के लिए
	क) सीमेंट
	ख) अब्रेसिव
	ग) रिफ्रेक्ट्री
	घ) केमिकल
क्रोमाइट	**(i) एकमुश्त**
	क) 40% से नीचे Cr_2O_3
	ख) 40% से 52 % से नीचे Cr_2O_3
	ग) 52% से ऊपर Cr_2O_3
	(ii) फाइंस
	क) 40% से नीचे Cr_2O_3
	ख) 40% से 52 % नीचे Cr_2O_3
	ग) 52% से ऊपर Cr_2O_3
	(iii) सांद्रण

IndiaCode

	(iv) आर ओएम अयस्क
	क) 40% से नीचे Cr_2O_3
	ख) 40% से 52 % से नीचे Cr_2O_3
	ग) 52% से ऊपर Cr_2O_3
अबेस्टस	क) एम्फीबोल
	ख) क्राईसोटाइल
फ्लूराइट-फ्लूरोस्पार	क) 80% से ऊपर CaF_2
	ख) 70% से 80% के नीचे CaF_2
	ग) 30% से 70% के नीचे CaF_2
	घ) 30% से नीचे CaF_2
ग्रेफाइट	क) 80% या उससे अधिक नियतन कार्बन के साथ
	ख) 40% या उससे अधिक किंतु 80% नियतन कार्बन से कम
	ग) 20% या उससे अधिक किंतु 40% नियतन कार्बन से कम
	घ) 20% नियतन कार्बन से कम
कायनाइट	क) 40% और अधिक Al_2O_3
	ख) 40% Al2O3 से नीचे
चूनापत्थर	क) एलडी श्रेणी (1.5% सिलिका संधारिता से कम)
	ख)एसएमएस
	ग)बीएफ
	घ) रसायन
	ड़) सीमेंट
रॉक फॉस्फेट-फॉस्फोराइट	क) 30% P_2O_5 से ऊपर
	ख) 25% से 30% से ऊपर P_2O_5
	ग) 20% से 25% से ऊपर P_2O_5
	घ) 20% P_2O_5 तक
बहूमूल्य और अर्द्ध बहूमूल्य रत्न	क) अनगढ़े और अकर्तित पत्थर
	ख) कर्तित पॉलिश किए हुए पत्थर
	ग) औद्योगिक
	घ) अन्य

IndiaCode

प्ररुप-ढ

(पूर्वेक्षण अनुज्ञपित सह खनन पट्टा या खनन पट्टे के हस्तांतरण की सूचना)

(नियम 50 देखें)

प्ररुप भरने के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- **यह प्रपत्र, विधिवत भर कर, इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के तीस दिन के भीतर ऑनलाइन या ई-मेल के द्वारा नियम में निर्धारित अनुसार संबंधित अधिकारियों तक पहुँचना चाहिए ।**
- **यह उस क्षेत्रीय नियंत्रक को भेजा जाना चाहिए, खनिज संरक्षण विकास नियम, 2017 के नियम 66 के अंतर्गत, महानियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अनुसार खनिज रियायत जिसके क्षेत्राधिकार में आता है।**
- **प्ररुप पर संबंधित व्यक्ति के आंगुलिक हस्ताक्षर होने चाहिए।**

1. **खनिज रियायत का प्रकार ---** **खनन पट्टा** ◎

 पूर्वेक्षण अनुज्ञपित-सह-खनन पट्टा ◎

2. **आईबीएम पंजीकरण संख्या**

3. **पूर्वेक्षण लाइसेंस –सह-खनन पट्टे की अद्वितीय आईबीएम रियायत संख्या**

 (अगर मामला एमएल का है तो क्षेत्र अक्षम हो जाएगा**)**

4. **खनन पट्टा कोड**

5. **खान कोड**

6. **खनिज या खनिजों का नाम जिनके लिए पूर्वेक्षण सह खनन पट्टा-खनन पट्टा दिया गया है**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी। प्रपत्र 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 के साथ जुड़ी।)

7. **खनिज रियायत धारक का नाम और पता**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी । प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 के साथ सहबद्ध।))

8. **खनिज रियायत का विवरण**

 (सूचना प्रणाली से सृजित **होगी।** प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 के साथ सहबद्ध।))

9. **रियायत का स्थान**

 (सूचना प्रणाली से सृजित होगी । प्ररुप 'ट' की प्रविष्टि 4 और 5 के साथ सहबद्ध।)

10. **अंतरिती या समनुदेशिती का नाम और पता**

नाम	पता	ई-मेल	पैन नंबर	आधार संख्या	पासपोर्ट संख्या	मोबाइल संख्या

IndiaCode

11. **राज्य सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या और हस्तांतरण का आदेश**

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पूरा नाम:_____

पद नाम: स्वामी-भूतत्ववेत्ता-खनन इंजीनियर

[प्रपत्र संख्या 8-1-2016-M.VI]

आर. श्रीधरन, विशेष सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

G.S.R. 169(E)—In exercise of the powers conferred by section 18 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), and in supersession of the Mineral Conservation Development Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

IndiaCode

CHAPTER I

Preliminary

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Mineral Conservation and Development Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicability**.- These rules shall apply to all minerals, except –

(i) petroleum and natural gas;

(ii) coal, lignite and sand for stowing; and

(iii) minor minerals:

Provided that the State Government may by notification extend the application of any of the provisions of these rules, with such modification as may be deemed necessary and appropriate, to minor minerals:

Provided further that the powers and responsibilities to be exercised by the Central Government or the Indian Bureau of Mines in respect of minerals other than minor minerals shall be exercisable by the State Government or State Directorate of Mining and Geology (by whatever named called) or any other authority subordinate to the State Government as may be notified by the State Government while extending the application of these rules to minor minerals.

3. **Definitions.–**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,–

(a) "abandonment of mine" means the final closure of a mine, either whole or part thereof, when the mineral deposits within the mine or part thereof have been fully extracted or when the mining operations thereon have become uneconomic;

(b) "Act" means the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957);

(c) "authorised officer" means– (i) an officer of the Indian Bureau of Mines duly authorised in writing by the Controller General, Indian Bureau of Mines; or (ii) an officer authorised in this behalf by the State Government to perform the functions under these rules; or (iii) an officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research authorised in writing by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, to perform the functions under these rules in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold

value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016;

(d) "beneficiation" means processing of minerals or ores for the purpose of upgrading the quality, purity or assay grade of the desired product by removing unwanted constituents like gangue minerals or tailings;

(e) "calibrated lump ore" means the sized ore that is obtained after screening or crushing of the run-of-mine ore;

(f) "Chief Controller of Mines" means the Chief Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;

(g) "competent authority" means the competent authority referred to in rule 10;

(h) "Controller General" means the Controller General of the Indian Bureau of Mines;

(i) "Controller of Mines" means the Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;

(j) "cores" means the samples of sub-surface rocks or mineralised zone obtained during drilling of boreholes;

(k) "development" means the driving of an opening to or in an ore-body or seam or removing overburden or unproductive or waste materials as preparatory to mining or stoping;

(l) "environment" and "environmental pollution" shall have the same meanings as assigned respectively to them in the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);

(m) "final mine closure plan" means a plan for the purpose of decommissioning, reclamation and rehabilitation of a mine or part thereof after cessation of mining and mineral processing operations, that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by the Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016;

(n) "final mine closure" means steps taken for reclamation and rehabilitation of a mine or part thereof commencing from cessation of mining or processing operations in a mine or part thereof;

(o) "financial assurance" means the security or guarantee furnished by the holder of a mining lease in accordance with rule 27;

(p) "Form" means a Form set forth in the Schedule;

(q) "geologist" means a person appointed by the holder of a mineral concession to perform the duties of a geologist under these rules;

(r) "mining engineer" means a person appointed by the holder of a mineral concession to perform the duties of a mining engineer under these rules;

(s) "mineral rejects" include all the excavated materials that do not constitute useful material, which may be rejected either on the basis of grade or size;

(t) "progressive mine closure plan" means a progressive plan for the purpose of providing protective, reclamation and rehabilitation measures in a mine or part thereof that has been prepared in the manner specified in the standard format and guidelines issued by Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, from time to time;

(u) "Regional Controller" means the Regional Controller of Mines of the Indian Bureau of Mines;

(v) "schedule" means the schedule annexed to these rules;

(w) "section" means a section of the Act;

(x) "shaft" means a vertical or inclined way or opening leading from the surface to workings below ground or from one part of the workings below ground to another and includes an incline;

(y) "stoping" means making any underground excavation other than development working made for the purpose of winning ores or minerals and includes extraction or splitting or reduction of pillars or blocks of minerals;

(z) "temporary discontinuance" means the planned or unplanned suspension of mining operations in a mine or part thereof and where the operations are likely to be resumed not earlier than one hundred and twenty days; and

(za) "year" means the twelve months period beginning from the first day of April and ending on the thirty-first day of March of the following year.

(2) Words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as assigned to them in the Act or the rules made thereunder.

India Code

CHAPTER II

Reconnaissance and Prospecting Operations

4. **Scheme of reconnaissance or prospecting.–**(1) Every holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease, shall submit to the Controller General and Regional Controller or the authorised officer a scheme of reconnaissance or prospecting, as the case may, within a period of sixty days from the date of execution of the permit or licence, indicating the manner in which he proposes to carry out the reconnaissance or prospecting operations in the area covered under the permit or licence.

(2) The scheme of reconnaissance or prospecting shall be prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines from time to time:

Provided that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the scheme of reconnaissance or prospecting shall be prepared in the format as may be specified by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

5. **Modification of scheme of reconnaissance or prospecting.–**(1) A scheme of reconnaissance or prospecting prepared and submitted under rule 4 may be modified at any time on geological considerations by the holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease or as directed by the Controller General and Regional Controller or the authorised officer, as the case may be, during continuance of the reconnaissance or prospecting operations.

(2) Any modification carried out under sub-rule (1) shall be intimated to the Controller General and Regional Controller or the authorised officer, as the case may be, by the holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease within a period of thirty days of carrying out such modification.

6. **Reconnaissance or prospecting operations to be carried out in accordance with scheme of reconnaissance or prospecting.–**Every holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease shall carry out the reconnaissance or prospecting operations in accordance with the scheme submitted under rule 4 or with such modifications, if any, as provided under rule 5 or as directed by the the Controller General and Regional Controller or the authorised officer.

7. **Intimation about reconnaissance and prospecting operations.–**Every holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease shall send to the Regional Controller or authorised officer and the State Government, an intimation in Form A of the Schedule about the commencement of reconnaissance or prospecting operations, as the case may be, so as to reach them within a period of fifteen days of such commencement.

8. **Inspection**.–(1) The holder of a prospecting license or prospecting license-cum-mining lease shall allow any authorised officer to examine at any time, the accounts maintained by him and shall furnish to the authorised officer, such information and returns as the authorised officer may require.

(2) The holder of a prospecting license or prospecting license-cum-mining lease shall also allow any authorised officer to inspect any prospecting operations carried on by him including the core logs and samples generated during the prospecting operations.

9. **Reports to be submitted by holder of a reconnaissance permit or prospecting license or prospecting license cum mining lease or any other authorised agency.–**(1) Every holder of a reconnaissance permit or prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease shall submit to the Regional Controller or the authorised officer, as the case may be, and to the State Government, a yearly report along with Form B of the Schedule so as to reach him within forty-five days after the expiry of twelve months from the date of execution of the relevant prospecting licence deed or the expiry of the prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease, whichever is earlier.

(2)The format of the reporting under sub-rule (1) shall be specified by the Indian Bureau of Mines:

Provided that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the format of reporting shall be specified by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

(3)Every agency authorised under the second proviso to sub-section (1) of section 4 shall submit to the State Government and the authorised officer, as the case may be, a yearly report in Form B of the Schedule so as to reach him within forty-five days after the expiry of twelve months from the date of commencement of prospecting operations by such agency.

(4)In case the prospecting operations are abandoned, the report along with Form B of the Schedule shall be submitted within a period of thirty days from the date of such abandonment.

(5). The authorised officer, upon receipt of a request made by the holder of a prospecting licence or prospecting licence-cum-mining lease in this regard, shall keep the specified portions of the geological report or data confidential for a period

of two years from the date of expiry of the mineral concession, or abandonment of operations or termination of the mineral concession, whichever is earlier.

CHAPTER III

Mining Operations

10. **Competent Authority**.–(1) The Controller General or an officer of Indian Bureau of Mines authorised in writing by the Controller General shall be the competent authority to take decisions with respect to a mining plan approved by any officer of the Indian Bureau of Mines, pursuant to clause (b) of sub-section (2) of section 5.

(2) The State Government shall be the competent authority to approve a mining plan required for grant of a mining lease, prepared and certified in accordance with the system established by the State Government pursuant to the proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 5 and approved by the Central Government:

Provided that the Controller General or an officer of Indian Bureau of Mines authorised in writing by the Controller General shall be the competent authority to take decisions with respect to monitoring and implementation of such mining plans approved by the State Government.

(3)The Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or an officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research authorised in writing by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research shall be the competent authority to take decisions with respect to a mining plan pursuant to clause (b) of sub-section (2) of section 5, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016.

11. **Mining operations under mining lease.–**(1) No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines or prepared and certified in accordance with the system established by the State Government pursuant to the proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 5 or approved by the competent authority of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016.

(2) If the mining operations are not carried out in accordance with the approved or certified mining plan or any information contained in the mining plan is found to be incorrect, misleading or non-compliant with applicable laws including these rules, the competent authority may by order, suspend all or any of the mining operations and permit continuance of only such operations as are required to restore the conditions in the mine as envisaged under the approved or certified mining plan or modified mining plan, for the purpose of restoration to the extent possible:

Provided that the lessee shall be informed in writing about the violation and if the violation is not rectified within a period of forty-five days, a show cause notice shall be issued asking reasons why the mining operations should not be suspended and, further, if no satisfactory reply is received within a period of thirty days, the mining operations shall be suspended:

Provided further that the competent authority may revoke the suspension after compliance by rectifying the violation pointed out in this regard.

(3)Every approved mining plan shall be subjected to review and updation in every five years as per provision of sub-rule (1) of rule 17 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016:

Provided that the review and updation of the approved mining plan every five years shall be as per the norms as specified by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such atomic minerals is below the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016.

(4)The holder of a mining lease shall submit the mining plan to the competent authority for review at least one hundred and eighty days before the expiry of five years period for which it was approved on the last occasion, for mining operations for a period of five subsequent years.

12. **Prospecting and mining operations.–**(1) The prospecting and mining operations shall be carried out in such a manner so as to ensure systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and protection of the environment.

(2) The prospecting licence or prospecting licence-cum-mining lease holder shall carry out exploration as per the norms provided in the Minerals (Evidence of Mineral Contents) Rules, 2015:

Provided that the exploration norms shall be specified by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act.

(3) The holder of a mining lease shall carry out detailed exploration (G1 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease, within a period of five years from the date of opening of the mine after execution of such mining lease.

(4) In the case of existing mining leases detailed exploration (G1 level) over the entire potentially mineralised area under the mining lease shall be carried out within a period of five years from the date of commencement of these rules.

(5) The sampling of drill cores or chips, pit samples and trench samples shall be done for the entire mineralised portion at regular intervals, preferably meter wise or less, and chemical analysis for the major radical shall be done for all the samples.

(6) Mineral resources shall be estimated periodically based on exploration carried out and the resources shall be estimated up to the threshold value of the mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines, from time to time and the updated resources shall be furnished in the Review of the Mining Plan at the interval of five years.

(7) Indian Bureau of Mines shall review the threshold values of minerals periodically in consultation with the stake holders.

13. **Open cast working.–**(1) In open cast workings, the benches formed shall be so arranged that the benches in ore or mineral and overburden are separate so as to avoid mixing of waste with the ore or minerals.

(2) The benches in overburden shall be kept sufficiently in advance so that their workings do not interfere with the working of ore or minerals.

(3) Orientation of the workings and sequence of mining operations shall be such that different grades of ore or minerals can be obtained simultaneously for blending with a view to achieve optimum recovery of ore or minerals from the deposit.

14. **Separate stacking of non-saleable minerals.–**(1) All the non-saleable or un-usable minerals or ores above the threshold value of the mineral, as may be notified by Indian Bureau of Mines from time to time, or otherwise shall be stacked separately on the ground earmarked for the purpose:

Provided that in case of beach sand mineral deposits comprising of Ilmenite, Rutile, Zircon, Monazite, Sillimanite, Garnet, Leucoxene, etc., sufficient precautions shall be taken to separate and stack the waste sand or tailings from the associated minerals in order to avoid mixing of waste sand with the associated minerals.

(2) The mineral or ore stock above the limit specified in the threshold values of minerals or otherwise, shall be properly maintained indicating the quantity and quality of all such material stacked, and the month-wise inventory of such materials shall be updated:

Provided that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, the mineral or ore stock, irrespective of the grade of such atomic minerals whether it is above or below the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016 shall be properly maintained indicating the quantity and grade of all such material stacked, and the month-wise inventory of such materials shall be updated and sent to the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research and the Indian Bureau of Mines and the concerned State Government.

Provided further that the lessee shall be required to maintain a month-wise inventory of the accurate material quantity of monazite and other prescribed substances extracted, starting from run of mine to stock yard, which shall be furnished to the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research and the Indian Bureau of Mines and the State Government on a monthly basis.

(3) The overburden and waste material obtained during mining operations shall not be allowed to be mixed with the materials as specified in sub-rule (1).

(4) The ground selected for dumping of overburden, waste material, the sub-grade or non-saleable ores or minerals shall be proved for absence or presence of underlying mineral deposits before it is brought into use for dumping.

15. **Underground mining operations.–**(1) Underground mining operations shall be carried out in such a way so as to achieve optimum ore or mineral recovery.

(2) The method of underground development of the deposit shall be planned in accordance with the method of stoping, which shall be selected with due consideration of the geology of the deposit and geo-technical properties of the ore and the adjoining rocks.

(3) The size of development openings, size of blocks and pillars shall be such that the workings remain stable during the development and stoping stages and between such stages.

(4) The stoping practices shall be such as to cause minimum disturbance to the surface.

(5) In case of a doubt as to the optimum ore or mineral recovery under sub-rule (1) or the method of underground

development under sub-rule (2), or size of openings, blocks or pillars under sub-rule (3) or the stoping practices under sub-rule (4), it shall be referred to the Chief Controller of Mines for decision.

(6) The Chief Controller of Mines may order such investigations and tests to be carried out as are considered necessary before arriving at a decision on any matter referred to him under sub-rule (5).

(7) As far as practicable the complete width of the ore or mineral body shall be worked:

Provided that the Chief Controller of Mines may permit in writing, leaving of certain portions in underground if it is necessary for support or protection to the mine workings.

16. **Sub-grade minerals to be brought to surface.-**(1) All the sub-grade ore or minerals wherever obtained from underground workings shall be brought to the surface instead of leaving or packing them underground, which shall be stacked separately at the earmarked place.

17. **Prohibition of reduction of blocks.-**All the blocks formed in underground workings shall be regular in size and shape and once a block is formed, it shall not be split or reduced in size until the stage of commencement of stoping:

Provided that the Chief Controller of Mines may permit reduction in the size of blocks on an application in writing made by the holder of the mining lease giving reasons for doing the same.

18. **Beneficiation studies to be carried out.-**(1) If the Controller General or an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, having due regard to the nature of mining operations and grade of ore or mineral is of the view that the sub-grade ore or mineral contains certain recoverable product, he may direct the holder of the mining lease to get the beneficiation investigations carried out from a laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration or an International Organization for Standardization laboratory approved by the Indian Bureau of Mines or the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

(2) The report of the beneficiation investigations so carried out under sub-rule (1) shall be submitted to the Controller General or an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, immediately after the investigation is over.

(3) In a mine having a beneficiation plant, feed products and tailings shall be regularly sampled and analysed at suitable intervals and records of the same maintained:

Provided that the Controller General or an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may require the sampling and analysis to be done at any other interval than in practice from a laboratory accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration or an International Organization for Standardization laboratory approved by the Indian Bureau of Mines or the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research:

(4) The Controller General or an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may carryout periodic process audit of the beneficiation plants to assess the possibility of further improvements in the beneficiation process.

19. **Machinery and plant.-**(1) Where heavy earth moving machinery is used in mines, the holder of a mining lease shall maintain log books duly authenticated by the manager or mining engineer of such mines in respect of each machine showing date-wise account of hours worked, hours not worked, reasons for non-working, consumption of fuel or energy and lubricants and output of the machine during the corresponding working hours.

(2) The summary of operation of each machine shall be recorded in the log book at the end of each month bringing out the percentage availability and percentage utilisation of the machine, average hourly performance and average fuel or energy consumption per hour.

(3) The log books may be maintained in electronic form or in hard copy and shall be made available to the authorised officer on demand.

20. **Notice for opening of mine.-** (1) The holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, an intimation in Form C of the Schedule of the opening of a mine so as to reach them within fifteen days of such opening, which shall be accompanied with a copy of the approved mining plan, in case the mine is being opened after a lapse of five years period from the date of approval of the mining plan.

21. **Abandonment of mines.-**(1) The holder of a mining lease shall not abandon a mine during the subsistence of the lease except with the prior permission in writing of the authorised officer, as the case may be.

(2) The holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, a notice in Form D of the Schedule of his intention to abandon a mine so as to reach them at least ninety days before the intended date of such abandonment, which shall be accompanied by plans and sections on a scale as specified in rule 31 setting forth accurately the work done in the mine up to the time of submission of the notice including the measures envisaged for the protection of the abandoned mine or part thereof, the approaches thereto and the environment:

Provided that the authorised officer, as the case may be, may require the plans and sections to be prepared on any other suitable scale.

(3) The authorised officer, as the case may be, may by an order in writing made before the proposed date of abandonment, prohibit abandonment or allow it to be done with such conditions as he may specify in the order.

(4) The holder of a mining lease shall not abandon a mine unless a final mine closure plan duly approved by the competent authority, is implemented, and for this purpose, the lessee shall be required to obtain a certificate from the authorised officer, as the case may be, to the effect that protective, reclamation and rehabilitation work in accordance with the final mine closure plan or with such modifications as approved by the competent authority have been carried out before abandonment of mine.

(5) The holder of a mining lease shall continue to be liable to provide the financial assurance and pay for any expenditure over and above the performance security incurred by the State Government towards protective reclamation and rehabilitation measures in the leased area of the mining lease.

22. **Mine Closure Plan**.- (1) Every mine shall have mine closure plans, which shall be of two types; namely:–

(i) a progressive mine closure plan; and

(ii) a final mine closure plan.

(3) Every holder of a mining lease shall take steps to prepare mine closure plans as per the guidelines and format given by the Indian Bureau of Mines from time to time:

Provided that where the State Government has set up a system for preparation, certification and monitoring of mining plan pursuant to the proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 5, such guidelines and formats shall be prescribed by the State Government:

Provided further that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, such guidelines and formats shall be prepared in the format as may be specified by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

23. **Submission of progressive mine closure plan.-**The holder of a mining lease shall submit to the competent authority a progressive mine closure plan as a component of the mining plan, at the time of submission, modification and review of the mining plan.

24. **Submission of final mine closure plan.-**(1) The holder of a mining lease shall submit a final mine closure plan to the competent authority for approval two years prior to the proposed closure of the mine.

(3) The competent authority shall convey his approval or refusal of the final mine closure plan within ninety days of the date of its receipt to the holder of the mining lease.

25. **The modification of mine closure plan.–**(1) The holder of a mining lease desirous of seeking modifications in the approved mine closure plan, shall submit to the competent authority for approval setting forth the intended modifications and explaining the reasons for such modifications.

(3) The competent authority may approve the modifications as submitted under clause (1), or approve with such alterations as he may consider expedient.

26. **Responsibility of holder of a mining lease**.- (1) The holder of a mining lease shall have the responsibility to ensure that the protective measures including reclamation and rehabilitation works have been carried out in accordance with the approved mine closure plan or with such modifications as approved by the competent authority.

(2) The holder of mining lease shall submit to the competent authority a yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reasons thereof:

Provided that where the State Government has set up a system for preparation, certification and monitoring of mining plan pursuant to the proviso to clause (b) of sub-section (2) of section 5, such format shall be prescribed by the State Government:

Provided further that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, such format shall be prescribed by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

27. **Financial assurance.–**(1) A financial assurance shall be furnished by the holder of the mining lease, for due and proper implementation of the progressive mine closure plan contained in the mining plan or the final mine closure plan, as the case may be, which shall be an amount of three lakh rupees for Category 'A' mines and two lakh rupees for Category 'B' mines, per hectare of the mining lease area put to use for mining and allied activities:

Provided that the minimum amount of financial assurance to be furnished under sub-rule (1), shall be ten lakh rupees for Category 'A' mines and five lakh rupees for Category 'B' mines:

Provided further that the provisions of sub-rule (1) shall not be applicable for a mining lease granted through the auction or the mining lease granted under the provisions of clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 10A, wherein the Mine Development and Production Agreement has been signed between the lessee and the State Government.

(2) Where financial assurance is required to be furnished by the holder of the mining lease under sub-rule (1), such amount of financial assurance shall be submitted to the authorised officer, as the case may be, in the form of a bank guarantee in the format specified by the Indian Bureau of Mines:

Provided that where financial assurance has already been furnished before the commencement of these rules, an amount equal to the difference between the financial assurance due as on the date of notification of these rules and the financial assurance already furnished, shall be furnished to the authorised officer, as the case may be, within a period of ninety days from the date of notification of these rules:

Provided further that the holder of a mining lease shall be required to enhance the amount of financial assurance with the increase in the area of mining and allied activities:

Provided also that where a leaseholder undertakes reclamation and rehabilitation measures as part of the progressive closure of mine, the amount so spent shall be reckoned as sum of the financial assurance already spent by the leaseholder and the total amount of financial assurance, to be furnished by the lessee, shall be reduced to that extent.

(3) Release of financial assurance shall be effective upon the notice given by the lessee for the satisfactory compliance of the provisions contained in the final mine closure plan and certified by the authorised officer, as the case may be.

(4) If the authorised officer, as the case may be, has reasonable grounds for believing that the protective, reclamation and rehabilitation measures as envisaged in the progressive mine closure plan contained in the approved mining plan or the final mine closure plan, in respect of which financial assurance was furnished, has not been or will not be carried out in accordance with the mining plan or the final mine closure plan, either fully or partially, the authorised officer, as the case may be, shall give the lessee a written notice of his intention to issue the orders for forfeiting the sum assured at least thirty days prior to the date of the order to be issued.

(5) Within thirty days of the receipt of notice referred to in sub-rule (4), if no satisfactory reply has been received in writing from the lessee, the authorised officer, as the case may be, shall pass an order for forfeiting the surety amount and a copy of such order shall be endorsed to the concerned State Government.

(6) Upon the issuance of order by the authorised officer, as the case may be, the concerned State Government may realise the bank guarantee provided or obtained as financial assurance for the purpose of performance of protective, reclamation, rehabilitation measures and shall carry out those measures, or appoint an agent to do so.

28. **Notice of temporary discontinuance of work in mines and obligations of lease holders.–**(1) Subject to the provisions of section 4A, the holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, and the State Government a notice in Form E when the mining or mineral processing operations in the mine or part thereof are discontinued for a period exceeding ninety days so as to reach them within one hundred and twenty days from the date of such temporary discontinuance.

(2) Where the discontinuance takes place as a result of the occurrence of a natural calamity beyond the control of the holder of a mining lease or in compliance with any order or directions issued by any statutory authority established under any law in force or any tribunal or a court, a notice shall be submitted to the authorised officer, as the case may be, within a period of fifteen days of such discontinuance in Form-E.

(3) During the temporary discontinuation of a mine or part thereof, it shall be the responsibility of the holder of a mining lease to–

(a) comply with the reasonable prohibitive measures to restrict access for unauthorised entry;

(b) provide protective measures to potentially danger sources of electrical and mechanical installations, and the mine openings or workings and all other structures;

(c) ensure that all contaminated effluents are controlled and all physical, chemical, biological monitoring programmes are continued;

(d) ensure that all rock piles, over burden piles and stock piles and tailings, and other water impoundment structure are maintained in stable and safe conditions.

29. **Intimation of reopening of a mine.–**The holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, and the State Government an intimation in Form C of the Schedule of reopening of a mine after temporary discontinuance, so as to reach them within fifteen days from the date of such reopening.

30. **Stoping of vein, etc.–**(1) No stoping shall be commenced, conducted or carried out except with prior permission in writing of the competent authority.

(2) The holder of a mining lease shall send to the authorised officer, as the case may be, and the State Government a notice in Form F of the Schedule intimating his intention to commence the stoping of any vein, lode, reef or mineral deposit, so as to reach them at least sixty days before the date of commencement of such operations.

(3) Such notice shall be accompanied by plans and sections on a scale of not less than 1 cm = 10 meters showing the details of the block proposed to be stoped, the manner of stoping and the mineralised and barren zones indicating estimated percentages recovery from stopes:

Provided that the authorised officer, as the case may be, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the plans and sections to be prepared on any other suitable scale.

(4) The authorised officer, as the case may be, may by an order made before the proposed date of commencement of stoping operations, prohibit the stoping or allow it to be done under such conditions as may be specified in such order.

CHAPTER IV

Plans and Sections

31. **General requirements about plans and sections.-** (1) Every plan or section prepared or submitted in accordance with the provisions of these rules shall-

(a) show the name of the mine and of the holder of the mining lease and the purpose for which the plan or section is prepared;

(b) show the true north or the magnetic meridian and the date of the letter;

(c) show a scale of the plan at least twenty-five centimeters long and suitably sub-divided;

(d) unless otherwise provided, be on a scale having a representative factor of –

(i) 1:500 in case of mines having small-scale workings;

(ii) 1:2000 in case of mines having large open cast working and also in case of surface plans of large leasehold areas; and

(iii) 1:1000 in other cases:

Provided that the competent authority may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the plans to be prepared on any other suitable scale;

(e) be digitally prepared in the format as may be specified by the Indian Bureau of Mines.

(2) The conventions provided under the Metalliferous Mines Regulations, 1961, shall be used in preparing all plans and sections required under these rules.

(3) The plans and sections shall be accurate within such limits of error as the Controller General may specify by a general or special order.

(4) The plans and sections required under these rules shall be maintained up to date within three months in case of category 'A' mines as referred to in clause (a) of sub-rule (2) of rule 55, and within twelve months in the case of any other mine.

32. **Types of plans and sections.-** (1) The holder of a mining lease shall keep the following digitally prepared plans and sections, namely:–

(a) a surface plan showing location and number of the boundary pillars along with its latitude and longitude values, every surface feature within the mining lease boundaries, such as building, telephone, power transmission line, water pipeline, tramline, railway, road, river, water-course, reservoir, tank, bore-hole, shaft and incline opening, opencast working, dumps and dumping ground, the waste land, forest, sanctuaries, agricultural land and grazing land and subsidence on the surface beneficiation plants, tailing ponds and other workings within the lease;

(b) a surface geological plan of the area of leasehold showing-

(i) all the lithological units exposed in the area, in the pits, trenches and in any other openings made for prospecting and mining operations showing contact between lithological units;

(ii) structural details like strike, dip, fold, fault, plunge of ore body;

(iii) location of prospecting pits, trenches, boreholes and any other openings made for prospecting or mining operations;

IndiaCode

(iv) existing mine workings, dumps, stacks of ore;

(v) section lines at regular intervals from one boundary to the other of the lease;

(vi) contour at not more than ten metres interval;

(vii) exploration limits such as G1, G2, G3 and G4 as per the United Nations Framework Classification;

(c) a transverse section or sections of the workings through the shaft or shafts and main adits indicating clearly the strike and dip of the vein, lode, reef, mineral bed or deposit at different points, and such sections of the strata sunk or driven through in the mine or proved by boreholes, as may be available;

(d) a longitudinal mine section or sections showing a vertical projection of the mine workings including outlines of all stoped out areas, where a reef, vein, lode or mineral bed or deposit or part thereof has dip exceeding thirty degrees from the horizontal plane:

Provided that, with the permission in writing of the competent authority and subject to such conditions as he may specify therein, such sections may be prepared in relation to any other suitable plane;

(e) an underground plan, applicable for underground mines, showing-

(i) the position of the workings of the mine below ground;

(ii) every borehole and shaft (with depth), drive, cross-cut, winze, raise, excavation (stoped ground) and every tunnel and air passage connected therewith;

(iii) every pillar or block of mineral left for the support of any structure on the surface; and underground magazines, if any;

(iv) the general strike of the veins, lodes, reefs and mineral beds or deposits;

(v) the position of every dyke, fault and other geological disturbance with the amount and direction of throw.

(2) Whenever the underground plan referred to in clause (e) of sub-rule (1) is brought up-to-date, the then position of the workings shall be shown by a dotted line drawn through the ends of the workings, and such dotted line shall be marked with the date of the last survey:

Provided that the competent authority may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, approve any other method of showing the up-to-date position of the workings of the mine.

(3) Where different reefs, lodes, veins or mineral beds or deposits overlie or run parallel to one another, the workings of each reef, lode, vein or mineral bed or deposit shall be shown on separate plan or longitudinal section or sections:

Provided that if two reefs, lodes, veins or mineral beds or deposits are so situated in relation to each other that the parting between workings made therein is less than ten meters at any place, such workings shall also be shown on a combined plan or longitudinal section, as the case may be, in different colours.

(4) The plans kept under clauses (a) and (e) of sub-rule (1) shall also show the settled boundary of the mining lease, or where the boundary is in dispute, the boundaries claimed by the holder of the mining lease and by the holders of the mining lease adjacent to the disputed boundary:

Provided that where it is not possible to show the complete boundary of leasehold on the same plan an additional key plan on any other suitable scale showing such boundaries and the outline of the workings shall also be maintained.

(5) The holder of a mining lease shall keep the following, namely:–

(a) a key plan on a scale of 1: 50,000 incorporating the following:

i. an administrative surface map showing the boundary of the mining lease, and the adjoining area lying preferably within five kilometres thereof;

ii. contours at not more than twenty meters intervals;

iii. natural drainage system such as rivers, streams, nalahs, water reservoirs, ponds, lakes, irrigation dams and canals;

iv. roadways and railways;

v. places of historical and archaeological importance, monuments, places of worship, pilgrimage and of tourist interest;

vi. forests with tree density, sanctuaries, wastelands, agricultural lands, grazing lands;

IndiaCode

vii. boundaries of all villages and towns with their population;

viii. predominant wind direction;

ix. any other relevant features:

Provided that where topographical map is classified as restricted, the particulars referred to in items (i) to (ix) shall be incorporated in the key plan to the extent available in the administrative surface maps;

(b) an environment plan of the area of mining lease inclusive of the adjoining area within five hundred meters of the boundary of a lease area on 1: 5000 scale incorporating the following:

(i) an administrative surface map showing the boundary of the mining lease;

(ii) contour lines at five meters intervals;

(iii) all features indicated in sub-clauses (iii) to (viii) of clause (a) above;

(iv) area occupied by mine workings, area deforested, area covered by dump with the height of the dump, processing plant, surface building, workshop, mining township;

(v) area reclaimed and area afforested, location of protective barriers, check dams erected to contain solid and liquid effluents generated by prospecting, mining, beneficiation or metallurgical operations carried out in the mine;

(vi) all pumping stations and the courses of discharge of mine water;

(vii) any other relevant features:

Provided that the particulars with regard to items (ii), (iv) and (v) shall be applicable only up to sixty meters beyond the boundary of lease area.

(6) The competent authority may, by an order in writing, require such additional details to be shown on the plans and sections required to be kept under these rules or the preparation and maintenance of such plans and sections showing such details and on such scale and within such time as he may specify in the order.

(7) The competent authority may, by an order in writing, require the holder of a mining lease to provide him within such time, such plans and sections, or tracings thereof, as he may specify in the order.

33. **Copies of plans and sections to be submitted.–**The holder of a mining lease shall, on or before the 30th day of June every year submit to the authorised officer, as the case may be, and the State Government, a digital copy along with a print copy of the surface geological plans and sections maintained under rule 32.

34. **Preparation of plans.–**(1) All digitally prepared plans, sections and print copies thereof kept at the mine shall be suitably indexed.

(2) Every plan, section or part thereof prepared under these rules shall carry thereon a certificate for its correctness and shall be signed by the mining engineer with date:

Provided that the geological plans and sections shall be certified and signed by the geologist employed under rule 55.

(3) Every copy of a plan and section or part thereof submitted or maintained under these rules shall bear a reference to the original plan or section from which it was copied and shall be certified thereon by the holder of the mining lease to be a true copy of the original plan or section.

CHAPTER V

Sustainable Mining

35. **Sustainable mining**.–(1) Every holder of a mining lease shall take all possible precautions for undertaking sustainable mining while conducting prospecting, mining, beneficiation or metallurgical operations in the area.

(2) Every holder of a mining lease shall monitor his mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed in this behalf by the Indian Bureau of Mines from time to time, and shall submit online its self-assessment report before the 1st day of July every year for the previous financial year, alongwith the soft copy (in the standard format), of high resolution satellite images obtained from CARTOSAT-2 satellite LISS-IV sensor on the scale of cadastral map, as on the 31st day of March for that financial year, covering the mining lease and an area of two kilometres. from the lease boundary, to the Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines.

(3) The confirmation of the star rating may be done by the authorised officer of the Indian Bureau of Mines through inspection.

(4) The Regional Controller or the authorised officer of the Indian Bureau of Mines may suspend the mining operations

in those mines where at least four star rating has not been achieved within a period of two years from the date of notification of these rules or two years from the date of commencement of mining operations, as the case may be, after giving a show cause notice of forty-five days, to qualify for star rating.

(5) The suspension shall be revoked only after verification through inspection of compliance of the star rating requirement specified in sub-rule (4) that the mine qualifies for four star rating:

Provided that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the action for confirmation and compliance of star rating as provided in sub-rules (3), (4) and (5) shall be taken by the authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

36. **Removal and utilisation of top soil.–**(1) Every holder of a prospecting licence, prospecting license-cum-mining lease or a mining lease shall, wherever top soil exists and is to be excavated for prospecting or mining operations, remove it separately.

(2) The top soil so removed shall be utilised for restoration or rehabilitation of the land which is no longer required for prospecting or mining operations or for stabilising or landscaping the external dumps.

(3) Whenever the top soil is unable to be utilised concurrently, it shall be stored separately for future use.

37. **Storage of overburden, waste rock, etc.-** (1) Every holder of a prospecting licence, prospecting license cum mining lease or a mining lease shall take steps so that the overburden, waste rock, rejects and fines generated during prospecting and mining operations or tailings, slimes and fines produced during sizing, sorting and beneficiation or metallurgical operations shall be stored in separate dumps.

(2) The dumps shall be properly secured to prevent escape of material therefrom in harmful quantities which may cause degradation of environment and to prevent causation of floods.

(3) The site for dumps, tailings or slimes shall be selected as far as possible on impervious ground to ensure minimum leaching effects due to precipitations.

(4) Wherever possible, materials such as waste rock and overburden shall be back-filled into the mine excavations with a view to restoring the land to its original use as far as possible.

(5) Wherever back-filling of waste rock in the area excavated during mining operations is not feasible, the waste dumps shall be suitably terraced and stabilized through vegetation or otherwise.

(6) The fines, rejects or tailings from mine, beneficiation or metallurgical plants shall be deposited and disposed in a specially prepared tailings disposal area such that they are not allowed to flow away and cause land degradation or damage to agricultural field, pollution of surface water bodies and ground water or cause floods.

38. **Precaution against ground vibrations.–**Whenever any damage to public buildings or monuments is apprehended due to their proximity to the mining lease area, the holder of the mining lease shall carry out scientific investigations so as to keep the ground vibrations caused by blasting operations within safe limit.

39. **Control of surface subsidence.–**Stoping in underground mines shall be so carried out as to keep surface subsidence under control.

40. **Precaution against air pollution.–**Every holder of prospecting licence or a mining lease shall take all possible measure to keep air pollution due to fines, dust, smoke or gaseous emissions during prospecting, mining, beneficiation or metallurgical operations and related activities within permissible limits.

41. **Discharge of toxic liquid.–**(1) Every holder of prospecting licence, prospecting licence cum mining lease or a mining lease shall take all possible precautions to prevent or reduce the discharge of toxic and objectionable liquid effluents from mine, workshop, beneficiation or metallurgical plants, tailing ponds, into surface water bodies, ground water aquifer and useable lands, to a minimum.

(2) The effluents referred to in sub-rule (1) shall be suitably treated, if required, to conform to the standards laid down in this regard.

42. **Precaution against noise.–**The holder of prospecting licence, prospecting license cum mining lease or a mining lease shall take all possible measure to control or abate noise arising out of prospecting, mining, beneficiation or metallurgical operations at the source so as to keep it within the permissible limits.

43. **Permissible limits and standards.–**The standards and permissible limits of all pollutants, toxins and noise referred to in rules 40, 41 and 42 shall be such as may be notified by the concerned authorities under the provisions of the relevant laws for the time being in force.

44. **Restoration of flora.–**Every holder of prospecting licence, prospecting license cum mining lease or a mining lease shall carry out prospecting or mining operations, as the case may be, in accordance with applicable laws and in such a

IndiaCode

manner so as to cause least damage to the flora of the area held under prospecting licence, prospecting license cum mining lease or mining lease and the nearby areas.

CHAPTER VI

Notices and Returns

45. **Monthly and annual returns.–**(1) The holder of a mining lease, or any person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals mined in the country, shall cause himself to be registered online with the Indian Bureau of Mines as per application specified in Form K of the Schedule and the registration number so allotted by the Indian Bureau of Mines shall be used for all purposes of online reporting and correspondence connected therewith.

(2) For the purpose of registration under sub-rule (1), the holder of a mining lease, or any person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals, shall apply for registration in electronic form, within one month from the date of registration of the lease deed or before the commencement of trading operation or storage or end-use or export of minerals, as the case may be.

(3) The Indian Bureau of Mines shall allot and record the registration number in the register referred to in sub-rule (4).

(4) The Indian Bureau of Mines shall maintain an online register giving details of the holder of a mining lease, or any person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals, as the case may be, as registered under the provisions of these rules, which shall be made available to the general public for inspection on demand, and also posted on the website of the Indian Bureau of Mines.

(5) The holder of a mining lease shall submit online returns in respect of each mine to the Regional Controller or any other authorised official of the Indian Bureau of Mines in the following manner, namely:-

(a) a daily return which shall be submitted through in electronic form through the application developed by the Indian Bureau of Mines, by 1800 hours of the third day following the day of reporting, which may be edited before the time deadline provided in this regard;

(b) a monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in electronic form along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the respective form as indicated below:-

i. for all minerals except copper, gold, lead, pyrite, tin, tungsten, zinc, precious and semi-precious stones, in Form F1 of the Schedule;

ii. for copper, gold, lead, pyrite, tin, tungsten and zinc, in Form F2 of the Schedule; and

iii. for precious and semi-precious stones, in Form F3 of the Schedule;

(c) an annual return which shall be submitted before the 1st day of July each year for the preceding financial year in electronic form, along with a signed print copy of the same if it is not digitally signed, in the respective Form as indicated below:-

(i) for all minerals except copper, gold, lead, pyrite, tin, tungsten, zinc, precious and semi-precious stones, in Form G1 of the Schedule;

(ii) for copper, gold, lead, pyrite, tin, tungsten and zinc, in Form G2 of the Schedule;

(iii) for precious and semi-precious stones, in Form G3 of the Schedule:

Provided that in the case of abandonment of a mine, the annual return shall be submitted within one hundred and fifty days from the date of abandonment.

(6) Any person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals, shall submit online to the Indian Bureau of Mines and concerned State Government, where the said person or company is sourcing the minerals, the returns in electronic form, along with a print copy of the same if it is not digitally signed, in the following manner, namely:-

(a) a monthly return which shall be submitted before the tenth day of every month in respect of the preceding month in Form L of the Schedule;

(b) an annual return which shall be submitted before the first day of July of each year for the preceding financial year in Form M of the Schedule.

(7) If it is found that the holder of a mining lease or the person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals, as the case may be, has submitted incomplete or wrong or false information in daily or monthly or annual returns or fails to submit a return within the date specified; then,–

(a) in the case of mining of minerals by the holder of a mining lease, the Regional Controller of Mines may advise the State Government to,-

(i) order suspension of all mining operations in the mine and to revoke the order of suspension only after ensuring proper compliance;

(ii) take action to initiate prosecution under these rules;

(iii) recommend termination of the mining lease, in case such suppression or misrepresentation of information indicates abetment or connivance of illegal mining;

(b) in the case of trading or storage or end-use of minerals, the State Government, where the person or company engaged in trading or storage or end-use of minerals is sourcing the minerals, shall order suspension of–

(i) trading licence (by whatever name it is called);

(ii) all transportation permits issued to such person or company for mineral transportation (by whatever name it is called);

(iii) storage licence for stocking minerals (by whatever name it is called);

(iv) permits for end-use industry of minerals (by whatever name it is called);

as the case may be, of such person or company engaged in trading or storage or end-use of minerals, and may revoke the order of suspension only after ensuring proper compliance;

(c) in the case of export of minerals, the Directorate General of Foreign Trade shall order suspension of permits for carrying out such exports of minerals of such person or company engaged in export of minerals, and may revoke the order of suspension only after ensuring proper compliance:

Provided that the holder of a mining lease or the person of company engaged in trading of storage or end user or export of minerals, as the case may be, referred to in clause (a), (b) and (c) above, shall be informed in writing about the violation and if the violation is not rectified within a period of forty-five days, a show cause notice shall be given asking reasons why the mining operations should not be suspended and, further, if no satisfactory reply is received within a period of thirty days, the mining operations may be suspended.

(8) In case of mining of minerals by the holder of a mining lease, the–

(a) sale value is the gross amount payable by the purchaser as indicated in the sale invoice, where the sale transaction is on an arms' length basis and the price is the sole consideration for the sale, excluding taxes, if any.

Explanation.–For the purpose of computing sale value, no deduction from the gross amount shall be made in respect of royalty, payments to the District Mineral Foundation and payments to the National Mineral Exploration Trust;

(b) ex-mine price of mineral grade or concentrate shall be,–

(I) where export has occurred, the total of, sale value on free-on-board (F.O.B) basis, less the actual expenditure incurred beyond the mining lease area towards –

(i) transportation charges by road;

(ii) loading and unloading charges;

(iii) railway freight (if applicable);

(iv) port handling charges or export duty;

(v) charges for sampling and analysis;

(vi) rent for the plot at the stocking yard;

(vii) handling charges in port;

(viii) charges for stevedoring and trimming;

(ix) any other incidental charges incurred outside the mining lease area as notified by the Indian Bureau of Mines from time-to-time, divided by the total quantity exported;

(II) where domestic sale of mineral has occurred, the total of sale value of the mineral, less the actual expenditure incurred towards loading, unloading, transportation, rent for the plot at the stocking yard, charges for sampling and analysis and any other charges beyond mining lease area as notified by the Indian Bureau of Mines from time-to-time, divided by the total quantity sold;

(III) where sale has occurred, between related parties and is not on arms' length basis, then such sale shall not be recognised as a sale for the purposes of this rule and in such case, sub-clause (IV) shall be applicable;

(IV) where the sale has not occurred, the average sale price published monthly by the Indian Bureau of Mines for that mineral grade or concentrate for a particular State:

Provided that if for a particular mineral grade or concentrate, the information for a State for a particular month is not published by the Indian Bureau of Mines, the last available information published for that mineral grade or concentrate for that particular State by the Indian Bureau of Mines in the last six months previous to the reporting month shall be referred, failing which the latest information for all India for the mineral grade or concentrate, shall be referred;

(V) the per unit cost of production in case of captive mines.

(9) In case of trading or storage or end-use or export of minerals, for purpose of filing of returns, the value of the mineral grade or concentrate shall be,–

(a) where sale of the mineral grade or concentrate has occurred and the sale transaction is on an arms' length basis and the price is the sole consideration for the sale, the sale value of the mineral grade or concentrate recorded in the invoice;

(b) where sale has not occurred, the product of average sale price published monthly by the Indian Bureau of Mines for a particular mineral grade or concentrate for a particular State and the quantity dispatched or procured:

Provided that if for a particular mineral grade or concentrate, the information for a State for a particular month is not published by the Indian Bureau of Mines, the last available information published for that mineral grade or concentrate for that particular State by the Indian Bureau of Mines in the last six months previous to the reporting month shall be referred, failing which the latest information for all India for the mineral grade or concentrate, shall be referred.

(10) If more than one mineral is produced from the same mine, return shall be submitted along with the relevant parts of the specified forms for each mineral separately.

(11) In case of temporary discontinuance of mining or suspension of mining, or temporary discontinuance or suspension of trading or storage or end-use or export of minerals, the holder of a mining lease, or the person or company engaged in trading or storage or end-use or export of minerals, as the case may be, shall submit return in the specified form for the mineral for which return had been submitted earlier and furnish relevant particulars, inclusive of "Nil" information, if any.

(12) In case ownership of the mine or the trading or storage or end-use or export company changes during the reference period, separate returns shall be filed by each owner for the respective periods of ownership.

(13) For the purpose of regulation of transportation of minerals, all persons and companies owning trucks or any other motorised vehicle used for transportation of mineral by road or through water way shall be required to be registered with the Directorate of Mining and Geology or the Department handling mining matters in the State Government, and the lessee shall maintain trip-sheets (either in the form of written record or on computers) of the vehicles, the nature and weight of mineral and the approximate time of the trip and its destination.

46. **Notice of certain appointments.–**The holder of the prospecting licence or prospecting license cum mining lease or the mining lease shall,–

(a) when any new appointment of an agent, mining engineer, geologist or any person is made under sub-rule (1) of rule 55; or

(b) when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment; or

(c) when any change occurs in the address of any such person, within fifteen days from the date of such appointment, termination, leaving or change in address, give a notice in Form H of the Schedule to the authorised officer, as the case may be.

47. **Notice of shaft sinking and boreholes.–**The holder of a mining lease or the holder of a prospecting licence or prospecting license cum mining lease shall send an intimation in Form I of the Schedule to the authorised officer, as the case may be, within fifteen days after the commencement of any of the following operations, namely:–

(a) the sinking of trial shaft or borehole to a depth exceeding ten meters from the surface; or

(b) the extension of an existing shaft or borehole to a depth exceeding ten meters; or

(c) the sinking of a new shaft or boreholes commencing from underground workings:

Provided that the authorised officer, as the case may be, may permit such intimation to be given collectively within such extended period as may be specified by him.

48. **Records of shafts and boreholes.–**(1) The holder of a mining lease or the holder of a prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease shall keep a record in Form-J of all shafts or boreholes and shall retain such records and preserve the samples of the strata passed through for a period of not less than twelve months after the completion of the work or abandonment thereof:

Provided that the records of boreholes and shafts exceeding one hundred metres length shall not be destroyed except with the prior approval of the authorised officer, as the case may be.

49. **Change in name of mine to be notified.–**The holder of a mining lease shall send a notice in Form C of the Schedule to the State Government and the authorised officer, as the case may be, of any change in the name of the mine within thirty days of such change.

50. **Notice of transfer of prospecting licence-cum-mining lease or mining lease.–**Every holder of a prospecting licence-cum-mining lease or a mining lease who transfers the mineral concession or any right, title or interest thereof, in accordance with the provisions of the Act or the rules made thereunder, to any other person, shall, within thirty days of the date of such transfer, send an intimation thereof in Form N of the Schedule to the Controller General and the authorised officer, as the case may be.

51. **Notice of amalgamation of mining lease.–**Without prejudice to the provisions of the Act or any rules made thereunder or the terms and conditions of a mining lease, every holder of a mining lease shall, within thirty days of the date of amalgamation of mining leases carried out under rule 56 of the Minerals (Other than Atomic and Hydro Carbon Energy Minerals) Concession Rules, 2016 or in accordance with rule 33 of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be, send an intimation thereof to the Regional Controller and the State Government and the authorised officer, as the case may be.

52. **Transfer of records to transferees.-** When the ownership of a prospecting license-cum-mining lease or a mining lease is transferred as per provisions of Act or any rules made thereunder, the previous owner or his agent shall make over to the new owner or his agent within a period of seven days of the transfer of the ownership, borehole cores along with records and samples preserved, if any, all plans, sections, reports, registers and other records maintained in pursuance of the Act, rules or orders made thereunder, and all correspondence relevant thereto relating to the prospecting license cum mining lease or mining lease; and when the requirements of these rules have been duly complied with, both previous and the new owners or their respective agents shall forthwith send to the State Government and the authorised officer, as the case may be, a detailed list of borehole cores, plans, sections, reports, registers and other records that have been transferred.

53. **Copies of notices or returns and reports to be submitted to State Government.–**The holder of a mining lease or a holder of a prospecting licence or prospecting license cum mining lease shall simultaneously submit a copy each of the notice or return or report required to be submitted under these rules to the State Government concerned in whose territory the mine or the prospecting area is situated, or to such authority as that Government may specify in this behalf.

54. **Copies of notices and returns and reports to be maintained.-** The holder of a mining lease or a holder of a prospecting licence or prospecting license cum mining lease shall maintain the labour attendance register, production and dispatch register, royalty assessment register,–

(a) details of contribution made to District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust;

(b) details of payments made to the State Government in terms of percentage of value of minerals dispatched as quoted in the bidding;

(c) details of expenditure incurred towards the mine closure activities, explosives consumption register, bore hole logs along with the chemical analysis reports, mineral analysis reports, sub-grade or mineral reject stack register along with the grade; and

(d) details of mining machinery and copies of all notices and returns, plans, sections and schemes submitted to the authorised officer or the State Government or the Regional Controller under these rules,

at an office established in the area where mining or prospecting operations are carried on, and these shall be made available at all reasonable times to the authorised officer, as the case may be, for inspection.

CHAPTER VII

Employment of Geologists and Mining Engineers

55. **Employment of geologists and mining engineers.-**(1) For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,–

1. every holder of reconnaissance permit shall employ a whole-time geologist;

2. every holder of prospecting licence or a prospecting license cum mining lease shall employ a whole-time geologist and a part-time mining engineer;

3. every holder of a mining lease shall employ, in case of–

(iii) category 'A' mines, a whole-time mining engineer and a geologist;

(iv) category 'B' mines, a part-time mining engineer and a part-time geologist:

Provided that in the case of fully mechanised category 'A' mines, the mining engineers and geologists shall have minimum five years of professional experience of working in a supervisory capacity in the field of mining:

Provided further that in case of category 'B' mines, a person employed in terms of the provisions of sub-rule (1) may be permitted to be employed in lieu of part-time mining engineer.

(2) For the purpose of these rules,–

(a) category 'A' mines means–

(i) such fully mechanised mines where the work is being carried out by deployment of heavy mining machinery for deep hole drilling, excavation, loading and transport; or

(ii) such mines where the number of average employment exceeds one hundred and fifty in all or seventy-five workings below ground, or mines where any of the mining operations like deep hole drilling, excavation, loading and transport is carried out with the help of heavy machinery;

(b) category 'B' mines means mines other than category 'A' mines:

Provided that if any doubt arises as to whether any mine is a category 'A' mine, it shall be referred to the Controller General for decision.

Explanation.–For the purpose of this rule, the expression "average employment" means the average per day of the total employment of the mine during the preceding quarter (obtained by dividing the number of man days worked by the number of working days).

(3) The part-time mining engineer and geologist can be employed up to a maximum of six prospects or mines, provided that all such prospects or mines are located within a radius of fifty kilometres.

(4) If the holder of a reconnaissance permit, prospecting licence or a prospecting license cum mining lease or a mining lease is a geologist or mining engineer, he may appoint himself as the geologist or mining engineer for the purpose of sub-rule (1).

(5) If the manager of a mine is a mining engineer or a geologist he may appoint himself as a mining engineer or geologist for the purpose of sub-rule (1).

(6) A mining engineer or geologist employed by the holder of a prospecting licence or prospecting license cum mining lease or mining lease shall possess the qualifications specified below, namely:–

Geologist : A postgraduate degree in Geological Science or Geology or Applied Geology or Geo-exploration or Mineral Exploration granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, or a State Act, in India or educational Institution established by an Act of Parliament or declared to be deemed university under the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification.

Mining Engineer : A degree in Mining Engineering granted by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, including any institution recognised by the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any equivalent qualification.

56. **Duties of geologist.–**(1) It shall be the duty of the geologist to conduct prospecting operations in accordance with the provisions of these rules.

(2) The geologist referred to in rule 55 shall –

(a) be responsible for periodic updating of minerals resources, maintenance of bore cores or samples and bore hole logs;

(b) plan for conservation of mineral resources and optimal utilisation of the minerals and ores in the mining leases;

(c) prepare a scheme of prospecting and carry out the investigation operation as per the scheme;

(d) prepare the necessary geological maps, plans and sections which are required to delineate the ore body;

(e) carry out petrological and mineralogical studies of host rock and mineralised zones;

(f) calculate ore reserves and its grade;

(g) be responsible for providing all the necessary information required for controlling the quality or grade of the minerals produced;

(h) maintain proper records of the prospecting operations and records of sinking of shafts and boreholes as provided under these rules;

(i) work out the appropriate method of sampling and ensure preparation of samples accordingly;

(j) maintain an assay plan in cases of underground workings;

(k) maintain all technical data for determining the shape and size of each stope block;

(l) update the reserve figures, grade-wise and category-wise at the end of every year in case of a working mine;

(m) identify the associated rocks and minerals and maintain proper records of the stacks of non-salable or sub-grade ores and minerals produced;

(n) carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the Controller General or the authorised officer of the State Government and shall forward a copy of all such orders or directions to the holder of the prospecting licence or prospecting license-cum-mining lease or mining lease, as the case may be.

57. **Duties of mining engineer.–**(1) It shall be the duty of the mining engineer to take all necessary steps to plan and conduct mining operations so as to ensure conservation of minerals, systematic development of the mineral deposits and protection of environment in and around the mining lease area in accordance with these rules.

(2) The mining engineer shall be responsible for the preparation and maintenance of plans, sections, reports and schemes in accordance with these rules.

(3) The mining engineer shall be responsible for carrying out the study of the associated rocks and minerals, identifying them and stacking the various minerals produced separately.

(4) The mining engineer shall also carry out all such orders and directions as may be given in writing under these rules by the State Government or the Controller General or the authorised officer and shall forward a copy of such orders or directions to the holder of prospecting licence or prospecting license cum mining lease or the mining lease, as the case may be.

(5) The mining engineer shall ensure that there is sufficient provision of proper materials, appliances and facilities at all times at the mine for the purpose of carrying out the provisions of these rules and orders issued thereunder and where he is not the holder of the mining lease, he shall make requisition in writing to the holder of the mining lease for anything required for the aforesaid purpose.

(6) A copy of every requisition referred to in sub-rule (5) shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose, and on receipt of such a requisition, the holder of the mining lease shall provide as soon as possible the materials and facilities requisitioned by the mining engineer.

CHAPTER VIII

Examination of Minerals and Issue of Directives

58. **Power to issue directions.-** (1) The holder of a mineral concession shall comply with such directions providing for systematic development of mineral deposits, conservation of minerals and for sustainable mining as the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, may issue from time to time.

(2) A copy of the proposed directions to be issued to any particular mine shall be sent by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, to the holder of a mineral concession, and to the State Government concerned, and any comments received from the holder of a mineral concession and the State Government within thirty days of the date of service of the notice, shall be duly considered by him before issuing any such directions.

(3) General directions applicable to a class of mines shall be issued by the Regional Controller or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, with the previous approval of the Central Government in consultation with the State Government concerned.

(4) An order made under sub-rule (1) shall–

(a) in the case of an order of a general nature or affecting a class of persons, be notified in Official Gazette; and

(b) in the case of an order directed to a specified individual, be served on such individual by delivering or tendering it to that individual, or if it is not possible to be so delivered or tendered, by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that individual lives, and a written report thereof shall be prepared and witnessed by two persons living in the neighborhood.

59. **Examination of mineral deposits and taking of samples.–**The authorised officer, as the case may be, may examine any mineral deposit in any area under prospecting licence or prospecting license cum mining lease or mining lease and take samples there from at any time for the purposes of these rules.

60. **Prohibition of deployment in certain cases.-** If any mine or part thereof, which in the opinion of the Chief Controller of Mines or the Controller of Mines or the Regional Controller of Mines poses a grave and immediate threat to

the conservation of minerals or to environment or to the sustainable development of the mine, he may, by an order in writing to the holder of a mining lease, require him to take such measures as may be specified in the order and may prohibit, until the requirements as specified in the order are complied with to his satisfaction, the deployment of any person other than those required for compliance with the requirement of the order:

Provided that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research shall issue orders in this regard.

CHAPTER IX

Revision and Penalty

61. **Revision.-** (1) Any person aggrieved by any order made or direction issued under these rules by any authorised officer excepting the State Government, as the case may be, may within thirty days of the communication of such order or direction, apply to the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for a revision of the order or direction:

Provided that any such application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, that he had sufficient cause for not making the application within time:

Provided further that if any order made or direction issued by an officer subordinate to the Chief Controller of Mines, the application shall be made to the Chief Controller of Mines who shall deal with the application in the manner provided hereunder.

(2) Every order against which a revision application is preferred under sub-rule (1) shall be complied with pending receipt of the decision of the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Chief Controller of Mines, as the case may be:

Provided that the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Chief Controller of Mines, as the case may be, may suspend the operation of the order against which the revision has been preferred, pending disposal of the revision application.

(3)On receipt of an application for revision under sub-rule (1), the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research or the Chief Controller of Mines, as the case may be, after giving a reasonable opportunity of being heard to the aggrieved person, may confirm, modify or set aside the impugned order.

(4)Any person aggrieved by any order made or direction issued by the Chief Controller of Mines may within thirty days of the communication of such order or direction, prefer an appeal to the Controller General as against the said order or direction:

Provided that any such appeal may be entertained after the said period of thirty days, if the applicant satisfies the Controller General that he had sufficient cause for not making the application within time.

(5)On receipt of any such appeal under sub-rule (4), the Controller General may confirm, modify or set aside the order or direction made or issued by the Chief Controller of Mines or may pass such orders in relation to the applicant, as it may deem fit and such decision shall be final.

(6)Every order against which appeal is preferred under sub-rule (4), shall be complied with pending receipt of the decision of the Controller General:

Provided that the Controller General may, on an application made by the applicant, suspend operation of the order or direction appealed against pending disposal of the appeal.

(7)Every application submitted under the provisions of this rule shall be accompanied by a bank draft for ten thousand rupees as application fee drawn on a scheduled bank in the name of 'Pay and Accounts Officer, Indian Bureau of Mines' payable at Nagpur or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Indian Bureau of Mines:

Provided that in case the application under sub-rule (1) is made to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, the amount of ten thousand rupees shall be remitted as per the details specified by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research in this regard.

62. **Penalty.–**Whoever contravenes any of the provisions of these rules shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to five lakh rupees, or with both, and in the case of a continuing contravention, with additional fine which may extend to fifty thousand rupees for every day during which such contravention continues after conviction for the first such contravention:

Provided that any offence punishable under these rules may either before or after the institution of the prosecution, be compounded by the person authorised under section 22 of the Act to make a complaint to the court with respect to that

offence, on payment to that person, for credit to the Government, of such sum specified in this regard by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, as the case may be:

Provided further that in case of an offence punishable with fine only, such sum shall not exceed the maximum amount of fine which may be imposed for that offence:

Provided also that where an offence is compounded under these rules, no proceeding or further proceeding, as the case may be, shall be taken against the offender in respect of the offence so compounded, and the offender, if in custody, shall be released forthwith.

CHAPTER X

Miscellaneous

63. **Preservation of cores, etc.-** (1) Every holder of a mineral concession and every agency authorised under the second proviso to sub-section (1) of section 4 shall preserve intact, until submission of the final geological report, all cores and specimens of different types of rocks and minerals obtained during drilling or sinking operations and shall arrange for them to be laid out in a serial order with identification marks, showing the progressive depth at which they are obtained.

(2) The State Government or the authorised officer, as the case may be, may, by an order in writing, require the holder of the mineral concession or the agency authorised under the second proviso to sub-section (1) of section 4 to preserve the cores or specimens of rocks and minerals obtained from specific boreholes or shafts in a specific manner or for any specific period or relax the provisions of this rule to such an extent as they may deem fit.

(3) No cores or samples generated and preserved as per sub-rule (1) and (2) above shall be destroyed without the prior permission in writing from the Chief Controller of Mines or the State Government or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be.

(4) The Geological Survey of India shall be the nodal agency for archiving drill cores at the National Core Repository and at the Regional Drill Core Repositories with suitable indexing and cataloguing.

(5) The Regional Drill Core Repositories shall function as satellites of the National Core Repository.

(6) The holder of a mineral concession or any other agency authorised under the second proviso to sub-section (1) of section 4 shall adhere to the procedure for preservation and submission of cores as provided in the manual issued by the Geological Survey of India from time to time and shall preserve the identified borehole cores to be collected by the Geological Survey of India, after completion of all the required studies at the time of submission of the final geological report.

64. **Facilities for undertaking research or training.-** Every holder of a prospecting licence or a prospecting licence-cum-mining lease or a mining lease shall afford all reasonable facilities to persons authorised by the authorised officer for the purpose of undertaking research or training in matters relating to mining or geology.

65. **Submission of records or reports regarding research in geology or mining.-**(1) Any person, institution or agency carrying on prospecting or mining operations related to any research in geology or mining, shall inform the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, within a period of thirty days of commencement of such research related operations, indicating briefly the aspects proposed to be covered under such research together with the name and address of the person, institution, or agency carrying out such research work and the expected duration of the research related operations.

(2) On completion of the said research work, a report describing the observations, analysis and conclusions reached as a result of the said research work shall be submitted to the Director General, Geological Survey of India for geology related research and to the Chief Controller of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for mining research within thirty days of its completion.

(3) The authorities referred to in sub-rule (2) shall keep the information provided in the receipt confidential, and if required, the authorised officer may utilise the said information for general studies, planning or policy making purpose.

(4) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall also apply *mutatis mutandis* to any agency of the Central Government or State Government carrying out the research work.

66. **Territorial jurisdiction of Controller of Mines and Regional Controller.-** The Controller General may by a notification in the Official Gazette, prescribe the limits of the territorial jurisdiction of the Controller of Mines and the Regional Controller for purposes of these rules:

Provided that the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016, may by a notification in the Official Gazette, prescribe the limits of the territorial jurisdiction of the authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research for the purposes of these rules.

67. **Obligation to supply other information.–**The holder of a mineral concession shall furnish such information regarding his reconnaissance or prospecting operations or mining operations or any matter connected therewith as the authorised officer may require by an order in writing and the information shall be furnished within such time as may be specified in the such order.

68. **Provisions of these rules to be applicable to Central Government and State Governments.–**The Central Government, the State Governments or its agencies carrying out prospecting or mining operations, as the case may be, without a mineral concession shall be bound by all the provisions of these rules in the same manner as they are applicable to holders of mineral concessions.

69. **Exercise of powers.–**(1) Any power granted under these rules to the Regional Controller may be exercised by the Controller of Mines.

(2) The powers granted to the Controller of Mines can be exercised by Chief Controller of Mines and the powers granted to the Chief Controller of Mines can be exercised by the Controller General:

Provided that any power granted under these rules to an authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research may be exercised by the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act where the grade of such atomic minerals is equal to or above the threshold value limits declared under Schedule-A of the Atomic Minerals Concession Rules, 2016.

70. **Saving of Act 33 of 1962.–**Nothing in these rules shall affect the provisions of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962) and the rules made thereunder, in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act.

71. **Review of format and manuals**.- The Indian Bureau of Mines or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, shall revise or update, every three years or earlier, if required, after consultation with stakeholders, the formats of the scheme of reconnaissance, scheme of prospecting, mining plan and the mine closure plan provided by it.

CHAPTER XI

Geological Reports

72. **Geological reports.-** (1) Every agency authorised under the second proviso to sub-section (1) of section 4, shall submit a geological report and all geo-scientific data (geological, airborne geophysical, ground, geophysical and geochemical and any data collected for geological investigation purpose) collected during the course of the prospecting operations, to the Director General of the Geological Survey of India, the Controller General and the State Government before the thirtieth day of June of every year in respect of the work done during the previous year:

Provided that in respect of minerals specified in Part B of the First Schedule to the Act, the agency shall submit the report to the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research and the State Government in a format provided by the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research.

(2) The geological reports and geo-scientific data shall be submitted in hard copies and in digital form every year reckoned from the date of commencement of operations and shall include–

(a) geological data relating to exploration, such as raw data with location, geological map, structural data, sections, plans and anomaly maps;

(b) geophysical data (ground and aero-geophysical) relating to prospecting fields or engineering or ground water surveys, such as raw data with location, anomaly maps, sections, plans, contour maps and logging details;

(c) geochemical data relating to exploration, such as raw analytical data with location, anomaly and contour maps and sections; and

(d) detailed exploration results, style and nature of mineralisation, mineral resource and mineral reserve estimates and grade, and the necessary supporting documents relating to exploration results, mineral resources or mineral reserves of the area shall form a part of the report.

(3) The geological reports shall be prepared in a format to be specified by the Controller General or the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, so as to enable a complete assessment of the exploration progress and results and to ensure that the results of exploration are fully and clearly recorded for mineral development in the future.

(4) The geological reports under this Chapter shall be prepared by or under the direction of, and signed by a geologist under whose supervision exploration was carried out.

CHAPTER XII

Mining Regulation Portal

73. **Mining regulation web portal**.–The Indian Bureau of Mines, in consultation with the State Governments, shall prepare a mining regulation web portal to bring information together the different aspects of the regulatory functions being undertaken by the Indian Bureau of Mines and the State Government or the authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for implementation and compliance of the provisions of these rules.

74. **Recording of regulatory functions.–**All aspects of regulatory functions being undertaken by the Indian Bureau of Mines or the State Government or the authorised officer of the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, for implementation and compliance of the provisions of these rules shall be recorded in standard process sheets or templates developed for these purposes, and the information in this regard shall be made available on the portal referred to in rule 73:

Provided that access to the commercial information provided in the said web portal shall be so regulated that the information is accessible only by the holder of the mineral concession concerned, the Controller General, the Central Government, the State Government, the authorised officer and the administrator of the web portal.

75. **Information source.–**(1) Each information source shall have a dedicated area on the page for displaying information (a portlet).

Explanation.–For the purposes of this rule, it is clarified that inspections carried out by the Indian Bureau of Mines or the State Government or an authorised officer of the Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, as the case may be, and the response of the mine owner or manager to the inspection shall be construed as one information source.

(2) Identification of the different information sources, user categories, preparation of the standard process sheets or templates, configuring and customizing the presentation of the content and other details in this regard as well the role of the administrator for addition of information to the portal or deletion from the portal shall be decided by the Controller General in consultation with the Central Government.

Indiacode

SCHEDULE

FORM-A

(See rule 7)

(Notice of commencement of Reconnaissance or prospecting operations)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within fifteen days of the commencement of Reconnaissance or prospecting operations by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

1. **Type of Mineral Concession ---** Reconnaissance Permit ◎
 Prospecting Licence ◎
 Prospecting License-cum-Mining Lease ◎

2. **IBM Registration Number** []

3. **Unique IBM Concession Number** Reconnaissance Permit []
 Prospecting License []
 Prospecting License-cum-Mining Lease []

4. **Name of the mineral or minerals for which Reconnaissance Permit or prospecting license or prospecting license cum mining lease has been granted:**

(Information will be system generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

5. **Name and address of the permit holder or licensee:**

(Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

6. **Particulars of Mineral Concession**

(Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

7. **Location of the Mineral Concession**

(Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

8. **Particulars of Geologist employed for the Reconnaissance Permit or Geologist and Mining Engineer employed for the Prospecting Licenced area:**

(i) Name and address:

(ii) E-mail address:

(iii) Phone Number and Mobile Number:

(iv) Qualification:

(v) Date of Appointment:

(vi) Nature of Appointment: Whole Time ☐

Part Time ☐

9. **Date of commencement of Reconnaissance Operation or prospecting operations:**

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Geologist-Mining Engineer

IndiaCode

FORM-B

[See rule 9(1), 9(3) and 9(4)]

(Progress Report of the Reconnaissance Operations or Prospecting Operations carried out for the year ……)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities within forty five days after expiration of twelve months from the date of execution of Reconnaissance Permit- Prospecting license deed or the expiry of Reconnaissance permit- prospecting licence or prospecting license cum mining lease, whichever is earlier or within the period of thirty days from the date of abandonment of Reconnaissance - prospecting operations by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

1. **Type of Mineral Concession ---** Reconnaissance Permit ◎
 Prospecting Licence ◎
 Prospecting License-cum-Mining Lease ◎

2. **IBM Registration Number**

3. **Unique IBM Concession Number** Reconnaissance Permit
 Prospecting License
 Prospecting License-cum-Mining Lease

4. **Name of the mineral or minerals for which Reconnaissance Permit or prospecting license or prospecting license cum mining lease has been granted**:
 (Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

5. **Name and address of the permit holder or licensee:**
 (Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

6. **Particulars of Mineral Concession:**
 (Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

7. **Location of the Mineral Concession:**
 (Information will be system Generated. Linked with Entry 5 and 6 of Form 'K'.)

8. **Status of reconnaissance - prospecting operation**
 Please tick-mark the boxes whichever is applicable In Progress []
 Completed []
 Abandoned []

9. **If reconnaissance -prospecting operation is completed or abandoned, date of such completion or abandonment**

10. **Total surface area covered by reconnaissance - prospecting work (hectares) as on date**

11. **Reconnaissance survey work done**
 (A brief description of the work involved along with particulars of the machines and instruments used would be given against each of the following items)
 (i) Regional Survey _____
 (ii) Aerial-photo-geological work _____

12. **Geological Mapping including area covered and scale**
 (i) Geophysical _____
 (ii) Geochemical _____
 (iii) Test drilling : Number, area of influence meterage and sampling _____
 (iv) Nature and structure of the ore body _____
 (v) Analysis of the ores or minerals _____

13. **Completion of prospecting work during the year:**

IndiaCode

14. **(a) Pitting**

(i)Number of pits _____

(ii) Depth (metres) Average _____

Maximum _____

Minimum _____

(b) Trenching

(i)Number of trenches _____

(ii) Length (metres) Average _____

Maximum _____

Minimum _____

(c) **Drilling**	Surface	Underground
(i) Number of boreholes completed during the year.	_____	_____
(ii) Number of boreholes in progress, if any	_____	_____
(iii)Total annual drilling (metres)	_____	_____

(d) Particulars of drilling machines:	Type	Make	Capacity	Number of drills

(e) Exploratory mining, if any:

(1) Number of levels _____

(2) Total development (metres) _____

(3) Mode of entry _____

(4) Quantity of ore produced with grade _____

(f) Number of samples analysed:

(1) Main constituent (please specify) _____

(2) Complete analysis _____

15. **If abandoned**

(iii) **Date of abandonment** _____

(iv) **Reasons for abandonment** _____

Note: Please enclose a geological report describing the reconnaissance - prospecting operations undertaken so far along with the detailed geological plans and sections showing locations of (a) boreholes, (b) pits, (c) trenches, (d) shafts, (e) underground exploratory workings, (f) outcrops, (g) ore zones, (h) faults, (i) folds and other geological features.

The Report shall contain in the borehole logs and interpretation and the inferences drawn as a result of the study of the geology of the area and the interpretation of the borehole cores, pits, trenches, assay data, reserves of ore and contain results of complete analysis of at least two representative samples of ore and the blocks proposed for mining operations. The report shall also contain the results of any beneficiation study carried out on the ores or minerals of the area.

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Geologist-Mining Engineer

IndiaCode

FORM-C

(See rule 20, 29 and 49)

(Notice of intimation of opening-reopening of mine-change in the name of mine)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within fifteen days of the opening or reopening and within thirty days in case of change in the name of mine, by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

1. **IBM Registration Number**
2. **Mining Lease Code**
3. **Mine Code**
4. **Name of mine -Old name of mine (in case of change in name)**
5. **Name and address of the lessee-owner**

 (Information will be system generated. Linked with Entry 3 of Form 'K'.)
6. **Date of opening-reopening of mine**
7. **In case of reopening, date of discontinuation**
8. **Particulars of the Mining Lease (ML)**

 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')
9. **Location of the Mining Lease**

 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')
10. **Name and address of previous owner**

 if any and the date of abandonment of Mine

Name	Address	E-mail	Mobile no.

11. **Name and address of Agent of Mine**

Name	Address	E-mail	Mobile no.

12. **Particulars of Mining Engineer employed in the mine:**

 (Information will be system Generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'H'.)
13. **Particulars of Geologist employed in the mine**

 (Information will be system Generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'H'.)
14. **Particulars of Manager employed in the mine**

 (Information will be system Generated. Linked with Entry 8 and 9 of Form 'H'.)

IndiaCode

15. **Letter No. and date through which the mining plan was approved by the Indian Bureau of Mines or State Government concerned**

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

FORM-D

[See rule 21(2)]

(Notice of intention of abandonment of mine or part of the mine)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within ninety days of the of the date of intention of abandonment, by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the Mining lease area falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

IndiaCode

1. **IBM Registration Number**
2. **Mining Lease Code**
3. **Mine Code**
4. **Name of mine**
5. **Name and address of the lessee-owner**

(Information will be system generated. Linked with Entry 3 of Form 'K'.)

6. **Particulars of the Mining Lease (ML)**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')

7. **Location of the Mining Lease**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')

8. **Letter No. and date through which the Final Mine Closure plan was approved by the Indian Bureau of Mines or State Government concerned**
9. **Date of abandonment**
10. **Reasons for abandonment** [Please tick whichever is applicable]

i. Lack of demand

ii. Exhaustion of ore-mineral

iii. Un-economic operations

iv. Unable to obtain forest clearance

11. **Upto date Total Resources of Mineral(s) in Mining Lease area (in tonne) as per UNFC:**

(A) Mineral Reserve

(i) Proved Reserve (111)

(ii) Probable Reserve (121 and 122)

(B) Remaining Resources

(i) Feasibility Mineral Resources (211)

(ii) Pre Feasibility Mineral Resources (221 and 222)

(iii) Measure Mineral Resources (331)

(iv) Indicated Mineral Resources (332)

(v) Inferred Mineral Resources (333)

(vi) Reconnaissance Mineral Resources (334)

(C) Total Resources (A + B) =……(tonnes)

12. **Number of workers employed in the mine:** **Male** **Female**

(a) Company labour

(b) Contract labour

(c) Total

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

IndiaCode

FORM-E

[See rule 28(1) and 28(2)]

(Notice of temporary discontinuance of mine)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within one hundred and twenty days of temporary discontinuance of work in the mine, by online or Email. If the discontinuance is due to natural calamity beyond the control of the lessee or Government Orders, this notice shall be sent within fifteen days of such occurrence by online or E mail.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the Mining lease area falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

1. **IBM Registration Number**
2. **Mining Lease Code**
3. **Mine Code**
4. **Name of mine**
5. **Name and address of the lessee-owner**

(Information will be system generated. Linked with Entry 3 of Form 'K'.)

6. **Particulars of the Mining Lease (ML)**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')

7. **Location of the Mining Lease**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')

8. **Date of temporary discontinuance**

9. **Reasons for temporary discontinuance** [Please tick whichever is applicable]

(i)	Lack of demand	
(ii)	Non-availability of labour	
(iii)	Rains	
(iv)	Transport bottleneck	
(v)	Strike-Lockout	
(vi)	Operations becoming un-economic	
(vii)	Other reasons (specify)	

10. **Probable date of re-opening of the mine**

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

IndiaCode

FORM-F

[See rule 30(2)]

(Notice of commencement of stoping)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within sixty days before the commencement of stoping operations, by online or E mail.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the Mining lease area falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.
- Information in respect of items 8 and 9(a) should be accompanied by (i) underground composite plan, (ii) longitudinal section, (iii) geological-assay plan of the levels at which stoping is proposed including one level above and below, and (iv) transverse sections at reasonable intervals for the portion covered under (iii) above.

1. **IBM Registration Number**
2. **Mining Lease Code**
3. **Mine Code**
4. **Name of mine**
5. **Name and address of the lessee-owner**

(Information will be system generated. Linked with Entry 3 of Form 'K'.)

6. **Particulars of the Mining Lease (ML)**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')

7. **Location of the Mining Lease**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 of Form 'K')

8. **Section-pit number**

(This is applicable in cases where the main mine is divided into more than one district-section-pit.)

9. **Date on which it is proposed to commence stoping**

10. **Extent of development in the mine:**

(a) Number of shafts-inclines-and its width-depth-length _____

(b) Maximum depth and development _____

(c) Number of levels with their extent _____

(d) Total meterage of development _____

(e) Total number of blocks developed including the total tonnage and grade (excluding blocks already stoped out and already permitted for stoping) _____

11. . **Details of the blocks applied for stoping**

(a) Number and size of each block, their levels tonnage and grade _____

(b) Method of stoping to be adopted –

(i) A description of the method with stope preparation sequence of operation appropriate drawings to illustrate the and extraction _____

(ii) Rate of stoping contemplated in each block (monthly) _____

(iii) Estimated recovery from each block _____

(iv) Estimated dilution _____

(v) Estimated tonnage and grade of ore to be extracted _____

12. **Is this a first application for stoping for this mine?**

If not, the following details may be furnished

(i) Date of previous application(s) for stoping _____

(ii) Date and reference of permission or refusal by this department (mention blocks and their levels) _____

IndiaCode

(iii) Have all the blocks for which stoping permission was granted, been stoped out? If not, mention the specific blocks that are remaining to be stoped out, indicating the state of stoping operations therein: _____

13. **Rate of development and programme of forming additional stope blocks simultaneously with the proposed stoping** _____

14. **List of enclosures** _____

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

FORM F1

[See rule 45(5) (b) (i)]

For the month of _____20

MONTHLY RETURN

[To be used for minerals other than Copper, Gold, Lead, Pyrites, Tin, Tungsten, Zinc and precious and semi-precious stones]

To

(i) The Regional Controller of Mines
Indian Bureau of Mines
_____Region,
PIN:

(Please address to Regional Controller of Mines in whose territorial jurisdiction the mines falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988)

(ii) The State Government

PART – I

(General and Labour)

1. Details of the Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee- Owner)	
(b) **Mine Code** (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
(f) **Location of the Mine :**	

Village		
Post Office		
Tahsil-Taluk		
District		
State		
PIN Code		
Fax No. :	E-mail:	
Phone No. :	Mobile:	
2. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):		
Name of Lessee-Owner		
Address		
District		
State		
PIN Code		
Fax No. :	E-mail:	
Phone No. :	Mobile:	
3. Details of Rent- Royalty - Dead Rent- DMF -NMET amount paid in the month		
(i) Rent paid (₹)		
(ii) Royalty paid (₹)		
(iii) Dead Rent paid (₹)		
(iv) Payment made to the DMF (₹)		
(v) Payment made to the NMET (₹)		
4. Details on working of mine:		
(i) Number of days the mine worked:		
(ii) Reasons for work stoppage in the mine during the month (due to strike, lockout, heavy rain, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each reason separately	Reasons	No of days

IndiaCode

5. Average Daily Employment and Total Salary-Wages paid #:

Work place	Direct		Contract		Total Salary-Wages (₹)	
	Male	Female	Male	Female	Direct	Contract
Below ground						
Opencast						
Above ground						
Total						

To include all employees exclusive to the mine and attached factory, workshop or mineral dressing plant at the mine site

PART-II (PRODUCTION, DESPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

1. Type of ore produced:

(*Applicable for Iron ore only; tick mark whichever is applicable*)

(a) Hematite

(b) Magnetite

2. Production and Stocks of ROM ore at Mine-head

Category	Opening stock	Production	Closing stock
(a) Open Cast workings			
(b) Underground Workings			
(c) Dump workings			

3(i) Grade-wise ROM ore despatches from mine head ($):

Grade of ROM@	Despatches from mine-head	Ex-mine Price (₹)

($): Applicable for iron ore and chromite only. For other minerals data of dispatches to be reported in 3(ii)

IndiaCode

3(ii) Grade-wise Production, Dispatches, Stocks and Ex-mine prices:

Grades**	Opening stock at mine- head	Production	Despatches from mine-head	Closing stock at mine-head	Ex-mine price (₹-Tonne)

3(iii) In case the mineral is being pulverized in own factory, please give the following particulars (*):

Grade**	Total quantity of mineral Pulverized (in tonnes)	Total quantity of pulverized mineral produced (for each mesh size)		Total Quantity of pulverized mineral sold during the month		
		Mesh size	Quantity (tonne)	Mesh size	Quantity (tonne)	Ex-factory Sale value (₹)

3(iv) Average cost of pulverization (*) : ₹ _____ per tonne.

(): Not applicable for Iron ore, Manganese ore, Bauxite and Chromite*

4. Details of deductions made from sale value for computation of Ex-mine price (₹- Tonne)

Deduction claimed #	Amount (in ₹- Tonne)	Remarks
a) Cost of transportation (indicate loading station and distance from mine in remarks)		
b) Loading and unloading charges		
c) Railway freight, if applicable (indicate destination and distance)		
d) Port handling charges- export duty (indicate name of port)		
e) Charges for sampling and analysis		
f) Rent for the plot at Stocking yard		
g) Other charges (specify clearly)		
Total (a) to (g)		

Not applicable for captive dispatches and ex-mine sales

5. Sales- Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade (^)	Nature of Despatch (*indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer ##	Consignee name ##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value (₹)

(^): To indicate the grades of ores as mentioned below (see @ and **)

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

6. Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the month compared to the previous month.

a)

b)

c)

IndiaCode

7. Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the month compared to the previous month.

a)

b)

c)

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Signature

Date: Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

@Grades of ROM ore dispatched:

MINERAL	GRADES
Iron ore	a) Below 51% Fe ROM
	b) 51% to below 55% Fe ROM
	c) 55% to below 58% Fe ROM
	d) 58% to below 60% Fe ROM
	e) 60% to below 62% Fe ROM
	f) 62% to below 65% Fe ROM
	g) 65% and above Fe ROM
Chromite	a) Below 40% Cr2O3 ROM
	b) 40% to below 52 % Cr2O3 ROM
	c) 52% and above Cr2O3 ROM

IndiaCode

****Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):**

MINERAL	GRADES
Iron ore	**(i) Lumps:**
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(ii) Fines:
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe

	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(iii) Concentrates
	(iv) Calibrated Lump Ore (CLO) *(Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO)*
	a) Below 62% Fe (CLO any size)
	b) 62% to below 65% Fe (5-18 mm size CLO)
	c) 62% to below 65% Fe (10-40 mm size CLO)
	d) 62% to below 65% Fe (CLO others)
	e) 65% and above Fe (5-18 mm size CLO)
	f) 65% and above Fe (10-40 mm size CLO)
	g) 65% and above Fe (CLO others)
Manganese Ore	**(i) Ore**
	a) Below 25% Mn
	b) 25% to below 35% Mn
	c) 35% to below 46% Mn
	d) 46% and above Mn
	e) Dioxide ore
	(ii) Concentrates
Bauxite	**(i) For use in alumina and aluminium extraction:-** (Please also furnish the actual averages of the ore falling within the following ranges of grades):
	a) Below 40% Al_2O_3
	b) 40% to below 45% Al_2O_3
	c) 45% to below 50% Al_2O_3
	d) 50% to below 55% Al_2O_3
	e) 55% to below 60% Al_2O_3
	f) 60% and above Al_2O_3
	(ii) For use other than alumina and aluminium metal extraction
	a) Cement
	b) Abrasive
	c) Refractory
	d) Chemical
Chromite	**(i) Lumps**
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3

IndiaCode

	(ii) Fines
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3
	(iii) Concentrates
Asbestos	a) Amphibole
	b) Chrysotile
Fluorite-Fluorspar	a) 80% and above CaF_2
	b) 70% to below 80% CaF_2
	c) 30% to below 70% CaF_2
	d) Below 30% CaF_2
Graphite	a) With 80% or more fixed carbon
	b) With 40 % or more fixed carbon but less than 80% fixed carbon
	c) With 20% or more fixed carbon but less than 40% fixed carbon
	d) With less than 20% fixed carbon
Kyanite	a) 40% and above Al_2O_3
	b) Below 40% Al_2O_3
Limestone	a) LD Grade (less than 1.5% silica content)
	b) SMS
	c) BF
	d) Chemical
	e) Cement
Rock Phosphate-Phosphorite	a) Above 30% P_2O_5
	b) Above 25% to 30% P_2O_5
	c) Above 20% to 25% P_2O_5
	d) Upto 20% P_2O_5

IndiaCode

FORM F2

[See rule 45(5) (b) (ii)]

For the month of _____20

MONTHLY RETURN

[To be used for minerals Copper, Gold, Lead, Pyrites, Tin, Tungsten and Zinc]

To

(i) The Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines

_____Region,

PIN:

(Please address to Regional Controller of Mines in whose territorial jurisdiction the mines falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988)

(ii) The State Government

PART – I

(General and Labour)

1. Details of the Mine:		
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee- Owner)		
(b) **Mine Code** (allotted by Indian Bureau of Mines)		
(c) Name of the Mineral		
(d) Name of Mine		
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine		
(f) **Location of the Mine :**		
Village		
Post Office		
Tahsil-Taluk		
District		
State		
PIN Code		
Fax No. :	E-mail:	
Phone No. :	Mobile:	
2. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):		
Name of Lessee-Owner		
Address		
District		
State		
PIN Code		
Fax No. :	E-mail:	
Phone No. :	Mobile:	
3. Details of Rent- Royalty - Dead Rent- DMF -NMET amount paid in the month		
(i) Rent paid (₹)		
(ii) Royalty paid (₹)		
(iii) Dead Rent paid (₹)		
(iv) Payment made to the DMF (₹)		
(v) Payment made to the NMET (₹)		
4. Details on working of mine:		
(i) Number of days the mine worked:		
(ii) Reasons for work stoppage in the mine during the month (due to strike, lockout, heavy rain, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each reason separately	Reasons	No of days

Indiacode

5. Average Daily Employment and Total Salary-Wages paid #:

Work place	Direct		Contract		Total Salary-Wages (₹)	
	Male	Female	Male	Female	Direct	Contract
Below ground						
Opencast						
Above ground						
Total						

To include all employees exclusive to the mine and attached factory, workshop or mineral dressing plant at the mine site

PART-II (PRODUCTION, DESPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes; indicate unit of quantity if not in tonnes)

1. Production and Stocks of ROM ore

	Opening stocks		Production		Closing stocks	
	Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade
A. From Underground workings						
i) From Development						
ii) From Stoping						
B. From Opencast workings						
Total						

IndiaCode

2. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit):

3. Recoveries at Concentrator-Mill-Plant:

Opening stocks of the Ore at concentrator-plant		Ore received from the mine		Ore treated	
Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade

Concentrates * Obtained			Tailings		Closing stocks of concentrates at the concentrator-plant	
Quantity	Metal content/ grade	Value (₹)	Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade

*In case of any leaching method adopted, give quantity recovered and grade contained separately.

4. Recovery at the Smelter-Mill-Plant:

Opening Stocks of the concentrates at the smelter -plant		Concentrates received from concentrator-plant		Concentrates received from other sources (specify)		Concentrates sold (if any)	
Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade

Concentrates treated		Closing stocks of concentrate at the Smelter-Plant		Metals(*) recovered (specify)			Other by-products, if any, recovered		
Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Metal content/ grade	Quantity	Grade	Value (₹)	Quantity	Grade	Value (₹)

(*) Please give category-wise break-up viz. blister, fire refined copper, cathodes, electrolytic copper wire bars, lead ingots, zinc cathodes, zinc dross, gold, tungsten etc.

IndiaCode

5. Sales during the month:

Metal-Product	Opening stocks of Metals-Products		Place of sale	Metals-Products sold(@)			Closing stocks of Metals-Products	
	Quantity	Grade		Quantity	Grade	Value(#) (▪)	Quantity	Grade

Note:

(#) Please give ex-plant sale value.

(@) Please give category-wise break-up of metals and other products sold.

6. Details of deductions made from sale value for computation of Ex-mine price (₹- Unit)

Deduction claimed #	Amount (in ₹- Unit)	Remarks
a) Cost of transportation (indicate loading station and distance from mine in remarks)		

b) Loading and unloading charges		
c) Railway freight, if applicable (indicate destination and distance)		
d) Port Handling charges- export duty (indicate name of port)		
e) Charges for sampling and analysis		
f) Rent for the plot at Stocking yard		
g) Other charges (specify clearly)		
Total (a) to (g)		

Not applicable for captive dispatches and ex-mine sales

7. Sales- Dispatches of ore and concentrates effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade (ore-Conc.)	Nature of Despatch (*indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer ##	Consignee name ##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value (₹)

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

8. Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the month compared to the previous month.

a)

b)

c)

9. Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the month compared to the previous month.

a)

b)

c)

IndiaCode

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Signature

Date: Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

FORM F3

[See rule 45(5) (b) (iii)]

For the month of _____20

MONTHLY RETURN

[To be used for precious and semi-precious stones]

To

(i) The Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines

_____Region,

PIN:

(Please address to Regional Controller of Mines in whose territorial jurisdiction the mines falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988)

(ii) The State Government

PART – I

(General and Labour)

1. Details of the Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee- Owner)	
(b) **Mine Code** (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
(f) **Location of the Mine :**	
Village	
Post Office	
Tahsil-Taluk	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:
2. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):	
Name of Lessee-Owner	
Address	
District	

IndiaCode

State		
PIN Code		
Fax No. :	E-mail:	
Phone No. :	Mobile:	
3. Details of Rent- Royalty - Dead Rent- DMF -NMET amount paid in the month		
(i) Rent paid (₹)		
(ii) Royalty paid (₹)		
(iii) Dead Rent paid (₹)		
(iv) Payment made to the DMF (₹)		
(v) Payment made to the NMET (₹)		
4. Details on working of mine:		
(i) Number of days the mine worked:		
(ii) Reasons for work stoppage in the mine during the month (due to strike, lockout, heavy rain, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each reason separately	Reasons	No. of days

IndiaCode

5. Average Daily Employment and Total Salary-Wages paid #:

Work place	Direct		Contract		Total Salary-Wages (₹)	
	Male	Female	Male	Female	Direct	Contract
Below ground						
Opencast						
Above ground						
Total						

To include all employees exclusive to the mine and attached factory, workshop or mineral dressing plant at the mine site

PART-II (PRODUCTION, DISPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

1. R.O.M production:

Category	Unit of quantity	Quantity
(a) Opencast workings		
(b) Underground workings		

2. Production, stocks and dispatches:-

	Gem Variety				Industrial		Others	
	Rough and uncut stones		Cut and Polished Stones					
	No. of stones	Qty @	No. of stones	Qty @	No. of stones	Qty @	No. of stones	Qty @
A .Opening stocks								
B. Production								
i)From Opencast Working								
ii)From underground working								
TOTAL (Production)								
C. Despatches								
D. Closing Stocks								
E. Ex-mine Price (₹)								

@:The Unit of quantity viz. Carats-Grams-Kilogram etc., as the case may be, should be indicated under quantity.

3. Details of deductions made from sale value for computation of Ex-mine price (₹- Unit)

Deduction claimed#	Amount (in ₹- Unit)	Remarks
a) Cost of transportation (indicate loading station and distance from mine in remarks)		
b) Loading and unloading charges		
c) Railway freight, if applicable (indicate destination and distance)		
d) Port handling charges- export duty (indicate name of port)		
e) Charges for sampling and analysis		
f) Rent for the plot at stocking yard		
g) Other charges (specify clearly)		
Total (a) to (g)		

Not applicable for captive dispatches and ex-mine sales

4. Sales- Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade (*)	Nature of Despatch (*indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to	Consignee name ##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value(₹)

	Captive consumption or Export)	the buyer ##						

*: To indicate rough and uncut stones, cut and polished stones, industrial, others

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

5. Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the month compared to the previous month.

a)

b)

c)

6. Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the month compared to the previous month.

a)

b)

c)

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Signature

Date: Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager.";

FORM G1

[See rule 45(5)(c)(i)]

For the financial year 1st April, 20____ to 31st March, 20____

ANNUAL RETURN

[To be used for minerals other than Copper, Gold, Lead, Pyrites, Tin, Tungsten, Zinc and precious and semi-precious stones]

To

(i) The Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines

_____Region,

PIN:

(*Please address to Regional Controller of Mines in whose territorial jurisdiction the mines falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988)*

(ii) The State Government

IndiaCode

PART – I (General)

1. Details of Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (*to give registration number of the Lessee-Owner*)	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
2. Location of the Mine :	
Village	
Post Office	
Tahsil-Taluk	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:
3. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):	
Name of Lessee-Owner	
Address	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:
4. Registered Office of the Lessee:	
5. Director in charge :	
6. Agent :	
7. Manager :	
8. Mining Engineer in charge:	
9. Geologist in charge :	
10. Transferor (previous owner), if any, and date of transfer:	
11. Particulars of area operated-Lease (Furnish information on items (i) to (vi) lease-wise in case mine workings cover more than one lease)	
(i) Lease number allotted by the State Government……	
(ii) Area under lease (hectares):	
Under Forest	
Outside Forest	
Total	

indiaCode

(iii) Date of execution of mining lease deed			
(iv) Period of lease			
(v) Area for which surface rights are held (hectares)			
Under Forest			
Outside Forest			
Total			
(vi) Date and period of renewal (if applicable)			
(vii) In case there is more than one mine in the same lease area, indicate name of mine and mineral produced			
12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares):	Under forest	Outside forest	Total
(i) Already exploited and abandoned by opencast (O-C) mining			
(ii) Covered under current (O-C) Workings			
(iii) Reclaimed-rehabilitated			
(iv) Used for waste disposal			
(v) Occupied by plant, buildings, residential, welfare buildings and roads			
(vi) Used for any other purpose (specify)			
(vii) Work done under progressive mine closure plan during the year			
13. Ownership-exploiting Agency of the mine: (Public Sector-Private Sector-Joint Sector)			

IndiaCode

PART-II (Employment and Wages)

1.Number of supervisory staff employed at the mine		
Description	Wholly employed	Partly employed
(i) Graduate Mining Engineer		
(ii) Diploma Mining Engineer		
(iii) Geologist		
(iv) Surveyor		
(v) Other administrative and technical supervisory staff		
Total:		
2.(i) Number of days the mine worked:		
(ii) No. of shifts per day:		
(iii) Indicate reasons for work stoppage in the mine during the year (due to strike, lockout, heavy rain, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each of the factors separately .	Reasons	No. of days

3. Employment and salary-wages paid #:

Maximum number of persons employed on any one day during the year: (i) In workings below ground on *(date)*.....(a) *(number)*..... (ii) In all in the mine on *(date)*.....(a) *(number)*.....								
Classification	Total number of man days worked during the year			No. of days worked during the year	Average daily number of persons employed			Total Wages - Salary for the year (₹)
	Direct	Contract	Total		Male	Female	Total	
(1)	2(A)	2(B)	2(C)	(3)	4(A)	4(B)	4(C)	(5)
Below Ground								
Opencast								
Above Ground								
Total:								

To include all employees exclusive to the mine and attached factory, workshop or mineral dressing plant at the mine site

PART-II A (Capital Structure)

1. Value of Fixed Assets* (₹……)

(in respect of the mine, beneficiation plant, mine work-shop, power and water installation)

In case this information is furnished as combined information in another mine's return please specify Mine Code-Mine Name:

Description	At the beginning of the year (₹)	Additions during the Year (₹)	Sold or discarded during the year (₹)	Deprec-iation during the year (₹)	Net closing Balance (₹) (2+3)-(4+5)	Estimated market value** (₹)
1	2	3	4	5	6	7
(i) Land***						
(ii) Building:						
Industrial						
Residential						
(iii) Plant and Machinery including transport equipment						
iv) Capitalised Expenditure such as pre-production exploration, development, major overhaul and repair to machinery etc. (As prescribed under Income Tax Act)						
Total:						

* In case the fixed assets are common to more than one mine, furnish combined information for all such mines together in any one of the mine's return. In the returns for other mines, give only a cross reference to the particular mine's return where-in the information is included.

** Optional and may be furnished in respect of items (i), (ii) and (iii) if the mine owner desires.

*** Including any non-recurring expenditure incurred on the acquisition of land.

IndiaCode

2. Source of Finance (at the end of the year) :		
(i) Paid up Share Capital (₹)		
(ii)Own Capital (₹)		
(iii)Reserve and Surplus (All Types)(₹)		
(iv)Long Term loans outstanding (#)(₹)		
Name of the Institution-Source	Amount of Loan (₹)	Rate of Interest

(#) Indicate the names of the lending institutions such as State Finance Corporation, Industrial Development and other Public Corporations, Co-operative Banks, Nationalised Banks and other sources along with the amount of loan from each source and the rate of interest at which loan has been taken.

3. Interest and Rent (₹)	
(i) Interest paid during the year	
(ii) Rents (excluding surface rent) paid during the year	

IndiaCode

PART-III (Consumption of Materials)

1. Quantity and cost of material consumed during the year			
Description	Unit	Quantity	Value (₹)
(i) Fuel			
(a) Coal	Tonnes		
(b) Diesel Oil	Ltrs.		
(c) Petrol	Ltrs.		
(d) Kerosene	Ltrs.		
(e) Gas	Cu.M.		
(ii) Lubricant			
(a) Lubricant oil	Ltrs.		
(b) Grease	Kgs.		
(iii) Electricity			
(a) Consumed	Kwh		
(b) Generated	Kwh		
(c) Sold	Kwh		
(iv) Explosives (furnish full details in Part IV)			
(v) Tyres	Nos.		
(vi) Timber and Supports			
(vii) Drill rods and kits	Nos.		
(viii) Other spares and stores			

2. Royalty, Rents and Payments made to DMF and NMET (₹):		
X	Paid for current year	Paid towards past arrears
(a) Royalty		
(b) Dead rent		
(c) Surface rent		
(d) Payment made to DMF		
(e) Payment made to NMET		

3. Compensation paid for felling trees during the year (₹)	
4. Depreciation on fixed assets (₹)	

5. Taxes and cesses

X	Amount in Rupees paid during the year to:	
X	Central Govt.	State Govt.
(i) Sales Tax		
(ii) Welfare cess		
(iii) Other taxes and cesses:-		
(a) Mineral cess		
(b) Cess on dead rent		
(c) Others (please specify)		

6. Other expenses (₹):	
(i) Overheads	
(ii) Maintenance	
(iii) Money value of other benefits paid to workmen	
(iv) Payment made to professional agencies	

IndiaCode

Part –IV (Consumption of Explosives)

Licensed capacity of magazine: (specify unit separately in kg-tonne, numbers, metres)	**Item**	**Unit**	**Capacity**

Classification of Explosives	Unit	Quantity consumed during the year		Estimated requirement during the next year	
		Small dia. (upto 32 mm)	Large dia. (above 32 mm)	Small dia. (upto 32 mm)	Large dia. (above 32 mm)
1.Gun Powder	Kg.				
2.Nitrate Mixture	Kg.	**X**	**X**	**X**	**X**
a. Loose ammonium nitrate					
b. Ammonium nitrate in cartridged form					
3. Nitro compound	Kg.				
4. Liquid Oxygen soaked cartridges	Kg.				
5.Slurry explosives (Mention different trade names)	Kg.				

6. Detonators	No.s	**X**	**X**	**X**	**X**
i) Ordinary					
ii) Electrical		**X**	**X**	**X**	**X**
(a) Ordinary					
(b) Delay					
7. Fuse	Mts	**X**	**X**	**X**	**X**
(a)Safety Fuse					
(b)Detonating Fuse					
8.Plastic ignition cord	Mts				
9.Others (specify)	(Mention the unit)				

Different sizes of soaked liquid oxygen cartridges to be reported in equivalent kg. as per manufacturer's instruction.

PART–V (General Geology and Mining)

(Items 2 and 3 to be submitted separately for each mineral)

1. Exploration

1(i) Exploration activities during the year:

IndiaCode

		At the beginning of the year	During the year	Cumulative	Grid spacing-Dimension
Drilling	No of holes				
	Metrage				
Pitting	No of pits				
	Excavation (in m^3)				
Trenching	No of trenches				
	Excavation (in m^3)				
	Length covered (in metre)				
Expenditure on exploration (₹)					**X**

1(ii). Any other exploration activity during the year:

2. Reserves and Resources estimated (in tonnes).

Classification	Code	At the beginning of the year 1.4.20___ as per latest approved mining plan- scheme	Assessed during the year	Depletion of reserves during the year	Balance resources as on 31.3.20____
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3+4-5)
A. Mineral Reserve					
1. Proved Mineral Reserve	111				

2. Probable mineral Reserve	121				
	122				
3. Total Reserves					
B. Remaining Resources					
1. Feasibility mineral Resource	211				
2. Prefeasibility mineral resource	221				
	222				
3. Measured mineral resource	331				
4. Indicated mineral resource	332				
5. Inferred mineral resource	333				
6. Reconnaissance mineral resource	334				
7. Total remaining Resources					
Total (A+B)					

3. Subgrade-Mineral Reject (in tonnes)

(Information to be given in respect of mineral fractions generated and stacked- dumped below cut-off grade and above threshold value, if prescribed, having no immediate sale value)

IndiaCode

Generation of sub-grade-mineral reject (in tones)	At the beginning of the year	Generated during the year	Disposed during the year	Total stacked at the end of the year	Average grade of the mineral reject generated
from unprocessed ore					
from processed ore					

4. Overburden and Waste (in m^3)

(Information to be given in respect of overburden- waste and mineral fractions generated below threshold value, if prescribed)

At the beginning of the year	Generated during the year	Disposed in dumps during the year	Backfilled during the year	Total at the end of the year

5. Trees planted- survival rate

Description	Within lease area	Outside lease area
i) Number of trees planted during the year		
ii) Survival rate in percentage		
iii) Total no. of trees at the end of the year		

6. Type of Machinery: Give the following information for the types of machinery in use such as hoist, fans, drills, loaders, excavators, dumpers, haulages, conveyors, pumps, etc.

Type of machinery	Capacity of each type of machinery	Unit (in which capacity is reported)	No. of machinery	Electrical-Non-electrical (specify)	Used in opencast-underground (specify)

7(i) Details of mineral Treatment Plant, if any: Give a brief description of the process capacity of the machinery deployed and its availability. (Submit Flow Sheet and Material Balance of the Plant separately).

(ii) Furnish following information:

Item		Tonnage	Average Grade
Feed:			
Concentrates-processed products :	(mention name)		
By-products-Co-products:	(mention name)		
Tailings:			

IndiaCode

PART-VI (PRODUCTION, DESPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes)

1. Type of ore produced:

(*Applicable for Iron ore only; tick mark whichever is applicable*)

(a) Hematite

(b) Magnetite

2. Production and Stocks of ROM ore at Mine-head

Category	Opening stock	Production	Closing stock
(a) Open Cast workings			
(b) Underground Workings			
(c) Dump workings			

3(i) Grade-wise ROM ore despatches from mine head ($):

Grade of ROM@	Despatches from mine-head	Ex-mine Price (₹)

($): Applicable for iron ore and chromite only. For other minerals data of dispatches to be reported in 3(ii)

3(ii) Grade-wise Production, Despatches, Stocks and Ex-mine prices:

Grades**	Opening stock at mine- head	Production	Despatches from mine-head	Closing stock at mine-head	Ex-mine price (' -Tonne)

3(iii) In case the mineral is being pulverized in own factory, please give the following particulars (*):

Grade**	Total quantity of mineral Pulverized (in tonnes)	Total quantity of pulverized mineral produced (for each mesh size)		Total Quantity of pulverized mineral sold during the year		
		Mesh size	Quantity (tonne)	Mesh size	Quantity (tonne)	Ex-factory Sale value (')

IndiaCode

3(iv) Average cost of pulverization (*) : ₹ _____ per tonne.

(): Not applicable for Iron ore, Manganese ore, Bauxite and Chromite*

4. Details of deductions made from sale value for computation of Ex-mine price (₹- Tonne)

Deduction claimed #	Amount (in ₹- Tonne)	Remarks
a) Cost of transportation (indicate loading station and distance from mine in remarks)		
b) Loading and unloading charges		
c) Railway freight, if applicable (indicate destination and distance)		
d) Port handling charges- export duty (indicate name of port)		
e) Charges for sampling and analysis		
f) Rent for the plot at Stocking yard		
g) Other charges (specify clearly)		
Total (a) to (g)		

Not applicable for captive dispatches and ex-mine sales

5. Sales- Despatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade (^)	Nature of Despatch (*indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer ##	Consignee name ##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value(₹)

(^): To indicate the grades of ores as mentioned below (see @ and **)

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

6. Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the year compared to the previous year.

a)

b)

7. Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.

a)

b)

IndiaCode

PART-VII: COST OF PRODUCTION

Cost of production per tonne of ore-mineral produced

Sl. No.	Item	Cost per tonne (₹)
(i)	Direct Cost	
	(a) Exploration	
	(b) Mining	
	(c) Beneficiation(Mechanical Only)	
(ii)	Over-head cost	
(iii)	Depreciation	
(iv)	Interest	
(v)	Royalty	
(vi)	Payments made to DMF	
(vii)	Payments made to NMET	
(viii)	Taxes	
(ix)	Dead Rent	
(x)	Others (specify)	
	Total	

Note: Information given under Part VII will be kept confidential. The Government, however, will be free to utilize the information for general studies without revealing the identity of the firm.

VERIFICATION

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Signature

Date:

Name in full:

Designation: Owner-Agent- Mining Engineer-Manager

@Grades of ROM ore dispatched:

MINERAL	GRADES
Iron ore	a) Below 51% Fe ROM
	b) 51% to below 55% Fe ROM
	c) 55% to below 58% Fe ROM
	d) 58% to below 60% Fe ROM
	e) 60% to below 62% Fe ROM
	f) 62% to below 65% Fe ROM
	g) 65% and above Fe ROM
Chromite	a) Below 40% Cr2O3 ROM
	b) 40% to below 52 % Cr2O3 ROM
	c) 52% and above Cr2O3 ROM

IndiaCode

****Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):**

MINERAL	GRADES
Iron ore	**(i) Lumps:**
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(ii) Fines:
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe

	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(iii) Concentrates
	(iv) Calibrated Lump Ore (CLO) *(Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO)*
	a) Below 62% Fe (CLO any size)
	b) 62% to below 65% Fe (5-18 mm size CLO)
	c) 62% to below 65% Fe (10-40 mm size CLO)
	d) 62% to below 65% Fe (CLO others)
	e) 65% and above Fe (5-18 mm size CLO)
	f) 65% and above Fe (10-40 mm size CLO)
	g) 65% and above Fe (CLO others)
Manganese Ore	**(i) Ore**
	a) Below 25% Mn
	b) 25% to below 35% Mn
	c) 35% to below 46% Mn
	d) 46% and above Mn
	e) Dioxide ore
	(ii) Concentrates
Bauxite	**(i) For use in alumina and aluminium extraction:-** (Please also furnish the actual averages of the ore falling within the following ranges of grades):
	a) Below 40% Al_2O_3
	b) 40% to below 45% Al_2O_3
	c) 45% to below 50% Al_2O_3
	d) 50% to below 55% Al_2O_3
	e) 55% to below 60% Al_2O_3
	f) 60% and above Al_2O_3
	(ii) For use other than alumina and aluminium metal extraction
	a) Cement
	b) Abrasive
	c) Refractory
	d) Chemical
Chromite	**(i) Lumps**
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3

IndiaCode

	(ii) Fines
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3
	(iii) Concentrates
Asbestos	a) Amphibole
	b) Chrysotile
Fluorite-Fluorspar	a) 80% and above CaF_2
	b) 70% to below 80% CaF_2
	c) 30% to below 70% CaF_2
	d) Below 30% CaF_2
Graphite	a) With 80% or more fixed carbon
	b) With 40 % or more fixed carbon but less than 80% fixed carbon
	c) With 20% or more fixed carbon but less than 40% fixed carbon
	d) With less than 20% fixed carbon
Kyanite	a) 40% and above Al_2O_3
	b) Below 40% Al_2O_3
Limestone	a) LD Grade (less than 1.5% silica content)
	b) SMS
	c) BF
	d) Chemical
	e) Cement
Rock Phosphate-Phosphorite	a) Above 30% P_2O_5
	b) Above 25% to 30% P_2O_5
	c) Above 20% to 25% P_2O_5
	d) Upto 20% P_2O_5

IndiaCode

FORM G2

[See rule 45(5) (c)(ii)]

For the financial year 1st April, 20____ to 31st March, 20____

ANNUAL RETURN

[To be used for minerals Copper, Gold, Lead, Pyrites, Tin, Tungsten and Zinc]

To

(i) The Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines

_____Region,

PIN:

(*Please address to Regional Controller of Mines in whose territorial jurisdiction the mines falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988)*

(ii) The State Government

PART – I (General)

1. Details of Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (*to give registration number of the Lessee-Owner*)	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
2. Location of the Mine :	
Village	
Post Office	
Tahsil-Taluk	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:
3. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):	
Name of Lessee-Owner	
Address	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:
4. Registered Office of the Lessee:	
5. Director in-charge :	
6. Agent :	
7. Manager :	
8. Mining Engineer in-charge:	
9. Geologist in-charge :	
10. Transferor (previous owner), if any, and date of transfer:	
11. Particulars of area operated-Lease (Furnish information on items (i) to (vi) lease-wise in case mine workings cover more than one lease)	
(i) Lease number allotted by the State Government……	
(ii) Area under lease (hectares):	
Under Forest	
Outside Forest	
Total	

IndiaCode

(iii) Date of execution of mining lease deed			
(iv) Period of lease			
(v) Area for which surface rights are held (hectares)			
Under Forest			
Outside Forest			
Total			
(vi) Date and period of renewal (if applicable)			
(vii) In case there is more than one mine in the same lease area, indicate name of mine and mineral produced			
12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares):	Under forest	Outside forest	Total
(i) Already exploited and abandoned by opencast (O-C) mining			
(ii) Covered under current (O-C) Workings			
(iii) Reclaimed-rehabilitated			
(iv) Used for waste disposal			
(v) Occupied by plant, buildings, residential, welfare buildings and roads			
(vi) Used for any other purpose (specify)			
(vii) Work done under progressive mine closure plan during the year			
13. Ownership-exploiting Agency of the mine: (Public Sector-Private Sector-Joint Sector)			

IndiaCode

PART-II (Employment and Wages)

1.Number of supervisory staff employed at the mine		
Description	Wholly employed	Partly employed
(i) Graduate Mining Engineer		
(ii) Diploma Mining Engineer		
(iii) Geologist		
(iv) Surveyor		
(v) Other administrative and technical supervisory staff		
Total:		
2.(i) Number of days the mine worked:		
(ii) No. of shifts per day:		
(iii) Indicate reasons for work stoppage in the mine during the year (due to strike, lockout, heavy rain, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each of the factors separately .	Reasons	No. of days

3. Employment and salary-wages paid #:

Maximum number of persons employed on any one day during the year:

(i) In workings below ground on (date).....(a) (number).....

(ii) In all in the mine on (date).....(a) (number).....

Classification	Total number of man days worked during the year			No. of days worked during the year	Average daily number of persons employed			Total Wages - Salary for the year (₹)
	Direct	Contract	Total		Male	Female	Total	
(1)	2(A)	2(B)	2(C)	(3)	4(A)	4(B)	4(C)	(5)
Below Ground								
Opencast								
Above Ground								
Total:								

To include all employees exclusive to the mine and attached factory, workshop or mineral dressing plant at the mine site

PART-II A (Capital Structure)

1. Value of Fixed Assets* (₹……)

(in respect of the mine, beneficiation plant, mine work-shop, power and water installation)

In case this information is furnished as combined information in another mine's return please specify Mine Code-Mine Name:

Description	At the beginning of the year (₹)	Additions during the Year (₹)	Sold or discarded during the year (₹)	Deprec-iation during the year (₹)	Net closing Balance (₹) (2+3)-(4+5)	Estimated market value** (₹)
1	2	3	4	5	6	7
(i) Land***						
(ii) Building:						
Industrial						
Residential						
(iii) Plant and Machinery including transport equipment						
iv) Capitalised Expenditure such as pre-production exploration, development, major overhaul and repair to machinery etc. (As prescribed under Income Tax Act)						
Total:						

* In case the fixed assets are common to more than one mine, furnish combined information for all such mines together in any one of the mine's return. In the returns for other mines, give only a cross reference to the particular mine's return where-in the information is included.

** Optional and may be furnished in respect of items (i), (ii) and (iii) if the mine owner desires.

IndiaCode

*** Including any non-recurring expenditure incurred on the acquisition of land.

2. Source of Finance (at the end of the year) :		
(i) Paid up Share Capital (₹)		
(ii)Own Capital (₹)		
(iii)Reserve and Surplus (All Types)(₹)		
(iv)Long Term loans outstanding (#)(₹)		
Name of the Institution-Source	Amount of Loan (₹)	Rate of Interest

(#) Indicate the names of the lending institutions such as State Finance Corporation, Industrial Development and other Public Corporations, Co-operative Banks, Nationalised Banks and other sources along with the amount of loan from each source and the rate of interest at which loan has been taken.

3. Interest and Rent (₹)	
(i) Interest paid during the year	
(ii) Rents (excluding surface rent) paid during the year	

PART-III (Consumption of Materials)

1. Quantity and cost of material consumed during the year			
Description	Unit	Quantity	Value (₹)
(i) Fuel			
(a) Coal	Tonnes		
(b) Diesel Oil	Ltrs.		
(c) Petrol	Ltrs.		
(d) Kerosene	Ltrs.		
(e) Gas	Cu.M.		
(ii) Lubricant			
(a) Lubricant oil	Ltrs.		
(b) Grease	Kgs.		
(iii) Electricity			
(a) Consumed	Kwh		
(b) Generated	Kwh		
(c) Sold	Kwh		
(iv) Explosives (furnish full details in Part IV)			
(v) Tyres	Nos.		
(vi) Timber and Supports			
(vii) Drill rods and kits	Nos.		
(viii) Other spares and stores			

IndiaCode

2. Royalty, Rents and Payments made to DMF and NMET (₹):		
X	Paid for current year	Paid towards past arrears
(a) Royalty		
(b) Dead rent		
(c) Surface rent		
(d) Payment made to DMF		
(e) Payment made to NMET		
3. Compensation paid for felling trees during the year (₹)		
4. Depreciation on fixed assets (₹)		
5. Taxes and cesses		
X	Amount in Rupees paid during the year to:	
X	Central Govt.	State Govt.
(i) Sales Tax		
(ii) Welfare cess		
(iii) Other taxes and cesses:-		
(a) Mineral cess		
(b) Cess on dead rent		
(c) Others (please specify)		
6. Other expenses (₹):		
(i) Overheads		
(ii) Maintenance		
(iii) Money value of other benefits paid to workmen		
(iv) Payment made to professional agencies		

IndiaCode

Part –IV (Consumption of Explosives)

Licensed capacity of magazine: (specify unit separately in kg-tonne, numbers, metres)	**Item**	**Unit**	**Capacity**

Classification of Explosives	Unit	Quantity consumed during the year		Estimated requirement during the next year	
		Small dia. (upto 32 mm)	Large dia. (above 32 mm)	Small dia. (upto 32 mm)	Large dia. (above 32 mm)
1.Gun Powder	Kg.				
2.Nitrate Mixture	Kg.	**X**	**X**	**X**	**X**
a. Loose ammonium nitrate					
b. Ammonium nitrate in cartridged form					
3. Nitro compound	Kg.				
4. Liquid Oxygen soaked cartridges	Kg.				

5.Slurry explosives (Mention different trade names)	Kg.				
6. Detonators	No.s	**X**	**X**	**X**	**X**
i) Ordinary					
ii) Electrical		**X**	**X**	**X**	**X**
(a) Ordinary					
(b) Delay					
7. Fuse	Mts	**X**	**X**	**X**	**X**
(a)Safety Fuse					
(b)Detonating Fuse					
8.Plastic ignition cord	Mts				
9.Others (specify)	(Mention the unit)				

Different sizes of soaked liquid oxygen cartridges to be reported in equivalent kg. as per manufacturer's instruction.

PART – V (General Geology and Mining)

(Items 2 and 3 to be submitted separately for each mineral)

1. Exploration

1(i) Exploration activities during the year:

		At the beginning of the year	During the year	Cumulative	Grid spacing-Dimension
Drilling	No of holes				
	Metrage				
Pitting	No. of pits				
	Excavation (in m^3)				
Trenching	No of trenches				
	Excavation (in m^3)				
	Length covered (in metre)				
Expenditure on exploration (₹)					**X**

IndiaCode

1(ii). Any other exploration activity during the year:

2. Reserves and Resources estimated (in tonnes).

Classification	Code	At the beginning of the year 1.4.20___	Assessed during the year	Depletion of reserves during the year	Balance resources as on 31.3.20____
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3+4-5)
A. Mineral Reserve					
1. Proved Mineral Reserve	111				
2. Probable mineral Reserve	121				
	122				
3. Total Reserves					
B. Remaining Resources					
1. Feasibility mineral Resource	211				
2. Prefeasibility mineral resource	221				
	222				
3. Measured mineral resource	331				
4. Indicated mineral resource	332				
5. Inferred mineral resource	333				
6. Reconnaissance mineral resource	334				
7. Total remaining Resources					
Total (A+B)					

IndiaCode

3. Subgrade-Mineral Reject (in tonnes)

(Information to be given in respect of mineral fractions generated and stacked- dumped below cut-off grade and above threshold value, if prescribed, having no immediate sale value)

At the beginning of the year	Generated during the year	Disposed during the year	Total stacked at the end of the year	Average grade of the mineral reject generated.

4. Overburden and Waste (in m^3)

(Information to be given in respect of overburden- waste and mineral fractions generated below threshold value, if prescribed)

At the beginning of the year	Generated during the year	Disposed in dumps during the year	Backfilled during the year	Total at the end of the year

5. Trees planted- survival rate

Description	Within lease area	Outside lease area
i) Number of trees planted during the year		
ii) Survival rate in percentage		
iii) Total no. of trees at the end of the year		

6. Type of Machinery: Give the following information for the types of machinery in use such as hoist, fans, drills, loaders, excavators, dumpers, haulages, conveyors, pumps, etc.

Type of machinery	Capacity of each type of machinery	Unit (in which capacity is reported)	No. of machinery	Electrical-Non-electrical (specify)	Used in opencast-underground (specify)

7(i) Details of mineral Treatment Plant, if any: Give a brief description of the process capacity of the machinery deployed and its availability. (Submit Flow Sheet and Material Balance of the Plant separately).

(ii) Furnish following information:

Item		Tonnage	Average Grade
Feed:			
Concentrates-processed products :	(mention name)		
By-products-Co-products:	(mention name)		
Tailings:			

IndiaCode

PART-VI (PRODUCTION, DESPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

(Unit of Quantity in Tonnes; indicate unit of quantity if not in tonnes)

1. Production and Stocks of ROM ore

	Opening stocks		Production		Closing stocks	
	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade
A. From Underground workings						
i) From Development						
ii) From Stoping						
B. From Opencast workings						
Total						

2. Ex-mine price of the ore produced (₹ per unit):

3. Recoveries at Concentrator-Mill-Plant:

Opening stocks of the Ore at concentrator-plant		Ore received from the mine		Ore treated	
Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade

Concentrates * Obtained			Tailings		Closing stocks of concentrates at the concentrator-plant	
Quantity	Metal content-grade	Value (₹)	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade

*In case of any leaching method adopted, give quantity recovered and grade contained separately.

4. Recovery at the Smelter-Mill-Plant:

Opening Stocks of the concentrates at the smelter -plant		Concentrates received from concentrator-plant		Concentrates received from other sources (specify)		Concentrates sold (if any)	
Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade

Concentrates treated		Closing stocks of concentrate at the Smelter-Plant		Metals(*) recovered (specify)			Other by-products, if any, recovered		
Quantity	Metal content-grade	Quantity	Metal content-grade	Quantity	Grade	Value (₹)	Quantity	Grade	Value (₹)

(*) Please give category-wise break-up viz. blister, fire refined copper, cathodes, electrolytic copper wire bars, lead ingots, zinc cathodes, zinc dross, gold, tungsten etc.

IndiaCode

5. Sales during the year:

Metal-Product	Opening stocks of Metals-Products		Place of sale	Metals-Products sold(@)			Closing stocks of Metals-Products	
	Quantity	Grade		Quantity	Grade	Value(#) (₹)	Quantity	Grade

Note:

(#) Please give ex-plant sale value.

(@) Please give category-wise break-up of metals and other products sold.

6. Details of deductions made from sale value for computation of Ex-mine price (₹- Unit)

Deduction claimed #	Amount (in ₹- Unit)	Remarks
a) Cost of transportation (indicate loading station and distance from mine in remarks)		
b) Loading and unloading charges		
c) Railway freight, if applicable (indicate destination and distance)		
d) Port Handling charges- export duty (indicate name of port)		
e) Charges for sampling and analysis		
f) Rent for the plot at Stocking yard		
g) Other charges (specify clearly)		
Total (a) to (g)		

Not applicable for captive dispatches and ex-mine sales

7. Sales- Dispatches of ore and concentrates effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade (ore-Conc.)	Nature of Despatch (*indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer ##	Consignee name ##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value(₹)

IndiaCode

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

8. Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the year compared to the previous year.

a)

b)

9. Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.

a)

b)

PART-VII: COST OF PRODUCTION

Cost of production per unit of ore-mineral produced

Sl.No.	Item	Cost per unit (₹)
(i)	Direct Cost	
	(a) Exploration	
	(b) Mining	
	(c) Beneficiation(Mechanical Only)	
(ii)	Over-head cost	
(iii)	Depreciation	
(iv)	Interest	
(v)	Royalty	
(vi)	Payments made to DMF	
(vii)	Payments made to NMET	
(viii)	Taxes	
(ix)	Dead Rent	
(x)	Others (specify)	
	Total	

IndiaCode

Note: Information given under Part VII will be kept confidential. The Government, however, will be free to utilize the information for general studies without revealing the identity of the firm.

VERIFICATION

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Signature

Date: Name in full:

Designation: Owner-Agent-

Mining Engineer-Manager

FORM G3

[See rule 45(5)(c)(iii)]

For the financial year 1st April, 20____ to 31st March, 20____

ANNUAL RETURN

[To be used for precious and semi-precious stones]

To

(i) The Regional Controller of Mines

Indian Bureau of Mines

_____Region,

PIN:

(*Please address to Regional Controller of Mines in whose territorial jurisdiction the mines falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines under rule 62 of the Mineral Conservation and Development Rules, 1988)*

(ii) The State Government

PART – I (General)

IndiaCode

1. Details of Mine:	
(a) Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (*to give registration number of the Lessee-Owner*)	
(b) Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c) Name of the Mineral	
(d) Name of Mine	
(e) Name(s) of other mineral(s), if any, produced from the same mine	
2. Location of the Mine :	
Village	
Post Office	
Tahsil-Taluk	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:
3. Name and address of Lessee-Owner (along with fax No. and e-mail):	
Name of Lessee-Owner	
Address	
District	
State	
PIN Code	
Fax No. :	E-mail:
Phone No. :	Mobile:

4. Registered Office of the Lessee:	
5. Director in charge :	
6. Agent :	
7. Manager :	
8. Mining Engineer in-charge:	
9. Geologist in-charge :	
10. Transferor (previous owner), if any, and date of transfer:	

11. Particulars of area operated-Lease (Furnish information on items (i) to (vi) lease-wise in case mine workings cover more than one lease)			
(i) Lease number allotted by the State Government……			
(ii) Area under lease (hectares):			
Under Forest			
Outside Forest			
Total			
(iii) Date of execution of mining lease deed			
(iv) Period of lease			
(v) Area for which surface rights are held (hectares)			
Under Forest			
Outside Forest			
Total			
(vi) Date and period of renewal (if applicable)			
(vii) In case there is more than one mine in the same lease area, indicate name of mine and mineral produced			
12. Lease area (surface area) utilisation as at the end of year (hectares):	Under forest	Outside forest	Total
(i) Already exploited and abandoned by opencast (O-C) mining			
(ii) Covered under current (O-C) Workings			
(iii) Reclaimed-rehabilitated			
(iv) Used for waste disposal			
(v) Occupied by plant, buildings, residential, welfare buildings and roads			
(vi) Used for any other purpose (specify)			
(vii) Work done under progressive mine closure plan during the year			
13. Ownership-exploiting Agency of the mine: (Public Sector-Private Sector-Joint Sector)			

IndiaCode

PART-II (Employment and Wages)

1.Number of supervisory staff employed at the mine		
Description	Wholly employed	Partly employed
(i) Graduate Mining Engineer		
(ii) Diploma Mining Engineer		
(iii) Geologist		

(iv) Surveyor		
(v) Other administrative and technical supervisory staff		
Total:		
2.(i) Number of days the mine worked:		
(ii) No. of shifts per day:		
(iii) Indicate reasons for work stoppage in the mine during the year (due to strike, lockout, heavy rain, non-availability of labour, transport bottleneck, lack of demand, uneconomic operations, etc.) and the number of days of work stoppage for each of the factors separately .	Reasons	No. of days

3. Employment and salary-wages paid #:

Maximum number of persons employed on any one day during the year:

(i) In workings below ground on (date).....(a) (number).....

(ii) In all in the mine on (date).....(a) (number).....

Classification	Total number of man days worked during the year			No. of days worked during the year	Average daily number of persons employed			Total Wages - Salary for the year (₹)
	Direct	Contract	Total		Male	Female	Total	
(1)	2(A)	2(B)	2(C)	(3)	4(A)	4(B)	4(C)	(5)
Below Ground								
Opencast								
Above Ground								
Total:								

To include all employees exclusive to the mine and attached factory, workshop or mineral dressing plant at the mine site

PART-II A (Capital Structure)

1. Value of Fixed Assets* (₹……)

(in respect of the mine, beneficiation plant, mine work-shop, power and water installation)

In case this information is furnished as combined information in another mine's return please specify Mine Code-Mine Name:

Description	At the beginning of the year (₹)	Additions during the Year (₹)	Sold or discarded during the year (₹)	Deprec-iation during the year (₹)	Net closing Balance (₹) (2+3)-(4+5)	Estimated market value** (₹)
1	2	3	4	5	6	7
(i) Land***						
(ii) Building:						
Industrial						
Residential						
(iii) Plant and Machinery						

including transport equipment						
iv) Capitalised Expenditure such as pre-production exploration, development, major overhaul and repair to machinery etc. (As prescribed under Income Tax Act)						
Total:						

* In case the fixed assets are common to more than one mine, furnish combined information for all such mines together in any one of the mine's return. In the returns for other mines, give only a cross reference to the particular mine's return where-in the information is included.

** Optional and may be furnished in respect of items (i), (ii) and (iii) if the mine owner desires.

*** Including any non-recurring expenditure incurred on the acquisition of land.

2. Source of Finance (at the end of the year) :		
(i) Paid up Share Capital (₹)		
(ii) Own Capital (₹)		
(iii) Reserve and Surplus (All Types)(₹)		
(iv) Long Term loans outstanding (#)(₹)		
Name of the Institution-Source	Amount of Loan (₹)	Rate of Interest

(#) Indicate the names of the lending institutions such as State Finance Corporation, Industrial Development and other Public Corporations, Co-operative Banks, Nationalised Banks and other sources along with the amount of loan from each source and the rate of interest at which loan has been taken.

3. Interest and Rent (₹)	
(i) Interest paid during the year	
(ii) Rents (excluding surface rent) paid during the year	

PART-III (Consumption of Materials)

1. Quantity and cost of material consumed during the year			
Description	Unit	Quantity	Value (₹)
(i) Fuel			
(a) Coal	Tonnes		
(b) Diesel Oil	Ltrs.		
(c) Petrol	Ltrs.		
(d) Kerosene	Ltrs.		
(e) Gas	Cu.M.		
(ii) Lubricant			
(a) Lubricant oil	Ltrs.		
(b) Grease	Kgs.		
(iii) Electricity			
(a) Consumed	Kwh		
(b) Generated	Kwh		

(c) Sold	Kwh		
(iv) Explosives (furnish full details in Part IV)			
(v) Tyres	Nos.		
(vi) Timber and Supports			
(vii) Drill rods and kits	Nos.		
(viii) Other spares and stores			

2. Royalty, Rents and Payments made to DMF and NMET (₹):		
X	Paid for current year	Paid towards past arrears
(a) Royalty		
(b) Dead rent		
(c) Surface rent		
(d) Payment made to DMF		
(e) Payment made to NMET		

3. Compensation paid for felling trees during the year (₹)	
4. Depreciation on fixed assets (₹)	

5. Taxes and cesses

X	Amount in Rupees paid during the year to:	
X	Central Govt.	State Govt.
(i) Sales Tax		
(ii) Welfare cess		
(iii) Other taxes and cesses:-		
(a) Mineral cess		
(b) Cess on dead rent		
(c) Others (please specify)		

6. Other expenses (₹):	
(i) Overheads	
(ii) Maintenance	
(iii) Money value of other benefits paid to workmen	
(iv) Payment made to professional agencies	

Part –IV (Consumption of Explosives)

Licensed capacity of magazine: (specify unit separately in kg-tonne, numbers, metres)	**Item**	**Unit**	**Capacity**

Classification of Explosives	Unit	Quantity consumed during the year		Estimated requirement during the next year	
		Small dia. (upto 32 mm)	Large dia. (above 32 mm)	Small dia. (upto 32 mm)	Large dia. (above 32 mm)
1.Gun Powder	Kg.				

IndiaCode

2.Nitrate Mixture	Kg.	**X**	**X**	**X**	**X**
a. Loose ammonium nitrate					
b. Ammonium nitrate in cartridged form					
3. Nitro compound	Kg.				
4. Liquid Oxygen soaked cartridges	Kg.				
5.Slurry explosives (Mention different trade names)	Kg.				
6. Detonators	No.s	**X**	**X**	**X**	**X**
i) Ordinary					
ii) Electrical		**X**	**X**	**X**	**X**
(a) Ordinary					
(b) Delay					
7. Fuse	Mts	**X**	**X**	**X**	**X**
(a) Safety Fuse					
(b) Detonating Fuse					
8.Plastic ignition cord	Mts				
9.Others (specify)	(Mention the unit)				

Different sizes of soaked liquid oxygen cartridges to be reported in equivalent kg. as per manufacturer's instruction.

PART–V (General Geology and Mining)

(Items 2 and 3 to be submitted separately for each mineral)

1. Exploration

1(i) Exploration activities during the year:

		At the beginning of the year	During the year	Cumulative	Grid spacing-Dimension
Drilling	No of holes				
	Metrage				
Pitting	No of pits				
	Excavation (in m^3)				
Trenching	No of trenches				
	Excavation (in m^3)				
	Length covered (in metre)				
Expenditure on exploration (₹)					**X**

IndiaCode

1(ii). Any other exploration activity during the year:

2. Reserves and Resources estimated (in tonnes).

Classification	Code	At the beginning of the year 1.4.20___	Assessed during the year	Depletion of reserves during the year	Balance resources as on 31.3.20____
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3+4-5)
A. Mineral Reserve					
1. Proved Mineral Reserve	111				
2. Probable mineral Reserve	121				
	122				
3. Total Reserves					
B. Remaining Resources					
1. Feasibility mineral Resource	211				
2. Prefeasibility mineral resource	221				
	222				
3. Measured mineral resource	331				
4. Indicated mineral resource	332				
5. Inferred mineral resource	333				
6. Reconnaissance mineral resource	334				
7. Total remaining Resources					
Total (A+B)					

IndiaCode

3. Subgrade-Mineral Reject (in tonnes)

(Information to be given in respect of mineral fractions generated and stacked- dumped below cut-off grade and above threshold value, if prescribed, having no immediate sale value)

At the beginning of the year	Generated during the year	Disposed during the year	Total stacked at the end of the year	Average grade of the mineral reject generated.

4. Overburden and Waste (in m^3)

(Information to be given in respect of overburden- waste and mineral fractions generated below threshold value, if prescribed)

At the beginning of the year	Generated during the year	Disposed in dumps during the year	Backfilled during the year	Total at the end of the year

5. Trees planted- survival rate

Description	Within lease area	Outside lease area
i) Number of trees planted during the year		
ii) Survival rate in percentage		
iii) Total no. of trees at the end of the year		

6. Type of Machinery: Give the following information for the types of machinery in use such as hoist, fans, drills, loaders, excavators, dumpers, haulages, conveyors, pumps, etc.

Type of machinery	Capacity of each type of machinery	Unit (in which capacity is reported)	No. of machinery	Electrical-Non-electrical (specify)	Used in opencast-underground (specify)

7(i) Details of mineral Treatment Plant, if any: Give a brief description of the process capacity of the machinery deployed and its availability. (Submit Flow Sheet and Material Balance of the Plant separately).

(ii) Furnish following information:

Item		Tonnage	Average Grade
Feed:			
Concentrates-processed products :	(mention name)		
By-products-Co-products:	(mention name)		
Tailings:			

IndiaCode

PART-VI (PRODUCTION, DESPATCHES AND STOCKS)

(To be submitted separately for each mineral)

1. R.O.M production:

Category	Unit of quantity	Quantity
(a) Opencast workings		
(b) Underground workings		

2. Production, stocks and despatches:-

	Gem Variety				Industrial		Others	
	Rough and uncut stones		Cut and Polished Stones					
	No. of stones	Qty @	No. of stones	Qty @	No. of stones	Qty @	No. of stones	Qty @
A .Opening stocks								
B. Production								
i)From Opencast Working								
ii)From underground working								
TOTAL (Production)								

C. Despatches								
D. Closing Stocks								
E. Ex-mine Price (₹)								

@:The Unit of quantity viz. Carats-Grams-Kilogram etc., as the case may be, should be indicated under quantity.

3. Details of deductions made from sale value for computation of Ex-mine price (₹- Unit)

Deduction claimed#	Amount (in ₹- Unit)	Remarks
a) Cost of transportation (indicate loading station and distance from mine in remarks)		
b) Loading and unloading charges		
c) Railway freight, if applicable (indicate destination and distance)		
d) Port handling charges- export duty (indicate name of port)		
e) Charges for sampling and analysis		
f) Rent for the plot at stocking yard		
g) Other charges (specify clearly)		
Total (a) to (g)		

Not applicable for captive dispatches and ex-mine sales

4. Sales- Despatches effected for Domestic Purposes and for Exports:

Grade (*)	Nature of Despatch (indicate whether Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer ##	Consignee name ##	Quantity	Sale value (₹)	Country	Quantity	F.O.B Value(₹)

*: To indicate rough and uncut stones, cut and polished stones, industrial, others

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade of ore quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

5. Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the year compared to the previous year.

a)

b)

IndiaCode

6. Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.

a)

b)

PART-VII: COST OF PRODUCTION

Cost of production per unit of ore-mineral produced

Sl.No.	Item	Cost per unit (₹)
(i)	Direct Cost	
	(a) Exploration	
	(b) Mining	
	(c) Beneficiation(Mechanical Only)	
(ii)	Over-head cost	
(iii)	Depreciation	
(iv)	Interest	
(v)	Royalty	
(vi)	Payments made to DMF	
(vii)	Payments made to NMET	
(viii)	Taxes	
(ix)	Dead Rent	
(x)	Others (specify)	
	Total	

IndiaCode

Note: Information given under Part VII will be kept confidential. The Government, however, will be free to utilize the information for general studies without revealing the identity of the firm.

VERIFICATION

I certify that the information furnished above is correct and complete in all respects.

Place: Signature

Date: Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager.

FORM-H

(See rule 46)

(Notice of certain appointment-resignation-termination-change of address)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within fifteen days of new appointment or termination from employment or change in address of Agent, Mining Engineer, Geologist or Manager, by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

1. **IBM Registration Number**
2. **Type of mineral concession** RP (o)- PL (o)- PL-cum-ML (o)- ML (o)
3. **Unique number of R.P-PL-PL –cum-ML**
4. **Mining Lease Code**
5. **Mine Code**
6. **Name and address of the mineral Concession holder**

 (Information will be system generated. Linked with Entry 3 of Form 'K')

7. **Particulars of the Mineral concession**

 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 - 5 - 6 of Form 'K')

8. **Location of the Mining Lease**

 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 -5 -6 of Form 'K')

9. **Please indicate whether notice is given in respect of:**

 (a) New appointment

 (b) Resignation-termination of employment

 (c) Change of address:

IndiaCode

10. **In case of appointment of Agent-Mining Engineer-Geologist-Manager, please indicate**

Name	Designation	Address	Qualification	University-Institution from which passed	E-mail	Mobile No.	Date of appointment

11. **If the appointment is that of a Mining Engineer or a Geologist, please indicate:**

 (Please tick mark whichever is applicable)

 (i) Whether appointment is: Whole time

 Part time

 (ii) Names, locations and ownership of all other mines-Prospecting Licence which he will supervise:

12. **In case of resignation-termination of employment of Agent-Mining Engineer- Geologist-Manager, please indicate:**

Name	Designation	Date of resignation-termination of employment

[In case the vacancy so created has been filled in, please furnish the particulars of the same in columns 7 and 9(a)]

13. **In case of change of address of the Lessee-Agent-Mining Engineer-Geologist-Manager, please indicate:**

Name	Designation	Present Address	Date of change of address

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Agent-Mining Engineer-Manager

FORM-I

(See rule 47)

(Notice of sinking shafts and boreholes)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within fifteen days after the commencement of sinking shafts-boreholes, by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

IndiaCode

1. **Type of Mineral Concession ---** Mining Lease ◎
 Prospecting Licence ◎
 Prospecting License-cum-Mining Lease ◎
2. **IBM Registration Number** []
3. **Unique IBM Concession Number** Prospecting License []
 Prospecting License-cum-Mining Lease []
4. **Mining Lease Code** []
5. **Mine Code** []
6. **Name of the mineral or minerals for which prospecting license or prospecting license cum mining lease-mining lease has been granted:**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of Form 'K'.)
7. **Name and address of the mineral concession holder**
 (Information will be system Generated. Linked with Entry 4 and 5 of Form 'K'.)
8. **Particulars of mineral concession**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of FORM 'K'.)
9. **Location of the Mineral Concession**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of FORM 'K'.)
10. **Number of shafts-boreholes intended to be sunk or extended**
 (Attach a plan on a scale not less than 1 centimetre = 40 metres indicating the precise location of the shaft-borehole). _____
11. Purpose for which each of the shafts-boreholes is intended to be sunk or extended _____

12. Type of shaft(s)-contemplated and its-their dimension(s) _____
13. Type of drill used and size of core to be obtained. _____
14. Intended depth upto which shaft-boreholes is to be extended _____
15. If the shaft-borehole commences from underground
 the depth of the level at which the shaft-borehole is sunk _____
16. Name and qualification of the geologist or
 mining engineer in charge of the operation. _____
17. Date of commencement of proposed
 shaft sinking-drilling operation. _____

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Geologist-Mining Engineer

FORM-J

[See rule 48(1)]

(Particulars to be recorded in respect of each bore-hole-pit-shaft).

1. **Type of Mineral Concession ---** Mining Lease ◎
 Prospecting Licence ◎
 Prospecting License-cum-Mining Lease ◎
2. **IBM Registration Number** []
3. **Unique IBM Concession Number** Prospecting License []
 Prospecting License-cum-Mining Lease []
4. **Mining Lease Code** []
5. **Mine Code** []
6. **Name of the mineral or minerals for which prospecting license or prospecting license cum mining lease-mining lease has been granted:**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of Form 'K'.)
7. **Name and address of the mineral concession holder**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of Form 'K'.)
8. **Particulars of the mineral concession**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of FORM 'K'.)
9. **Location of the Mineral Concession**
 (Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of FORM 'K'.)
10. **Type and make of the drill and size of core** _____
 .
11. **Bore hole-pit number and its location**
 (a) Reduced levels at the collar of the borehole-pit. _____
 (b) Inclination and bearing of the hole _____
 (c) Altitude of the formation _____

IndiaCode

12. **Duration of drilling-pitting**

(a) Date of commencement _____

(b) Date of completion _____

13. **Total length of the bore hole-pit-shaft**. _____

14. **Purpose of drilling-pitting-shaft :** _____

15. **Total operating expenditure incurred (in Rs.)** : _____

16. **Details of intersection (as given below) :**

Sl. No.	**RUN DETAILS**				**Size of core-pit-shaft**	**Percentage recovery of core**	**Lithology**	**Analysis details (Major Radicals a b c d)**	**Remarks**
	From (in metres)	To (in meters)	Width (in meters)	True width (in meters)					

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Geologist-Mining Engineer

IndiaCode

FORM-K

[See Rule 45(1)]

(Application for registration under Rule 45 of MCDR for undertaking mining or prospecting or reconnaissance operations, or trading or storage or end use or export of minerals)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- If there is any change after registration in any of the fields, the form may be updated accordingly and informed to the Controller General, Indian Bureau of Mines.
- Application to be filed through the respective Regional Office of Indian Bureau of Mines, under whose jurisdiction the State or Union territory in which the mining or prospecting or reconnaissance operations or trading or storage or end use or export of minerals is being undertaken, falls.
- The form should be digitally signed by the concerned signing authority

1. **Category of applicant**: (Please tick mark below)

- o Individual
- o Association of individuals
- o Firm
- o Company registered under Companies Act.

2. **Type of business-activity**: (Please tick mark options given below, multiple options permitted)

- o Reconnaissance
- o Prospecting
- o Mining
- o Trading of minerals

- Storage of minerals
- End-user of minerals (including consumption from captive mines)
- Export of minerals (also mention IE Code)

3. Details of the applicant:

(Please tick mark Government Company () or Others ())

(a) In case of individual applicant (includes owner, agent, mining engineer or manager of every mine)**:**

(i)	**Name**	Shri - Smt. (First name) - (Middle name) - (Last name)
(ii)	**Position in mine** (please tick mark the option)	o Owner o Agent o Mining engineer o Manager
(iii)	**Address**	(Door number- building number- plot number)
	Block	(street number - block number)
	Taluka	
	District	
	State - U.T	
	Pin code	
	E-mail	
(iv)	**Telephone**	Office : Fax : Residence : Mobile :
(v)	**PAN number**	
(vi)	**AADHAR number**	
(vii)	**Passport number**	

IndiaCode

(b) In case of association of individuals:

(i)	**Name of Association, or name of the Signing authority of association**	
(ii)	**Address**	(Door number- building number- plot number)
	Block	(street number - block number)
	Taluka	
	District	
	State - U.T	
	Pin code	
	E-mail	
(iii)	**Telephone**	Office : Fax :

		Residence : Mobile :

(iv)	**Details of Associates**	Name	PAN number	Aadhar Number	Citizenship	Passport number

(v)	**Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952**	Name	
		Designation	
		Address	
		Phone No.	Office: Residence: Mobile: E mail:
		PAN No.	
		Passport No.	

(c) **In case of a Firm:**

(i)	**Name of Firm**					
(ii)	**Address**	(Door number- building number- plot number)				
	Block	(street number - block number)				
	Taluka					
	District					
	State - U.T					
	Pin code					
	E-mail					
(iii)	**Telephone**	Office : Fax : Residence : Mobile :				
(iv)	**Details of partners in the Firm**	Name of partner	PAN Number	Aadhar Number	Citizenship	Passport Number

IndiaCode

	Firm Type (Tick)	Registered-Unregistered				
(v)	**Registration number of Firm** (as registered under Indian Partnership Act, 1932)					
	PAN No.	TIN No.		TAN No.		
(vi)	**Name of the State where registered**					
(vii)	**Date of registration**	(dd-mm-yyyy)				
(viii)	**Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952**	Name				
		Designation				
		Address				
		Phone Number	Office: Residence: Mobile: Email:			
		PAN No.				
		Passport No.				

(d) In case of a company:

(i)	**Name of Company**					
(ii)	**Registered Address**					
	State - U.T					
	Pin code					
	E-mail					
(iii)	**Telephone**	Office : Fax : Mobile :				
(iv)	**Details of Directors in the Company**	Name	PAN Number	Aadhar Number	Citizenship	Passport Number

IndiaCode

(v)	**Registration number of Company** (as registered under Companies Act, 2013)			
	TAN No.		TIN No.	
(vi)	**Name of the State where registered**			
(vii)	**Date of registration**	(dd-mm-yyyy)		
(viii)	**Details of nominated owner under section 76 of the Mines Act, 1952**	Name		
		Designation		
		Address		
		Phone no	Office: Residence: Mobile: E mail:	
		PAN No.		
		Passport No.		

IndiaCode

(e) State License Details (only for a State License Holder under section 23C of MMDR Act 1957

State License No.	State	Area of Business-District	Date of Isssue	Valid upto (dd/mm/yyyy)	Issuing Authority	Name of Minerals

4. Please give details of mines held at the time of applying for registration if any, or update the information due to any changes after registration, by the Individual- Association of Individuals - Firms or Company.

Sl. No.	Name of the mine	Lease Code assigned by IBM	Mine code assigned by IBM

	Location of Mining Lease area								Area held under ML (in ha.)	Name of Minerals	Date of Registration of ML	Period of Lease	
												From	To
Mine Code	Village	Taluka	District	State	Topo-sheet number	Cadastral Survey or Khasra	Lati-tude (dd mm	Long-itude (dd mm					

						Number	ss)	ss)					

5. **Please give details of prospecting licence - prospecting licence cum mining lease held at the time of applying for registration, if any, or update the information due to any changes after registration, by the Individual- Association of Individuals - Firms or Company.**

Location of PL- PL cum ML area									Area held under PL- PL cum ML (in ha.)	Name of Minerals	Date of grant	Period	Date of execution of license- Composit Licence
Unique Number assigned by IBM	Village	Taluka	District	State	Toposheet number	Cadastral Survey or Khasra Number	Lati- tude (ddmm ss)	Longitude (dd mm ss)					

6. **Please give details of reconnaissance licence held at the time of applying for registration, if any, or update the information due to any changes after registration, by the Individual- Association of Individuals - Firms or Company.**

Location of RP									Area held under RP (in ha)	Name of Minerals	Date of grant	Period	Date of execution of licence
Unique Number assigned by IBM	Villages	Talukas	Districts	State	Topo- sheet number	Cadastral Survey or Khasra Number	Lati- tude (ddmm ss)	Long- itude (dd mm ss)					

IndiaCode

7. **If engaged in mineral trading- storage and export, please give details of storage facilities owned at the time of applying for registration or update the information due to any changes after registration.**

	Location(s) of area used for storage						Area Owned-held under rent (In hectres)	Mineral Name	Remarks
Sr.No.	Village	Taluka	District	Sta-te	Lati-tude (ddmmss)	Longi-tude (ddmmss)			

8. If engaged in production or manufacturing through a mineral based industry, please give details of mineral consumption or update the information due to any changes after registration

Sr. No.	Location(s) of plant where mineral is used						Name of the plant	Mineral consumed	Average consump-tion per year	Remarks
	Village	Taluka	District	State	Lati-tude (ddmmss)	Longi-tude (ddmmss)				

VERIFICATION

I, ----------S-o - D-o - W-o---------- age ------ occupation---------- resident of ---------- village-town-city post office---------- police station ---------- taluka---------- district---------- state---------- certify that the information furnished above is complete and correct in all respects.

Place:

Date:

Signature:

Name in full:

Not to be filled by the applicant

(For internal use of the Indian Bureau of Mines)

Registration Number assigned by IBM:

FORM L

[See rule 45(6)(a)]

For the month of _____20

MONTHLY RETURN

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, before the tenth day of every month in respect of the preceding month, through online.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

- Quantity to be reported in tonnes. If not please specify the unit.
- Value to be reported in rupees only.
- Registration number means the registration number allotted by Indian Bureau of Mines to the lessee-owner or to a trader- stockist - end-use mineral based industry - exporter.
- Ore grade for various minerals, as given in the form, to be strictly used while reporting.

1. GENERAL PARTICULARS

Registration No (allotted by IBM)			
Name and Address			
Plant Name-Storage location, if available			
Latitude and Longitude			
Name of activity(s) reported (Tick whichever is-are applicable)	(a)	Trading	
	(b)	Export	
	(c)	End-use	
	(d)	Storage	

Indiacode

2. DETAILS OF THE ACTIVITY

(Quantity to be reported in tonnes. If not please specify the unit)

(a) Trading Activity

Mineral-Ore	Grade of mineral-ore #	Opening stock	Ore purchased during the month (within the country)			Ore imported during the month			Ore dispatched during the month			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer (to indicate separately if more than one buyer)	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

(b) Export of ore

Mineral-Ore	Grade of mineral-ore #	Opening stock	Ore procured during the month for export (from within the country)			Ore imported during the month			Ore exported during the month			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

(c) End-use mineral based activity

Mineral-Ore	Grade of mineral- ore #	Opening stock	Ore procured during the month (within the country)			Ore imported during the month			Ore consumed during the month		Ore dispatched during the month			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Quantity	Value (in ₹)	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer (to indicate separately if more than one buyer)	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

(d) Storage Activity

Mineral-Ore	Grade of mineral- ore #	Opening stock	Ore received during the month (within the country)			Ore imported during the month			Ore dispatched during the month			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the person-company to whom ore dispatched (to indicate separately if more than one person-company)	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

IndiaCode

VERIFICATION

I, _____S-o - D-o - W-o_____ age ____ occupation_____ resident of _____ village-town-city post office _____ police station _____ taluka _____ district_____ state _____certify that the information furnished above is complete and correct in all respects.

Place: Signature:

Date: Name in full:

Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):

MINERAL	GRADES
Iron ore	**(i) Lumps:**
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(ii) Fines:
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe

	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(iii) Concentrates
	(iv) Calibrated Lump Ore (CLO) (Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO)
	a) Below 62% Fe (CLO any size)
	b) 62% to below 65% Fe (5-18 mm size CLO)
	c) 62% to below 65% Fe (10-40 mm size CLO)
	d) 62% to below 65% Fe (CLO others)
	e) 65% and above Fe (5-18 mm size CLO)
	f) 65% and above Fe (10-40 mm size CLO)
	g) 65% and above Fe (CLO others)
	(v) ROM ore
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
Manganese Ore	**(i) Ore**
	a) Below 25% Mn
	b) 25% to below 35% Mn
	c) 35% to below 46% Mn
	d) 46% and above Mn
	e) Dioxide ore
	(ii) Concentrates
Bauxite	**(i) For use in alumina and aluminium extraction:-**
	a) Below 40% Al_2O_3
	b) 40% to below 45% Al_2O_3
	c) 45% to below 50% Al_2O_3
	d) 50% to below 55% Al_2O_3
	e) 55% to below 60% Al_2O_3
	f) 60% and above Al_2O_3
	(ii) For use other than alumina and aluminium metal extraction
	a) Cement
	b) Abrasive
	c) Refractory

IndiaCode

	d) Chemical
Chromite	**(i) Lumps**
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3
	(ii) Fines
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3
	(iii) Concentrates
	(iv) ROM ore
	a) Below 40% Cr2O3
	b) 40% to below 52 % Cr2O3
	c) 52% and above Cr2O3
Asbestos	a) Amphibole
	b) Chrysotile
Fluorite-Fluorspar	a) 80% and above CaF_2
	b) 70% to below 80% CaF_2
	c) 30% to below 70% CaF_2
	d) Below 30% CaF_2
Graphite	a) With 80% or more fixed carbon
	b) With 40 % or more fixed carbon but less than 80% fixed carbon
	c) With 20% or more fixed carbon but less than 40% fixed carbon
	d) With less than 20% fixed carbon
Kyanite	a) 40% and above Al_2O_3
	b) Below 40% Al_2O_3
Limestone	a) LD Grade (less than 1.5% silica content)
	b) SMS
	c) BF
	d) Chemical
	e) Cement
Rock Phosphate-Phosphorite	a) Above 30% P_2O_5
	Above 25% to 30% P_2O_5
	Above 20% to 25% P_2O_5
	Upto 20% P_2O_5
Precious and semi-precious stones	a) Rough and uncut stones
	b) Cut and polished stones
	c) Industrial
	d) Others

IndiaCode

FORM M

[See rule 45(6)(b)]

For the financial year 1st April, 20____ to 31st March, 20____

ANNUAL RETURN

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, before the first day of July of each year for the preceding financial year, through online.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.
- Quantity to be reported in tonnes. If not please specify the unit.
- Value to be reported in rupees only.
- Registration number means the registration number allotted by Indian Bureau of Mines to the lessee-owner or to a trader- stockist - end-use mineral based industry - exporter.
- Ore grade for various minerals, as given in the form, to be strictly used while reporting.
- Item 5 related to raw materials consumed may be filled up by all end use industry and iron and steel industry also

IndiaCode

1. GENERAL PARTICULARS

Registration No (allotted by IBM)			
Name and Address			
Plant Name-Storage location, if available			
Latitude and Longitude			
Name of activity(s) reported (Tick whichever is-are applicable)	(a)	Trading	
	(b)	Export	
	(c)	End-use	
	(d)	Storage	

2. DETAILS OF THE ACTIVITY

(Quantity to be reported in tonnes. If not please specify the unit)

(a) **Trading Activity**

Mineral-Ore	Grade of mineral-ore #	Opening stock	Ore purchased during the year (within the country)			Ore imported during the year			Ore despatched during the year			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer (to indicate	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

			separately if more than one supplier)						separately if more than one buyer)			

(b) Export of ore

Mineral-Ore	Grade of mineral-ore #	Opening stock	Ore procured during the year for export (from within the country)			Ore imported during the year			Ore exported during the year			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

(c) End-use mineral based activity

Mineral-Ore	Grade of mineral-ore #	Opening stock	Ore procured during the year (within the country)			Ore imported during the year			Ore consumed during the year		Ore despatched during the year			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Quantity	Value (in ₹)	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the buyer (to indicate separately if more than one buyer)	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

***(d)* Storage Activity**

Mineral-Ore	Grade of mineral-ore #	Opening stock	Ore received during the year (within the country)			Ore imported during the year			Ore despatched during the year			Closing stock
		Quantity	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the supplier (to indicate separately if more than one supplier)	Quantity	Value (in ₹)	Country	Quantity	Value (in ₹)	Registration number as allotted by the Indian Bureau of Mines to the person-company to whom ore despatched (to indicate separately if more than one person-company)	Quantity	Value (in ₹)	Quantity

IndiaCode

NOTE:

(a) Only end-use mineral based industry to respond to section 3 to 6

(b) Information to be given separately for each industry and each unit

3. INFORMATION REGARDING END-USE MINERAL BASED INDUSTRIES (OTHER THAN IRON AND STEEL INDUSTRY)

(i) Name of Industry : Name of Plant:

(ii) (a) State: (b) District : (c) Location :

(iii) Details on products manufactured with their capacities and production :

Products	Annual installed capacity during the year (in tonnes)	Production (in tonnes)	
		Previous financial year	Present financial year
1)	(2)	(3)	(4)
FINISHED PRODUCTS			
i)			
ii)			
INTERMEDIATE PRODUCTS			
i)			
ii)			
BY-PRODUCTS			
i)			
ii)			

Expansion programme undertaken and progress made during the year :

(iv) Expansion programme- Plan envisaged for future :

(v) Research and Development programme carried out during the year (give details) :

4. INFORMATION REGARDING IRON AND STEEL INDUSTRY

(i) Name of Plant:

(ii) (a) State: (b) District : (c) Location :

(iii) Products manufactured with their capacity and production:

Products	Installed capacity (in tonnes)	Production (in tonnes)		Remarks
		Previous financial year	Present financial year	
(a) Sinter i)Self fluxing ii)Ordinary				
(b) Pellets				
(c) Coal i)Clean coal				

IndiaCode

ii)Coke (own production)				
(d) Pig iron i)Hot metal (total) ii) Hot metal for own consumption. iii)Pig iron for sale				
(e) Sponge Iron				
(f) Hot Briquetted Iron				
(g) Steel *i)* Liquid Steel- Crude Steel *ii)* Total Saleable Steel a) Semi-finished Steel b) Finished Steel				
(h) Tin plates				
(i) Sulphuric acid				
(j) Refractories-bricks				
(k) Fertilizers				
(l) Any other product-by-product				
Coke purchased (in tonnes)	previous year		present year	

(iv) Expansion programme undertaken and progress made during the year:

(v) Expansion programme -Plan envisaged for future:

(vi) Research and Development programme carried out during the year (give details):

IndiaCode

5. DETAILS OF RAW MATERIALS CONSUMED IN PRODUCTION {including Electricity (in KWh), Coal and Petroleum products}

Raw Material			Actual Consumption*				Estimated Requirement*	
Mineral- Ore- Metal- Ferro-alloy	Physical Specification	Chemical Specification	Previous financial year		Present financial year			
			Indigenous	Imported	Indigenous	Imported	Next financial year	Next to Next financial year
(1)			(2)		(3)		(4)	(5)

* Quantity to be reported in tonnes. If not please specify the unit.

6. SOURCE OF SUPPLY

Type@	Mineral- Ore- Metal- Ferro-alloy	Indigenous								Imported			
		Name and address of supplier	Source of supply (mine or area)		Indicate the distance of mine-rail to plant (in km)	Transportation cost per unit by Rail-Road		Quantity*	Price per unit at factory site (in ₹)	Name and complete address of supplier (country wise)		Quantity purchased *	Cost per unit at factory site (in ₹)
			Mine Code	District		Mode	Cost per unit (in ₹)			Address	Country		

@ Indigenous- Imported; * Quantity to be reported in tonnes. If not please specify the unit.

VERIFICATION

I, _____S-o - D-o - W-o_____ age ____ occupation_____ resident of _____ village-town-city post office _____ police station _____ taluka _____ district_____ state _____certify that the information furnished above is complete and correct in all respects.

Place:

Signature:

Date:

Name in full:

Grades of minerals to be reported in the above tables are as given below. (If separate grades are not mentioned below, report the mineral name against grade):

MINERAL	GRADES
Iron ore	**(i) Lumps:**
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(ii) Fines:
	a) Below 51% Fe
	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
	(iii) Concentrates
	(iv) Calibrated Lump Ore (CLO) (Quantity already reported in Lumps should not be reported against CLO)
	a) Below 62% Fe (CLO any size)
	b) 62% to below 65% Fe (5-18 mm size CLO)
	c) 62% to below 65% Fe (10-40 mm size CLO)
	d) 62% to below 65% Fe (CLO others)
	e) 65% and above Fe (5-18 mm size CLO)
	f) 65% and above Fe (10-40 mm size CLO)
	g) 65% and above Fe (CLO others)
	(v) ROM ore
	a) Below 51% Fe

IndiaCode

	b) 51% to below 55% Fe
	c) 55% to below 58% Fe
	d) 58% to below 60% Fe
	e) 60% to below 62% Fe
	f) 62% to below 65% Fe
	g) 65% and above Fe
Manganese Ore	**(i) Ore**
	a) Below 25% Mn
	b) 25% to below 35% Mn
	c) 35% to below 46% Mn
	d) 46% and above Mn
	e) Dioxide ore
	(ii) Concentrates
Bauxite	**(i) For use in alumina and aluminium extraction:-**
	a) Below 40% Al_2O_3
	b) 40% to below 45% Al_2O_3
	c) 45% to below 50% Al_2O_3
	d) 50% to below 55% Al_2O_3
	e) 55% to below 60% Al_2O_3
	f) 60% and above Al_2O_3
	(ii) For use other than alumina and aluminium metal extraction
	a) Cement
	b) Abrasive
	c) Refractory
	d) Chemical
Chromite	**(i) Lumps**
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3
	(ii) Fines
	a) Below 40% Cr_2O_3
	b) 40% to below 52 % Cr_2O_3
	c) 52% and above Cr_2O_3
	(iii) Concentrates
	(iv) ROM ore
	a) Below 40% Cr2O3
	b) 40% to below 52 % Cr2O3
	c) 52% and above Cr2O3
Asbestos	a) Amphibole
	b) Chrysotile

IndiaCode

Fluorite-Fluorspar	a) 80% and above CaF_2
	b) 70% to below 80% CaF_2
	c) 30% to below 70% CaF_2
	d) Below 30% CaF_2
Graphite	a) With 80% or more fixed carbon
	b) With 40 % or more fixed carbon but less than 80% fixed carbon
	c) With 20% or more fixed carbon but less than 40% fixed carbon
	d) With less than 20% fixed carbon
Kyanite	a) 40% and above Al_2O_3
	b) Below 40% Al_2O_3
Limestone	a) LD Grade (less than 1.5% silica content)
	b) SMS
	c) BF
	d) Chemical
	e) Cement
Rock Phosphate-Phosphorite	a) Above 30% P_2O_5
	b) Above 25% to 30% P_2O_5
	c) Above 20% to 25% P_2O_5
	d) Upto 20% P_2O_5
Precious and semi-precious stones	a) Rough and uncut stones
	b) Cut and polished stones
	c) Industrial
	d) Others.”.

IndiaCode

FORM-N

(See Rule 50)

(Notice of transfer of Prospecting License cum Mining Lease or Mining Lease)

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR FILLING THE FORM

- This Form, duly filled in must reach the concerned authorities as prescribed within the rule, within thirty days of the date of such transfer, by online or Email.
- This should be sent to the Regional Controller in whose territorial jurisdiction the mineral concession falls as notified from time to time by the Controller General, Indian Bureau of Mines, under rule 66 of the Mineral Conservation Development Rules, 2016.
- The form should be digitally signed by the concerned person.

1. **Type of Mineral Concession** --- Mining Lease ◎

 Prospecting License-cum-Mining Lease ◎

2. **IBM Registration Number** []

3. **Unique IBM Concession Number of Prospecting License –cum-mining lease**

 (Field will be disabled if the case is that of ML) []

4. **Mining Lease Code**

5. **Mine Code**

6. **Name of the mineral or minerals for which prospecting license cum mining lease-mining lease has been granted**:

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of Form 'K'.)

7. **Name and address of the mineral concession holder**

(Information will be system Generated. Linked with Entry 4 and 5 of Form 'K'.)

8. **Particulars of mineral concession**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of FORM 'K'.)

9. **Location of the Mineral Concession**

(Information will be system generated. Linked with Entry 4 and 5 of FORM 'K'.)

10. **Name and address of the Transferee or Assignee**

Name	Address	Email	PAN number	Aadhar number	Passport number	Mobile number

11. **Letter number and date of transfer order issued by State Government**

Place:

Date:

Signature

Name in full:

Designation: Owner-Geologist-Mining Engineer

[No. 8-1-2016-M.VI]

R. SRIDHARAN, Spcl. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.05 14:19:08 +05'30'